gradeup

UPSC CSE सामयिकी जुलाई २०२०

Prep Smart. Score Better. Go gradeup

www.gradeup.co

कला और संस्कृति

जरदोजी कला

खबरों में क्यों है?

- लॉकडाउन से बढ़ते नुकसान और काम न होने के कारण कई जरदोजी कलाकार बेरोजगार हो गए हैं, यहां तक कि शादी के मौसम में भी कोई ग्राहक नहीं मिला है।

जरदोजी कला के संदर्भ में जानकारी

- यह एक विश्व प्रसिद्ध कपड़ा कढ़ाई है, जो मुगलों द्वारा संरक्षित एक कला है, जिसमें जटिल प्रारूप बनाने के लिए कपड़े पर धातु के धागे बुनाई की जाती है।
- यह कला मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान फली-फूली थी।
- भारत में कढ़ाई की जरदोजी शैली, ऋग्वेद के समय से अस्तित्व में रही है।

नोट:

- लखनऊ जरदोजी को वर्ष 2013 में भौगोलिक संकेतक टैग मिला था।
- लखनऊ और आसपास के छह जिलों: बाराबंकी, उन्नाव, सीतापुर, रायबरेली, हरदोई और अमेठी के क्षेत्रों में जरदोजी उत्पाद निर्मित किए जाते हैं।

टॉपिक- जी.एस. पेपर I- कला एवं संस्कृति

स्रोत- द हिंदू

राष्ट्रीय पाण्डुलिपि मिशन (एन.एम.एम.)

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, मंगोलियाई कंजूर के पांच संस्करणों का पहला सेट राष्ट्रीय पाण्डुलिपि मिशन (एन.एम.एम.) के अंतर्गत प्रकाशित किया गया है।

राष्ट्रीय पाण्डुलिपि मिशन के संदर्भ में जानकारी

- इसे पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय द्वारा फरवरी, 2003 में पांडुलिपियों में संरक्षित ज्ञान के दस्तावेजीकरण, संरक्षण और प्रसार के शासनादेश के साथ शुरू किया गया था।

उद्देश्य

- इस मिशन का उद्देश्य दुर्लभ और अप्रकाशित पांडुलिपियों को प्रकाशित करना है, जिससे कि उनमें निहित ज्ञान शोधकर्ताओं, विद्वानों और आम जनता के बीच बड़े पैमाने पर प्रसारित हो सके।
- इस योजना के अंतर्गत, मिशन द्वारा मंगोलियाई कंजूर के 108 संस्करणों का दोबारा प्रकाशन किया गया है।
- यह उम्मीद है कि मार्च, 2022 तक सभी संस्करणों को प्रकाशित किया जाएगा।

टॉपिक- जी.एस. पेपर I- कला एवं संस्कृति

स्रोत- ए.आई.आर.

हैगिया सोफ़िया

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, तुर्की के सर्वोच्च न्यायालय ने लगभग 1,500 वर्षीय पुराने हैगिया सोफिया को संग्रहालय से मस्जिद में बदलने की अनुमति प्रदान की है।

हैगिया सोफिया के इतिहास का अवलोकन

- हैगिया सोफिया को चर्च ऑफ द हॉली विजडम या चर्च ऑफ द डिवाइन विजडम के नाम से भी जाना जाता है, यह कांस्टेंटिनोपल (अब इस्तांबुल, तुर्की) में बनाया गया एक गिरजाघर है, जिसे 6वीं शताब्दी ई.पू. (532-537) में बीजान्टिन सम्राट जस्टिनियन प्रथम के निर्देशन में बनवाया गया था।
- यह सबसे महत्वपूर्ण बीजान्टिन संरचना है और दुनिया के महान स्मारकों में से एक है।
- वर्ष 1453 में कांस्टेंटिनोपल पर तुर्की की विजय के बाद, मेहमेद द्वितीय ने लकड़ी की मीनार (बाहरी तरफ, प्रार्थना के लिए आवाहन करने हेतु इस्तेमाल किया जाने वाला एक टॉवर), एक महान झूमर,

एक मिहराब (मक्का को निर्देशित करता हुआ संकेतक आला) और एक मिनबार (उपदेश मंच) के साथ इसे मस्जिद के रूप में पुनर्निर्मित कराया था।

- इसके बाद वर्ष 1934 में तुर्की के राष्ट्रपति केमल अतातुर्क ने इमारत का धर्मनिरपेक्ष किया था और वर्ष 1935 में इसे एक संग्रहालय के रूप में बनाया गया था।
- इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी सूचीबद्ध किया गया है।

नोट:

यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के दर्जे का उल्लंघन

- हैगिया सोफिया का संग्रहालय से एक मस्जिद में रूपांतरण यूनेस्को के 'विश्व सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक विरासत के संरक्षण के संबंध में सम्मेलन' का उल्लंघन होगा, जहां "विश्व सांस्कृतिक विरासत के एक संग्रहालय नामित" का उपयोग अन्य उद्देश्यों को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा था"।

टॉपिक- जी.एस. पेपर I- कला एवं संस्कृति

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

तंगमास

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, अरूणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक पुस्तक जारी की है, जिसका शीर्षक तंगमास: अरूणाचल प्रदेश के गंभीर रूप से लुप्तप्राय समूहों का मानव जाति संबंधी भाषाई अध्ययन है।

तंगमास कौन हैं?

- तंगमास, अरूणाचल प्रदेश की बड़ी आदि जनजाति के भीतर एक अल्पज्ञात समुदाय है और ऊपरी सियांग जिले के पेनडेम मंडल में कॉगिंग के छोटे गांव में निवास करती है। तंगमास समुदाय, जिसने कथित तौर पर अरूणाचल प्रदेश के एक छोटे से गाँव में 253 वक्ताओं को केंद्रित किया है।
- लुप्तप्राय भाषाओं के यूनेस्को विश्व एटलस (2009) के अनुसार, तंगम (एक मौखिक भाषा) जो कि तनी समूह से संबंधित है, इसके अतर्गत अधिक तिब्बती-बर्मी भाषा परिवार को 'गंभीर रूप से लुप्तप्राय' के रूप में चिह्नित किया गया है।

अरूणाचल प्रदेश में अन्य भाषाओं के संदर्भ में जानकारी?

- अरूणाचल प्रदेश की भाषाओं को चीन-तिब्बती भाषा परिवार के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है और विशेष रूप से भाषाओं के तिब्बती-बर्मी और ताई समूह के अतर्गत जैसे लोलो-बर्मिश, बोधिक, सल, तानी, मिशमी, ह्रउईश और ताई है।

नोट:

- मेयोर, गंभीर रूप से लुप्तप्राय भाषा है, जिसकी आबादी केवल 1,000 विषम लोगों की है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर I- कला एवं संस्कृति

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

पद्मनाभस्वामी मंदिर

खबरों में क्यों है?

- अपने हालिया फैसले में, सर्वोच्च न्यायालय ने केरल में श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर के प्रशासन में त्रावणकोर शाही परिवार के शीबेट अधिकारों को सही ठहराया है।

शीबेट के संदर्भ में जानकारी

- शीबेट, कोई भी व्यक्ति है जो देवता की सेवा और समर्थन करता है और संपत्ति के प्रबंधक के रूप में काम करता है।
- शीबेट, मंदिर या किसी अन्य भूमि या संपत्ति के समान संपत्ति का प्रबंधन करता है, जो देवता के साथ निहित है।
- शीबेट, एकमात्र व्यक्ति है जिसके पास देवता या देवी की ओर से बात करने की शक्ति है।
- उसके पास देवता से संबंधित सभी मामलों से निपटने की शक्ति है।

पद्मनाभस्वामी मंदिर के संदर्भ में जानकारी

- यह केरल के तिरूवनंतपुरम में स्थित एक हिंदू मंदिर है।
- यह मंदिर, चेरा शैली और वास्तुकला की द्रविड़ शैली के जटिल संलयन से बनाया गया है, जिसमें ऊँची दीवारें और 16वीं शताब्दी के गोपुर की विशेषताएं है।
- प्रमुख देवता पद्मनाभस्वामी (विष्णु जी) को मंदिर में "अनंत शयन" मुद्रा में प्रतिष्ठापित किया गया है, जो सर्प आदि शेष पर अनन्त योग निद्रा है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर I- कला एवं संस्कृति

स्रोत- द हिंदू

प्रसाद (PRASHAD) योजना

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री (आई.सी.) ने “सोमनाथ, गुजरात में तीर्थयात्रा सुख-सुविधाओं का विकास” परियोजना का उद्घाटन किया है।
- “सोमनाथ, गुजरात में तीर्थयात्रा सुख-सुविधाओं का विकास” परियोजना को मार्च, 2017 में प्रसाद योजना के अंतर्गत स्वीकृत प्रदान की गई है।
- परियोजना के अंतर्गत पार्किंग के लिए उच्च गुणवत्तापूर्ण और विश्व स्तरीय सुविधाएं, पर्यटन सुविधाएं केंद्र और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन विकसित किए गए हैं।

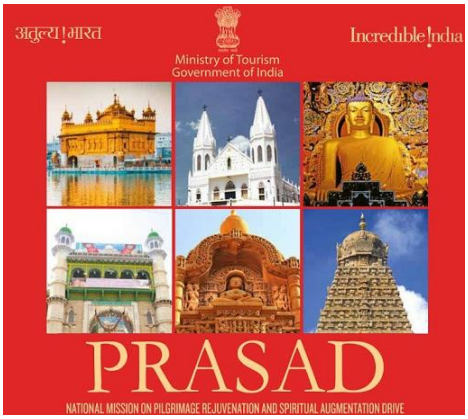

प्रसाद (PRASHAD) योजना के संदर्भ में जानकारी

- पर्यटन मंत्रालय द्वारा वर्ष 2014-15 में राष्ट्रीय तीर्थाटन कायाकल्प एवं आध्यात्मिक, विरासत आवर्धन ड्राइव मिशन' (PRASHAD) लांच किया गया था।

उद्देश्य

- इसका उद्देश्य पहचाने गए तीर्थस्थलों और विरासत स्थलों का एकीकृत विकास करना है।
- इस योजना का उद्देश्य बुनियादी ढांचे का विकास जैसे प्रवेश बिंदु (सड़क, रेल और जल परिवहन), अंतिम मील कनेक्टिविटी, सूचना/ व्याख्या केंद्र, ए.टी.एम./ मनी एक्सचेंज इत्यादि जैसी बुनियादी पर्यटन सुविधाओं का विकास करना है।

वित्तपोषण

- पर्यटन मंत्रालय, राज्य सरकारों को पहचाने गए तीर्थस्थलों पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता (सी.एफ.ए.) प्रदान करता है।
- इस योजना के अंतर्गत सार्वजनिक वित्तपोषण के भीतर घटकों के लिए, केंद्र सरकार 100% निधि प्रदान करेगी।
- परियोजना की बेहतर स्थिरता के लिए, यह सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पी.पी.पी.) और कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सी.एस.आर.) को भी शामिल करना चाहता है।

सोमनाथ मंदिर के संदर्भ में जानकारी

- सामनाथ मंदिर, गुजरात के पश्चिमी तट पर सौराष्ट्र में जूनागढ़ के निकट प्रभास पाटन में स्थित है।
- यह शिव के बारह ज्योतिर्लिंग मंदिरों में से पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है।
- वर्ष 1024 में, भीम प्रथम के शासनकाल के दौरान, गजनी के प्रमुख तुर्क मुस्लिम शासक महमूद ने गुजरात पर आक्रमण किया था, सोमनाथ मंदिर को लूटा था और उसके ज्योतिर्लिंग को तोड़ दिया है।
- वर्तमान मंदिर का पुनर्निर्माण, हिंदू मंदिर वास्तुकला की चालुक्य शैली में किया गया था और पुनर्निर्माण मई, 1951 में पूरा हुआ था।

टॉपिक- जी.एस. पेपर I- कला एवं संस्कृति

स्रोत- पी.आई.बी.

ब्रू शरणार्थी

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, त्रिपुरा के गैर-ब्रूस ने मिजोरम से विस्थापित ब्रूस को बसाने के लिए छह स्थानों का प्रस्ताव दिया है और 23 वर्ष पुराने शरणार्थी संकट का दंश झेलने वाले लोगो को दो उपखंडों में समायोजित किए जाने वाले परिवारों की संख्या की सीमा निर्धारित की है।

- उन्होंने छह स्थानों की पहचान की है और प्रस्तावित किया है कि इन स्थानों पर 500 परिवारों को बसाया जाए।

ये स्थान निम्न हैं-

a. बंदरिमा-पुष्पोरांपारा
b. सखन पहाड़ी
c. चायगढ़पुर
d. सुबलबरी
e. कंचनपुर उपखंड में कालारामबड़ी-बंदरिमा
f. पानीसागर उपखंड में कुकिनाला

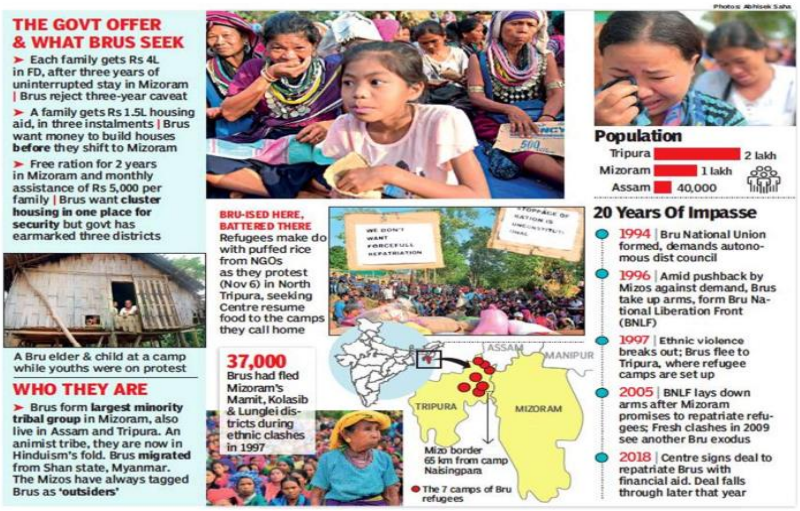

ब्रस के संदर्भ में जानकारी

- ब्रूस को रींग्स के रूप में भी संदर्भित किया जाता है। ये पूर्वोत्तर राज्यों त्रिपुरा, असम, मणिपुर और मिजोरम में फैले हुए हैं।
- वे त्रिपुरा, मिजोरम और दक्षिणी असम के कुछ हिस्सों में फैले हुए हैं, इसे त्रिपुरा में सबसे अधिक आबादी वाली जनजाति कहा जाता है।
- त्रिपुरा में, ये विशेष रूप से लुप्तप्राय जनजातीय समूह के रूप में पहचाने जाते हैं।
- वे अनिवार्य रूप से जातीय रूप से मिज़ोस से भिन्न हैं और उनकी अपनी अलग भाषा और बोली है और इस प्रकार त्रिपुरा की 21 अनुसूचित जनजातियों में से एक है।
- मिजोरम में, उन्हें उन समूहों द्वारा लक्षित किया गया है जो उन्हें राज्य के लिए स्वदेशी नहीं मानते हैं।

ब्रूस रींग्स से संबंधित मुद्दा

- जातीय हिंसा के कारण ब्रू जनजाति के हजारों लोगों को मिजोरम में अपने घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा था।
- मिजोरम से विस्थापित ब्रू लोग वर्ष 1997 से त्रिपुरा में विभिन्न शिविरों में रह रहे हैं।
- वर्ष 1997 में, कथित रूप से ब्रू उग्रवादियों द्वारा मिजोरम ममित जिले में डम्पा टाइगर रिजर्व में एक मिजो वन रक्षक की हत्या, समुदाय के खिलाफ हिंसक संघर्ष के कारण बनी थी, जिससे हजारों लोग पड़ोसी त्रिपुरा में भाग गए थे।

- ब्रू उग्रवाद, मिज़ो राष्ट्रवादी समूहों के खिलाफ एक प्रतिक्रियावादी आंदोलन था, जिन्होंने 1990 के दशक के मध्य में यह कहते हुए मांग की थी कि ब्रूस जनजाति मिज़ोरम के लिए स्वदेशी नहीं है, अत: ब्रूस को राज्य की मतदाता सूची से बाहर रखा जाए।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 1- कला एवं संस्कृति (जनजाति)

स्रोत- द हिंदू

सिद्दी समुदाय

खबरों में क्यों है?

- कर्नाटक में सिद्दी समुदाय को अपना पहला व्यवस्थापक मिला है क्यों कि राज्यपाल वजुभाई वाला ने कर्नाटक विधानपरिषद में शांताराम बुदना सिद्दी सहित पांच लोगों को नामित किया है।

सिद्दी समुदाय के संदर्भ में जानकारी

- सिद्दी, एक जातीय समूह हैं जो दक्षिण-पूर्वी अफ्रीका के बंटू-भाषी लोगों के पूर्वजों से उत्पन्न हुए हैं और उन्हें पुर्तगाली व्यापारियों द्वारा 400 वर्ष पहले भारत लाया गया था।
- वे कर्नाटक में अनुसूचित जनजाति (एस.टी.) की सूची में शामिल हैं।
- कर्नाटक, गुजरात और हैदराबाद भारत में सिद्दी समुदाय के प्रमुख जनसंख्या केंद्र हैं।

संबंधित जानकारी

विशेष रूप से लुप्तप्राय जनजातीय समूह (पी.वी.टी.जी.) के संदर्भ में जानकारी

- आदिवासी समूहों में पी.वी.टी.जी अधिक लुप्तप्राय हैं।
- भारत में, आदिवासी जनसंख्या, कुल जनसंख्या की 8.6% है।
- वर्ष 1973 में, धेबर आयोग ने पृथक श्रेणी के रूप में आदिम जनजातीय समूहों (पी.टी.जी.) का गठन किया था, जो आदिवासी समूहों के बीच कम विकसित हैं।
- वर्ष 2006 में, भारत सरकार ने आदिम जनजातीय समूहों को विशेष रूप से लुप्तप्राय जनजातीय समूहों के रूप में नामित किया था।
- विशेष रूप से लुप्तप्राय जनजातीय समूहों की पहचान करने हेतु निम्न मानदंड हैं: -
- तकनीक का पूर्व कृषि स्तर

- साक्षरता का निम्न स्तर
- आर्थिक पिछड़ापन
- घटती या स्थिर जनसंख्या
- भारत सरकार ने 705 अनुसूचित जनजातियों में से 75 पी.वी.टी.जी. की पहचान की है।
- 75 सूचीबद्ध पी.वी.टी.जी. में से सबसे अधिक संख्या ओडिशा में पाई जाती है।

नोट:

- कर्नाटक में दो विशेष रूप से लुप्तप्राय जनजातीय समूहों की पहचान की गई है।
- ये जेनु कुरूबा और कोरगा हैं।

टॉपिक- जी.एस. पेपर I- कला एवं संस्कृति, स्रोत- द हिंदू

राजव्यवस्था और शासन

एन.ए.डी.ए. ने 'नाडा ऐप' लांच किया है।

खबरों में क्यों है?

- राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी (एन.ए.डी.ए.) ने एथलीटों को खेल के विभिन्न पहलुओं, निषिद्ध पदार्थों और डोप-परीक्षण पर जानकारी के लिए आसान पहुँच प्रदान करने हेतु एक मोबाइल एप्लिकेशन "नाडा ऐप" लॉन्च किया है।

नाडा ऐप के संदर्भ में जानकारी

- यह ऐप उन्हें वह जानकारी प्रदान करेगा, जिसकी उन्हें किसी डोपिंग रोधी मुद्दे के संदर्भ में आवश्यक्ता है। इस एप्लिकेशन का उद्देश्य काफी हद तक एथलीटों को अधिक आत्मनिर्भर बनाना है।
- यह ऐप एथलीटों के डोप परिणामों को प्रतिबिंबित करेगा, जो प्रत्यक्ष रूप से एथलीटों के लिए उपलब्ध है।
- एथलीट, मोबाइल एप्लिकेशन पर अपने ठिकाने को भी अपडेट कर सकेंगे।
- यह ऐप इस वर्ष की शुरूआत से ऑनलाइन उपलब्ध है लेकिन औपचारिक रूप से अब केवल लॉन्च किया गया था।

राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी के संदर्भ में जानकारी

- यह भारत में अपने सभी रूपों में खेल में डोपिंग नियंत्रण कार्यक्रम को बढ़ावा देने, समन्वित करने और निगरानी करने हेतु जिम्मेदार राष्ट्रीय संगठन है।

- एन.ए.डी.ए., डोपिंग रोधी नियमों और नीतियों को अपनाने और लागू करने से संबंधित है, जो विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी के अनुरूप हैं, यह अन्य डोपिंग रोधी संगठनों के साथ सहयोग करता है और डोपिंग रोधी अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देते हैं।
- केंद्र सरकार ने सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत नाडा का गठन किया है।
- नाडा में भारतीय ओलंपिक संघ (आई.ओ.ए.) के वैज्ञानिक और प्रतिनिधि शामिल हैं।

टॉपिक- जी.एस. पेपर II- गवर्नेंस

स्रोत- द हिंदू

प्रोग्रामिंग और डेटा विज्ञान में विश्व की पहली ऑनलाइन बी.एससी. डिग्री

खबरों में क्यों है?

- मानव संसाधन विकास मंत्री ने वर्चुअल रूप से प्रोग्रामिंग और डेटा विज्ञान में विश्व की पहली ऑनलाइन बी.एससी. डिग्री लांच की है।

कार्यक्रम के संदर्भ में जानकारी

- यह कार्यक्रम भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास (आई.आई.टी. मद्रास) द्वारा तैयार और पेश किया गया है, जिसे एन.आई.आर.एफ. द्वारा भारत रैंकिंग 2020 में प्रथम स्थान दिया गया है।
- यह अद्वितीय ऑनलाइन पेशकश तीन अलग-अलग चरणों में पेश की जाएगी-
  a. फाउंडेशनल प्रोग्राम
  b. डिप्लोमा कार्यक्रम
  c. डिग्री कार्यक्रम
- प्रत्येक चरण में, छात्रों को कार्यक्रम से बाहर निकलने और क्रमशः एक प्रमाण पत्र, डिप्लोमा या डिग्री प्राप्त करने की स्वतंत्रता होगी।

पात्रता

- यह कार्यक्रम कक्षा X स्तर पर अंग्रेजी और गणित पढ़ने के साथ कक्षा XII उत्तीर्ण करने वाले और किसी भी ऑन-कैम्पस यू.जी. पाठ्यक्रम में नामांकित किसी भी व्यक्ति के लिए खुला है।

नोट:

- डेटा साइंस सबसे तेजी से बढ़ने वाले क्षेत्रों में से एक है, जिससे वर्ष 2026 तक 11.5 मिलियन नौकरियों के सृजन की भविष्यवाणी की गई है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर II- गवर्नेंस

स्रोत- पी.आई.बी.

मत्स्य पालन एवं जलीय कृषि समाचार पत्र- मत्स्य सम्पदा

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय ने मत्स्य पालन एवं जलीय कृषि समाचार पत्र का पहला संस्करण- "मत्स्य संपदा" जारी किया गया है।

मत्स्य पालन एवं जलीय कृषि समाचार पत्र- मत्स्य सम्पदा के संदर्भ में जानकारी

- समाचार पत्र 'मत्स्य संपदा', संचार के विभिन्न माध्यमों से हितधारकों तक विशेषकर मछुआरों और मछली किसानों तक पहुंचन के लिए मत्स्य पालन विभाग के प्रयासों का एक परिणाम है।

लक्ष्य

- इसका उद्देश्य मत्स्य पालन क्षेत्र में सरकारी पहलों का संचार करना है, जिसमें सरकारी और निजी क्षेत्रों दोनों द्वारा किए जा रहे अच्छे कार्यों का भी समावेश है।

उद्देश्य

- इसका उद्देश्य मत्स्य पालन और जलीय कृषि क्षेत्र में नवीनतम विकास के संदर्भ में हितधारकों को सूचित और शिक्षित करना है।

यह वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही से शुरू होने वाली प्रत्येक तिमाही में प्रकाशित किया जाएगा।

टॉपिक- जी.एस. पेपर II- गवर्नेंस

स्रोत- पी.आई.बी.

डाक मतपत्र योजना पर पार्टियों के साथ चर्चा की गई थी: चुनाव आयोग

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, भारतीय चुनाव आयोग (ई.सी.आई.) ने कहा है कि राजनीतिक दलों से मतदाताओं की अधिक श्रेणियों के लिए डाक मतपत्र का विस्तार करने के अपने फैसले पर परामर्श लिया गया था।

डाक मतपत्र प्रणाली के संदर्भ में जानकारी

- मतपत्रों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदाताओं में वितरित किया जाता है और चुनाव अधिकारियों को डाक के माध्यम से लौटाया जाता है।

- वर्तमान में, केवल निम्नलिखित मतदाताओं को डाक मतपत्र के माध्यम से अपना वोट डालने की अनुमति है:
  a. सेवा मतदाता (सशस्त्र बल, किसी राज्य के सशस्त्र पुलिस बल और विदेश में तैनात सरकारी कर्मचारी),
  b. चुनाव ड्यूटी पर मतदाता और
  c. निवारक निरोध के अंतर्गत मतदाता
- मतदाताओं की ऊपर वर्णित श्रेणी के अपवाद को आर.पी. अधिनियम, 1951 की धारा 60 के अंतर्गत प्रदान किया गया है।

पृष्ठभूमि

- जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 किसी भी व्यक्ति को सरकार के परामर्श से ई.सी.आई. द्वारा डाक की सुविधा प्रदान करने का प्रावधान करता है।
- ई.सी.आई. ने सिफारिश की थी कि निर्वाचकों की तीन श्रेणियां- जो 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के हैं, विकलांग व्यक्ति और अनिवार्य सेवा कार्यकर्ताओं को यह सुविधा प्रदान की जानी चाहिए।
- सरकार ने 22 अक्टूबर, 2019 को इसे अधिसूचित किया था और ई.सी.आई. ने पिछले वर्ष झारखंड चुनावों में सात निर्वाचन क्षेत्रों में परीक्षण के रूप में इसे लागू किया था।

टॉपिक- जी.एस. पेपर II- गवर्नेंस

स्रोत- पी.आई.बी.

उद्योग सेतु ऐप

खबरों में क्यों?

- हाल ही में, भारतीय संस्था महासंघ (सी.आई.ए.) ने केंद्र से आरोग्य सेतु के समान एक मोबाइल एप्लिकेशन उद्योग सेतु विकसित करने का आग्रह किया है।

उद्योग सेतु ऐप का उद्देश्य

- यह सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एम.एस.एम.ई.) को जमानत पर छुड़ाने में मदद करेगा, जो कोविड-19 से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं क्यों कि विश्वसनीय डेटा की कमी से क्षेत्र का पुनरुद्धार बाधित हो रहा था।
- मोबाइल एप्लिकेशन में एम.एस.एम.ई. से संबंधित संपूर्ण डेटा शामिल होगा, जैसे कि उद्यमों के नाम, टर्नओवर, कर्मचारियों की संख्या, संयत्र का स्थान और अन्य इसके समान हैं।

समय की मांग

- एम.एस.एम.ई. के लिए केंद्र द्वारा घोषित वित्तीय प्रोत्साहन पैकेज एक उत्साहहीन आक्षेप है क्यों कि हमारे पास उद्योग, व्यापारियों, प्रवासी श्रमिकों, अनौपचारिक श्रमिकों और कई ऐसे खंडों के आंकड़ों की कमी है, जो अभी तक केंद्र और राज्य सरकारों के रडार में नहीं हैं।

- आरोग्य सेतु के समान उद्योग सेतु के माध्यम से उनका तुरंत मानचित्रण करना आवश्यक है।
- यह आकार के निरपेक्ष सभी उद्यमों को एक साथ एक से कम प्लेटफार्म पर लाने में मदद करेगा।

टॉपिक- जी.एस. पेपर II- गवर्नेंस

स्रोत- ए.आई.आर.

एक्सिलिरेट विज्ञान योजना

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, विज्ञान एवं इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड ने एक नई योजना शुरू की है जिसका नाम है 'एक्सिलरेट विज्ञान योजना' है।

एक्सीलिरेट विज्ञान योजना के संदर्भ में जानकारी

- यह एक अंतर-मंत्रालयी योजना है, जो देश भर में अनुसंधान इंटर्नशिप, क्षमता निर्माण कार्यक्रमों और कार्यशालाओं के लिए एक एकल मंच प्रदान करेगी।
- इस अंतर-मंत्रालयी योजना का प्राथमिक उद्देश्य उच्च-अंत वैज्ञानिक अनुसंधान को प्रोत्साहित करना और वैज्ञानिक जनशक्ति तैयार करना है, जो अनुसंधान करियर और ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था का नेतृत्व करेगी।
- यह राष्ट्रीय स्तर पर अनुसंधान क्षमता, सलाह, प्रशिक्षण और हाथों की कार्यशाला की पहचान करने के लिए तंत्र को आरंभ और मजबूत करेगा।

टॉपिक- जी.एस. पेपर II- गवर्नेंस

स्रोत- ए.आई.आर.

जी4 फ्लू वायरस

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, चीन के वैज्ञानिकों ने "हाल ही में उभरे" जी4 नाम के इन्फ्लूएंजा वायरस की पहचान की है, जो कि चीनी सूअरों को संक्रमित कर रहा है और जिसमें एक महामारी को फैलाने करने की क्षमता है।

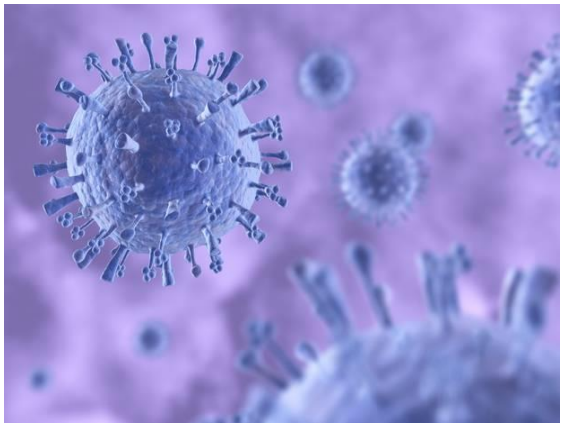

जी4 स्वाइन फ्लू वायरस के संदर्भ में जानकारी

- जी4 स्वाइन फ़्लू स्ट्रेन में उस वायरस के समान जीन हैं जो 2009 की फ्लू महामारी का कारण बना था।
- जी4 स्ट्रेन में मानव-प्रकार के रिसेप्टर्स (जैसे सार्स-सी.ओ.वी.-2 वायरस इंसानों में ए.सी.ई.2 रिसेप्टर्स को बांधता है) को बांधने की क्षमता है।
- यह मानव वायुमार्ग उपकला कोशिकाओं में खुद को कॉपी करने में सक्षम था और इसने खोज में प्रभावी संक्रामकता और एरोसोल संचरण दर्शाया है।
- सूअर, महामारी इन्फ्लूएंजा वायरस की उत्पत्ति के लिए मध्यवर्ती मेजबान हैं।

पृष्ठभूमि

2009 स्वाइन फ्लू महामारी

- डब्ल्यू.एच.ओ. ने 2009 में टाइप ए एच1एन1 इन्फ्लूएंजा वायरस के प्रकोप की घोषणा की थी, जब वैश्विक स्तर पर लगभग 30,000 मामले थे।
- वर्ष 2009 की महामारी एच1एन1 वायरस नामक स्वाइन फ्लू के एक स्ट्रेन के कारण फैली थी, जो मानव से मानव में प्रेषित किया गया था।
- स्वाइन फ्लू के लक्षणों में बुखार, खांसी, गले में खराश, शरीर में दर्द, सिरदर्द, ठंड लगना और थकान शामिल हैं।

स्वाइन फ्लू की परिभाषा

- अमेरिका रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र (सी.डी.सी.) ने स्वाइन फ्लू को "सूअर के श्वसन रोग के रूप में परिभाषित किया है, जो एक इन्फ्लूएंजा वायरस के कारण होता है जो नियमित रूप से सूअरों में इन्फ्लूएंजा के प्रकोप का कारण बनता है।"
- इन्फ्लुएंजा वायरस जो सामान्यत: सूअरों में फैलता है, उसे "स्वाइन इन्फ्लूएंजा वायरस" या "स्वाइन फ्लू वायरस" कहा जाता है।
- मानव इन्फ्लूएंजा वायरस के समान सूअर इन्फ्लूएंजा वायरस के विभिन्न उपप्रकार और उपभेद हैं।

टॉपिक- जी.एस. पेपर III- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

इंटरपोल रेड नोटिस

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया है और इंटरपोल से ट्रम्प के लिए "रेड नोटिस" जारी करने का अनुरोध किया है और अन्य लोगो के लिए भी नोटिस जारी करने का अनुरोध किया है जो मानते हैं कि वे कासिम सोलेमानी को मारने के लिए ड्रोन हमले को अंजाम देने में शामिल थे।

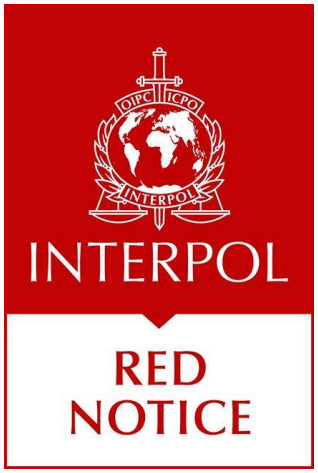

कासिम सोलेमानी?

- सोलेमानी, ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (आई.आर.जी.सी.) की कुद्स फोर्स का प्रभारी था, जिसे अमेरिका ने पिछले वर्ष अप्रैल में एक विदेशी आतंकवादी संगठन के रूप में नामित किया था।
- कुद्स फोर्स ने अन्य देशों में ईरानी मिशनों को अंजाम दिया है, जिनमें गुप्तचर मिशन भी शामिल हैं।

संबंधित जानकारी

अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन (इंटरपोल) के संदर्भ में जानकारी

- यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जो दुनिया भर में पुलिस सहयोग और अपराध नियंत्रण की सुविधा प्रदान करता है।
- इसका मुख्यालय फ्रांस के लियोन में स्थित है, इसकी स्थापना वर्ष 1923 में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस आयोग के रूप में की गई थी।
- यह अनुवादकीय अपराध के तीन प्रमुख क्षेत्रों: आतंकवाद, साइबर अपराध और संगठित अपराध से जूझने के लिए दुनिया भर में कानून प्रवर्तन के लिए खोजी समर्थन, विशेषज्ञता और प्रशिक्षण प्रदान करता है।
- भारत ने जून, 1956 में इंटरपोल की सदस्यता स्वीकार की थी।

इंटरपोल नोटिस के संदर्भ में जानकारी

- इंटरपोल नोटिस, सहयोग या चेतावनी हेतु अंतर्राष्ट्रीय अनुरोध हैं, जिससे सदस्य देशों में पुलिस को अपराध से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने की अनुमति मिलती है।
- सामान्य सचिवालय द्वारा राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो के अनुरोध पर नोटिस प्रकाशित किए जाते हैं और उनके सभी सदस्य देशों को उपलब्ध कराए जाते हैं।

रंग-कोडित नोटिस की इंटरपोल की प्रणाली

नोटिस के प्रकार:

a. रेड नोटिस: अभियोजन के लिए या सजा काटने के लिए वांछित व्यक्ति के स्थान और गिरफ्तारी की मांग करने हेतु
b. येल्लो नोटिस: लापता व्यक्तियों का पता लगाने में मदद करने के लिए, प्राय: नाबालिगों या उन व्यक्तियों की पहचान करने में मदद करने के लिए जो स्वयं को पहचानने में असमर्थ हैं।
c. ब्लू नोटिस: किसी अपराध के संबंध में किसी व्यक्ति की पहचान, स्थान या गतिविधियों के संदर्भ में अतिरिक्त जानकारी एकत्र करने हेतु
d. ब्लैक नोटिस: अज्ञात निकायों के संदर्भ में जानकारी प्राप्त करने हेतु

e. ग्रीन नोटिस: किसी व्यक्ति की आपराधिक गतिविधियों के संदर्भ में चेतावनी देने हेतु जहां व्यक्ति को सार्वजनिक सुरक्षा के लिए संभावित खतरा माना जाता है।
f. ऑरेंज नोटिस: किसी घटना, किसी व्यक्ति, वस्तु या प्रक्रिया को सार्वजनिक सुरक्षा के लिए एक गंभीर और आसन्न खतरे का प्रतिनिधित्व करने की चेतावनी देने हेतु
g. पर्पल नोटिस: अपराधियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली कार्यप्रणाली, वस्तुओं, उपकरणों और गुप्त तरीकों के संदर्भ में जानकारी प्राप्त करने या प्रदान करने हेतु

नोट:

- संयुक्त राष्ट्र नोटिस का प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायाधिकरण और अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का उपयोग उन व्यक्तियों की तलाश करने के लिए भी कर सकता है जो अपने अधिकार क्षेत्र में अपराध करना चाहते हैं, विशेष रूप से नरसंहार, युद्ध अपराध और मानवता के खिलाफ अपराध के लिए नोटिस का प्रयोग कर सकता है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर II- गवर्नेंस

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

औषधि खोज हैकाथॉन 2020

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री ने औषधि खोज हैकथॉन 2020 लॉन्च किया है।

औषधि खोज हैकाथॉन 2020 के संदर्भ में जानकारी

- इसे अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (ए.आई.सी.टी.ई.) और वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सरी.एस.आई.आर.) द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया है।
- यह कोविड-19 महामारी के लिए प्रभावी दवाओं को विकसित करने की प्रक्रिया में आम लोगों के बीच से प्रतिभाशाली लोगों को शामिल करने की एक अद्वितीय पहल है।
- उद्देश्य: यह उन सभी लोगों को एक प्लेटफॉर्म प्रदान करने में मदद करता है, जिनके पास कोविड-19 के इलाज के विकास हेतु विचार हैं।

उद्देश्य

- इसका उद्देश्य सिलिको औषधि खोज का प्रयोग करते हुए सार्स-सी.ओ.वी.-2 के खिलाफ प्रभावी दवा उम्मीदवारों की पहचान करना है, जो कोविड-19 का कारण बनता है।
- रासायनिक संश्लेषण और जैविक परीक्षण के बाद खोज की जाएगी।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 2- गवर्नेंस

स्रोत- द हिंदू

प्रेरकदौर सम्मान

खबरों में क्यों है?

- केंद्रीय मंत्री ने स्वच्छ सर्वेक्षण- 2021 के हिस्से के रूप में प्ररेकदौर सम्मान नामक पुरस्कारों की एक नई श्रेणी की घोषणा की है।
- स्वच्छ सर्वेक्षण- 2021, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा आयोजित शहरी भारत के वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण का छठा संस्करण है।

प्रेरकदौर सम्मान के संदर्भ में जानकारी

- प्रेरकदौर सम्मान में पांच अतिरिक्त उप-श्रेणियां: दिव्य (प्लेटिनम), अनुपम (स्वर्ण), उज्जवल (रजत), उदित (कांस्य), आरोही (आकांक्षी) हैं, जिनमें से प्रत्येक में शीर्ष तीन शहर पहचाने जाएंगे।
- स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में, शहरों का मूल्यांकन 'जनसंख्या श्रेणी' के मानदंडों पर किया जाता है लेकिन 2021 के लिए, उन्हें छह चुनिंदा संकेतक वार प्रदर्शन मानदंडों के आधार पर वर्गीकृत किया जाएगा।

स्वच्छ सर्वेक्षण के संदर्भ में जानकारी

- इसे स्वच्छ भारत मिशन के एक भाग के रूप में लॉन्च किया गया था।
- यह पूरे भारत में शहरों और कस्बों में स्वच्छता, सफाई और शुद्धता का वार्षिक सर्वेक्षण है।
- समयबद्ध और अभिनव तरीके से स्वच्छता मिशन पहलों के सक्रिय कार्यान्वयन और उनके स्वच्छता के स्तर के लिए भारत सरकार द्वारा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों का आकलन करने के लिए रैंकिंग का अभ्यास किया जाता है।
- स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाता है।
- स्वच्छ सर्वेक्षण शहरी, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाता है।

महत्वपूर्ण रैंकिंग

- मैसूर ने सर्वेक्षण के पहले संस्करण (2016) में भारत के सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार जीता था।
- इंदौर ने लगातार तीन वर्षों (2017, 2018 और 2019) के लिए शीर्ष स्थान बरकरार रखा है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर II- गवर्नेंस, स्रोत- पी.आई.बी.

ई-समीक्षा प्लेटफार्म

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, कैबिनेट सचिव ने सरकार के ई-समीक्षा प्लेटफॉर्म के पुनरुद्धार का आदेश दिया है जिससे कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वर्ष 2014 से विभिन्न मील के पत्थर और लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है।

ई-समीक्षा प्लेटफार्म के संदर्भ में जानकारी

- यह प्रधानमंत्री के लिए विभिन्न मंत्रालयों/ विभागों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुतियों के दौरान लिए गए निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई की निगरानी हेतु एक रियल टाइम, ऑनलाइन प्रणाली है।
- इसे कैबिनेट सचिवालय द्वारा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की तकनीकी मदद से विकसित किया गया है।
- "संशोधित ई-समीक्षा में, अब तक लिए गए निर्णयों के विषयवस्तु के विवरण के अतिरिक्त, लक्ष्य तिथियों के साथ प्रमुख मील के पत्थरों से संबंधित जानकारी, निर्णय की श्रेणी (विधायी, अवसंरचना, नीति, योजना आदि), लाभार्थी राज्य या जिले अधिकृत किए जाएंगे।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 2- गवर्नेंस

स्रोत- द हिंदू

अनुच्छेद 164 (1A)

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया है कि मध्य प्रदेश में मंत्रिपरिषद की संख्या निर्धारित सीमा से अधिक है और यह अनुच्छेद 164 (1A) का उल्लंघन है।

मामला क्या है?

- यह आरोप लगाया है कि भाजपा सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 164 (1A) का उल्लंघन किया है।
- उन्होंने श्रीमान चौहान सहित 34 मंत्रियों को नियुक्त किया था, जब कि विधानसभा की संख्या 206 है, जो निर्धारित करती है कि मंत्रिपरिषद की संख्या 30 से अधिक नहीं होनी चाहिए।

अनुच्छेद 164 (1A)

- अनुच्छेद 164 (1A) के अनुसार, किसी राज्य में मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या, उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए।

टॉपिक- जी.एस. पेपर II- गवर्नेंस

स्रोत- द हिंदू

एलीमेंट्स

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, भारत के उपराष्ट्रपति ने एक स्वदेशी मोबाइल ऐप 'एलीमेंट्स' लॉन्च किया है, जो आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत एक नया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है।

एलीमेंट्स ऐप के संदर्भ में जानकारी

- इसे सुमेरू सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस ने बनाया है।
- इस एप्लीकेशन का उद्देश्य सुरक्षित भुगतान के लिए एलीमेंट्स पे के साथ फेसबुक मार्केटप्लेस के समान प्लेटफॉर्म पर भारतीय ब्रांडों को बढ़ावा देना है।

विशेषताएं

- एलीमेंट्स में लोकप्रिय सोशल नेटवर्किंग ऐप्स की बुनियादी विशेषताएं हैं जैसे कि फीड, खोज विकल्प हैं, जहां आप मशहूर हस्तियों को फॉलो कर सकते हैं।
- यह एप्लिकेशन आठ विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध है।
- यह ऐप उपयोगकर्ताओं को कॉन्फ्रेंस कॉल सहित ऑडियो और वीडियो कॉल करने की सुविधा प्रदान करता है।
- एलीमेंट्स के निर्माताओं का दावा है कि उनका डेटा उपयोगकर्ता की सहमति के बिना तीसरे पक्ष के साथ साझा नहीं किया जाएगा।

टॉपिक- जी.एस. पेपर II- गवर्नेंस

स्रोत- द हिंदू

आत्मनिर्भर भारत ऐप नवाचार चुनौती

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, प्रधानमंत्री ने भारत के तकनीकि विशेषज्ञों और विश्व स्तर के 'मेड इन इंडिया' ऐप बनाने के लिए स्टार्टअप समुदाय हेतु 'आत्मनिर्भर भारत ऐप नवाचार चुनौती' की घोषणा की है।

आत्मनिर्भर भारत ऐप नवाचार चुनौती के संदर्भ में जानकारी

- इस परियोजना को अटल नवाचार मिशन और सरकारी प्रबुद्ध मंडल नीति आयोग के साथ साझेदारी में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एम.ई.आई.टी.वाई.) द्वारा शुरू किया गया था।
- इस नवाचार चुनौती को माई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है।

इस चुनौती में भाग लेने वाले ऐप की आठ श्रेणियां हैं:

a. कार्यालय उत्पादकता और घर से काम (वर्क फ्रॉम होम)
b. सोशल नेटवर्किंग
c. ई-लर्निंग
d. मनोरंजन
e. स्वास्थ्य एवं कल्याण
f. कृषि तकनीकि और फिनटेक सहित व्यवसाय
g. समाचार
h. खेल

उद्देश्य

- इस परियोजना का उद्देश्य मौजूदा भारतीय ऐप्स को बढ़ावा देना और नए ऐप्स को विकसित करना है।

घटक

इस चुनौती के दो मार्ग होंगे:

- मार्ग 1 में, सरकार पहले "सर्वश्रेष्ठ भारतीय ऐप्स" की पहचान करेगी, जिन्हें नागरिक पहले से ही उपयोग कर रहे हैं और जिनमें अपनी-अपनी श्रेणियों में विश्व स्तर के ऐप्स से मुकाबला करने और विश्व स्तर का बनने की क्षमता हैं।
- चुनौती के मार्ग 2 में, सरकार उन कंपनियों और उद्यमियों की पहचान करेगी, जो देश के लिए ऐप बना सकते हैं।
- दूसरा मार्ग पहले के मुकाबले ज्यादा लंबा चलेगा।

पृष्ठभूमि

- सरकार का ध्यान उन 59 चीनी ऐप के लिए प्रतिस्थापी खोजने पर केंद्रित प्रतीत होता है, जिन्हें हाल ही में देश में प्रतिबंधित किया गया था।

टॉपिक- जी.एस. पेपर II- गवर्नेंस

स्रोत- ए.आई.आर.

बी.आर.आई.टी. बंधु मोबाइल ऐप

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, परमाणु ऊर्जा विभाग ने मुंबई के भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में विकिरण एवं समस्थानिक प्रौद्योगिकी बोर्ड (बी.आर.आई.टी.) की अपडेटेड वेबसाइट और 'बी.आर.आई.टी. बंधु' नामक एक ग्राहक-फेसिंग मोबाइल एप्लिकेशन लॉन्च किया है।

बी.आर.आई.टी. बंधु मोबाइल ऐप के संदर्भ में जानकारी

- इसे ग्राहकों को अधिक उपयोगकर्ता-अनुकूल उपकरणों से सुसज्जित करने और आधुनिक दिनों की ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लॉन्च किया गया है।
- यह ग्राहकों को सीधे अपने ऑर्डरों की स्थिति की निगरानी करने में सक्षम बनाता है।
- यह खरीद प्राधिकरणों के नवीनीकरण के लिए इनवॉइस और रिमाइंडर पर वर्तमान तक की अधिसूचना भी प्रदान करता है।
- ऐप का अपडेट किया गया संस्करण ग्राहकों को आर्डर करने, भुगतान करने और अन्य प्रसंस्करण कार्य करने में सक्षम बनाएगा, जिन्हें वे वर्तमान में बी.आर.आई.टी. की वेबसाइट पर कर सकते हैं।

विकिरण एवं समस्थानिक प्रौद्योगिकी बोर्ड (बी.आर.आई.टी.) के संदर्भ में जानकारी

- यह परमाणु ऊर्जा विभाग (डी.ए.आई.) की एक इकाई है।
- यह बड़े पैमाने पर उद्योग, स्वास्थ्य देखभाल, अनुसंधान और समाज के कृषि क्षेत्रों के लिए रेडियोसमस्थानिक एप्लीकेशनों और विकिरण प्रौद्योगिकी के प्रयोग के लाभ प्रदान करने पर केंद्रित है।
- यह रेडियोफार्मास्युटिकल्स, लेबल्ड यौगिकों और न्यूक्लियोटाइड्स, सील किए गए विकिरण स्रोत, गामा चैम्बर्स, ब्लड इरैडिएटर्स और रेडियोग्राफी एक्सपोजर डिवाइसेस के रूप में उत्पादों का एक व्यापक पोर्टफोलियो प्रदान करता है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर II- गवर्नेंस

स्रोत- द हिंदू

नमूना पंजीकरण प्रणाली

खबरों में क्यों है?

- वर्ष 2018 के लिए नमूना पंजीकरण प्रणाली (एस.आर.एस.) से जारी नए आंकड़ों के अनुसार, गुजरात अब निम्न-प्रतिस्थापन प्रजनन क्षमता पर 13 अन्य राज्यों में शामिल हो गया है।
- इसके विपरीत, बिहार वर्तमान में एकमात्र भारतीय राज्य है, जहां वर्ष 2018 तक एक महिला के जीवनकाल में तीन से अधिक बच्चे होने की संभावना थी।

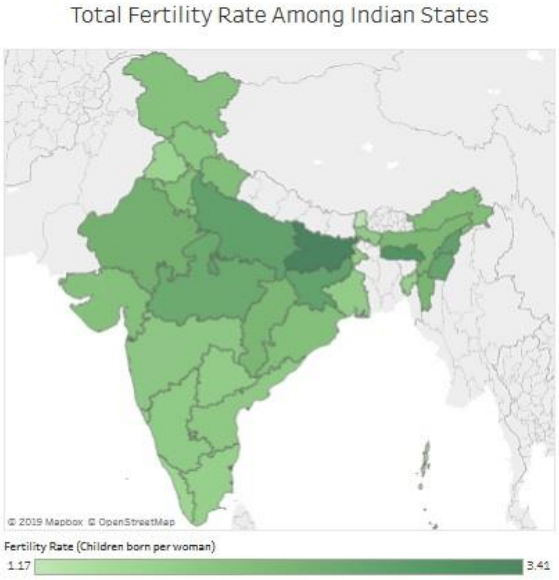

वर्ष 2018 के लिए नमूना पंजीकरण प्रणाली (एस.आर.एस.) की मुख्य विशेषताएं

- भारत का टी.एफ.आर. अब 2.2 पर है।

राज्यवार असमानताएं

- दक्षिणी राज्यों के बीच टी.एफ.आर. में काफी अंतर है, जिनमें बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य परिणाम हैं और वे भी दीर्घकालिक प्रतिस्थापन प्रजनन क्षमता तक पहुंचे हैं।
- दूसरी ओर, उत्तरी राज्य अभी भी इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कुछ दूरी पर हैं।
- जैसा कि एक परिवार में बच्चों की औसत संख्या में गिरावट आई है, जिस उम्र में महिलाएं बच्चों जन्म दे रही हैं वह बढ़ गई हैं।
- शहरी क्षेत्रों में, 30 वर्ष से कम आयु की महिलाओं के लिए आयु-विशिष्ट प्रजनन दर में गिरावट आई है और 30 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं के लिए आयु-विशिष्ट प्रजनन दर बढ़ी है।
- पूरे देश में, आयु-विशिष्ट प्रजनन दर में शुरूआती 30 वर्ष की आयु की महिलाओं को छोड़कर सभी आयु वर्गों में गिरावट आई है, जिन्होंने आयु-विशिष्ट प्रजनन दर में वृद्धि देखी है।

बिहार का खराब प्रदर्शन

- अब, बिहार एकमात्र भारतीय राज्य है, जहां वर्ष 2018 तक एक महिला के जीवनकाल में तीन से अधिक बच्चे होने की संभावना थी।
- जो राज्य अभी तक प्रतिस्थापन प्रजनन क्षमता तक नहीं पहुंचे हैं, उनमें से बिहार भी पिछले दस वर्षों में किसी भी राज्य के लिए सबसे धीमी कमियों में से एक है।
- बिहार का न केवल परिवार नियोजन बल्कि उन सभी संबद्ध क्षेत्रों में खराब प्रदर्शन रहा है जो परिवार के आकार को प्रभावित करते हैं, जैसे कि महिलाओं का स्वास्थ्य, लड़कियों की शिक्षा, गर्भनिरोधक तक पहुंच आदि में भी खराब प्रदर्शन रहा है।

नोट:

कुल प्रजनन दर

- कुल प्रजनन दर (टी.एफ.आर.), जिसे कभी-कभी प्रजनन दर भी कहा जाता है, यह बच्चों की औसत संख्या है, जो एक महिला से उसके जीवनकाल में पैदा होंगे यदि:
- उसे अपने पूरे जीवनकाल में सटीक वर्तमान आयु-विशिष्ट प्रजनन दर (ए.एस.एफ.आर.) का अनुभव करना था।

- उसे अपने जन्म से अपने प्रजनन जीवन के अंत तक जीवित रहना था।
- यह दिए गए समय पर एकल-वर्ष आयु-विशिष्ट दरों को जोड़कर प्राप्त किया जाता है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर II- गवर्नेंस

स्रोत- लाइवमिंट

रणबीर सिंह समिति

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, गृह मंत्रालय ने भारतीय दंड संहिता और अन्य प्रक्रियात्मक कानूनों के प्रावधानों में सुधार करने हेतु डॉ. रणबीर सिंह की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति का गठन किया है।
- यह मुख्य रूप से भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को संशोधित करना चाहती है।

पृष्ठभूमि

- इम्पीरियल विधायी परिषद द्वारा भारतीय दंड संहिता (आई.पी.सी.) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को क्रमशः 1860 और 1872 में अधिनियमित किया गया था।
- वर्ष 2003 मालीमथ समिति ने पहली बार आई.पी.सी. और सी.आरपी.सी. (आपराधिक प्रक्रिया संहिता) में बदलाव की सिफारिश की थी।
- आई.पी.सी. की धारा 377 (नाज फाउंडेशन केस) के अंतर्गत समलैंगिकता का वैधीकरण और आई.पी.सी. की धारा 497 (जोसेफ शाइन केस) के अंतर्गत व्यभिचार जैसे हालिया बदलावों को संशोधनों और न्यायिक घोषणाओं के माध्यम से किया गया है।
- लेकिन कानून किसी संविधान की आकांक्षाओं को पर्याप्त रूप से चित्रित नहीं करते हैं जो स्वतंत्रता और समानता को प्रधानता देता है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर II- गवर्नेंस

स्रोत- न्यू इंडियन एक्सप्रेस

सरकार, विकलांग अधिनियम के कुछ हिस्सों में 'संशोधन' करने पर विचार कर रही है।

खबरों में क्यों है?

- केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की अधिसूचना में विकलांगों के अधिकार (आर.पी.डब्ल्यू.डी.) अधिनियम, 2016 में संशोधन को प्रस्तावित किया गया है, जिससे कि व्यवसाय की भावना में सुधार करने और अदालती प्रक्रियाओं को खोलने के लिए गैर-प्रमुख अपराधों का "वैधीकरण" किया जा सके, यह संशोधन की आवश्यक्ता है।

- सरकार ने मौजूदा कानूनों की समीक्षा करने की प्रक्रिया शुरू की है, जिनमें से कई भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अंग्रेजों द्वारा तैयार किए गए थे और उनकी कभी भी समीक्षा नहीं की गई थी- जैसे कि आई.पी.सी. की धारा 377, जो समलैंगिकता का अपराधीकरण करती है।

- नए प्रस्ताव के अनुसार, कारावास का प्रावधान समाप्त किया जाएगा और जुर्माने को विवादित पार्टियों द्वारा बातचीत से निपटाया जाएगा, यह प्रक्रिया विकलांगों के लिए मुख्य आयुक्तों या विकलांग व्यक्तियों के लिए राज्य आयुक्तों की निगरानी में की जाएगी।
- हालांकि, कार्यकर्ताओं ने यह कहते हुए संशोधन का विरोध किया है कि इससे आर.पी.डब्ल्यू.डी. अधिनियम, 2016 की पूरी प्रभावशीलता को कम हो जाएगी।

विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 की प्रमुख विशेषताएं

- आर.पी.डब्ल्यू.डी. अधिनियम, 2016 में, सूची का विस्तार 7 से 21 शर्तों में किया गया है।
- इसमें अब प्रमस्तिष्क घात, बौनापन, मांसपेशीय कुपोषण, एसिड अटैक पीड़ित, सुनने में कठिनाई, बोलने और भाषा की अक्षमता, विशिष्ट अधिगम अक्षमता, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार, गंभीर स्नायविक विकार जैसे मल्टीपल स्केलेरोसिस और पार्किंसंस रोग, रक्त विकार जैसे हीमोफिलिया, थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया और कई विकलांगताओं को शामिल किया गया है।
- यह अधिनियम मानसिक बीमारी की एक विस्तृत परिभाषा प्रदान करता है, जो सोच, मनोदशा, धारणा, अभिविन्यास, या स्मृति का पर्याप्त विकार है जो जीवन की साधारण मांगों को पूरा करने की क्षमता या वास्तविकता को पहचानने की क्षमता और निर्णय, व्यवहार को बाधित करता है।
- लेकिन इसमें मंदता शामिल नहीं है जो किसी व्यक्ति के दिमाग की गिरफ्त या अधूरे विकास की स्थिति है, जो विशेष रूप से बुद्धिमत्ता की अवसामान्यता द्वारा चिन्हित है।
- बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों को उन व्यक्तियों के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो उपर्युक्त किसी भी विकलांगता से कम से कम 40% प्रभावित हों। उच्च समर्थन की आवश्यक्ता वाले वे विकलांग होते हैं जो अधिनियम की धारा 58 (2) के अंतर्गत प्रमाणित हैं।
- आर.पी.डब्ल्यू.डी. अधिनियम, 2016 प्रावधान करता है कि "उपयुक्त सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पी.डब्ल्यू.डी. समानता के अधिकार, गरिमापूर्ण जीवन और दूसरों के साथ समान रूप से अपनी अखंडता का सम्मान कर रहे हैं।
- सरकार को उचित वातावरण प्रदान करके पी.डब्ल्यू.डी. की क्षमता का उपयोग करने के लिए कदम उठाना चाहिए।
- धारा 3 में यह भी निर्धारित किया गया है कि किसी भी पी.डब्ल्यू.डी. से विकलांगता के आधार पर तब तक भेदभाव नहीं किया जाएगा जब तक कि यह नहीं दर्शाया जाता है कि लगाया गया अधिनियम या छूट एक वैध उद्देश्य को प्राप्त करने का एक आनुपातिक साधन है और कोई भी व्यक्ति केवल अपनी विकलांगता का आधार पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं होगा।

टॉपिक- जी.एस. पेपर II- गवर्नेंस

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

कृषि अवसंरचना निधि

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक नई पैन भारत केंद्रीय क्षेत्र योजना- कृषि अवसंरचना निधि को अपनी मंजूरी प्रदान की है।

योजना के संदर्भ में जानकारी

उद्देश्य

- यह योजना ब्याज आर्थिक सहायता और वित्तीय समर्थन के माध्यम से फसल के बाद की प्रबंधन अवसंरचना और सामुदायिक कृषि परिसंपत्ति के लिए व्यवहार्य परियोजनाओं में निवेश के लिए एक मध्यम-दीर्घकालिक ऋण वित्तपोषण की सुविधा प्रदान करेगी।
- योजना के अंतर्गत, बैंक और वित्तीय संस्थान ऋण के रूप में एक लाख करोड़ रूपए निम्न को प्रदान करेंगे:
  a. प्राथमिक कृषि ऋण समितियां (पी.ए.सी.एस.)
  b. विपणन सहकारी समितियाँ
  c. कृषक उत्पादक संगठन (एफ.पी.ओ.)
  d. स्वयं सहायता समूह (एस.एच.जी.)
  e. किसान, संयुक्त देयता समूह (जे.एल.जी.)
  f. बहुउद्देशीय सहकारी समितियां
  g. कृषि-उद्यमी, स्टार्टअप
  h. समूहन अवसंरचना प्रदाता
  i. केंद्रीय/ राज्य एजेंसी या स्थानीय निकाय द्वारा प्रायोजित सार्वजनिक-निजी भागीदारी परियोजना
- इस वित्तपोषण सुविधा के अंतर्गत सभी ऋणों पर 2 करोड़ रूपए की सीमा तक 3% प्रति वर्ष की ब्याज आर्थिक सहयता शामिल होगी।
- यह आर्थिक सहायता अधिकतम सात वर्षों की अवधि के लिए उपलब्ध होगी।
- इसके अतिरिक्त, 2 करोड़ रूपए तक के ऋण के लिए सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों हेतु ऋण गारंटी निधि ट्रस्ट योजना (सी.जी.टी.एम.एस.ई.) के अंतर्गत इस वित्तपोषण सुविधा से पात्र ऋणप्राप्तकर्ताओं के लिए ऋण गारंटी कवरेज उपलब्ध होगा।
- इस निधि का प्रबंधन और निगरानी एक ऑनलाइन प्रबंधन सूचना प्रणाली (एम.आई.एस.) प्लेटफॉर्म के माध्यम से की जाएगी।
- वास्तविक समय की निगरानी और प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर की निगरानी समितियों की स्थापना की जाएगी।
- योजना की अवधि वित्त वर्ष 2020 से वित्त वर्ष 2029 (10 वर्ष) तक होगी।

महत्व

- कृषि और कृषि प्रसंस्करण आधारित गतिविधियों के लिए औपचारिक ऋण की सुविधा के माध्यम से परियोजना से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के कई अवसर पैदा होने की उम्मीद है।
- यह सभी योग्य संस्थाओं को निधि के अंतर्गत ऋण हेतु आवेदन करने में सक्षम बनाएगा।
- ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म कई बैंकों द्वारा प्रदान की जाने वाली ब्याज दरों की पारदर्शिता जैसे लाभ भी प्रदान करेगा।

- यह त्वरित अनुमोदन प्रक्रिया के साथ-साथ अन्य योजना लाभों के साथ एकीकरण करने में भी मदद करेगा।

केंद्रीय क्षेत्र योजना के संदर्भ में जानकारी

- केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के अंतर्गत, यह केंद्र सरकार द्वारा 100% वित्त पोषित होती है और इन्हें केंद्र सरकार की मशीनरी द्वारा कार्यान्वित किया जाता है।
- केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं मुख्य रूप से संघ सूची के विषयों पर तैयार की जाती हैं।
- केंद्रीय मंत्रालय कुछ योजनाओं को प्रत्यक्ष रूप से राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों में भी लागू कर सकते हैं, जिन्हें केंद्रीय क्षेत्र योजनाएं कहा जाता है लेकिन इन योजनाओं के अंतर्गत संसाधनों को सामान्यत: राज्यों को हस्तांतरित नहीं किया जाता है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर II- गवर्नेंस

स्रोत- पी.आई.बी.

मंत्रिमंडल ने प्रवासियों के लिए किराया आवासीय योजना को मंजूरी प्रदान की है।

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना- शहरी (पी.एम.ए.वाई.- यू.) के अंतर्गत एक उप-योजना के रूप में शहरी प्रवासियों/ गरीबों के लिए किफायती किराया आवास परिसरों (ए.आर.एच.सी.) के विकास हेतु अपनी मंजूरी प्रदान की है।

योजना के संदर्भ में जानकारी

- आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत किफायती किराया आवास परिसर (ए.आर.एच.सी.) योजना, छोटे शहरों के प्रवासी श्रमिकों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत एक उप-योजना होगी।

ए.आर.एच.सी. योजना का दोहरा दृष्टिकोण

- पहला, मौजूदा खाली सरकारी वित्त पोषित आवास परिसरों को 25 वर्षों के लिए रियायत समझौतों के माध्यम से ए.आर.एच.सी. में परिवर्तित किया जाएगा।

परिसर 25 वर्ष बाद अगले चक्र को पुन: शुरू करने या स्वयं संचालित करने हेतु पहले की भांति यू.एल.बी. में लौट सकते हैं।

- दूसरा, विशेष अनुमति जैसे उपयोग अनुमति, 50% अतिरिक्त फर्श क्षेत्रफल अनुपात या फर्श स्थान सूचकांक, प्राथमिकता क्षेत्र की ऋण दरों पर रियायती ऋण, दूसरों के बीच किफायती आवास के अनुसार कर राहत 25 वर्षों के लिए अपनी उपलब्ध खाली जमीन पर ए.आर.एच.सी. को विकसित करने हेतु निजी और सार्वजनिक संस्थाओं को प्रदान की जाएगी।

लाभार्थी:

- विनिर्माण उद्योगों, आतिथ्य में सेवा प्रदाताओं, स्वास्थ्य, घरेलू/ वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों और निर्माण या अन्य क्षेत्रों, मजदूरों, छात्रों आदि में कर्मचारियों का एक बड़ा हिस्सा है।
- ये कर्मचारी, जो ग्रामीण क्षेत्रों या छोटे शहरों से बेहतर अवसरों की तलाश में आते हैं, वे ए.आर.एच.सी. के अंतर्गत लक्षित लाभार्थी होंगे।

महत्व

- ए.आर.एच.सी., शहरी क्षेत्रों में एक नया पारिस्थितिकी तंत्र बनाएगा, जो कार्यस्थल के निकट किफायती किराए पर आवास उपलब्ध कराएगा।
- ए.आर.एच.सी. के अंतर्गत निवेश से रोजगार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है।
- यह योजना अनावश्यक यात्रा, भीड़ और प्रदूषण में कटौती करेगी।

- यह योजना संस्थाओं के लिए अपनी खाली पड़ी जमीन पर ए.आर.एच.सी विकसित करने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करेगी, जो निवेश के नए अवसरों को सक्षम करेगा और किराये के आवास क्षेत्र में उद्यमशीलता को बढ़ावा देगा।

पृष्ठभूमि

- आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय (एम.ओएच.यू.ए.) ने शहरी प्रवासियों/ गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत एक उप-योजना के रूप में एक किफायती किराया आवास परिसरों (ए.आर.एच.सी.) की शुरूआत की है।
- इस योजना की घोषणा 14 मई, 2020 को माननीय वित्त मंत्री द्वारा की गई थी।
- यह योजना 'आत्मनिर्भर भारत' के दृष्टिकोण को पूरा करने का इरादा रखती है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर II- गवर्नेंस

स्रोत- पी.आई.बी.

विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (एफ.सी.आर.ए.)

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, गृह मंत्रालय (एमएचए) ने तीन गैर सरकारी संगठनों- राजीव गांधी फाउंडेशन, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट और इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा विभिन्न कानूनी प्रावधानों के उल्लंघन की जांच करने हेतु एक अंतर-मंत्रालयी समिति का गठन किया है।

विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम के संदर्भ में जानकारी

- यह भारत के भीतर एन.जी.ओ और अन्य लोगो को कुछ निश्चित व्यक्तियों या संगठनों द्वारा प्रदान किए गए विदेशी योगदान (विशेष रूप से मौद्रिक दान) को विनियमित करने के लिए संसद द्वारा अधिनियमित किया गया कानून है।
- सरकार ने कुछ गैर-सरकारी संगठनों के बैंक खातों को फ्रीज करने के लिए वर्षों से इस अधिनियम का उपयोग किया है, जो गलत उद्देश्यों के लिए भारत के राष्ट्रीय हित को प्रभावित करते हुए पाए जाते हैं।

एफ.सी.आर.ए. अधिनियम 2010 का प्रावधान

- एफ.सी.आर.ए. अधिनियम 2010 के अनुसार, विदेशी धन प्राप्त करने के लिए सभी गैर सरकारी संगठनों को अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत होना आवश्यक है।
- एक संगठन, 2010 के अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत हुए बिना विदेशी धन प्राप्त नहीं कर सकता है, सिवाय इसके कि जब उसे किसी विशेष परियोजना के लिए सरकार की मंजूरी मिलती है।
- एफ.सी.आर.ए. अधिनियम के अंतर्गत, पंजीकृत गैर-सरकारी संगठन पांच उद्देश्यों- सामाजिक, शैक्षिक, धार्मिक, आर्थिक और सांस्कृतिक उद्देश्य के लिए विदेशी अंशदान प्राप्त कर सकते हैं।

टॉपिक- जी.एस. पेपर II- गवर्नेंस

स्रोत- द हिंदू

उज्ज्वला लाभार्थियों को सितंबर तक निशुल्क घरेलू रसोई गैस सिलेंडर मिल सकता है।

खबरों में क्यों है?

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पी.एम.यू.वाई.) के अंतर्गत उज्ज्वला लाभार्थियों को सितंबर के अंत तक निशुल्क गैस सिलेंडर का लाभ देने के लिए विस्तार को मंजूरी प्रदान की है।

पृष्ठभूमि

- पहले घोषित प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पी.एम.जी.के.वाई.) पैकेज में उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे (बी.पी.एल.) के 83 मिलियन परिवारों की महिलाओं को तीन महीने के लिए मुफ्त खाना पकाने के गैस सिलेंडर उपलब्ध कराना था, जो कि जून में समाप्त होना था।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के संदर्भ में जानकारी

- इसे वर्ष 2016 में लॉन्च किया गया था।

उद्देश्य

- इस योजना का उद्देश्य 8 करोड़ (पहले का लक्ष्य पांच करोड़ रुपये) बी.पी.एल. परिवारों की महिलाओं को मुफ्त एल.पी.जी. कनेक्शन प्रदान करना है, जिसे प्राप्त कर लिया गया है।

इस योजना की नोडल एजेंसी पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय है।

मुख्य विशेषताएं

- इस योजना के अंतर्गत, सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (एस.ई.सी.सी.) के माध्यम से पहचान की गई गरीबी रेखा से नीचे के परिवार की एक वयस्क महिला सदस्य को केंद्र द्वारा प्रति कनेक्शन 1,600 रुपये की वित्तीय सहायता के साथ निशुल्क एल.पी.जी. कनेक्शन दिया जाता है।
- हाल ही में, सरकार ने लाभार्थियों का दायरा बढ़ा दिया है, इसमें देश के सभी गरीब परिवारों को शामिल किया जाएगा।
- इसके अंतर्गत, नए लाभार्थी राशन कार्ड और आधार दोनों धारकों में से होंगे, जो स्व-घोषणा के माध्यम से स्वयं की गरीब के रूप में पहचान करेंगे।
- बी.पी.एल. परिवार की वयस्क महिला के नाम पर एल.पी.जी. कनेक्शन जारी किया जाता है, यह इस शर्त के अधीन कि परिवार के किसी भी परिवार के सदस्य के नाम पर कोई एल.पी.जी. कनेक्शन नहीं होना चाहिए।

संबंधित जानकारी

एल.पी.जी. पंचायतें

- यह उन लोगों के बीच बातचीत के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है जिन्होंने स्वच्छ ईंधन के उचित उपयोग और इसके लाभों के बारे में उपयोगकर्ताओं के बीच जागरूकता बढ़ाकर पी.एम.यू.वाई. के अंतर्गत एल.पी.जी. सिलेंडर प्राप्त किए हैं।

टॉपिक- जी.एस. पेपर II- गवर्नेंस

स्रोत- द हिंदू

उत्तर पूर्व क्षेत्र सामुदायिक संसाधन एवं प्रबंधन कार्यक्रम

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री (डी.ओएन.ई.आर.) ने उत्तर पूर्व क्षेत्र सामुदायिक संसाधन एवं प्रबंधन कार्यक्रम (NERCORMP) से संबद्ध स्वयं सहायता समूहों के साथ बातचीत की है।

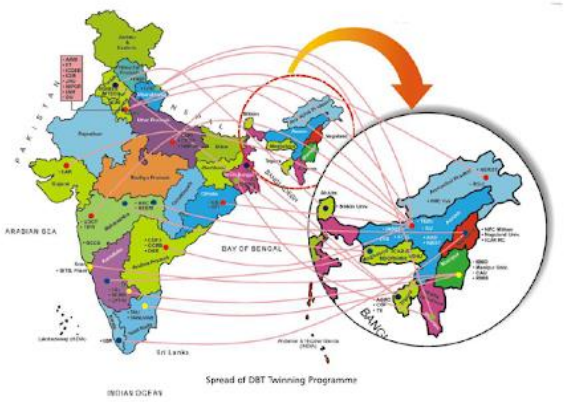

NERCORMP के संदर्भ में जानकारी

- यह एक आजीविका और ग्रामीण विकास परियोजना है, जो उत्तर पूर्व परिषद (एन.ई.सी.), डी.ओएन.ई.आर. मंत्रालय और अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष (आई.एफ.ए.डी.) की एक संयुक्त पहल है।
- यह चार राज्यों अरूणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और मणिपुर में संचालित है।

लक्ष्य

- उत्तर-पूर्व (एन.ई.) भारत में गरीब और सीमांत आदिवासी परिवारों के जीवन को बदलना है।

उद्देश्य

- समुदायों की विशाल क्षमता को प्राप्त करने और उसका लाभ उठाने हेतु सामाजिक लामबंदी, संगठन और क्षमता निर्माण करना
- आर्थिक परिवर्तन को प्राप्त करने के लिए आय सृजन गतिविधियों पर प्रमुख रूप से जोर देने के साथ आर्थिक, सामाजिक गतिविधियों और बुनियादी ढांचे में हस्तक्षेप करना

संबंधित जानकारी

अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष के संदर्भ में जानकारी

- यह एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान और संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है।
- यह विकासशील देशों के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी और भुखमरी को संबोधित करने के लिए काम करता है।
- इसका मुख्यालय इटली के रोम में स्थित है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर II- गवर्नेंस (स्वयं सहायता समूह)

स्रोत- पी.आई.बी.

ए.टी.एल. ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, अटल नवाचार मिशन (ए.आई.एम.) ने देश भर के स्कूली बच्चों के लिए 'ए.टी.एल. ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल' लॉन्च किया है।

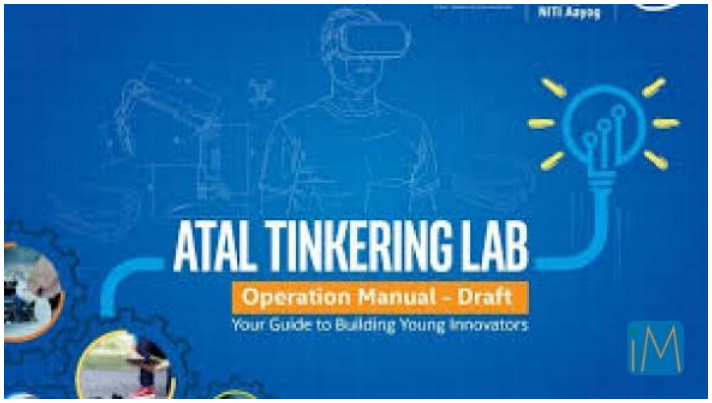

ए.टी.एल. ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल के संदर्भ में जानकारी

- इसे भारतीय स्वदेशी स्टार्टअप प्लेज्मो.ऐम के सहयोग से लॉन्च किया गया है।
- मॉड्यूल का उद्देश्य ए.आई.एम. की प्रमुख अटल थिंकरिंग प्रयोगशाला पहल के अंतर्गत आने वाले समय में स्कूली छात्रों के कौशल को सुधारना और उन्हें ऐप उपयोगकर्ताओं से ऐप निर्माताओं में बदलना है।
- ए.टी.एल. ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल पूर्णतया मुफ्त ऑनलाइन कोर्स है।
- 6 परियोजना-आधारित शिक्षण मॉड्यूल और ऑनलाइन शिक्षण सत्रों के माध्यम से युवा नवप्रवर्तक विभिन्न भारतीय भाषाओं में मोबाइल ऐप बनाना सीख सकते हैं और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकते हैं।

अटल थिंकरिंग प्रयोगशालाओं के संदर्भ में जानकारी

- अटल थिंकरिंग प्रयोगशालाएँ, अटल नवाचार मिशन के अंतर्गत स्थापित की गई हैं जो भारत सरकार के नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफ़ॉर्मिंग इंडिया (नीति आयोग) की एक पहल है।

दृष्टिकोण

- इसका दृष्टिकोण 'भारत में दस लाख बच्चों को आधुनिक नवोन्मेषकों के रूप में देखना' है।

उद्देश्य

- इस योजना का उद्देश्य युवाओं के मस्तिष्कों में जिज्ञासा, रचनात्मकता और कल्पनाशीलता को बढ़ावा देना और डिजाइन मानसिकता, गणनात्मक सोच, अनुकूली अधिगम, शारीरिक गणना, त्वरित गणना, माप आदि जैसे कौशल विकसित करना है।
- युवा बच्चों को एस.टी.ई.एम. (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित) के क्या, कैसे और क्यों पहलुओं को समझने के लिए उपकरणों और यंत्रों के साथ काम करने का मौका मिलेगा।

ए.टी.एल. की प्रमुख विशेषताएं

- ए.टी.एल., एक ऐसा कार्यक्षेत्र है, जहाँ युवा मस्तिष्क हैंड्स ऑन स्वयं से करें मोड के माध्यम से अपने विचारों को आकार दे सकते हैं और नवाचार कौशल सीख सकते हैं।
- ए.टी.एल. में शैक्षणिक और अधिगम 'स्वयं से करें' किट और विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स, रोबोटिक्स, ओपन-सोर्स माइक्रोकंट्रोलर बोर्ड, सेंसर और 3 डी प्रिंटर और कंप्यूटरों पर उपकरण शामिल हैं।

पात्रता

- ए.टी.एल. की स्थापना करने के लिए सरकारी, स्थानीय निकाय या निजी ट्रस्टों/ सोसाइटी द्वारा प्रबंधित स्कूल (न्यूनतम ग्रेड VI-X)
- आवेदक स्कूल को कम से कम 1,500 वर्ग फुट क्षेत्रफल का निर्माण हेतु स्थान प्रदान करना होगा।

- पहाड़ी/ हिमालयी और द्वीप राज्यों, यू.टी. के आवेदक स्कूलों को कम से कम 1,000 वर्ग फुट का निर्माण हेतु स्थान प्रदान करना होगा
- प्रयोगशाला के पूरक के लिए कमरे और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा को पूरा करने हेतु मौजूदा सुविधाओं का उपयोग किया जा सकता है।

संबंधित जानकारी

अटल नवाचार मिशन के संदर्भ में जानकारी

- अटल नवाचार मिशन (ए.आई.एम.), नीति आयोग द्वारा स्थापित एक प्रमुख पहल है।
- इसका उद्देश्य आने वाले वर्षों में भारत की नवाचार और उद्यमशीलता की आवश्यक्ताओं पर एक विस्तृत अध्ययन और विचार-विमर्श के आधार पर पूरे देश में नवाचार और उद्यमशीलता को बढ़ावा देना है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर II- गवर्नेंस

स्रोत- पी.आई.बी.

गोइंग ऑनलाइन ऐज लीडर्स (GOAL) परियोजना

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने भारत के अनुसूचित जनजाति (एस.टी.) निर्वाचन क्षेत्रों से संसद सदस्यों (सांसदों) के संवेदीकरण के लिए फेसबुक इंडिया के साथ एक वेबिनार की मेजबानी की है, जो "गोइंग ऑनलाइन ऐज लीडर्स (GOAL) परियोजना" के रूप में है।

GOAL (गोइंग ऑनलाइन ऐज लीडर्स) के संदर्भ में जानकारी

- यह जनजातीय मामलों के मंत्रालय (एमओटी.ए.) द्वारा फेसबुक इंडिया के साथ साझेदारी में शुरू की गई एक पहल है।
- इसका उद्देश्य डिजिटल तकनीक की शक्ति का लाभ उठाकर आदिवासी समुदायों के 5000 युवाओं को भविष्य का लीडर बनाने के लिए डिजिटल रूप से कौशल और सशक्त बनाना है।

पात्रता

- आदिवासी समुदायों के 18-35 वर्ष के युवा भाग लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- यह आदिवासी समुदायों के सभी युवाओं के लिए खुला है, फिर चाहे वे किसी भी शैक्षणिक संस्थान का हिस्सा हों या न हों या किसी भी व्यवसाय में हों या फिर कोई प्रशिक्षण ले रहे हों।
- इस परियोजना का उद्देश्य उद्योग (नीति निर्माताओं और प्रभावित करने वाले), शिक्षकों, कलाकारों, उद्यमियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं आदि से 2500 प्रसिद्ध लोगों की पहचान करना और उन्हें जुटाना है, जिन्हें उनके डोमेन क्षेत्रों में उनकी उपलब्धियों के लिए पहचाना जाता है, जिससे कि भारत भर में आदिवासी युवाओं को व्यक्तिगत रूप से शिक्षा दी जा सके।

- शिक्षक को आवेदन करने की शर्त के रूप में आदिवासी या एस.टी. पृष्ठभूमि से होना आवश्यक नहीं है।
- इस पहल को एक शिक्षक को दो शिक्षार्थी आवंटित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- यह कार्यक्रम निम्न सहित संरचित चरणों में काम करने का लक्ष्य रखता है:

A. प्रारंभिक और डिजाइन चरण
B. शिक्षक और शिक्षार्थियों का चयन
C. वह निष्पादन जिसमें सलाह शामिल हो
D. प्रशिक्षण, इंटर्नशिप और
E. युवाओं का अनुसरण करना, आर्थिक और नेतृत्व गतिविधियां

- यह कार्यक्रम सरकारी योजनाओं के माध्यम से आगामी नौकरियों या स्व-रोजगार या उद्यमशीलता पहलों के लिए युवाओं को स्नातक होने के बाद भी समर्थन प्रदान करना चाहता है।
- इसमें शिक्षकों और शिक्षार्थियों का अनुपात 1: 2 लक्षित किया गया है।
- शिक्षार्थियों का प्रत्येक कोर्स नौ महीने या 36 सप्ताह का होगा।

टॉपिक- जी.एस. पेपर II- गवर्नेंस

स्रोत- पी.आई.बी.

F-1 वीजा

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, भारत ने इस संभावना पर चिंता व्यक्त की है कि अमेरिका में केवल ऑनलाइन कक्षाओं में भाग लेने वाले F-1 वीजाधारक छात्रों में से बड़ी संख्या में वहां पढ़ने वाले भारतीय छात्रों की वापसी हो सकती है।

F-1 वीजा के संदर्भ में जानकारी

- संयुक्त राज्य अमेरिका में, F वीजा, गैर-आप्रवासी छात्र वीजा का एक प्रकार है, जो विदेशियों को संयुक्त राज्य अमेरिका में शिक्षा (अकादमिक अध्ययन और/ या भाषा प्रशिक्षण कार्यक्रमों) जारी रखने की अनुमति प्रदान करता है।

एफ वीजा के तीन प्रकार हैं:

a. अमेरिका में पूर्णकालिक छात्रों के लिए F-1 वीजा प्रदान किया जाता है।
b. F-2 वीजा, F-1- इन्हें तकनीकी रूप से "आश्रित" कहा जाता है, वीजा धारकों के जीवनसाथी और बच्चों को प्रदान किया जाता है।
c. F-3 वीजा "सीमा यात्रियों" के लिए है, जो अपने मूल देश में रहते हैं और संयुक्त राज्य अमेरिका में स्कूल जाते हैं।

नोट:

- ये F-3 वीजा केवल मेक्सिको या कनाडा के नागरिकों को दिया जाता है और ये वीजा धारक अंशकालिक या पूर्णकालिक अध्ययन कर सकते हैं।

टॉपिक- जी.एस. पेपर II- गवर्नेंस

स्रोत- ए.आई.आर.

राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड

खबरों में क्यों है?

- राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड (नैटग्रिड) ने एफ.आई.आर. और चुराए गए वाहनों पर केंद्रीकृत ऑनलाइन डेटाबेस तक पहुँचने के लिए राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एन.सी.आर.बी.) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

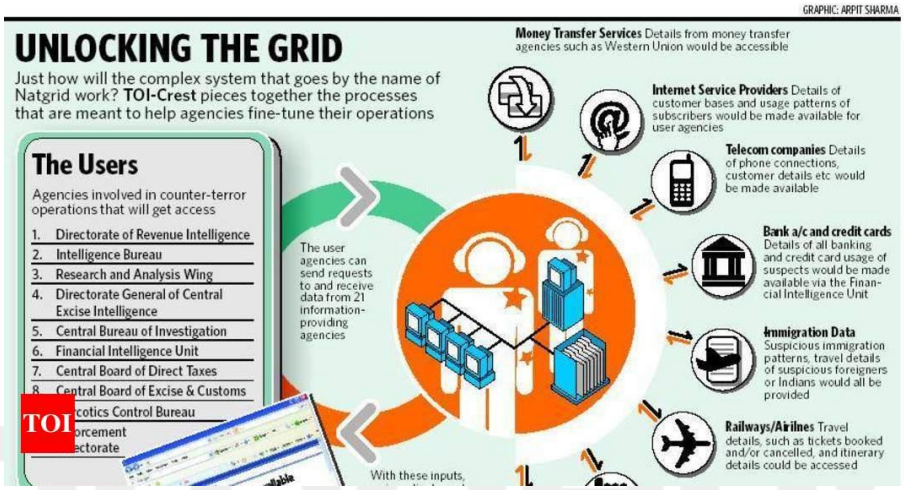

नेशनल खुफिया ग्रिड के संदर्भ में जानकारी

- यह एक एकीकृत खुफिया ग्रिड है, जो वर्ष 2009 में भारत के मुंबई में आतंकी हमले के बाद आई प्रमुख सुरक्षा एजेंसियों के डेटाबेस को जोड़ती है।
- यह खुफिया के व्यापक प्रारूपों को इकट्ठा करने के लिए बनायी गई थी, जिसे खुफिया एजेंसियों द्वारा आसानी से एक्सेस किया जा सकता है, यह दस लाख उपयोगकर्ता एजेंसियों को निश्चित डेटाबेस के साथ लिंक करेगा, जो 21 संगठनों से खरीदे जाएंगे।

संबंधित जानकारी

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के संदर्भ में जानकारी

- राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, गृह मंत्रालय का एक संबद्ध कार्यालय है, जो भारतीय दंड संहिता और विशेष एवं स्थानीय कानूनों द्वारा परिभाषित अपराध डेटा को एकत्र करने और उसका विश्लेषण करने के लिए जिम्मेदार है।
- एन.सी.आर.बी. का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर II- गवर्नेंस

स्रोत- द हिंदू

एकीकृत गैस मूल्य प्रणाली

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री ने सूचित किया है कि सरकार टैरिफ को तर्कसंगत बनाने की योजना बना रही है अर्थात प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए एकीकृत गैस मूल्य

प्रणाली की योजना बना रही है।

एकीकृत गैस मूल्य प्रणाली का महत्व

- इसका उद्देश्य गैस की खपत को बढ़ावा देने के लिए लंबी दूरी के लिए प्राकृतिक गैस के परिवहन हेतु प्राकृतिक गैस के परिवहन की लागत में कटौती करना है।
- यह भारत की ऊर्जा टोकरी में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी को वर्तमान 6 प्रतिशत से बढ़ाकर वर्ष 2030 तक 25 प्रतिशत करने के लिए एक बड़े प्रयास का हिस्सा होगा।
- यह भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड जैसे एक एकीकृत पाइपलाइन नेटवर्क के भीतर टैरिफ की कीमतों को निर्धारित करेगा।
- यह पूरे देश के खरीदारों की नए बाजारों से जुड़ने में भी मदद करेगा।

संबंधित जानकारी

भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड के संदर्भ में जानकारी

- यह भारत सरकार की उपक्रम कंपनी है, जो भारत में सबसे बड़ी राज्य के स्वामित्व वाली प्राकृतिक गैस प्रसंस्करण और वितरण कंपनी है।
- इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है।
- यह पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत भारत सरकार का एक राज्य के स्वामित्व वाला उद्यम है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 2- गवर्नेंस

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

डिजिटल शिक्षा पर प्रज्ञाता दिशानिर्देश

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने डिजिटल शिक्षा पर प्रज्ञाता दिशानिर्देश जारी किए हैं।

प्रज्ञाता दिशानिर्देशों के संदर्भ में जानकारी

- प्रज्ञाता दिशानिर्देश, शिक्षार्थियों के दृष्टिकोण से विकसित किए गए हैं, जो उन छात्रों के लिए ऑनलाइन/ मिश्रित/ डिजिटल शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करता है, जो वर्तमान में लॉकडाउन के कारण घर पर हैं।
- डिजिटल/ ऑनलाइन शिक्षा पर ये दिशानिर्देश, शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए ऑनलाइन शिक्षा को आगे बढ़ाने हेतु एक रोडमैप या संकेत प्रदान करते हैं।
- दिशानिर्देशों में दोनो प्रकार के छात्रों के लिए, जिनके पास डिजिटल डिवाइस तक पहुँच है और वे जिनके पास सीमित पहुँच है या पहुँच नहीं है, एन.सी.ई.आर.टी. के वैकल्पिक शैक्षणिक कैलेंडर के उपयोग पर जोर दिया गया है। दिशानिर्देशों में ऑनलाइन/ डिजिटल शिक्षा के आठ चरण शामिल हैं, जो कि योजना- समीक्षा- व्यवस्थापन- निर्देशन- याक (संवाद)- असाइन करना- ट्रैक करना- सराहना करना हैं।
- ये कदम उदाहरणों के साथ कदम से कदम मिलाकर डिजिटल शिक्षा की योजना और कार्यान्वयन का मार्गदर्शन करते हैं।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 2- गवर्नेंस

स्रोत- पी.आई.बी.

ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) नियम, 2020 का मसौदा

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, सरकार ने सुझाव और संशोधन के लिए 30 दिनों की खिड़की प्रदान करने के साथ-साथ ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों के संरक्षण) नियम, 2020 का नया मसौदा जारी किया है।

पृष्ठभूमि

- वर्ष 2014 में, नाल्सा बनाम भारत संघ केस में सर्वोच्च न्यायालय ने पुरूष, महिला या तीसरे लिंग के रूप में एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति के स्व-पहचान के अधिकार को मान्यता प्रदान की थी।
- इसके बाद अदालत ने केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश दिया था कि वे ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को कानूनी मान्यता प्रदान करें, सामाजिक कलंक और भेदभाव के मुद्दों को संबोधित करें और उनके लिए सामाजिक कल्याण योजनाएं प्रदान करें।
- ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 26 नवंबर, 2019 को पारित किया गया था।
- यह व्यक्तियों को उनकी लिंग पहचान को स्व-घोषित करने की अनुमति देता है, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की पहचान के लिए प्रावधान करता है और उन्हें कुछ निश्चित अधिकार और लाभ प्रदान करता है।
- अधिनियम की अधिसूचना के बाद, सरकार ने जनता के फीडबैक के लिए 16 अप्रैल, 2020 को अधिनियम के लिए मसौदा नियम परिचालित किए थे।

ट्रांसजेंडर व्यक्ति कौन हैं?

- विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू.एच.ओ.) के अनुसार, 'ट्रांसजेंडर' एक छतरी शब्द है, जिसमें ऐसे व्यक्ति शामिल हैं जिनके लिंग का बोध जन्म के समय उन्हें सौंपे गए लिंग से मेल नहीं खाता है।
- उदाहरण के लिए, एक पुरुष के रूप में जन्म लेने वाला व्यक्ति, विपरीत लिंग के साथ एक महिला के रूप में पहचाना जा सकता है।
- 2011 की जनगणना के अनुसार, ऐसे व्यक्तियों की संख्या, जिन्हें 'पुरुष' या 'महिला' के रूप में नहीं पहचाना जा सकता है लेकिन 'अन्य' के रूप में पहचाना जा सकता है, इनकी संख्या 4,87,803 (कुल आबादी का 0.04%) है।
- यह 'अन्य' श्रेणी, उन व्यक्तियों पर लागू होती है जिनकी पहचान पुरूष या महिला के रूप में नहीं होती है और इसमें ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को शामिल किया जाता है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर II- सामाजिक न्याय

स्रोत- द हिंदू

गैर-व्यक्तिगत डेटा पर क्रिस गोपालकृष्णन समिति

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, इंफोसिस के सह-संस्थापक क्रिस गोपालकृष्णन की अध्यक्षता वाली एक सरकारी समिति ने सुझाव दिया है कि देश में उत्पन्न गैर-व्यक्तिगत डेटा का विभिन्न घरेलू कंपनियों और संस्थाओं द्वारा दोहन करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

क्रिस गोपालकृष्णन समिति के संदर्भ में जानकारी

- इस नौ सदस्यीय समिति ने सुझाव भेजने के लिए जनता हेतु मसौदा रिपोर्ट जारी की है। इसने एक नए प्राधिकरण की स्थापना का भी सुझाव दिया है जो इस प्रकार के गैर-व्यक्तिगत डेटा के उपयोग और खनन की निगरानी के लिए सशक्त होगा।

गैर-व्यक्तिगत डेटा क्या है?

- गैर-व्यक्तिगत डेटा अपने सबसे बुनियादी रूप में डेटा का कोई सेट है, जिसमें व्यक्तिगत रूप से पहचान योग्य जानकारी शामिल नहीं होती है।
- संक्षेप में इसका अर्थ है कि इस प्रकार के डेटा को देखकर किसी भी व्यक्ति या जीवित व्यक्ति की पहचान नहीं की जा सकती है।
- उदाहरण के लिए, खाद्य वितरण सेवा द्वारा एकत्र किए गए ऑर्डर विवरण में किसी व्यक्ति का नाम, आयु, लिंग और अन्य संपर्क जानकारी होगी, यदि पहचानकर्ता नाम और संपर्क जैसी जानकारी निकाल लेता है तो यह गैर-व्यक्तिगत डेटा बन जाएगा।
- जिस सरकारी समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है, उसने गैर-व्यक्तिगत डेटा को तीन मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया है:

a. सार्वजनिक गैर-व्यक्तिगत डेटा
b. सामुदायिक गैर-व्यक्तिगत डेटा
c. निजी गैर-व्यक्तिगत डेटा

- डेटा के स्रोत पर निर्भर करता है और क्या इसे इस तरह से गुप्त रखा गया है कि कोई भी व्यक्ति डेटा सेट से पुन: इसे पहचान नहीं सकता है, तीन श्रेणियों को विभाजित किया गया है।

सार्वजनिक गैर-व्यक्तिगत डेटा के संदर्भ में जानकरी

सरकार और उसकी एजेंसियों द्वारा एकत्र किए गए सभी डेटा जैसे कि जनगणना, एक विशेष अवधि में कुल कर प्राप्तियों पर नगर निगमों द्वारा एकत्र किए गए डेटा या सभी सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित कार्यों के निष्पादन के दौरान एकत्र की गई किसी भी जानकारी को सार्वजनिक गैर-व्यक्तिगत डेटा के अंतर्गत रखा गया है।

सामुदायिक गैर-व्यक्तिगत डेटा

- कोई भी डेटा पहचानकर्ता, ऐसे लोगों के समूह के बारे में जिनके पास समान भौगोलिक स्थान, धर्म, नौकरी या अन्य सामान्य सामाजिक हित हैं, उनके लिए समुदाय गैर-व्यक्तिगत डेटा बनाएंगे।
- उदाहरण के लिए, राइड-हेलिंग ऐप, टेलीकॉम कंपनियों, बिजली वितरण कंपनियों और अन्य द्वारा एकत्र किए गए मेटाडेटा को समिति द्वारा सामुदायिक गैर-व्यक्तिगत डेटा श्रेणी में रखा गया है।

निजी गैर-व्यक्तिगत डेटा

- निजी गैर-व्यक्तिगत डेटा को उस डेटा रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो उन व्यक्तियों द्वारा उत्पादित किए जाते हैं जो स्वामित्व सॉफ्टवेयर या ज्ञान के एप्लीकेशन से प्राप्त किए जा सकते हैं।

टॉपिक- जी.एस. पेपर II- गवर्नेंस

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

सशस्त्र सेना कार्मिक को अमान्य पेंशन

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, सरकार ने सशस्त्र बल कार्मिकों के लिए 10 वर्ष से कम की अर्हकारी सेवा के लिए अमान्य पेंशन की अनुमति देने का निर्णय लिया है।

इस प्रावधान के अंतर्गत कौन पात्र नहीं हैं?

- यह पेंशन, उन सशस्त्र बल कार्मिक को दी जाती है, जिन्हें विकलांगता के कारण सेवा से बाहर कर दिया जाता है, जिसे सैन्य सेवा द्वारा न तो फलस्वरूप न ही बिगड़े (एन.ए.एन.ए.) के रूप में स्वीकार किया जाता है।
- यह उन सशस्त्र बलों के कर्मियों के लिए उपलब्ध होगी जो 4 जनवरी, 2019 को या उसके बाद सेवा में थे।

पहले का प्रावधान

- इससे पहले, अमान्य पेंशन के लिए आवश्यक और प्रदान की गई अर्हकारी सेवा की न्यूनतम अवधि दस वर्ष या उससे अधिक थी।

लाभार्थी:

- इस निर्णय से, वे सशस्त्र बल कार्मिक लाभान्वित होंगे, जो:
- जिनकी सेवा दस वर्ष से कम है
- जो किसी शारीरिक या मानसिक दुर्बलता के कारण सेवा से बाहर हो गए हैं
- जो स्थायी रूप से अपाहिज हो गए हैं या जिन्हें सैन्य सेवा से अयोग्य कर दिया गया है
- इसके अतिरिक्त, उन्हें नागरिक पुन: रोजगार के लिए लाभकारी माना जाएगा और उनका लाभ उठाया जाएगा।

टॉपिक- जी.एस. पेपर II- सामाजिक मुद्दे

स्रोत- टी.ओ.आई.

पशुपालन अवसंरचना विकास निधि

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री ने पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (ए.एच.आई.डी.एफ.) के लिए कार्यान्वयन दिशानिर्देश जारी किए हैं।

पशुपालन अवसंरचना विकास निधि के संदर्भ में जानकारी

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस निधि को मंजूरी प्रदान की है, जो कई क्षेत्रों में विकास सुनिश्चित करने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान प्रोत्साहन पैकेज के अंतर्गत निजी क्षेत्र के लिए इस प्रकार की पहली योजना है।
- यह निजी निवेशकों के लिए ब्याज आर्थिक सहायता योजना है, जो इन परियोजनाओं के लिए अग्रिम आवश्यक निवेश को पूरा करने हेतु पूंजी की उपलब्धता को सुनिश्चित करेगी और निवेशकों के लिए समग्र रिटर्न/ पेबैक बढ़ाने में भी मदद करेगी।

योग्य लाभार्थी

- योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थी किसान उत्पादक संगठन (एफ.पी.ओ.), एम.एस.एम.ई., धारा 8 कंपनियां, निजी कंपनियां और व्यक्तिगत उद्यमी होंगे जिनके द्वारा न्यूनतम 10% सीमांत धन योगदान किया जाएगा।
- शेष 90% अनुसूचित बैंकों द्वारा उपलब्ध कराया जाने वाला ऋण घटक होगा।
- भारत सरकार, पात्र लाभार्थियों को 3% ब्याज आर्थिक सहायता प्रदान करेगी।

- मूल ऋण राशि के लिए दो वर्ष की ऋण स्थगन अवधि और इसके बाद छह वर्ष की पुनर्भुगतान अवधि होगी।

अन्य निधि

- भारत सरकार, 750 रूपए का ऋण गारंटी कोष भी स्थापित करेगी। जिसे नाबार्ड द्वारा प्रबंधित किया जाएगा।
- ऋण गारंटी, उन स्वीकृत परियोजनाओं को प्रदान की जाएगी, जो एम.एस.एम.ई. परिभाषित सीमा के अंतर्गत आती हैं। इसका गारंटी कवरेज, उधारकर्ता की क्रेडिट सुविधा का 25% तक होगा।
- जो लाभार्थी डेयरी और मांस प्रसंस्करण और मूल्य वर्धित बुनियादी ढांचे की स्थापना करने या मौजूदा बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए निवेश करने के इच्छुक हैं, वे सिडबी के "उदमी मित्र" पोर्टल के माध्यम से अनुसूचित बैंक में ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं।

नोट:

- भारत 188 मिलियन टन दूध का उत्पादन कर रहा है और वर्ष 2024 तक दूध उत्पादन 330 मिलियन टन तक बढ़ने की उम्मीद है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर II- गवर्नेंस

स्रोत- ए.आई.आर.

निष्ठा (NISHTHA) कार्यक्रम

खबरों में क्यों है?

- मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय ने आंध्र प्रदेश के 1200 प्रमुख संसाधन व्यक्तियों के लिए पहला ऑन-लाइन निष्ठा (NISHTHA) कार्यक्रम लांच किया है।
- ये संसाधन व्यक्ति, आंध्र प्रदेश के शिक्षकों के मार्गदर्शन में मदद करेंगे, जो बाद में दीक्षा पर ऑन-लाइन निष्ठा (NISHTHA) प्रशिक्षण लेंगे।

निष्ठा (NISHTHA) कार्यक्रम के संदर्भ में जानकारी

- निष्ठा, स्कूल के प्रमुखों और शिक्षकों के लिए एक राष्ट्रीय पहल है, जो शिक्षण परिणामों को बेहतर बनाने के लिए मंत्रालय के प्रमुख कार्यक्रम- समग्र शिक्षा के अंतर्गत प्राथमिक स्तर पर स्कूल के प्रमुखों और शिक्षकों के समग्र उन्नयन हेतु है।
- मंत्री ने कहा है कि निष्ठा को फेस-टू-फेस मोड में पिछले वर्ष 21 अगस्त को लॉन्च किया गया था।

पृष्ठभूमि

- निष्ठा कार्यक्रम को अगस्त, 2019 में फेस-टू-फेस मोड के रूप में शुरू किया गया था, उसके बाद 33 राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों ने इस कार्यक्रम को अपने राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों में एक केंद्र प्रायोजित योजना, समग्र शिक्षा के सहयोग से लांच किया था।
- 29 राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों में, निष्ठा प्रशिक्षण कार्यक्रम को एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा राज्य स्तर पर पूरा किया गया है, जब कि 4 राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों (छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार और जम्मू और कश्मीर) में राज्य स्तर पर प्रशिक्षण अभी भी जारी है।
- आज तक लगभग 23,000 प्रमुख संसाधन व्यक्तियों और 17.5 लाख शिक्षकों और स्कूल प्रमुखों को इस निष्ठा फेस टू फेस मोड के अंतर्गत कवर किया गया है।

उद्देश्य

- इस विशाल प्रशिक्षण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य छात्रों में महत्वपूर्ण सोच को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने के लिए शिक्षकों को प्रेरित और सुसज्जित करना है।
- निष्ठा के अंतर्गत विकसित किए गए मॉड्यूल, बच्चों के समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित करते हैं और इसलिए इसमें पाठ्यक्रम और समावेशी शिक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण, व्यक्तिगत सामाजिक गुण, कला एकीकृत शिक्षण आदि शामिल हैं।
- सभी मॉड्यूल शिक्षण परिणामों और शिक्षण केंद्रित शिक्षाशास्त्र के आसपास केंद्रित हैं।

टॉपिक- जी.एस. पेपर II- गवर्नेंस

स्रोत- पी.आई.बी.

खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (के.वी.आई.सी.) ने दिल्ली में चमड़े के कारीगरों के सीमांत समुदाय को प्रशिक्षित करने के लिए इस प्रकार का पहला फुटवियर प्रशिक्षण केंद्र खोला है। केंद्र को केंद्रीय फुटवियर प्रशिक्षण संस्थान (सी.एफ.टी.आई.), आगरा के तकनीकी जानकारों के साथ स्थापित किया गया है जो एम.एस.एम.ई. मंत्रालय की एक इकाई है।
- राजघाट के गांधी दर्शन में स्थित के.वी.आई.सी.-सी.एफ.टी.आई. फुटवियर प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र, उच्च गुणवत्ता के फुटवियर बनाने के लिए चमड़ा कारीगरों को दो महीने का व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करेगा।

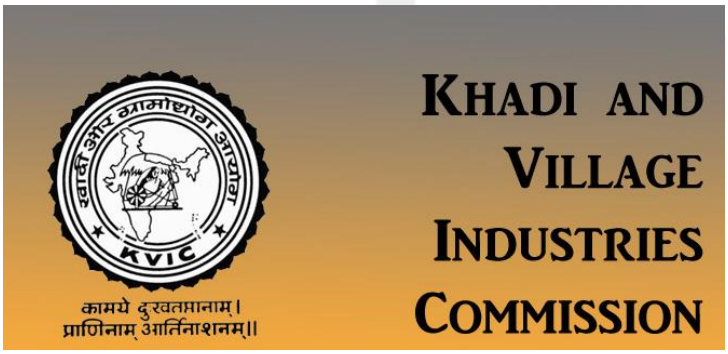

खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के संदर्भ में जानकारी

- यह भारत सरकार द्वारा संसद के अधिनियम, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम 1956 के अंतर्गत अप्रैल, 1957 में (एक आर.टी.आई. के अनुसार) स्थापित एक वैधानिक निकाय है।
- यह भारत के भीतर खादी और ग्रामोद्योग के संबंध में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत एक सर्वोच्च संगठन है।
- यह ग्रामीण क्षेत्रों में जहां कहीं भी आवश्यक हो, वहां ग्रामीण विकास में संलग्न अन्य एजेंसियों के साथ समन्वय में ग्रामीण क्षेत्रों में खादी और ग्रामोद्योगों की स्थापना और विकास की योजना, प्रचार, सुविधा, आयोजन और सहायता करना चाहता है।
- इसका मुख्य कार्यालय मुंबई में स्थित है, जब कि 6 क्षेत्रीय कर्यालय दिल्ली, भोपाल, बैंगलोर, कोलकाता, मुंबई और गुवाहाटी में स्थित हैं।

टॉपिक- जी.एस. पेपर II- गवर्नेंस

स्रोत- द हिंदू

सरकार ने व्यक्तिगत दान के लिए एन.डी.आर.एफ. खोला है।

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, केंद्र सरकार ने किसी भी व्यक्ति या संस्था को आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एन.डी.आर.एफ.) में योगदान करने की अनुमति देने हेतु आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 में शेष प्रावधानों को लागू कर दिया है।
- यह आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 46(1) (बी) के अनुसार, एन.डी.आर.एफ. में आपदा प्रबंधन के लिए किसी भी व्यक्ति या संस्था से योगदान/ अनुदान प्राप्त करने के लिए तौर-तरीके प्रस्तुत करेगा।

- एन.डी.आर.एफ. से संबंधित अनुभाग कहता है कि "यह कोई भी अनुदान हो सकता है, जो किसी भी व्यक्ति या संस्था द्वारा आपदा प्रबंधन के लिए किया जा सकता है।"

पृष्ठभूमि

- गृह मंत्रालय (एम.एच.ए.) ने इस वर्ष मार्च में पहली बार कोविड-19 के मद्देनजर आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 लागू किया था।
- कोविड-19 महामारी को "आपदा" के रूप में अधिसूचित किया गया है, जिससे कि मरीजों के इलाज और अन्य रसद के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एस.डी.आर.एफ.) का उपयोग करने हेतु राज्यों के लिए मार्ग प्रशस्त किया जा सके।
- इसमें अन्य चीजों के अतिरिक्त क्वारंटाइन केंद्र, प्रयोगशालाएं स्थापित करना शामिल हैं।
- इस अधिनियम के अंतर्गत अन्य अधिसूचित आपदाएँ चक्रवात, सूखा, भूकंप, आग, बाढ़, सुनामी, ओलावृष्टि, भूस्खलन, हिमस्खलन, बादल फटना, कीटों का हमला, ठंढ और शीत लहरें हैं।

राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एस.डी.आर.एफ.) को पूरा करना

- आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 46 के अनुसार, "एन.डी.आर.एफ. गंभीर प्रकृति की आपदा के मामले में राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एस.डी.आर.एफ.) की आपूर्ति करता है, बशर्ते एस.डी.आर.एफ. में पर्याप्त धनराशि उपलब्ध नहीं होनी चाहिए।"
- राज्यों को उपयोगिता प्रमाणपत्र भी प्रस्तुत करने होंगे, जिनके लंबित होने पर भविष्य में कोई आवंटन नहीं होगा।
- यह कोष निर्दिष्ट आपदाओं की एक श्रेणी के लिए तत्काल प्रकृति के राहत कार्यों के खर्चों को पूरा करने हेतु मुख्य रूप से राज्य सरकारों के साथ उपलब्ध है।

केंद्र सरकार द्वारा योगदान

- केंद्र, सामान्य श्रेणी के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एस.डी.आर.एफ. आवंटन में 75% का योगदान देता है, जब कि विशेष श्रेणी के राज्यों (पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू एवं कश्मीर) के लिए 90% का योगदान देता है।

संबंधित जानकारी

पी.एम. केयर्स फंड

- हाल ही में, प्रधानमंत्री कार्यालय (पी.एम.ओ.) ने स्पष्ट किया है कि प्रधानमंत्री नागरिक सहायता एवं आपातकालीन स्थिति राहत निधि (पी.एम.-केयर फंड), सूचना का अधिकार अधिनियम (आर.टी.आई.), 2005 के तत्वाधान में एक सार्वजनिक प्राधिकरण नहीं है।

पी.एम. केयर फंड के संदर्भ में जानकारी

- इसे 27 मार्च, 2020 को पंजीकृत न्यास विलेख के साथ एक सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट के रूप में स्थापित किया गया था।
- यह विदेशी योगदान से दान प्राप्त कर सकता है और निधि में दान की गई धनराशि कर से 100% छूट प्राप्त होती है।
- पी.एम. केयर्स फंड, प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय राहत कोष (पी.एम.एन.आर.एफ.) से भिन्न हैं।

संरचना:

- इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं।
- रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री
- प्रधानमंत्री द्वारा नामित तीन ट्रस्टी हैं, "जो अनुसंधान, स्वास्थ्य, विज्ञान, सामाजिक कार्य, कानून, लोक प्रशासन और परोपकार के क्षेत्र में प्रतिष्ठित व्यक्ति होंगे"।

टॉपिक- जी.एस. पेपर III- आपदा प्रबंधन

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

याचिका सौदा

खबरों में क्यों है?

- विभिन्न देशों से संबंधित तब्लीगी जमात के कई सदस्यों ने याचिका सौदा के माध्यम से अदालती मामलों से रिहाई प्राप्त कर ली है।

याचिका सौदा के संदर्भ में जानकारी

- यह आपराधिक अपराध के आरोपित एक व्यक्ति को संदर्भित करता है जो अपराधी द्वारा कम गंभीर अपराध के लिए सिफारिश करके कानून में प्रदत्त सजा की तुलना में कम सजा के लिए अभियोजन के साथ समझौते को संदर्भित करता है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका में सामान्य बात है और लंबी और जटिल सुनवाईयों से बचने का एक सफल तरीका रहा है, जिसके परिणामस्वरूप, वहाँ दोषसिद्धि की दर काफी अधिक है।
- इसमें मुख्य रूप से अभियुक्त और अभियोजक के बीच पूर्व-सुनवाई वार्ता शामिल है।
- इसमें अभियोग या सजा की मात्रा पर सौदेबाजी शामिल हो सकती है।

भारत और याचिका सौदा

- भारत में, यह अवधारणा वर्ष 2006 तक कानून का हिस्सा नहीं थी।
- एक अभियुक्त के लिए पूर्ण परीक्षण के अधिकार का दावा करने के बजाय 'दोषी' की पैरवी करने का दंड प्रक्रिया संहिता में हमेशा एक प्रावधान रहा है, लेकिन यह याचिका सौदे के समान नहीं है।

- भारत के विधि आयोग ने अपनी 142वीं रिपोर्ट में, उन लोगों के लिए "रियायती उपचार" के विचार पर चर्चा की है, जिन्होंने अपनी इच्छा से दोषी होने की पैरवी की हैं, लेकिन इसकी जांच करते समय सावधान रहा गया है कि इसमें अभियोजन पक्ष के साथ कोई भी याचिका सौदा या "सौदेबाजी" शामिल नहीं होगी।
- आपराधिक न्याय प्रणाली के सुधारों पर न्यायमूर्ति मालीमथ समिति ने याचिका सौदे के संबंध में विधि आयोग की विभिन्न सिफारिशों का समर्थन किया था।
- याचिका सौद को वर्ष 2006 सी.आर.पी.सी. में संशोधन के रूप में अध्याय XXI-A के सेट के समूह को हिस्से के रूप में शामिल किया गया था, जिसमें अनुभाग 265A से 265L शामिल हैं।

याचिका सौदे के लाभ

- यह अभ्यास एक त्वरित सुनवाई सुनिश्चित करेगा, आपराधिक मामलों के परिणाम पर अनिश्चितता को समाप्त करेगा, मुकदमेबाजी की लागतों को बचाएगा और चिंता की पक्षों को राहत देगा।
- इससे दोषसिद्धि दरों पर भी एक नाटकीय प्रभाव होगा।
- यह केसों के लंबित होने को कम करने और जेलों को खाली करने में भी मदद करेगा।

टॉपिक- जी.एस. पेपर II- गवर्नेंस

स्रोत- द हिंदू

किसान संगठनों ने कृषि अध्यादेश को वापस लेने की मांग की है।

खबरों में क्यों है?

- पंजाब और हरियाणा में किसान संगठनों ने केंद्र के हाल ही में घोषित किए गए कृषि अध्यादेश का विरोध करने के लिए "ट्रैक्टर मार्च" निकाला है और इसे तत्काल वापस लेने की मांग की है।

पृष्ठभूमि

- हाल ही में, मंत्रिमंडल ने देश में कृषि विपणन और कमोडिटी व्यापार सुधारों को आगे बढ़ाने के लिए तीन अलग-अलग अध्यादेशों को लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है।
- ये सुधार कोविद-19 से निपटने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत घोषित आर्थिक पैकेज की तीसरी किश्त का हिस्सा हैं।

तीन अध्यादेश क्या हैं?

a. आवश्यक वस्तुएं (संशोधन) अध्यादेश, 2020, किसान उत्पादन व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन एवं सुविधा) अध्यादेश, 2020 या एफ.पी.टी.सी. अध्यादेश
b. मूल्य आश्वासन एवं कृषि सेवा पर कृषक (सशक्तीकरण एवं संरक्षण) समझौता अध्यादेश, 2020 या एफ.ए.पी.ए.एफ.एस.

- इन अध्यादेशों से आवश्यक वस्तु अधिनियम में प्रस्तावित संशोधनों को प्रभावी करने और अंतर-राज्यीय व्यापार पर दो नए केंद्रीय कानूनों को लाने और प्रोसेसर, निर्यातकों आदि के साथ किसानों की संलग्नता की उम्मीद है।

आवश्यक वस्तु अधिनियम (1955) में संशोधन

- इस संशोधन से अनाज, खाद्य तेल, तिलहन, दालें, प्याज और आलू जैसी वस्तुएं नियंत्रण मुक्त हो जाएंगी।
- यह उनके व्यावसायिक संचालन में अत्यधिक विनियामक हस्तक्षेप के निजी निवेशकों की आशंकाओं को कम करने में मदद करेगा।
- इन वस्तुओं पर ई.सी.ए. के अंतर्गत कोई भी सीमा केवल असाधारण परिस्थितियों जैसे युद्ध, अकाल, असाधारण मूल्य वृद्धि और प्राकृतिक आपदा में ही लागू की जाएगी।
- यह कोल्ड स्टोरेज में निवेश को बढ़ाने और खाद्य आपूर्ति श्रृंखला के आधुनिकीकरण में मदद करेगा।

कमियां

- यह अध्यादेश सभी कृषि वस्तुओं को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटाने के लिए मौजूदा अधिनियम में संशोधन करता है, जिससे व्यापारी अपनी इच्छा के अनुसार उत्पादों का अधिक से अधिक भंडारण कर पाएंगे जो कि पहले कि सीमा के विपरीत है।

कृषि उत्पाद व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्धन एवं सुविधा) अध्यादेश, 2020

- यह विभिन्न राज्य कृषि उत्पाद बाजार कानूनों (राज्य ए.पी.एम.सी. अधिनियमों) के अंतर्गत अधिसूचित बाजारों के बाहर किसानों की उपज के अवरोध मुक्त व्यापार के लिए प्रावधान प्रदान करना चाहता है।
- अध्यादेश, राज्य ए.पी.एम.सी. अधिनियमों पर प्रबल होगा।
- यह किसानों के लिए एक पृथक विवाद समाधान तंत्र स्थापित करने का भी प्रस्ताव करता है।

अवगुण

- इस अध्यादेश ने कृषि उपज बाजार समितियों (ए.पी.एम.सी.) के एकाधिकार को समाप्त कर दिया है और किसी को भी कृषि उपज खरीदने और बेचने की अनुमति प्रदान की है।

मूल्य आश्वासन एवं कृषि सेवा पर किसान (सशक्तीकरण और संरक्षण) समझौता अध्यादेश, 2020

- यह कृषि उत्पादों की बिक्री और खरीद के संदर्भ में किसानों के संरक्षण और सशक्तिकरण के लिए एक ढांचा प्रदान करता है।
- अध्यादेश के प्रावधान, सभी राज्य ए.पी.एम.सी. कानूनों को समाप्त कर देंगे।
- अध्यादेश किसी भी कृषि उत्पाद के उत्पादन या पालन से पहले एक कृषि समझौता प्रदान करता है, जिसका उद्देश्य प्रायोजकों को कृषि उपज बेंचने की किसानों को सुविधा प्रदान करना है।
- एक प्रायोजक में व्यक्ति, साझेदार फर्म, कंपनियां, सीमित देयता समूह और सोसाइटी शामिल हो सकती हैं।
- इस प्रकार के समझौते: (i) एक किसान और एक प्रायोजक या (ii) एक किसान, एक प्रायोजक और एक थर्ड पार्टी के बीच हो सकते हैं।
- किसी भी थर्ड पार्टी की भूमिका और सेवाओं में एग्रीगेटर्स (वह व्यक्ति एकत्रीकरण से संबंधित सेवाएं प्रदान करने के लिए किसान और प्रायोजक के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है) शामिल है, जिनका समझौते में स्पष्ट रूप से उल्लेख करना होगा।
- राज्य सरकारें, कृषि समझौतों की इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्री के लिए पंजीकरण करने हेतु एक पंजीकरण प्राधिकरण स्थापित कर सकती हैं।
- इसमें ऐसे तंत्र शामिल हैं जो किसान से प्रायोजक के लिए बाजार की अप्रत्याशितता के जोखिम को स्थानांतरित करेंगे।

कमियां

- यह अध्यादेश अनुबंध खेती को वैध बनाने के लिए लागू किया गया है, जिससे कि बड़े व्यवसाय और कंपनियां अनुबंध के आधार पर जमीन की विशाल घास की खेती कर सकेंगे।

टॉपिक- जी.एस. पेपर II- गवर्नेंस

स्रोत- द हिंदू

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019

खबरों में क्यों है?

- नया अधिनियमित उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 20 जुलाई से लागू होता है, यह तीन दशक से अधिक पुराने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 को प्रतिस्थापित करेगा।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के संदर्भ में जानकारी

- उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने हेतु एक कानून है।
- देश भर की उपभोक्ता अदालतों में बड़ी संख्या में लंबित उपभोक्ता शिकायतों को हल करने के लिए यह अधिनियम अनिवार्य था।
- इसके पास उपभोक्ता शिकायतों को तेजी से हल करने के तरीके और साधन हैं।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का उद्देश्य क्या है?

- उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 का उद्देश्य समयबद्ध और प्रभावी प्रशासन और उपभोक्ताओं के विवादों के निपटारे के लिए प्राधिकरणों की स्थापना करके उपभोक्ताओं के अधिकारों को बचाना है।

2019 अधिनियम की मुख्य विशेषताएं

- 2019 अधिनियम ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 को प्रतिस्थापित किया है।
- इसने उपभोक्ता अधिकारों को लागू किया है और उत्पादों में कमी और सेवाओं की कमी के बारे में शिकायतों के निवारण के लिए एक तंत्र प्रदान किया है।

अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ता की परिभाषा

- एक उपभोक्ता को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो कोई उत्पाद खरीदता है या विचार के लिए एक सेवा प्रदान करता है।
- इसमें ऐसे व्यक्ति को शामिल नहीं किया गया है जो पुनर्विक्रय के लिए एक उत्पाद प्राप्त करता है या वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए एक उत्पाद या सेवा प्राप्त करता है।
- यह ऑफ़लाइन और ऑनलाइन जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों, टेलीशॉपिंग, बहु-स्तरीय विपणन या प्रत्यक्ष बिक्री के माध्यम से सभी तरीकों से लेनदेन को शामिल करता है।

अधिनियम में शामिल हैं

- नया अधिनियम एक वर्ग के रूप में उपभोक्ता अधिकारों को बढ़ावा देने, संरक्षित करने और प्रवर्तित करने के लिए एक केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना करता है।

- सी.सी.पी.ए. को उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन और संस्थान की शिकायतों/ अभियोजन आदि की जांच करने का अधिकार प्राप्त होगा।
- ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों द्वारा अनुचित व्यापार अभ्यास की रोकथाम के लिए नियम भी इस अधिनियम के अंतर्गत शामिल किए जाएंगे।
- अधिनियम के अंतर्गत, प्रत्येक ई-कॉमर्स इकाई को रिटर्न, रिफंड, विनिमय, वारंटी और गारंटी, वितरण और शिपमेंट, भुगतान के तरीके, शिकायत निवारण तंत्र आदि से संबंधित जानकारी प्रदान करना आवश्यक है।

केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सी.सी.पी.ए.) के संदर्भ में जानकारी

- यह उपभोक्ताओं के एक वर्ग को राहत देने में मदद करता है
- प्राधिकरण को निम्न अधिकार दिए गए हैं-
- उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन और संस्थान की शिकायतों/ अभियोजन की जांच करना
- असुरक्षित उत्पादों और सेवाओं को वापस मंगाना
- अनुचित व्यापार प्रथाओं और भ्रामक विज्ञापनों को रोकने का आदेश
- निर्माता/ प्रचारक/ भ्रामक विज्ञापन के प्रकाशक पर दंड का प्रावधान करना

सरलीकृत विवाद समाधान प्रक्रिया

- दाखिल करने के 21 दिनों के बाद डीम्ड स्वीकार्यता
- उनके आदेशों को लागू करने के लिए उपभोक्ता आयोगों का सशक्तिकरण
- राज्य आयोग और जिला आयोग अब उनके आदेशों की समीक्षा कर सकते हैं
- दूसरे चरण के बाद केवल कानून के सवाल पर अपील करता है।
- उपभोक्ता आयोगों तक पहुँचने में सुगमता

A. निवास स्थान/ कार्य से दाखिल करना
B. ई-फाइलिंग
C. सुनवाई के लिए वीडियो कांफ्रेंसिंग

टॉपिक- जी.एस. पेपर II- गवर्नेंस

स्रोत- द हिंदू

मनोदर्पण

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत मानव संसाधन विकास मंत्रालय की मनोदर्पण पहल को वर्चुअल रूप से शुरू किया है।

मनोदर्पण पहल के संदर्भ में जानकारी

- यह पहल छात्रों, शिक्षकों और परिवारों की एक वेबसाइट, एक टोल-फ्री हेल्पलाइन, राष्ट्रीय सलाहकार निर्देशिका, इंटरैक्टिव चैट प्लेटफॉर्म आदि के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक भलाई के लिए मनोवैज्ञानिक समर्थन प्रदान करने में मदद करेगी।
- इस पहल से देश के सभी स्कूल जाने वाले बच्चों, उनके माता-पिता, शिक्षकों और स्कूल शिक्षा में हितधारकों के समुदाय को लाभ होगा।

संबंधित जानकारी

राष्ट्रीय मूलभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक मिशन के संदर्भ में जानकारी

- यह मिशन सुनिश्चित करेगा कि देश का प्रत्येक बच्चा अनिवार्य रूप से वर्ष 2025 तक ग्रेड 3 में मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता प्राप्त करे।
- इसके लिए, इसे प्रणालीगत फैशन में आगे बढ़ाने के लिए शिक्षक क्षमता निर्माण, एक मजबूत पाठ्यक्रम ढांचा, संलग्नता शिक्षण सामग्री, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनो, अधिगम परिणाम और उनके माप सूचकांक, मूल्यांकन तकनीक, अधिगम प्रगति की निगरानी आदि को डिज़ाइन किया जाएगा।
- यह मिशन 3 से 11 वर्ष की आयु के लगभग चार करोड़ बच्चों की अधिगम आवश्यक्ताओं को पूरा करेगा।

टॉपिक- जी.एस. पेपर II- गवर्नेंस

स्रोत- पी.आई.बी.

प्रवासियों को सामाजिक सुरक्षा संख्या की आवश्यकता होती है।

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, श्रम पर संसदीय स्थायी समिति ने सिफारिश की है कि सरकार को प्रवासी श्रमिकों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा संख्या पेश करनी चाहिए, विशेष रूप से उन असंगठित क्षेत्रों में जो श्रम कानूनों के दायरे से बाहर हैं।
- बी.जे.डी. के सांसद भरत्रुहरि महताब की अध्यक्षता वाली श्रम संबंधी स्थायी समिति ने महामारी के मद्देनजर कुछ राज्यों द्वारा श्रम कानूनों में बदलावों करने और श्रमिकों पर इस बदलाव के असर के संदर्भ में चर्चा की है।

समिति की सिफारिश

- सरकार, प्रवासी श्रमिकों को पंजीकृत करने के लिए एक वेबसाइट स्थापित करने की योजना बना रही थी, जिसमें पंजीकरण के लिए आधार संख्या का उपयोग किया जाएगा।
- सामाजिक सुरक्षा संख्या, प्रवासी श्रमिकों की संख्या और उनके प्रवासन प्रारूप का मानचित्रण करने में मदद करेगी।

संबंधित जानकारी

सामाजिक सुरक्षा संहिता विधेयक, 2019 के संदर्भ में जानकारी

- इस संहिता में आठ मौजूदा श्रम कानून शामिल होंगे-
- कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923
- कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948
- कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952
- मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961

- यह विधेयक, एक सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापित करने और कर्मचारी राज्य बीमा निगम के माध्यम से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को चिकित्सा, पेंशन, मृत्यु और विकलांगता लाभों की पेशकश करने के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी निधि का लाभ उठाना चाहता है।
- यह पांच वर्ष के वर्तमान अभ्यास के विपरीत यथानुपात आधार पर सेवा के एक वर्ष बाद निश्चित कार्यकाल के कर्मचारियों को ग्रेच्युटी देने का प्रस्ताव करता है।

छूट:

- यह केंद्र सरकार को संहिता के सभी या किसी प्रावधान से चुनिंदा प्रतिष्ठानों को छूट देने का अधिकार प्रदान करेगा और विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत लाभ उठाने हेतु आधार को अनिवार्य बनाता है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर II- गवर्नेंस

स्रोत- टाइम्स ऑफ इंडिया

ई-आई.सी.यू.

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, कोविड-19 मृत्यु दर को कम करने के भारत सरकार के प्रयासों को मजबूत करने के लिए, एम्स, नई दिल्ली ने देश भर में आई.सी.यू. डॉक्टरों के साथ एक वीडियो-परामर्श कार्यक्रम शुरू किया है, जिसे ई-आई.सी.यू. कहा जाता है।

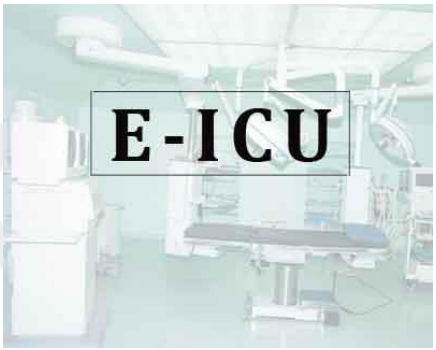

ई-आई.सी.यू. के संदर्भ में जानकारी

- इसमें वे चिकित्सक शामिल हैं जो आई.सी.यू. में कोविड-19 रोगियों का प्रबंधन करते हैं, वे इस वीडियो-परामर्श कार्यक्रम के साथ एम्स, नई दिल्ली के अन्य चिकित्सकों और विशेषज्ञों के साथ अपने प्रश्न पूंछ सकते हैं, अनुभव साझा कर सकते हैं और ज्ञान साझा कर सकते हैं।

लक्ष्य

- इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश भर के अस्पतालों और कोविड सुविधाओं में कोविड-19 रोगियों के इलाज में अग्रिम पंक्ति में मौजूद डॉक्टरों के साथ केस-प्रबंधन चर्चा करना है।

उद्देश्य

- इन चर्चाओं का प्राथमिक उद्देश्य साझा अनुभव से सीखकर कोविड-19 से मृत्यु दर को कम करना है और 1000 बेड वाले अस्पतालों में सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं को मजबूत करना है, जिसमें आइसोलेशन बेड, ऑक्सीजन सपोर्ट और आई.सी.यू .बेड शामिल हैं।

विषय- जीएस पेपर II-शासन

स्रोत- ए.आई.आर.

सी.सी.आर.जी.ए. ने राष्ट्रीय राजधानी की दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है।

खबरों में क्यों है?

- सर्वोच्च न्यायालय ने 'सरकारी विज्ञापन में सामग्री विनियमन पर समिति (सी.सी.आर.जी.ए.)' को शासनादेश किया है और दिल्ली सरकार के एक विज्ञापन पर राष्ट्रीय राजधानी की दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है, जो 16 जुलाई, 2020 को अखबारों में छपा था।
- एक पृष्ठ का विज्ञापन शिक्षा विभाग और सूचना एवं प्रचार निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी की दिल्ली सरकार द्वारा प्रकाशित किया गया था।

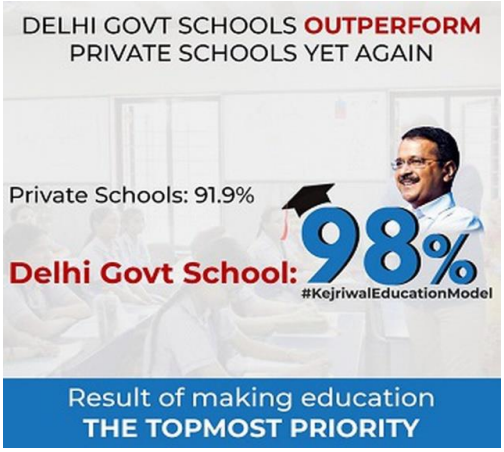

पृष्ठभूमि

- 13 मई, 2015 को उच्चतम न्यायालय के दिशानिर्देशों के अंतर्गत- "सरकारी विज्ञापनों की सामग्री सरकारों के संवैधानिक और कानूनी दायित्वों के साथ-साथ नागरिकों के अधिकारों और हकों के लिए भी प्रासंगिक होनी चाहिए"।
- 6 अप्रैल, 2016 को भारत सरकार ने एक तीन सदस्यीय निकाय की स्थापना की थी, जिसमें "अनधिक्षेप्य तटस्थता और निष्पक्षता वाले व्यक्ति" शामिल हैं और जिन्होंने सभी मीडिया प्लेटफार्मों पर सरकारी वित्तपोषित विज्ञापनों के सामग्री विनियमन की जांच करने के लिए अपने संबंधित क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है।

समिति की शक्तियां और कार्य

- समिति को सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों के उल्लंघन पर आम जनता की शिकायतों को संबोधित करने और उपयुक्त सिफारिशें करने का अधिकार प्राप्त है।
- समिति, सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों के किसी भी उल्लंघन/ विचलन के संदर्भ में स्व:प्रेरणा संज्ञान भी ले सकती है और सुधारात्मक कार्रवाइयों की सिफारिश कर सकती है।

नोट:

- वर्तमान में सी.सी.आर.जी.ए. की अध्यक्षता भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त, श्री ओम प्रकाश रावत द्वारा की जा रही है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर II- गवर्नेंस

स्रोत- पी.आई.बी.

बिहार में 65 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए कोई डाक मतपत्र नहीं है।

खबरों में क्यों है?

- 65 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के 70 लाख से अधिक मतदाताओं के साथ भारतीय चुनाव आयोग (ई.सी.आई.) ने आगामी बिहार विधानसभा चुनावों में इनके खिलाफ डाक मतपत्रों का विस्तार करने के खिलाफ फैसला लिया है।

पृष्ठभूमि

- इससे पहले, ई.सी.आई. ने 65 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के मतदाताओं के लिए डाक मतपत्र की सुविधा का विस्तार करने की सिफारिश की थी, क्यों कि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और गृह मंत्रालय द्वारा इस आयु वर्ग के व्यक्तियों को कोविड-19 के लिए सबसे कमजोर माना गया था।
- सिफारिश पर कार्रवाई करते हुए, कानून मंत्रालय ने 19 जून को 80 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के मौजूदा प्रावधान के विपरीत 65 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगो के लिए डाक मतपत्र की सुविधा का विस्तार करने के साथ-साथ कोविड-19 रोगियों और जिन्हें कोरोनावायरस होने की संभावना है, के कारण चुनाव आयोजन नियम, 1961 में परिवर्तन को अधिसूचित किया था।

संबंधित जानकारी

डाक मतदान क्या है?

- यह एक मतदान सुविधा है, जिसके माध्यम से मतदाता मतपत्र पर अपनी पसंद दर्ज करके और मतगणना से पहले चुनाव अधिकारी को वापस भेजकर अपना मत दूरस्थ रूप से डाल सकता है।

इसका उल्लेख कहां है?

- यह जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 60 में उल्लिखित है, यह किसी भी व्यक्ति को सरकार के परामर्श से ई.सी.आई. द्वारा मतपत्र सुविधा प्रदान करने का प्रावधान प्रदान करती है।

इस सुविधा का लाभ कौन उठा सकता है?

- सेना, नौसेना और वायु सेना जैसे सशस्त्र बलों के सदस्य, एक राज्य के सशस्त्र पुलिस बल के सदस्य (राज्य के बाहर सेवारत), भारत के बाहर तैनात सरकारी कर्मचारी और उनके पति/ पत्नी केवल डाक द्वारा मत देने के हकदार हैं।
- दूसरे शब्दों में, वे व्यक्तिगत रूप से मतदान नहीं कर सकते हैं।
- निवारक निरोध के अंतर्गत मतदाता भी केवल डाक द्वारा मत डाल सकते हैं।
- विशेष मतदाता जैसे भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्री, सदन के अध्यक्ष और चुनाव ड्यूटी पर तैनात सरकारी अधिकारियों के पास डाक द्वारा मतदान करने का विकल्प होता है।
- लेकिन उन्हें इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए निर्धारित प्रपत्र के माध्यम से आवेदन करना होगा।
- हाल ही में, झारखंड और दिल्ली चुनावों से पहले पिछले वर्ष नवंबर में डाक मतपत्र का 80 वर्ष से अधिक आयु के लोगों और विकलांगों के लिए विसतार किया गया था।

अनुपस्थित मतदाता

- यह मतदाताओं की एक नई श्रेणी है, जो अब डाक मतदान का विकल्प चुन सकते हैं।

- ये आवश्यक सेवाओं में कार्यरत मतदाता हैं और अपनी सेवा शर्तों के कारण अपना मत डालने में असमर्थ हैं।
- वर्तमान में, डी.एम.आर.सी., उत्तर रेलवे सेवाओं के अधिकारियों और मीडिया व्यक्तियों को अनुपस्थित मतदाता के रूप में अधिसूचित किया जाता है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर II- गवर्नेंस (जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951)

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

ई-कॉमर्स साइटों को उत्पत्ति के देश का वर्णन करना चाहिए।

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, केंद्र ने दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया है कि अमेज़ॅन, फ्लिपकार्ट और स्नैपडील सहित सभी ई-कॉमर्स संस्थाओं को अपने संबंधित साइटों पर बेचे जाने वाले आयातित उत्पादों की उत्पत्ति के देश की अनिवार्य रूप से घोषणा सुनिश्चित करनी है।
- इस मुद्दे से संबंधित कानून को कानूनी मापविद्या अधिनियम, 2009 और कानूनी मापविद्या (पैकेज्ड उत्पाद) नियम, 2011 के अंतर्गत अधिनियमित किया गया था।
- अधिनियम और नियमों के प्रावधानों का प्रवर्तन, राज्य और केंद्रशासित प्रदेश सरकारों के साथ रहता है।

कानूनी मापविद्या अधिनियम, 2009 के संदर्भ में जानकारी

- इसका उद्देश्य वजन और मापों के मानकों को स्थापित करना और लागू करना है, वजन और माप और अन्य वस्तुओं के व्यापार और वाणिज्य को विनियमित करना, जिन्हें वजन, माप या संख्या द्वारा बेचा या वितरित किया जाता है और इसके अतिरिक्त संबंधित और आकस्मिक मामलों के लिए है।

कानूनी मापविद्या (पैकेज्ड वस्तुएं) नियम, 2011 के संदर्भ में जानकारी

- इन नियमों को कम वजन या कम माप के कदाचार से उपभोक्ताओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए पहले से पैकेज्ड वस्तुओं को विनियमित करने के लिए तैयार किया गया है।
- इन नियमों के अंतर्गत, पहले से पैकेज्ड वस्तुओं को कुछ निश्चित अनिवार्य लेबलिंग आवश्यकताओं का पालन करना होता है।

संशोधनों की मुख्य विशेषताएं:

- ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर विक्रेता द्वारा प्रदर्शित किए गए उत्पाद में नियमों के अंतर्गत आवश्यक घोषणाएं जैसे निर्माता, पैकर और आयातक का नाम और पता, वस्तु का नाम, शुद्ध सामग्री, खुदरा बिक्री मूल्य, उपभोक्ता देखभाल शिकायत, आयाम आदि होंगी।

- नियमों में विशिष्ट उल्लेख किया गया है कि कोई भी व्यक्ति एकसमान पहले से पैकेज्ड वस्तुओं पर अलग-अलग एम.आर.पी. (दोहरी एम.आर.पी.) की घोषणा नहीं करेगा, जब तक कि इसकी किसी कानून के अंतर्गत अनुमति न दी जाए।
- इससे बड़े पैमाने पर उपभोक्ताओं को लाभ होगा क्यों कि उन्हें विभिन्न प्रकार के सार्वजनिक स्थानों जैसे सिनेमा हॉल, हवाई अड्डे और मॉल आदि के आधार पर वस्तु के लिए दोहरी एम.आर.पी. के संदर्भ में शिकायतें हैं।

टॉपिक- जी.एस. पेपर II- गवर्नेंस

स्रोत- द हिंदू

जनरेशन अनलिमिटेड इंडिया (YuWaah!)

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, केंद्रीय युवा मामलों के मंत्रालय ने यूनिसेफ इंडिया, युवाह इंडिया और भारत में संयुक्त राष्ट्र के साथ साझेदारी के लिए इरादतन वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए हैं जिससे कि युवाओं को सशक्त बनाने हेतु उनके साथ मिलकर काम किया जा सके और उन्हें आकांक्षी सामाजिक-आर्थिक अवसरों तक पहुंच के साथ चेंजमेकर्स बनाया जा सके।

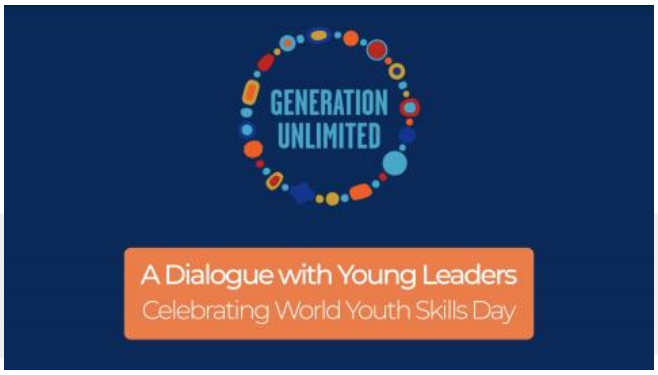

जनरेशन अनलिमिटेड इंडिया के संदर्भ में जानकारी

- जनरेशन अनलिमिटेड इंडिया (YuWaah) को यूनिसेफ ने नवंबर, 2019 में लॉन्च किया था।
- यह एक बहु-हितधारक गठबंधन है, जिसका उद्देश्य युवाओं को उत्पादक जीवन और काम के भविष्य के लिए प्रासंगिक कौशल प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करना है।
- युवाह के लक्षित आयु समूह में किशोर लड़कियां और लड़के शामिल हैं।
- इसका प्रमुख मिशन युवाओं के मूलभूत कौशल, जीवन कौशल और लचीली शिक्षा और प्रभावशाली वितरण मॉडल की पहचान करना और उन्हें बढ़ावा देना है।
- युवाह, युवाओं का बाजार के अवसरों (कैरियर मार्गदर्शन, सलाह, इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप) के लिए मार्गदर्शन करने हेतु मंच बनाने का इरादा रखता है और स्कूली शिक्षा में कैरियर मार्गदर्शन के एकीकरण की सुविधा देने का इरादा रखता है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर II- गवर्नेंस

स्रोत- ए.आई.आर.

इंडिया आइडिया शिखर सम्मेलन

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, भारत के प्रधानमंत्री ने इंडिया आइडिया शिखर सम्मेलन की 45वीं वर्षगांठ को संबोधित किया है जो अमेरिका-भारत व्यापार परिषद (यू.एस.आई.बी.सी.) द्वारा आयोजित किया जा रहा है।
- इस वर्ष के शिखर सम्मेलन की थीम 'बेहतर भविष्य का निर्माण' है।

अमेरिका-भारत व्यापार परिषद के संदर्भ में जानकारी

- वर्ष 1975 में अमेरिका-भारत व्यापार परिषद (यू.एस.आई.बी.सी.) का गठन एक व्यावसायिक वकालत संगठन के रूप में किया गया था, जो भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के निजी क्षेत्रों को निवेश के प्रवाह को बढ़ाने के लिए ज्योतिर्मय और प्रोत्साहित करता था।
- यह संगठन व्यापार और सरकार के नेताओं के बीच एक प्रत्यक्ष लिंक के रूप में कार्य करता है, जिसके परिणामस्वरूप दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए व्यापार और निवेश में वृद्धि हुई है।
- वर्ष 2017 में, यू.एस.आई.बी.सी. ने महिला उद्यमियों और नवोन्मेषकों के लिए नेतृत्व, सलाह और विकास के अवसरों की पेशकश करने के लिए महिला नवोन्मेषकों, सामाजिक नेतृत्वकर्ता एवं उद्यमी हेतु महिलाएं (डब्ल्यू.आई.एस.ई.) नामक एक सहयोगात्मक पहल की घोषणा की थी।

टॉपिक- जी.एस. पेपर II- गवर्नेंस

स्रोत- द हिंदू

इंड-सैट टेस्ट 2020

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय ने अपने स्टडी इन इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत पहली बार इंडियन स्कोलास्टिक असेसमेंट (Ind-SAT) टेस्ट 2020 आयोजित किया है।

इंड-सैट टेस्ट 2020 के संदर्भ में जानकारी

- यह चुनिंदा भारतीय विश्वविद्यालयों में अध्ययन के लिए विदेशी छात्रों को छात्रवृत्ति का अनुदान और प्रवेश प्रदान करने के लिए एक परीक्षा है।
- यह टेस्ट राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा आयोजित किया जाता है।
- यह परीक्षा भारत में अध्ययन करने के लिए आवेदन करने वाले छात्रों की शैक्षिक क्षमता का अनुमान लगाने के लिए डिजाइन गई है।

- इंड-सैट स्कोर, स्टडी इन इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत स्नातक के साथ-साथ परास्नातक कार्यक्रमों के लिए छात्रवृत्ति के आवंटन हेतु मेधावी छात्रों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए एक मानदंड के रूप में काम करेगा।

संबंधित जानकारी

स्टडी इन इंडिया कार्यक्रम के संदर्भ में जानकारी

- यह भारत सरकार की एक अद्वितीय पहल है, जो दुनिया भर के छात्र बंधुओं को भारत आने और भारत में शीर्ष संस्थानों से अकादमिक शिक्षण का सर्वश्रेष्ठ अनुभव प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करने में मदद करना है।

लक्ष्य

- इस कार्यक्रम का लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय छात्रों में देश की हिस्सेदारी को बढ़ावा देना और इसके परिणामस्वरूप, भारतीय शैक्षिक संस्थानों की वैश्विक प्रतिष्ठा और रैंकिंग में सुधार करना है।

उद्देश्य

- 'स्टडी इन इंडिया' कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य भारत को एक आकर्षक शिक्षा गंतव्य के ब्रांड के रूप में प्रदर्शित करके विदेशी छात्रों को लक्षित करना है।
- वैश्विक शिक्षा निर्यात की भारत की बाजार हिस्सेदारी को 1 प्रतिशत से 2 प्रतिशत करके दोगुना करना
- भारतीय शिक्षण संस्थानों की वैश्विक रैंकिंग में सुधार करना

राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के संदर्भ में जानकारी

- इसे भारतीय सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत सोसायटी के रूप में स्थापित किया गया था।
- यह उच्च शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश/ फेलोशिप के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित कराने हेतु एक स्वायत्त और आत्मनिर्भर परीक्षण संगठन है।

उद्देश्य

- प्रवेश और भर्ती के उद्देश्यों के लिए उम्मीदवारों की योग्यता का मूल्यांकन करने के लिए कुशल, पारदर्शी और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के टेस्टों का आयोजन करना है।

कार्य

- मौजूदा स्कूलों और उच्च शिक्षा संस्थानों से पर्याप्त बुनियादी ढांचे के साथ भागीदार संस्थानों की पहचान करना जो उनकी शैक्षणिक दिनचर्या पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करने की सुविधा प्रदान करेंगे।
- आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके सभी विषयों के लिए एक क्वेशचन बैंक बनाना
- परीक्षण के विभिन्न पहलुओं में एक मजबूत अनुसंधान एवं विकास संस्कृति के साथ-साथ विशेषज्ञों का एक पूल स्थापित करना
- परीक्षण के क्षेत्र में व्यक्तिगत कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की मदद करना और भारत में संस्थानों को प्रशिक्षण और सलाहकार सेवाएं प्रदान करना
- भारत में शैक्षणिक संस्थानों को गुणवत्तापूर्ण परीक्षण सेवाएँ प्रदान करना
- घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञता का उपयोग करके भारत में परीक्षण की एक अत्याधुनिक संस्कृति विकसित करना
- समान उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए ई.टी.एस. जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग करना
- भारत सरकार/ राज्य सरकारों के मंत्रालयों/ विभागों द्वारा इसे सौंपी गई किसी अन्य परीक्षा का आयोजन करना

- स्कूल बोर्डों के साथ-साथ अन्य निकायों के सुधारों और प्रशिक्षण का संचालन करना जहां प्रवेश परीक्षाओं के साथ परीक्षण मानकों की तुलना की जानी चाहिए।

टॉपिक- जी.एस. पेपर II- गवर्नेंस

स्रोत- पी.आई.बी.

उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम, 2020

खबरों में क्यों है?

- सरकार ने 'उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम, 2020' को अधिसूचित किया है, जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए नियम प्रदान करेगा।

उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम, 2020 की मुख्य विशेषताएं

- नए नियम भारत या विदेश में पंजीकृत सभी इलेक्ट्रॉनिक खुदरा विक्रेताओं (ई-टेलर्स) पर लागू होंगे लेकिन भारतीय उपभोक्ताओं को उत्पाद और सेवाएं प्रदान करेंगे।
- इसका उद्देश्य समयबद्ध और प्रभावी प्रशासन और उपभोक्ताओं के विवादों के निपटान के लिए प्राधिकरणों की स्थापना करके उपभोक्ता के अधिकारों की रक्षा करना है।
- नियमों का उल्लंघन करने पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई होगी।
- ई-कॉमर्स खिलाड़ियों को अन्य शुल्कों के वितरण के साथ-साथ बिक्री के लिए दिए जाने वाले उत्पादों और सेवाओं की कुल कीमत प्रदर्शित करनी होगी।
- उन्हें बिक्री के लिए दी जाने वाली वस्तुओं की 'एक्सपायरी तिथि' और उत्पादों और सेवाओं के 'उत्पत्ति के देश' का उल्लेख करना भी आवश्यक है, जो उपभोक्ता को पूर्व-खरीद के चरण में सूचित निर्णय लेने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हैं।
- उन्हें आसान रिटर्न की सुविधा देने, ग्राहकों की शिकायतों को संबोधित करने और अपने प्लेटफार्मों पर व्यापारियों के साथ भेदभाव को रोकने के लिए ई-टेलर्स की आवश्यकता होती है।
- बाजारों के साथ-साथ विक्रेताओं को शिकायत अधिकारियों की आवश्यकता होगी जिन्हें समयबद्ध तरीके से जवाब देना है।
- ई-कॉमर्स कंपनियों को अनुचित लाभ कमाने और समान वर्ग के उपभोक्ताओं के बीच भेदभाव करने के लिए अपने प्लेटफार्मों पर पेश किए जाने वाले उत्पादों और सेवाओं की "कीमत में हेरफेर" करने की अनुमति नहीं है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर II- गवर्नेंस

स्रोत- टी.ओ.आई.

भारतीय सेना में महिला अधिकारियों हेतु स्थायी आयोग

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना में महिला अधिकारियों हेतु स्थायी आयोग (पी.सी.) के अनुदान के लिए औपचारिक सरकारी मंजूरी पत्र जारी किया है।
- इससे महिला अधिकारियों को संगठन में बड़ी भूमिका निभाने के लिए सशक्त बनाने का मार्ग प्रशस्त होगा।

आदेश के संदर्भ में जानकारी

- यह आदेश भारतीय सेना की सभी 10 शाखाओं में शॉर्ट सर्विस कमीशन (एस.एस.सी.) महिला अधिकारी हेतु पी.सी. के अनुदान को निर्दिष्ट करता है, जिनके नाम हैं:
- सेना उड्डयन
- इलेक्ट्रॉनिक्स एवं मैकेनिकल इंजीनियर्स (ई.एम.ई.)
- सेना सेवा कोर (ए.एस.सी.)
- सेना आयुध कोर (ए.ओ.सी.)
- खुफिया कोर
- सेना वायु रक्षा (ए.ए.डी.)
- सिग्नल
- इंजीनियर्स
- न्यायाधीश और महाधिवक्ता (जे.ए.जी.)
- सेना शैक्षिक कोर (ए.ई.सी.)

पृष्ठभूमि

- यह आदेश फरवरी, 2020 में सर्वोच्च न्यायालय के एक फैसले का पालन करता है, जिसने सरकार को निर्देश दिया था कि महिला अधिकारियों को युद्ध के अतिरिक्त सभी सेवाओं में पी.सी. और कमांड पोस्टिंग दी जाए।
- न्यायालय ने "लिंग रूढ़िवादिता" और "महिलाओं के खिलाफ लैंगिक भेदभाव" के आधार पर महिलाओं की शारीरिक सीमाओं पर केंद्र के दृष्टिकोण को खारिज कर दिया था।

नोट:

- संयुक्त राज्य अमेरिका और इजरायल जैसे देशों में महिलाओं को सक्रिय युद्ध में भाग लेने की अनुमति है लेकिन भारत में स्थायी कमीशन के बाद भी इसकी अनुमति नहीं है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर I- महिला सशक्तिकरण

स्रोत- द हिंदू

भारतीय मानक ब्यूरो का मोबाइल ऐप बी.आई.एस.-केयर

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, उपभोक्ता मामलों के मंत्री ने भारतीय मानक ब्यूरो का मोबाइल ऐप बी.आई.एस.-केयर लॉन्च किया है।

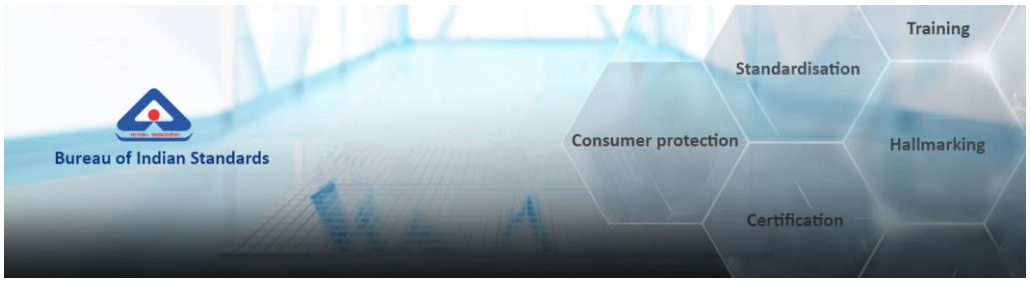

बी.आई.एस.-केयर ऐप के संदर्भ में जानकारी

- यह इस एप्लिकेशन के माध्यम से आई.एस.आई.-चिह्नित और हॉलमार्क वाले उत्पादों की प्रामाणिकता की जांच करने में मदद करता है।
- ग्राहक इस माध्यम का उपयोग करते हुए शिकायतें भी दर्ज कर सकते हैं।

संबंधित जानकारी

भारतीय मानक ब्यूरो के संदर्भ में जानकारी

- भारतीय मानक ब्यूरो (बी.आई.एस.) उपभोक्ता मामलों, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तत्वावधान में काम करने वाला भारत का राष्ट्रीय मानक निकाय है।
- इसे भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 द्वारा स्थापित किया गया है, जिसे 23 दिसंबर, 1986 को लागू किया गया था।
- बी.आई.एस. का प्रशासनिक नियंत्रण रखने वाले मंत्रालय या विभाग के प्रभारी मंत्री, बी.आई.एस. के पदेन अध्यक्ष होते हैं।
- ब्यूरो के प्रमुख कार्यों में से एक भारतीय मानकों का सूत्रीकरण, मान्यता और संवर्धन करना है।
- इसका मुख्यालय इसके क्षेत्रीय कार्यालय कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, चंडीगढ़ और दिल्ली और 20 शाखा कार्यालयों के साथ नई दिल्ली में स्थित है।
- यह भारत के लिए डब्ल्यू.टी.ओ.-टी.बी.टी. पूछताछ केंद्र के रूप में भी काम करता है।

अंतर्राष्ट्रीय मान्यता

- बी.आई.एस., अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन (आई.एस.ओ.) का एक संस्थापक सदस्य है।
- यह अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन (आई.एस.ओ.), अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल आयोग (आई.ई.सी.) और विश्व मानक सेवा नेटवर्क (डब्ल्यू.एस.एस.एन.) में भारत का प्रतिनिधित्व करता है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर II- गवर्नेंस

स्रोत- डी.डी. न्यूज़

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्कूल और उच्च शिक्षा दोनों क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर परिवर्तनकारी सुधारों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी प्रदान की है।

पृष्ठभूमि

- नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एन.ई.पी.), शिक्षा पर मौजूदा राष्ट्रीय नीति को प्रतिस्थापित करेगी, जिसे पहली बार 1986 में बनाया गया था और आखिरी बार 1992 में संशोधित किया गया था।

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में जानकारी

- इस नीति को सतत विकास के लिए 2030 एजेंडे के साथ संरेखित किया गया है और इसका उद्देश्य स्कूल और कॉलेज की शिक्षा दोनों को अधिक समग्र, लचीला, बहुआयामी बनाकर भारत को एक जीवंत ज्ञान सोसाइटी और वैश्विक ज्ञान महाशक्ति में बदलना है।
- नई नीति पूर्व भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के प्रमुख के. कस्तूरीगंगन के नेतृत्व वाली समिति द्वारा तैयार किए गए मसौदे पर आधारित है।
- नई शिक्षा नीति में 3 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों को शामिल करने के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 का विस्तार शामिल है और स्कूल शिक्षा पाठ्यक्रम में सामग्री भार को कम करना चाहता है।
- यह बहु प्रवेश और निकासी विकल्पों के साथ चार वर्षीय स्नातक की डिग्री पेश करेगा, एम.फिल डिग्री को समाप्त करेगा और निजी और सार्वजनिक दोनों संस्थानों के लिए शुल्क निर्धारण के साथ एक सामान्य उच्च शिक्षा विनियामक की स्थापना करेगा।

महत्वपूर्ण विशेषताएं

A. स्कूली शिक्षा हेतु

✓ स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर सार्वभौमिक पहुँच सुनिश्चित करना

- एन.ई.पी. 2020, स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों- प्री स्कूल से माध्यमिक तक के लिए सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करने पर जोर देता है।
- एन.ई.पी. 2020 के अंतर्गत लगभग 2 करोड़ स्कूली बच्चों को मुख्यधारा में वापस लाया जाएगा।

- ✓ **नए पाठ्यक्रम और शैक्षणिक संरचना के साथ प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा**
  - प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा पर जोर देने के साथ स्कूल पाठ्यक्रम के 10+2 ढांचे को क्रमश: 3-8, 8-11, 11-14 और 14-18 वर्ष वर्ष की आयु के लिए 5+3+3+4 पाठयक्रम संरचना द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना है।
  - यह स्कूल पाठ्यक्रम के अंतगर्त अब तक 3-6 वर्ष की आयु वर्ग के नहीं शामिल किए बच्चों को लाएगा। जिसे एक बच्चे के मानसिक संकायों के विकास के लिए महत्वपूर्ण चरण के रूप में वैश्विक स्तर पर मान्यता प्रदान की गई है।
  - नई प्रणाली में तीन वर्ष की आंगनवाड़ी/ प्री स्कूलिंग के साथ 12 वर्ष की स्कूली शिक्षा होगी।
  - एन.सी.ई.आर.टी., 8 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम एवं शैक्षणिक ढांचा (NCPFECCE) विकसित करेगी।
  - प्रारंभिक बचपन देखभाल (ECCE) को आंगनवाड़ियों और पूर्व-विद्यालयों सहित संस्थानों की एक महत्वपूर्ण रूप से विस्तारित और सशक्त प्रणाली के माध्यम से वितरित किया जाएगा, जिसमें ई.सी.सी.ई. शिक्षाशास्त्र और पाठ्यक्रम में प्रशिक्षित शिक्षक और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता शामिल होंगे।
  - ई.सी.सी.ई. के नियोजन और कार्यान्वयन का कार्य मानव संसाधन विकास, महिला एवं बाल विकास (डब्ल्यू.सी.डी.), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (एच.एफ.डब्ल्यू.) और जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा।
- ✓ **मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक की प्राप्ति**
  - एन.ई.पी. ने शिक्षण के एक आवश्यक और पूर्वाकांक्षित रूप में मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता को मान्यता प्रदान की है।
  - एन.ई.पी. 2020, एम.एच.आर.डी. द्वारा आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मकता पर एक राष्ट्रीय मिशन की स्थापना करना चाहता है।
  - राज्यों को वर्ष 2025 तक ग्रेड 3 तक सभी शिक्षार्थियों के लिए सभी प्राथमिक स्कूलों में सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता एवं संख्यात्मकता प्राप्त करने के लिए एक कार्यान्वयन योजना तैयार करनी होगी।
- ✓ **बहुभाषावाद और भाषा की शक्ति**
  - यह नीति कम से कम ग्रेड 5 तक निर्देशों के माध्यम के रूप में मातृभाषा/ स्थानीय भाषा/ क्षेत्रीय भाषा पर जोर देती हैं, लेकिन अधिमानतः ग्रेड 8 और उससे आगे तक जोर देना चाहती है।
  - स्कूल के सभी स्तरों और उच्चतर शिक्षा में छात्रों को एक विकल्प के रूप में संस्कृत पेश की जाएगी, जिसमें तीन-भाषा सूत्र शामिल हैं।
  - विकल्पों के रूप में भारत की अन्य शास्त्रीय भाषाएं और साहित्य भी उपलब्ध हैं।
  - किसी भी छात्र पर कोई भाषा थोपी नहीं जाएगी।
  - छात्रों को कभी-कभी ग्रेड 6-8 तक 'भारत की भाषा' पर एक मजेदार परियोजना/ गतिविधि में भाग लेने के लिए अवसर दिए जाएंगे, जैसे कि जैसे 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' पहल के अंतर्गत है।
  - सुनने में परेशानी वाले छात्रों द्वारा प्रयोग किए जाने के लिए भारतीय सांकेतिक भाषा (आई.एस.एल.) को देश भर में मानकीकृत किया जाएगा और राष्ट्रीय और राज्य पाठ्यक्रम सामग्री विकसित की जाएगी।
- ✓ **न्यायसंगत और समावेशी शिक्षा**
  - एन.ई.पी. 2020 का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी बच्चा जन्म या पृष्ठभूमि की परिस्थितियों के कारण शिक्षण और उत्कृष्टता प्राप्त करने का कोई अवसर नहीं खोना चाहिए।

- सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समूहों (एस.ई.डी.जी.) पर विशेष जोर दिया जाएगा, जिसमें लिंग, सामाजिक-सांस्कृतिक और भौगोलिक पहचान और विकलांगताएं शामिल हैं।
- इसमें लिंग समावेशी कोष की स्थापना और वंचित क्षेत्रों और समूहों के लिए विशेष शिक्षा क्षेत्र भी शामिल हैं।

✓ **मजबूत शिक्षक भर्ती और कैरियर मार्ग**

- शिक्षकों की भर्ती मजबूत, पारदर्शी प्रक्रियाओं के माध्यम से की जाएगी। पदोन्नति मेरिट आधारित होगी, जिसमें बहु-स्रोत आवधिक प्रदर्शन मूल्यांकन के लिए एक तंत्र और शैक्षिक प्रशासक या शिक्षकों के शिक्षक बनने के लिए उपलब्ध प्रगतिशील पथ होंगे।
- एक सामान्य राष्ट्रीय शिक्षक व्यावसायिक मानकों (एन.पी.एस.टी.) को राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद द्वारा वर्ष 2022 तक सभी स्तरों और क्षेत्रों के एन.सी.ई.आर.टी., एस.सी.ई.आर.टी., शिक्षकों और विशेषज्ञ संगठनों के साथ परामर्श करके विकसित किया जाएगा।

B. उच्च शिक्षा

✓ **वर्ष 2035 तक जी.ई.आर. को 50% तक बढ़ाएं**

- एन.ई.पी. 2020 का लक्ष्य उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को 26.3 प्रतिशत (2018) से बढ़ाकर वर्ष 2035 तक 50 प्रतिशत करना है, जिसमें व्यावसायिक शिक्षा भी शामिल है।

✓ **समग्र बहुविषयक शिक्षा**

- यह नीति व्यापक आधार वाले, बहु-विषयक, लचीले पाठ्यक्रम के साथ समग्र स्नातक शिक्षा, विषयों के रचनात्मक संयोजन, व्यावसायिक शिक्षा के एकीकरण और उपयुक्त प्रमाणीकरण के साथ बहु प्रवेश और निकास बिंदुओं की परिकल्पना करती हैं।
- परास्नातक शिक्षा कई निकास विकल्पों के साथ 3 या 4 वर्ष की हो सकती है और इस अवधि के दौरान उचित प्रमाणीकरण प्रदान किया जाएगा।
- उदाहरण के लिए, एक वर्ष बाद प्रमाणपत्र, दो वर्ष बाद एडवांस डिप्लोमा, 3 वर्ष वर्ष स्नातक डिग्री और 4 वर्ष बाद रिसर्च के साथ स्नातक प्रमाणपत्र है।

✓ **विनियमन**

- भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग (एच.ई.सी.आई.) की स्थापना चिकित्सा और कानूनी शिक्षा को छोड़कर संपूर्ण उच्च शिक्षा के लिए एकल व्यापक छतरी निकाय के रूप में की जाएगी।
- एच.ई.सी.आई. में चार स्वतंत्र ऊर्ध्वाधर हैं:
  a) विनियमन हेतु राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामक परिषद (एन.एच.ई.आर.सी.),
  b) मानक निर्धारण हेतु सामान्य शिक्षा परिषद (जी.ई.सी.)
  c) वित्त पोषण हेतु उच्चतर शिक्षा अनुदान परिषद (एच.ई.जी.सी.)
  d) मान्यता हेतु राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद (एन.ए.सी.)
- एच.ई.सी.आई. प्रौद्योगिकी के माध्यम से चेहराविहीन हस्तक्षेप के माध्यम से कार्य करेगा और मानदंडों और मानकों का अनुकूलन नहीं करने पर इसके पास एच.ई.आई. को दंडित करने की शक्तियां होंगी।
- सार्वजनिक और निजी उच्च शिक्षा संस्थानों को विनियमन, मान्यता और शैक्षणिक मानकों के लिए मानदंडों के समान सेट द्वारा शासित किया जाएगा।

✓ **शिक्षक शिक्षा**

- एक नए और व्यापक राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम ढांचे, एन.सी.एफ.टी.ई. 2021 को एन.सी.ई.आर.टी. के साथ परामर्श करके एन.सी.टी.ई. द्वारा बनाया जाएगा।
- वर्ष 2030 तक, शिक्षण के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4-वर्षीय एकीकृत बी.एड. डिग्री होगी।

- अवमानक स्टैंड-अलोन शिक्षक शिक्षा संस्थानों (टी.ई.आई.) के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

✓ **भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देना**

- सभी भारतीय भाषाओं के संरक्षण, विकास और जीवंतता को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय अनुवाद एवं व्याख्या संस्थान (आई.आई.टी.आई.), राष्ट्रीय पाली, पारसी एवं प्रकृति संस्थान (या संस्थानो) को स्थापित करने की सिफारिश की है
- यह अधिक एच.ई.आई. कार्यक्रमों में शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृभाषा/ स्थानीय भाषा के उपयोग पर जोर देता है।

C. वयस्क शिक्षा

- इस नीति का लक्ष्य 100% युवा और वयस्क साक्षरता हासिल करना है।

D. वित्तपोषण शिक्षा

- केंद्र और राज्य शिक्षा क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश को बढ़ाने के लिए जल्द से जल्द जी.डी.पी. के 6% तक पहुंचने के लिए मिलकर काम करेंगे।

टॉपिक- जी.एस. पेपर II - गवर्नेंस

स्रोत- पी.आई.बी.

मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर 'शिक्षा मंत्रालय' रखा गया है।

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय (एच.आर.डी.) का नाम बदलकर 'शिक्षा मंत्रालय' करने को मंजूरी प्रदान की है।

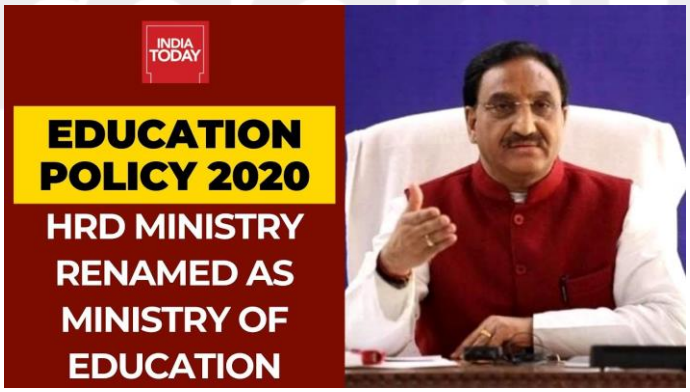

पृष्ठभूमि

- नाम परिवर्तन पूर्व इसरो प्रमुख के कस्तूरीरंगन द्वारा प्रस्तावित नई शिक्षा नीति के मसौदे की एक प्रमुख सिफारिश थी।
- वर्ष 1985 में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम अपनाया गया था, जिसे अब बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है।

संबंधित जानकारी

शिक्षा मंत्रालय (भारत)

- शिक्षा मंत्रालय (एम.ओ.ई.) को पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय (1985-2020) के नाम से जाना जाता था।

- यह भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन और सूत्रीकरण के लिए जिम्मेदार है और यह सुनिश्चित करने हेतु जिम्मेदार है कि इसे पुस्तकों और भाव में लागू किया गया है।
- इस मंत्रालय के प्रमुख वर्तमान में रमेश पोखरियाल है और यह मंत्रालय दो विभागों में विभाजित किया गया है:

a) स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, जो प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा, वयस्क शिक्षा और साक्षरता से संबंधित है।

b) उच्च शिक्षा विभाग, जो एक विश्वविद्यालय शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, छात्रवृत्ति आदि से संबंधित है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर II- गवर्नेंस

स्रोत- पी.आई.बी.

राष्ट्रीय पारगमन पास प्रणाली

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, सरकार ने वर्चुअल रूप से राष्ट्रीय पारमगन पास प्रणाली (एन.टी.पी.एस.) लॉन्च की है।

राष्ट्रीय पारमगन पास प्रणाली के संदर्भ में जानकारी

- एन.टी.पी.एस., मैनुअल पेपर-आधारित पारगमन प्रणाली को ऑनलाइन पारगमन प्रणाली से प्रतिस्थापित करेगा और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए लकड़ी, बांस और अन्य अप्रमुख वन उपज के पारगमन के लिए पूरे भारत हेतु एक परमिट लाएगा।
- यह परीक्षण परियोजना मध्य प्रदेश और तेलंगाना में कार्यात्मक होगी।
- यह प्रणाली सभी राज्यों में दिवाली तक परिचालन में होगी।
- राज्य सरकारों ने कई प्रजातियों को पारगमन परमिट की अनिवार्यताओं से मुक्त कर दिया है, हालाँकि, कई प्रजातियों को अभी भी पारगमन पास की आवश्यकता है।
- राष्ट्रीय पारगमन पास प्रणाली, पैन इंडिया पारमन पास को पूरे भारत में वन उपज के निर्बाध आवागमन की सुविधा प्रदान करता है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर II- गवर्नेंस

स्रोत- ए.आई.आर.

आत्महत्या के लिए उकसाना

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत से संबंधित विवाद ने एक नया मोड़ ले लिया है क्यों कि अभिनेता के पिता ने अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती और पांच अन्य लोगों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज कराया है।

'आत्महत्या के लिए उकसाने' के अपराध के संदर्भ में जानकारी

- भारतीय दंड संहिता, 1860 आत्महत्या के लिए उकसाने को दंडनीय अपराध मानती है।
- आई.पी.सी. की धारा 306 में कहा गया है कि "यदि कोई भी व्यक्ति आत्महत्या करता है, तो जिस व्यक्ति ने आत्महत्या करने के लिए उकसाया होगा तो उसे कारावास की सजा दी जाएगी, जिसे 10 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी लिया जा सकता है।"
- धारा 108
- आई.पी.सी. में उकसाने के लिए एक पृथक अध्याय दिया गया है, जिसमें वर्णित किया गया है कि धारा 108 के अंतर्गत उकसाने वाला व्यक्ति कौन है।
- उकसाने को भड़काने सहित किसी साजिश में शामिल होने या अपराध करने में सहायता करने के रूप में परिभाषित किया गया है।

उकसाने का अपराध कितना गंभीर है?

- आत्महत्या के लिए उसकाना, एक गंभीर अपराध है, जिसे सत्र न्यायालय में दर्ज किया जाता है और यह संज्ञेय, गैर-जमानती और गैर-संयोजनीय अपराध है।

संबंधित शब्द

- संज्ञेय अपराध, वह है जिसमें एक पुलिस अधिकारी अदालत से बिना वारंट के गिरफ्तारी कर सकता है।
- गैर-जमानती अपराध का अर्थ है कि अदालत के विवेक पर, न कि अधिकार के रूप में अभियुक्त को जमानत दी जाती है।
- गैर-संयोजनीय अपराध, वह है जिसमें शिकायतकर्ता द्वारा केस वापस नहीं लिया जा सकता है, यहां तक कि शिकायतकर्ता और अभियुक्त के बीच समझौता होने पर भी केस वापस नहीं लिया जा सकता है।
- अदालत एक गैर-संयोजनीय अपराध से संबंधित केस को वापस लेने की अनुमति नहीं दे सकती है और सुनवाई के बाद इस प्रकार की प्रत्येक शिकायत का आवश्यक रूप से अनुसरण किया जाता है, जहां अभियुक्त के खिलाफ साक्ष्य प्रस्तुत किया जाता है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर II- राजनीति

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे

सिना वीबो: चीनी सोशल मीडिया साइट

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चीनी सोशल मीडिया वेबसाइट वीबो पर आधिकारिक पेज उनकी तस्वीर को हटाने के साथ बंद कर दिया है और पिछले पांच वर्षों में किए गए सभी 115 पोस्ट भी हटा दिए गए हैं।
- यह श्रीमान मोदी की "वीबो कूटनीति" के अचानक अंत को चिन्हित करता है, जिसे वर्ष 2015 में धूमधाम के साथ चीन के लोगों के साथ सीधे संवाद करने के साधन के रूप में शुरू किया गया था, यह प्रधानमंत्री के रूप में उनकी चीन की पहली यात्रा के पहले शुरू किया गया था।

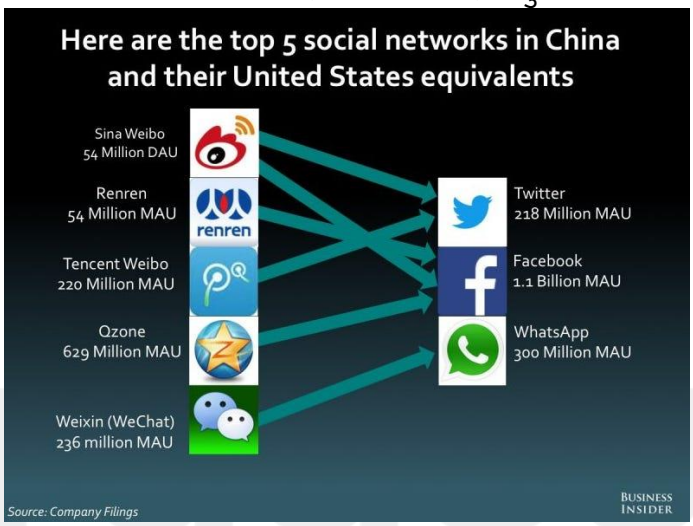

सीना वीबो के संदर्भ में जानकारी

- यह एक चीनी माइक्रोब्लॉगिंग (वीबो) वेबसाइट है, जिसे सीना कॉर्पोरेशन द्वारा 14 अगस्त, 2009 को लॉन्च किया गया था।
- यह चीन के सबसे बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों में से एक है, जिसमें वर्ष 2018 की तीसरी तिमाही तक 445 मिलियन से अधिक मासिक सक्रिय उपयोगकर्ता हैं।
- इसकी लोकप्रियता के कारण टेनसेंट वीबो, सोहू वीबो और नेटईज वीबो जैसे कई अन्य चीनी माइक्रोब्लॉगिंग/ वीबो सेवाओं के बावजूद मीडिया कभी-कभी इस प्लेटफ़ॉर्म को "वीबो" के रूप में संदर्भित करता है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर II- अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे

स्रोत- द हिंदू

स्थायी मध्यस्थता न्यायालय

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण के स्थायी मध्यस्थता न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि इतालवी मरीन ने 15 फरवरी, 2012 को केरल तट पर पानी में दो मछुआरों की हत्या करने की दोषी है, इसने "प्रतिरक्षा" आयोजित की है और भारत नहीं बल्कि इटली में मुकदमे का सामना करेंगी।

स्थायी मध्यस्थता न्यायालय के संदर्भ में जानकारी

- यह नीदरलैंड में हेग में स्थित एक अंतरसरकारी संगठन है।

- यह मध्यस्थता और अन्य शांतिपूर्ण साधनों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय विवादों के समाधान के लिए एक मंच प्रदान करने वाला पहला स्थायी अंतरसरकारी संगठन था।
- यह अंतर्राष्ट्रीय समझौते से सदस्य राज्यों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों या निजी पार्टियों के बीच उत्पन्न होने वाले विवादों को हल करने के लिए मध्यस्थ न्यायाधिकरण की सेवाएं प्रदान करता है।

सदस्य

- अब तक 167 देशों सहित संयुक्त राष्ट्र के पर्यवेक्षक राज्य फिलिस्तीन के साथ-साथ कुक आइलैंड्स, नीयू और यूरोपीय संघ सम्मेलन में शामिल हो चुके हैं।

अधिकार-क्षेत्र

- मुकदमों में क्षेत्रीय और समुद्री सीमाओं, संप्रभुता, मानवाधिकारों, अंतर्राष्ट्रीय निवेश और अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय व्यापार से संबंधित कानूनी मुद्दों की एक व्यापक श्रृंखला विस्तारित है।
- इसमें कोई न्यायाधीश नहीं हैं, इसके बजाय पार्टियां स्वयं मध्यस्थों का चयन करती हैं।
- यह संगठन, एक संयुक्त राष्ट्र एजेंसी नहीं है लेकिन इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा में पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है।
- स्थायी मध्यस्थता न्यायालय के फैसले बाध्यकारी हैं लेकिन इनके प्रवर्तन के लिए कोई शक्तियां नहीं हैं।

सम्बंधित जानकारी

समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (यू.एन.सी.एल.ओ.एस.) के संदर्भ में जानकारी

- यह अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, जो समुद्र के कानून पर तीसरे संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के परिणामस्वरूप हुआ है।
- यह संसाधनों और समुद्री पर्यावरण के संरक्षण और न्यायसंगत उपयोग और समुद्र के जीवित संसाधनों के संरक्षण और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए विश्व के समुद्रों और महासागरों के उपयोग के लिए एक विनियामक ढांचा प्रदान करता है।
- सम्मेलन ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तीन नए संस्थान बनाए हैं:
  a. सागर के कानून हेतु अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण
  b. अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण,
  c. महाद्वीपीय शेल्फ की सीमा पर आयोग
- सम्मेलन में आंतरिक जल सीमा क्षेत्र, क्षेत्रीय जल सीमा क्षेत्र, द्वीपसमूह जल सीमा क्षेत्र, सन्निहित जल सीमा क्षेत्र, विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र और महाद्वीपीय शेल्फ की स्पष्ट परिभाषा दी गई है।

- राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे गहन समुद्र तल क्षेत्रों में खनिज संसाधन शोषण को अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण और मानव जाति के सिद्धांत की सामान्य विरासत के माध्यम से विनियमित किया जाता है।

स्थलसीमा देशों हेतु विशेष प्रावधान

- यू.एन.सी.एल.ओ.एस. के अनुसार, स्थलसीमा राज्यों को पारगमन राज्यों के माध्यम से यातायात के कराधान के बिना समुद्र के दोनो ओर पहुंच का अधिकार दिया जाता है।
- स्थलसीमा और भौगोलिक रूप से वंचित राज्यों को समान क्षेत्र या उप-क्षेत्र के तटीय राज्यों के ई.ई.जेड. के जीवित संसाधनों के अधिशेष के एक उपयुक्त हिस्से के शोषण में समान आधार पर भाग लेने का अधिकार है।

नोट:

- डॉ. नीरू चड्ढा, समुद्र के कानून हेतु अंतर्राष्ट्रीय अधिकरण (आई.टी.एल.ओ.एस.) के न्यायाधीश के रूप में चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं, जो हैम्बर्ग, जर्मनी में सिथत है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर II- अंतर्राष्ट्रीय संगठन

स्रोत- द हिंदू

डब्ल्यू.एच.ओ. से अमेरिका के बाहर निकलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है।

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस को विश्व स्वास्थ्य संगठन से बाहर निकलने के लिए नोटिस भेजा है, जो 6 जुलाई, 2021 को एक वर्ष में प्रभावी होगा।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के संदर्भ में जानकारी

- यह अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य के प्रति जिम्मेदार संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है।
- इसका मुख्य उद्देश्य "स्वास्थ्य के उच्चतम संभावित स्तर की सभी लोगों द्वारा प्राप्ति करना" है।
- इसके 194 सदस्य देश हैं और इसका सचिवालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है।
- विश्व स्वास्थ्य सभा, डब्ल्यू.एच.ओ. का सर्वोच्च निर्णायक निकाय है, जिसमें सभी सदस्य राज्यों के प्रतिनिधिमंडल शामिल होते हैं।

विश्व स्वास्थ्य सभा के संदर्भ में जानकारी

- यह वह मंच है, जिसके माध्यम से डब्ल्यू.एच.ओ. अपने 194 सदस्य राज्यों द्वारा शासित होता है।
- यह विश्व का सर्वोच्च स्वास्थ्य नीति स्थापना निकाय है और यह सदस्य राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों से मिलकर बना है।
- विश्व स्वास्थ्य सभा के सदस्य सामान्यत: प्रत्येक वर्ष मई में जिनेवा में मिलते हैं, जहां डब्ल्यू.एच.ओ. का मुख्यालय है।

- विश्व स्वास्थ्य सभा के मुख्य कार्य संगठन की नीतियों को निर्धारित करना, महानिदेशक की नियुक्ति करना, वित्तीय नीतियों की निगरानी करना और प्रस्तावित कार्यक्रम बजट की समीक्षा करना और अनुमोदन करना है।

नोट:

- हाल ही में, विश्व स्वास्थ्य सभा में सदस्य राज्यों ने सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (यू.एच.सी.) पर तीन प्रस्तावों पर सहमति व्यक्त की है।
- उनका ध्यान निम्न पर केंद्रित है:

A. प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल
B. सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की भूमिका
C. यू.एच.सी. पर यू.एन.एन. महासभा की उच्च स्तरीय बैठक

टॉपिक- जी.एस. पेपर II- अंतर्राष्ट्रीय संगठन

स्रोत- द हिंदू

यू.ए.ई., भारत के साथ ओपेन स्काई समझौते के समर्थन में है।

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, यू.ए.ई., भारत के साथ एक ओपेन स्काई समझौता करने का इच्छुक है।

लाभ

- भारत का यू.ए.ई. सहित 109 देशों के साथ वायु सेवा समझौते (ए.एस.ए.) हैं लेकिन भारत दोनो देशों के बीच असीमित संख्या में उड़ानों की अनुमति नहीं देता है।
- भारत और यू.ए.ई. के बीच ओपेन स्काइस, एक दूसरे के देशों के चयनित शहरों के लिए असीमित संख्या में उड़ानों की अनुमति देगा।

ओपन स्काई समझौते के संदर्भ में जानकारी

- ओपन स्काई समझौता, एक द्विपक्षीय समझौता है जो दोनों देश अंतर्राष्ट्रीय यात्री और कार्गो सेवा प्रदान करने के लिए एयरलाइंस के लिए अधिकार प्रदान करने हेतु बातचीत करते हैं।
- यह अंतर्राष्ट्रीय यात्री और कार्गो उड़ानों का विस्तार करता है।

नोट:

- राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति 2016 के अनुसार, भारत की सार्क देशों के साथ नीति है और ये 5,000 किलोमीटर के दायरे से अधिक है।
- इससे तात्पर्य है कि इस दूरी के भीतर देशों को एक द्विपक्षीय समझौते में प्रवेश करने की आवश्यकता है और पारस्परिक रूप से उन उड़ानों की संख्या निर्धारित करनी है जो उनकी एयरलाइंस दोनों देशों के बीच संचालित कर सकती हैं।

टॉपिक- जी.एस. पेपर II- अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे

स्रोत- बिजनेस स्टैंडर्ड

संयुक्त राष्ट्र उच्च-स्तरीय राजनीतिक मंच

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, नीति आयोग ने सतत विकास, 2020 पर संयुक्त राष्ट्र उच्च-स्तरीय राजनीतिक मंच (एच.एल.पी.एफ.) पर भारत की दूसरी स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा (वी.एन.आर.) प्रस्तुत की है।

संयुक्त राष्ट्र उच्च स्तरीय राजनीतिक मंच के संदर्भ में जानकारी

- एच.एल.पी.एफ., संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक एवं सामाजिक परिषद (ECOSOC) के तत्वावधान में प्रत्येक वर्ष जुलाई में आठ दिवसीय एच.एल.पी.एफ. की बैठक आयोजित करता है, यह वार्षिक प्रगति के अनुवर्ती और समीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मंच है।

संबंधित जानकारी

इंडिया वी.एन.आर. 2020 के संदर्भ में जानकारी

- नीति आयोग ने कार्रवाई का दशक: एस.डी.जी. को वैश्विक से स्थानीय बनाना नामक शीर्षक से इंडिया वी.एन.आर. 2020 रिपोर्ट जारी की है।
- भारत ने अपने वी.एन.आर. को बांग्लादेश, जॉर्जिया, केन्या, मोरक्को, नेपाल, नाइजर, नाइजीरिया और युगांडा जैसे दूसरी बार प्रस्तुतकर्ताओं के साथ प्रस्तुत किया था।
- एच.एल.पी.एफ. में सदस्य राज्यों द्वारा प्रस्तुत किया गया वी.एन.आर., 2030 एजेंडा और एस.डी.जी. की प्रगति और कार्यान्वयन की समीक्षा का एक महत्वपूर्ण घटक हैं।
- नीति आयोग के पास राष्ट्रीय और उप-राष्ट्रीय स्तर पर एस.डी.जी. को अपनाने और निगरानी की देखरेख करने का शासनादेश है।
- इंडिया वी.एन.आर. 2020, संपूर्ण समाज के दृष्टिकोण और सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण के लिए अपनी प्रतिबद्धता हेतु नीति आयोग के प्रयासों का प्रतिनिधित्व करता है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर II- अंतर्राष्ट्रीय संगठन

स्रोत- पी.आई.बी.

संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद (ECOSOC)

खबरों में क्यों है?

- संयुक्त राष्ट्र की 75वीं वर्षगांठ पर, प्रधानमंत्री वर्चुअल रूप से संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद (ECOSOC) के उच्च-स्तरीय खंड की स्वास्तिवाचनिक को संबोधित करेंगे।

संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के संदर्भ में जानकारी

- संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, संयुक्त राष्ट्र के छह प्रमुख अंगों में से एक है।

- इसमें 54 सदस्य राज्य शामिल हैं, जो तीन वर्ष के कार्यकाल के लिए महासभा द्वारा वार्षिक रूप से चुने जाते हैं।

कार्य

- ECOSOC, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करने और संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राज्यों को संबोधित नीतिगत सिफारिशों को तैयार करने के लिए केंद्रीय मंच के रूप में कार्य करता है।
- यह संगठन के आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों के समन्वय हेतु भी जिम्मेदार है।
- संयुक्त राष्ट्र के काम में भाग लेने के लिए परिषद द्वारा 1600 से अधिक गैर-सरकारी संगठनों को परामर्शी का दर्जा प्रदान किया गया है।

ECOSOC के वार्षिक उच्च-स्तरीय खंड में शामिल हैं:

A. उच्च-स्तरीय राजनीतिक फोरम, जो सतत विकास के लिए राजनीतिक नेतृत्व, मार्गदर्शन और सिफारिशें प्रदान करता है और सतत विकास प्रतिबद्धताओं को लागू करने में प्रगति की समीक्षा करता है।
B. विकास सहयोग मंच, जो विकास सहयोग में रूझानों और प्रगति की समीक्षा करने में मदद करता है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर II- अंतर्राष्ट्रीय संगठन

स्रोत- पी.आई.बी.

कोविड 19 से लड़ने के लिए जी20 कार्रवाई योजना

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा है कि जी20 कार्रवाई योजना, कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए सामूहिक प्रतिबद्धता की अभिव्यक्ति है और संकट के विकसित होने पर भी यह प्रासंगिक और प्रभावी बना रहना चाहिए।

जी20 कार्रवाई योजना का महत्व

- इसमें स्वास्थ्य देखभाल, आर्थिक और राजकोषीय प्रतिक्रियाएं शामिल हैं जिन्हें जी20 सदस्यों ने करने के लिए सहमति व्यक्त की है।

- इसमें एक मजबूत और स्थायी वैश्विक अर्थव्यवस्था में वापसी सुनिश्चित करने के उपाय, जरूरत के समय देशों की सहायता करने का प्रावधान शामिल है।
- इसका उद्देश्य जीवन की रक्षा करना, लोगों की नौकरियों और आय की रक्षा करना, विश्वास बहाल करना, वित्तीय स्थिरता को बनाए रखना, विकास को पुनर्जीवित करना और मजबूती से वापसी करना, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान को कम करना, सहायता की आवश्यकता में सभी देशों को सहायता प्रदान करना और सार्वजनिक स्वास्थ्य और वित्तीय उपायों पर समन्वय करना है।
- इसे आर्थिक और सामाजिक क्षति को कम करने, वैश्विक विकास को बहाल करने, बाजार की स्थिरता को बनाए रखने और नौकरियों और घरेलू आय का समर्थन करके लचीलापन का समर्थन करने हेतु प्रदान किया गया था।

संबंधित जानकारी

जी20 के संदर्भ में जानकारी

यह एक अंतरराष्ट्रीय मंच है, जो दुनिया की अग्रणी औद्योगिक और उभरती अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाता है।

सदस्य

- इसके सदस्यों में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यू.के., यू.एस., रूस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सऊदी अरब, भारत, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, अर्जेंटीना, ब्राजील, मैक्सिको, चीन और इंडोनेशिया और यूरोपीय संघ शामिल हैं।
- इसके सदस्यों को पांच समूहों में विभाजित किया गया है, जिसमें अध्यक्ष चुनने के लिए अधिकतम चार राज्य शामिल हैं:
  a. समूह 1: ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, सऊदी अरब
  b. समूह 2: भारत, रूस, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की
  c. समूह 3: अर्जेंटीना, ब्राजील, मैक्सिको
  d. समूह 4: फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम
  e. समूह 5: चीन, इंडोनेशिया, जापान, दक्षिण कोरिया
- स्पेन, एक स्थायी अतिथि है और हमेशा जी20 शिखर सम्मेलन में भाग लेता है।
- अध्यक्ष को सदस्य देशों के बीच एक घूर्णन प्रणाली द्वारा चुना जाता है।

हाल ही हुए विकास

- वर्ष 2019 में, जापान के ओसाका में जी-20 बैठक का 14वां संस्करण आयोजित किया गया था।
- इसका उद्देश्य डिजिटल व्यापार पर अनौपचारिक बहुपक्षीय (दो या अधिक देशों) वार्ताओं को वैध बनाना है, जो विश्व व्यापार संगठन में कभी अनुमोदित नहीं हुई थीं।
- इसमें "डिजिटल अर्थव्यवस्था" पर "ओसाका ट्रैक" शुरू किया गया था और जी-20 देशों की भागीदारी की मांग की गई है।
- ओसाका ट्रैक "अंतर्राष्ट्रीय नीति चर्चाओं को बढ़ावा देने के साथ ही अन्य बातों के अतिरिक्त, डब्ल्यू.टी.ओ. में इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के व्यापार से संबंधित पहलुओं पर अंतर्राष्ट्रीय नियम बनाने हेतु" एक प्रक्रिया है।
- भारत, दक्षिण अफ्रीका और इंडोनेशिया ने "डिजिटल अर्थव्यवस्था" पर "ओसाका ट्रैक" का बहिष्कार किया है।
- ओसाका घोषणापत्र ने यू.एन.एस.सी. संकल्प 2462 का स्वागत किया था, जो विशेष रूप से अपने नए रूपों में देशों से आतंकवाद के वित्तपोषण को रोकने और उसका मुकाबला करने के लिए कहता है।

नोट:

- भारत, पहली बार वर्ष 2022 में वार्षिक जी20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा।

टॉपिक- जी.एस. पेपर II- अंतर्राष्ट्रीय संगठन

स्रोत- द हिंदू

ऑपरेशन लीजेंड

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने विस्तारित 'ऑपरेशन लीजेंड' के हिस्से के रूप में शिकागो सहित डेमोक्रेट द्वारा संचालित शहरों में "संघीय कानून प्रवर्तन में वृद्धि" की घोषणा की है।

ऑपरेशन लीजेंड के संदर्भ में जानकारी

- यह अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के प्रशासन द्वारा शुरू किया गया एक संघीय कानून प्रवर्तन ऑपरेशन है।
- इस ऑपरेशन का नाम चार वर्षीय लीजेंड टैलिफ़ेर्रो के नाम पर रखा गया था, जिसकी 29 जून, 2020 को कैनसस सिटी, मिसौरी में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
- इसे राष्ट्रपति ट्रम्प द्वारा जॉर्ज फ्लॉयड के विरोध के मद्देनजर हिंसक अपराधों पर स्थानीय पुलिस की मदद ली जा सकने के लिए संघीय कानून प्रवर्तन एजेंटों को तैनात करने के बाद लागू किया था।
- 25 मई को मिनिपोलिस में पुलिस के हाथों जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या के बाद से नस्लवाद विरोधी प्रदर्शनकारी, पुलिस सुधारों की मांग के लिए शहर की सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।
- 25 मई को मिनिपोलिस में पुलिस के हाथों जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या के बाद से नस्लवाद विरोधी प्रदर्शनकारी, पुलिस सुधारों की मांग के लिए शहर की सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।
- जुलाई की शुरूआत में, संघीय सैनिकों को "संघीय संपत्ति की रक्षा करने के लिए" शहर में ले जाया गया था, लेकिन प्राय: प्रदर्शनकारियों के साथ हिंसक झड़प हो जाती थी और कई लोगों को अप्रत्यक्ष वाहनों में बंद कर दिया गया था।

टॉपिक- जी.एस. पेपर II- अंतर्राष्ट्रीय संबंध

स्रोत- द हिंदू

इस्तांबुल सम्मेलन: पोलैंड, महिलाओं के खिलाफ हिंसा पर यूरोपीय संधि छोड़ने जा रहा है।

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, पोलैंड, महिलाओं के खिलाफ हिंसा पर यूरोपीय संधि से हटने के लिए तैयार है, जिसकी दक्षिणपंथी कैबिनेट का कहना है कि बच्चों को लिंग के बारे में पढ़ाने के लिए स्कूलों की आवश्यकता द्वारा माता-पिता के अधिकारों का उल्लंघन होता है।

इस्तांबुल सम्मेलन के संदर्भ में जानकारी

- इसे महिलाओं और घरेलू हिंसा के खिलाफ हिंसा को रोकने और हिंसा का मुकाबला करने के लिए यूरोपीय सम्मेलन परिषद के रूप में भी जाना जाता है।

- यह महिलाओं के खिलाफ हिंसा और घरेलू हिंसा के खिलाफ यूरोपीय परिषद की एक मानवाधिकार संधि है, जिसे इस्तांबुल, तुर्की में 11 मई, 2011 को हस्ताक्षर के लिए खोला गया था।
- इस सम्मेलन का उद्देश्य हिंसा की रोकथाम करना, पीड़ितों की सुरक्षा करना और "अपराधियों की सजा माफी को समाप्त करना" है।
- मार्च 2019 तक, इसे 45 देशों और यूरोपीय संघ द्वारा हस्ताक्षरित किया गया है।

नोट:

- तुर्की, 12 मार्च, 2012 को सम्मेलन की पुष्टि करने वाला पहला देश बन गया है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर II- महिला सशक्तिकरण

स्रोत- बी.बी.सी. न्यूज

अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकास

आपातकालीन ऋण सीमा गारंटी योजना

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, बैंको ने कोविड-19 प्रेरित आर्थिक मंदी के अंतर्गत एम.एस.एम.ई. क्षेत्र के लिए 3 लाख करोड़ की आपातकालीन ऋण सीमा गारंटी योजना (ई.सी.एल.जी.एस.) के अंतर्गत 1 लाख-करोड़ से अधिक के ऋण को मंजूरी प्रदान की है।

आपातकालीन ऋण सीमा गारंटी योजना के संदर्भ में जानकारी

- यह योजना पिछले महीने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा घोषित 20 लाख करोड़ रूपये के आत्मनिर्भर भारत अभियान का सबसे महत्वपूर्ण राजकोषीय घटक है।
- वित्त मंत्रालय द्वारा जारी ई.सी.एल.जी.एस. पर नवीनतम आंकड़ों में सभी 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (पी.एस.बी.), 20 निजी क्षेत्र के बैंक और 8 एन.बी.एफ.सी. शामिल हैं। इस योजना के अंतर्गत, पात्र एम.एस.एम.ई और रूचिकर मुद्रा ऋणप्राप्तकर्ताओं को 3 लाख करोड़ रूपए तक के अतिरिक्त वित्तपोषण हेतु राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एन.जी.सी.टी.सी.) द्वारा 100 प्रतिशत गारंटी कवरेज प्रदान किया जाएगा।
- यह ऋण, एक गारंटीकृत आपातकालीन ऋण सीमा (जी.ई.सी.एल.) सुविधा के रूप में प्रदान किया जाएगा।
- यह योजना, योजना की घोषणा की तारीख से 31.10.2020 की अवधि के दौरान जी.ई.सी.एल. सुविधा के अंतर्गत स्वीकृत सभी ऋणों पर लागू होगी।

लक्ष्य और उद्देष्य

- इस योजना का उद्देश्य एम.एस.एम.ई. द्वारा सामना किए गए आर्थिक संकट को कम करने के लिए उन्हें पूर्णतया गारंटीकृत आपातकालीन ऋण सीमा के रूप में अतिरिक्त वित्तपोषण प्रदान करना है।
- इसका मुख्य उद्देश्य सदस्य ऋणप्रदाता संस्थानों (एम.एल.आई.) अर्थात बैंकों, वित्तीय संस्थानों (एफ.आई.) और एन.बी.एस.सी. को प्रोत्साहन राशि प्रदान करना है जिससे कि पहुँच को बढ़ाया जा सके और एम.एस.एम.ई. उधारकर्ताओं के लिए अतिरिक्त वित्तपोषण सुविधा की उपलब्धता को सक्षम जा सके।
- इसका उद्देश्य उधारकर्ताओं द्वारा जी.ई.सी.एल. वित्त पोषण का पुनर्भुगतान न करने के कारण उन्हें होने वाली किसी भी हानि के लिए 100 प्रतिशत गारंटी प्रदान करना है।

प्रमुख विशेषताएं

- जी.ई.सी.एल. के अंतर्गत संपूर्ण वित्तपोषण ई.सी.एल.जी.एस. के अंतर्गत एम.एल.आई. को एन.सी.जी.टी.सी. द्वारा 100% क्रेडिट गारंटी के साथ प्रदान किया जाएगा।

ऋण अवधि

- योजना के अंतर्गत ऋण की अवधि, मूलधन राशि पर एक वर्ष की अधिस्थगन अवधि के साथ चार वर्ष होगी।
- एन.सी.जी.टी.सी., योजना के अंतर्गत सदस्य ऋणप्रदाता संस्थानों (एम.एल.आई.) से कोई गारंटी शुल्क नहीं लेगा।
- इस योजना के अंतर्गत ब्याज दरों को बैंकों और एफ.आई. के लिए 9.25% और एन.बी.एफ.सी. के लिए 14% पर निर्धारित किया जाएगा।

टॉपिक- जी.एस. पेपर III- अर्थशास्त्र

स्रोत- द हिंदू

आर.बी.आई. ने एस.पी.वी. के माध्यम से एन.बी.एफ.सी. और एच.एफ.सी. के लिए विशेष तरलता योजना की घोषणा की है।

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, भारतीय रिज़र्व बैंक (आर.बी.आई.) ने कहा है कि भारतीय स्टेट बैंक की एस.बी.आई.कैप इकाई एक विशेष प्रयोजन वाहन (एस.पी.वी.) स्थापित करेगी।
- इसका लक्ष्य प्रयोजन के लिए विशेष तरलता योजना (एस.एल.एस.) के लिए केंद्र की मंजूरी के बाद एन.बी.एफ.सी. और एच.एफ.सी. की तरलता में सुधार करने हेतु उनकी सहायता करना है।

विशेष तरलता योजना के संदर्भ में जानकारी

- इस योजना का उद्देश्य गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों (एन.बी.एफ.सी.) और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों (एच.एफ.सी.) की तरलता की स्थिति में सुधार करना है।
- आर.बी.आई., ट्रस्ट द्वारा जारी की गई सरकार द्वारा गारंटीकृत विशेष प्रतिभूतियों की सदस्यता लेकर योजना के लिए धन प्रदान करेगा।
- जारी की गई ऐसी प्रतिभूतियों की कुल राशि किसी भी समय 30,000 करोड़ रूपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- भारत सरकार, ट्रस्ट द्वारा जारी विशेष प्रतिभूतियों के लिए बिना शर्त और अपरिवर्तनीय गारंटी प्रदान करेगी।

योजना की पात्रता

i. गैर-बैंकिंग वितीय कंपनी (एन.बी.एफ.सी.), जिनमें प्रमुख निवेश कंपनियों के रूप में पंजीकृत कंपनियों को छोड़कर भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के अंतर्गत आर.बी.आई. के साथ पंजीकृत माइक्रोफाइनैंस संस्थान भी शामिल हैं।

ii. राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 के अंतर्गत पंजीकृत हाउसिंग फाइनैंस कंपनियां हैं।
iii. एन.बी.एफ.सी./ एच.एफ.सी. की सी.आर.ए.आर./ सी.ए.आर. विनियामक न्यूनतम अर्थात 31 मार्च, 2019 तक क्रमशः 15% और 12% से नीचे नहीं होना चाहिए।
iv. 31 मार्च, 2019 तक कुल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां 6% से अधिक नहीं होनी चाहिए।
v. उन्हें पिछले दो वित्तीय वर्षों (अर्थात 2017-18 और 2018-19) में से कम से कम एक में कुल लाभ होना चाहिए।
vi. इन्हें 01 अगस्त, 2018 से पहले पिछले एक वर्ष के दौरान किसी भी बैंक द्वारा एस.एम.ए.-1 या एस.एम.ए.-2 श्रेणी के अंतर्गत रिपोर्ट नहीं किया जाना चाहिए।
vii. उन्हें एक सेबी पंजीकृत रेटिंग एजेंसी द्वारा निवेश ग्रेड दिया जाना चाहिए।
viii. उन्हें इकाई से उचित स्तर के संपार्श्विक के लिए एस.पी.वी. की अनिवार्यताओं का अनुपालन करना चाहिए, जो हालांकि, वैकल्पिक होंगी और एस.पी.वी. द्वारा निर्धारित की जाएगी।

टॉपिक- जी.एस. पेपर III- अर्थशास्त्र

स्रोत- द हिंदू

अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (आई.एफ.एस.सी.ए.) के अध्यक्ष के रूप में इंजेती श्रीनिवास की नियुक्ति को मंजूरी प्रदान की है।

अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के संदर्भ में जानकारी

- यह गांधीनगर (गुजरात) में मुख्यालय के साथ अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों (आई.एफ.एस.सी.) में सभी वित्तीय सेवाओं को विनियमित करने का प्राधिकरण है।

कार्य

- यह प्राधिकरण वित्तीय उत्पादों (जैसे प्रतिभूतियों, बीमा के जमा या अनुबंध), वित्तीय सेवाओं और वित्तीय संस्थानों को विनियमित करेगा, जिन्हें पहले एक आई.एफ.एस.सी. में किसी उपयुक्त विनियामक (जैसे आर.बी.आई. या सेबी) द्वारा अनुमोदित किया गया है।
- यह उन सभी प्रक्रियाओं का पालन करेगा, जो इस प्रकार के वित्तीय उत्पादों, वित्तीय सेवाओं और वित्तीय संस्थानों पर उनके संबंधित कानूनों के अंतर्गत लागू होती हैं।
- उपयुक्त विनियामकों को विधेयक की अनुसूची में सूचीबद्ध किया गया है और इसमें आर.बी.आई., सेबी, इरडा और पी.एफ.आर.डी.ए. शामिल हैं।
- केंद्र सरकार, एक अधिसूचना के माध्यम से इस अनुसूची में संशोधन कर सकती है।

सदस्य:

- अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण में नौ सदस्य शामिल होंगे, जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा।
- इसमें प्राधिकरण के अध्यक्ष, आर.बी.आई., सेबी, भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) और पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (पी.एफ.आर.डी.ए.) में से प्रत्येक से एक सदस्य को और वित्त मंत्रालय के दो सदस्यों को शामिल किया जाएगा।
- इसके अतिरिक्त, दो अन्य सदस्यों को एक चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर नियुक्त किया जाएगा।

अवधि

- आई.एफ.एस.सी. प्राधिकरण के सभी सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा, जो पुनर्नियुक्ति के अधीन होगा।

गिफ्ट सिटी के संदर्भ में जानकारी

- गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक (GIFT) सिटी, एक केंद्रीय व्यापार जिला है, जो गुजरात के अहमदाबाद और गांधीनगर के बीच विशेष आर्थिक क्षेत्र टैग के साथ बनाया जा रहा है।
- इसका मुख्य उद्देश्य उच्च-गुणवत्ता वाली भौतिक अवसंरचना (बिजली, पानी, गैस, जिला शीतलन, सड़कें, दूरसंचार और ब्रॉडबैंड) प्रदान करना है जिससे कि वित्त और तकनीकी फर्में इसमें अपने परिचालन को स्थानांतरित कर सकें।
- GIFTCL, गुजरात शहरी विकास कंपनी लिमिटेड (GUDCOL) और इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज (आई.एल. एंड एफ.एस.) का संयुक्त उपक्रम है
- गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी कंपनी लिमिटेड (GIFTCL), परियोजना के विकास और कार्यान्वयन हेतु जिम्मेदार है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर III- अर्थशास्त्र

स्रोत- द हिंदू

सड़कों की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए एन.एच.ए.आई. राजमार्गों को रैंक प्रदान करेगा।

खबरों में क्यों है?

- भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एन.एच.ए.आई.) देश भर में सड़कों और गतिशीलता की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए पूरे देश में एक प्रदर्शन मूल्यांकन का आयोजन करेगा और राजमार्गों का रैंक प्रदान करेगा।

रैंकिंग प्रक्रिया के संदर्भ में जानकारी

- मूल्यांकन मापदंड, भारतीय संदर्भ में राजमार्गों के प्रदर्शन को बेंचमार्क करने के लिए विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं और अध्ययनों पर आधारित होंगे।
- राजमार्ग दक्षता पर 45% का उच्चतम भार, सुरक्षा पर 35% और उपयोगकर्ता सेवाओं पर 20% का भार होगा।

- अन्य महत्वपूर्ण मापदंडों में संचालन गति, मूल्यांकन नियंत्रण, टोल प्लाजा पर लगने वाला समय, रोड साइनेज और मार्किंग, दुर्घटना दर, घटना प्रतिक्रिया समय, क्रैश बैरियर, रोशनी, उन्नत यातायात प्रबंध प्रणाली (ए.टी.एम.) की उपलब्धता आदि शामिल होंगे।
- सभी गलियारों की समग्र रैंकिंग के अतिरिक्त, बी.ओ.टी. (निर्माण-संचालन-स्थानांतरण), एच.ए.एम. (हाइब्रिड एन्युइटी मॉडल) और ई.पी.सी. (इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण) परियोजनाओं के लिए भी अलग-अलग रैंकिंग की जाएगी।

महत्व

- प्रत्येक मापदंड में प्रत्येक गलियारे द्वारा प्राप्त स्कोर मौजूदा राजमार्गों को बेहतर बनाने के लिए संचालन के उच्च मानकों, बेहतर सुरक्षा और उपयोगकर्ता अनुभव के लिए प्रतिक्रिया और सुधारात्मक सहायता प्रदान करेगा।
- यह एन.एच.ए.आई. की अन्य परियोजनाओं के लिए डिजाइन, मानकों, प्रथाओं, दिशानिर्देशों और अनुबंध समझौतों के अंतराल को पहचानने और उनके बीच अंतर को दूर करने में मदद करेगा।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 3- इन्फ्रास्ट्रक्चर

स्रोत- द हिंदू

समकारी करारोपण (डिजिटल टैक्स)

खबरों में क्यों है?

- सरकार अनिवासी ई-कॉमर्स खिलाड़ियों द्वारा समकारी करारोपण (डिजिटल टैक्स का एक प्रकार) के भुगतान की समय सीमा बढ़ाने पर विचार नहीं कर रही है।
- इसे गूगल कर के नाम से भी जाना जाता है।

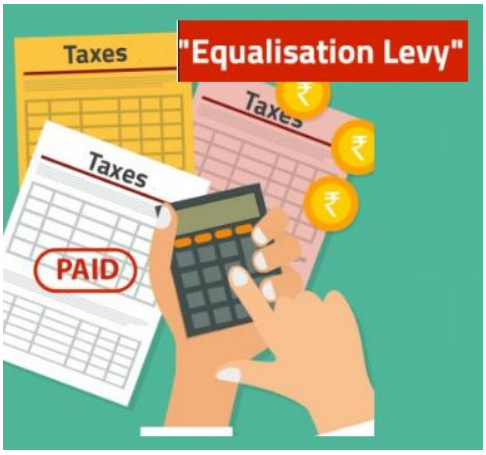

पृष्ठभूमि

- वर्ष 2020-21 के बजट में 2 प्रतिशत समकारी करारोपण पेश किया गया था और यह 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी हो गया है।
- अप्रैल-जून के लिए कर की पहली किस्त के भुगतान की समय सीमा 7 जुलाई है।
- यह कर, माल या सेवाओं की ऑनलाइन आपूर्ति करने वाले ई-कॉमर्स ऑपरेटरों द्वारा प्राप्त विचार पर लगाया जाएगा।

समकारी करारोपण के संदर्भ में जानकारी

- डिजिटल लेन-देन पर अर्थात भारत से विदेशी ई-कॉमर्स कंपनियों को होने वाली आय पर कर लगाने के इरादे से वर्ष 2016 में भारत में समकारी करारोपण की शुरुआत की गई थी।
- इसका उद्देश्य व्यापार से व्यापार लेनदेन के लिए कर लेना है।

समकारी करारोपण की प्रयोज्यता

- समकारी करारोपण, एक प्रत्यक्ष कर है, जिसे सेवा प्राप्तकर्ता द्वारा भुगतान के समय रोक दिया जाता है।
- समकारी करारोपण का भुगतान करने हेतु उत्तरदायी होने के लिए दो शर्तों को पूरा करना चाहिए:
  I. एक अनिवासी सेवा प्रदाता को भुगतान किया जाना चाहिए।
  II. एक सेवा प्रदाता को एक वित्तीय वर्ष में किया गया वार्षिक भुगतान 1, 00, 000 रूपए से अधिक होना चाहिए।

समाकरी करारोपण के अंतर्गत शामिल की गई सेवाएं

- वर्तमान में, सभी सेवाएं समकारी करारोपण के दायरे में नहीं आती हैं।
- निम्नलिखित सेवाएं शामिल हैं:
  a. ऑनलाइन विज्ञापन
  b. ऑनलाइन विज्ञापन के उद्देश्य से डिजिटल विज्ञापन स्थान या सुविधाओं/ सेवा के लिए कोई प्रावधान

नोट:

ई-कॉमर्स आपूर्ति या सेवाओं का अर्थ है-

I. ई-कॉमर्स ऑपरेटर के स्वामित्व वाले उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री या
II. ई-कॉमर्स ऑपरेटर द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं का ऑनलाइन प्रावधान या
III. उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री या सेवाओं का प्रावधान या दोनों की सुविधा ई-कॉमर्स ऑपरेटर द्वारा प्रदान की जाती है या
IV. खण्ड (i), (ii) या खण्ड (iii) में सूचीबद्ध गतिविधियों का कोई भी संयोजन

टॉपिक- जी.एस. पेपर III- अर्थशास्त्र

स्रोत- द हिंदू

असीम पोर्टल

खबरों में क्यों है?

- केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने आत्मनिर्भर कौशल कर्मचारी-नियोक्ता मानचित्रण (ए.एस.ई.ई.एम.) पोर्टल लॉन्च किया है।

असीम पोर्टल के संदर्भ में जानकारी

- असीम पोर्टल, नियोक्ताओं को एक कुशल कार्यबल की उपलब्धता का मूल्यांकन करने और उनकी भर्ती योजनाओं को तैयार करने के लिए एक प्लेटफार्म प्रदान करेगा।
- यह पोर्टल क्षेत्रों और स्थानीय उद्योग की मांगों के आधार पर श्रमिकों के विवरणों का मानचित्रण करेगा और पूरे क्षेत्रों में कुशल कर्मचारियों की मांग-आपूर्ति के अंतर को दूर करेगा।
- यह उन सभी डेटा, रूझानों और विश्लेषणों को संदर्भित करता है जो कार्यबल बाजार का वर्णन करता है और आपूर्ति के लिए कुशल कार्यबल का मानचित्रण करता है।
- इसमें एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता-आधारित प्लेटफॉर्म है, जो प्रासंगिक कौशल आवश्यकताओं और रोजगार की संभावनाओं की पहचान करके वास्तविक समय की बारीक जानकारी प्रदान करेगा।
- असीम पोर्टल और ऐप में नौकरी की भूमिकाओं, क्षेत्रों और भौगोलिक क्षेत्रों के श्रमिकों के लिए पंजीकरण और डेटा अपलोड का प्रावधान होगा।

टॉपिक- जी.एस. पेपर III- अर्थशास्त्र

स्रोत- ए.आई.आर.

ईरान ने चाबहार रेल परियोजना से भारत को हटा दिया है।

- हाल ही में, ईरानी सरकार ने चाबहार रेल परियोजना के निर्माण के लिए स्वयं से आगे बढ़ने का फैसला किया है, जिसमें भारतीय पक्ष से वित्तपोषण और परियोजना को शुरू करने में देरी का हवाला दिया गया है।
- यह विकास तब हुआ है जब चीन ने ईरान के साथ बड़े पैमाने पर 25-वर्षीय 400 बिलियन डॉलर की रणनीतिक साझेदारी को अंतिम रूप दिया है, जिससे भारत की योजनाएं धूमिल हो सकती हैं।

Gradeup Green Card
Unlimited Access to All Mock Tests of State PCS Exams
CHECK HERE

संबंधित जानकारी

- हाल ही में, ईरानी परिवहन एवं शहरी विकास ने 628 किलोमीटर लंबी चाबहार-ज़ाहेदान लाइन के लिए ट्रैक-बिछाने की प्रक्रिया का अनावरण किया है, जिसे अफगानिस्तान में सीमा पार जरांज तक विस्तारित किया जाएगा।
- मार्च, 2022 तक पूरी परियोजना पूरी हो जाएगी।

पृष्ठभूमि

- चाबहार रेल परियोजना, चाबहार-ज़ाहेदान रेलवे का निर्माण करने के लिए "भारत, ईरान और अफगानिस्तान के बीच एक त्रिपक्षीय समझौते में पारगमन एवं परिवहन गलियारे के हिस्से" के रूप में थी।
- यह परियोजना अफगानिस्तान और मध्य एशिया के लिए एक वैकल्पिक व्यापार मार्ग बनाने के लिए भारत, ईरान और अफगानिस्तान के बीच त्रिपक्षीय समझौते के लिए भारत की प्रतिबद्धता का हिस्सा थी।
- भारतीय रेलवे निर्माण लिमिटेड (इरकॉन) ने परियोजना के लिए सभी सेवाएं, अधिरचना कार्य और वित्तपोषण प्रदान करने का वादा किया था।

भारत पर प्रभाव

- ईरान-चीन सौदा, भारत के ईरान के साथ "रणनीतिक संबंधों" और चाबहार बंदरगाह के उपयोग पर दरार डालता है।
- बंदर-ए-जैक बंदरगाह, चाबहार के पश्चिम में और होर्मुज जलडमरूमध्य से ठीक पहले स्थित है।
- चीन इस प्रकार पाकिस्तान-ईरान तट के किनारे अपने नियंत्रण का विस्तार करेगा।

टॉपिक- जी.एस. पेपर III- अवसंरचना

स्रोत- द हिंदू

तमिलनाडु-कर्नाटक आर्थिक गलियारा

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, पर्यावरण मंत्रालय की विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति ने तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच एक आर्थिक गलियारे, सैटेलाइट टाउन रिंग रोड (एस.टी.आर.आर.) के विकास के लिए पर्यावरणीय मंजूरी देने की सिफारिश की है।

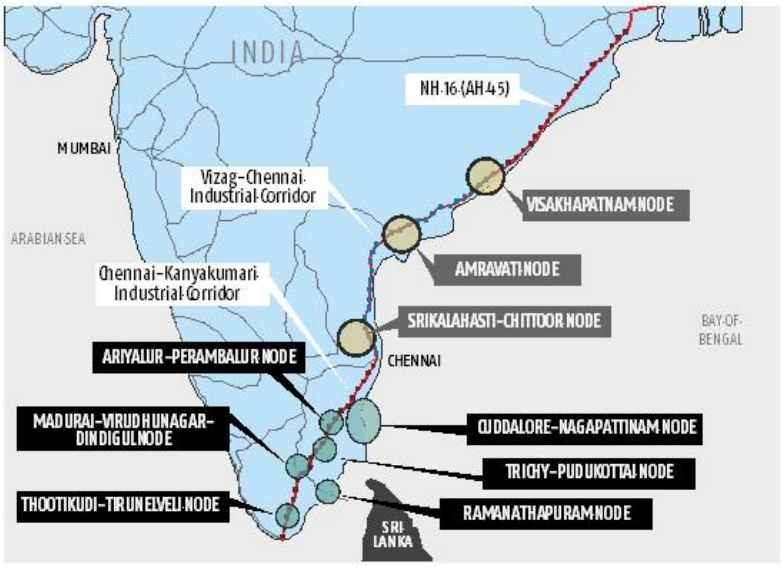

आर्थिक गलियारे के संदर्भ में जानकारी

- यह गलियारा, भारतमाला योजना का एक हिस्सा है।
- यह एक ग्रीनफील्ड राजमार्ग है और इसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा लागू किया जाएगा।
- यह परियोजना कर्नाटक में डबासपेट में शुरू होगी और तमिलनाडु-कर्नाटक सीमा पर देवरापल्ली गांव के निकट समाप्त होगी।

भारतमाला परियोजना के संदर्भ में जानकारी

- यह राजमार्ग क्षेत्र के लिए एक नया छतरी कार्यक्रम है, जो देश भर में माल और यात्रियों के आवागमन की दक्षता को अनुकूलित करने पर केंद्रित है।
- यह भारत सरकार की एक केन्द्रीय प्रायोजित और वित्तपोषित सड़क एवं राजमार्ग परियोजना है।
- यह सागरमाला, समर्पित फ्रेट गलियारा और औद्योगिक गलियारों, उड़ान-आर.सी.एस., भारत नेट, डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया जैसी भारत सरकार की अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं के संबल और लाभार्थी दोनो है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर III- अवसंरचना

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

भारत डिजिटलीकरण हेतु गूगल कोष

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, अमेरिकी प्रौद्योगिकी दिग्गज गूगल अगले पांच-सात वर्षों में भारत में 'भारत डिजिटलीकरण कोष' के रूप में 10 बिलियन डॉलर का निवेश करेगा।

- यह निधि निम्न प्रकार के क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेगी:
  a. उपभोक्ता तकनीक, शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि जैसे क्षेत्रों में नए उत्पादों और सेवाओं के निर्माण में प्रत्येक भारतीय के लिए उसकी भाषा में इंटरनेट और सूचना तक सस्ती पहुंच को सक्षम बनाना है।
  b. व्यवसायों को विशेष रूप से छोटे और मध्यम व्यवसायों को डिजिटल रूप से बदलने के लिए सशक्त बनाना आदि हैं।

इस निधि का महत्व

- यह भारत की इंटरनेट पाई में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए गूगल जैसे तकनीकी बड़ी कंपनियों के लिए एक अवसर प्रस्तुत करेगा।
- भारत में निवेश करने वाली चीनी कंपनियों के लिए संभावित बाधाएं अमेरिकी दिग्गजों के लिए बाजार में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए बेहतर संभावनाएं प्रदान कर सकती हैं, जिसमें दुनिया के दूसरे सबसे अधिक इंटरनेट उपयोगकर्ता हैं।

टॉपिक- जी.एस. पेपर III- अर्थशास्त्र

स्रोत- द हिंदू

भारत ऊर्जा मॉडलिंग फ़ोरम

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, 2 जुलाई, 2020 को सतत विकास स्तंभ की संयुक्त कार्य समूह की बैठक में भारत ऊर्जा मॉडलिंग फोरम का शुभारंभ किया गया है।

संबंधित जानकारी

- सतत विकास स्तंभ, भारत-अमेरिकी सामरिक ऊर्जा साझेदारी का एक आवश्यक स्तंभ है, जिसकी अध्यक्षता नीति आयोग और अंतर्राष्ट्रीय विकास हेतु अमेरिकी एजेंसी द्वारा की जाती है।
- सतत विकास स्तंभ ऊर्जा डेटा प्रबंधन, ऊर्जा मॉडलिंग और न्यून कार्बन प्रौद्योगिकियों पर सहभागिता जैसी तीन प्रमुख गतिविधियों पर जोर देता है।
- यहां विश्व के विभिन्न हिस्सों में ऊर्जा मॉडलिंग फोरम मौजूद हैं।

ऊर्जा मॉडलिंग फोरम के संदर्भ में जानकारी

- संयुक्त राज्य अमेरिका में ऊर्जा मॉडलिंग फोरम (ई.एम.एफ.) की स्थापना वर्ष 1976 में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में सरकार, उद्योग, विश्वविद्यालयों और अन्य अनुसंधान संगठनों के प्रमुख मॉडलिंग विशेषज्ञों और निर्णय निर्माताओं को जोड़ने के लिए की गई थी।
- यह फोरम, ऊर्जा और पर्यावरण के चारों ओर घूमने वाले समकालीन मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक निष्पक्ष मंच प्रदान करता है।
- भारत में, मॉडलिंग फोरम होने की कोई औपचारिक और व्यवस्थित प्रक्रिया नहीं थी।

भारत ऊर्जा मॉडलिंग फोरम इस प्रयास को गति प्रदान करेगा और इसके उद्देश्य निम्न होंगे:

- महत्वपूर्ण ऊर्जा और संबंधित पर्यावरणीय मुद्दों की जांच करने के लिए एक मंच प्रदान करना
- भारत सरकार को निर्णय लेने की प्रक्रिया के संदर्भ में सूचित करें
- मॉडलिंग टीमों, सरकार और ज्ञान भागीदारों, वित्तपोषकों के बीच सहयोग में सुधार करना
- विचारों के आदान-प्रदान की सुविधा प्रदान करना, उच्च गुणवत्तापूर्ण अध्ययनों के उत्पादन को सुनिश्चित करना
- विभिन्न स्तरों पर और विभिन्न क्षेत्रों में ज्ञान अंतरालों की पहचान करना

टॉपिक- जी.एस. पेपर III- ऊर्जा

स्रोत- पी.आई.बी.

एस्पायर (ASPIRE) ई-पोर्टल

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, अंतर्राष्ट्रीय ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी केंद्र (आई.सी.ए.टी.) ने उद्योग, अनुसंधान एवं शिक्षा हेतु स्वचालित समाधान पोर्टल (ASPIRE) नामक ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी ई-पोर्टल लॉन्च करने की घोषणा की है।

उद्देश्य

- इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य विभिन्न संबद्ध रास्तों से हितधारकों को एक साथ लाकर नवाचार और वैश्विक तकनीकी उन्नयन को अपनाने में सहायता करके भारतीय ऑटोमोटिव उद्योग को आत्मनिर्भर बनने की सुविधा प्रदान करना है।
- इन गतिविधियों में अनुसंधान और विकास, उत्पाद प्रौद्योगिकी विकास, तकनीकी नवाचार आदि शामिल होंगे, जो भारतीय ऑटो उद्योग के रूझानों की पहचान करने में मदद करते हैं।

- ई-पोर्टल प्रौद्योगिकी उन्नयन से संबंधित मामलों पर ऑटोमोटिव ओ.ई.एम., टियर 1, टियर 2 और टियर 3 कंपनियों, आर एंड डी संस्थानों और शिक्षाविदों (कॉलेजों और विश्वविद्यालयों) को एक साथ लाने में मदद करता है।
- पोर्टल, उद्योग की आवश्यकता के अनुरूप भव्य चुनौतियों की भी मेजबानी करेगा, जो समय-समय पर प्रमुख ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए पहचानी जाएंगी।

अंतर्राष्ट्रीय ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी केंद्र के संदर्भ में जानकारी

- अंतर्राष्ट्रीय ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी केंद्र (आई.सी.ए.टी.) की स्थापना वर्ष 2006 में मानेसर, हरियाणा में की गई थी।
- यह एक अग्रणी विश्व स्तरीय ऑटोमोटिव परीक्षण, प्रमाणन और अनुसंधान एवं विकास, सेवा प्रदाता है।
- यह एन.ए.टी.आर.आई.पी. (राष्ट्रीय ऑटोमोटिव परीक्षण एवं आर एंड डी ढांचा परियोजना), भारत सरकार के तत्वावधान में काम करता है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर III- अर्थशास्त्र

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

एच.आई.वी./ एड्स कमजोर समूहों ने वैश्विक कोष में याचिका दायर की है।

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में महामारी के दौरान आजीविका के स्रोतो से वंचित यौनकर्मियों, ट्रांसपर्सन, समलैंगिक और द्विलिंगी पुरूषों, ड्रग उपयोगकर्ताओं और एच.आई.वी./ एड्स से पीड़ित व्यक्तियों ने एड्स, टी.बी. एवं मलेरिया हेतु वैश्विक कोष (जी.एफ.ए.टी.एम.) में एक याचिका दायर की है।
- वे कोरोनावायरस (कोविड-19) से संबंधित आपातकालीन राहत प्रयासों में सरकार और बहुपक्षीय एजेंसियों द्वारा अपनी अनदेखी किए जाने का विरोध कर रहे हैं।
- याचिकाकर्ताओं में भारत में राष्ट्रीय यौनकर्मी नेटवर्क (एन.एन.एस.डब्ल्यू.), अखिल भारतीय यौनकर्मी नेटवर्क (ए.आई.एन.एस.डब्ल्यू.), तेलंगाना उभलिंगीय ट्रांसजेंडर समिति, असम नेटवर्क ऑफ़ पॉज़िटिव पीपल (ए.एन.पी.+), यौन कर्मी शिक्षा एवं वकालत टास्कफोर्स (एस.डब्ल्यू.ई.ए.टी.), दक्षिण अफ्रीका में, यू.के. में ग्लोबल नेटवर्क ऑफ सेक्स वर्क प्रोजेक्ट्स के साथ-साथ कई समुदाय-आधारित संगठन और नागरिक समाज संगठन शामिल हैं।

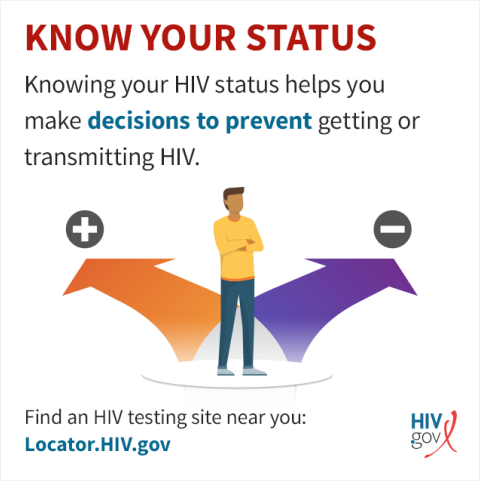

एड्स, टी.बी. एवं मलेरिया हेतु वैश्विक कोष (जी.एफ.ए.टी.एम.) के संदर्भ में जानकारी

- वर्ष 2019 में, भारत ने एड्स, टी.बी. एवं मलेरिया हेतु वैश्विक कोष में 22 मिलियन डॉलर के योगदान की घोषणा की है।
- एड्स, तपेदिक एवं मलेरिया से लड़ने हेतु वैश्विक कोष का गठन विश्व के अभी तक ज्ञात तीन सबसे घातक संक्रामक रोगों को खत्म करने के लिए दुनिया के पैसे को जुटाने, प्रबंधन करने और निवेश करने के लिए किया गया था।
- भारत ने इसके गठन के बाद से एक प्राप्तकर्ता और एक दाता के रूप में वैश्विक कोष के साथ एक स्थायी साझेदारी साझा की है।

वैश्विक कोष के संदर्भ में जानकारी

- यह वर्ष 2002 में दुनिया के संसाधनों को भरने और तपेदिक (टी.बी.), एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिसिएंसी सिंड्रोम (एड्स) और मलेरिया को वैश्विक महामारी के रूप में समाप्त करने के लिए कार्यक्रमों में रणनीतिक रूप से निवेश करने हेतु 2 बिलियन डॉलर का निवेश किया गया था।
- यह सरकारों, सिविल सोसाइटी, तकनीकी एजेंसियों, निजी क्षेत्र और बीमारियों से प्रभावित लोगों की साझेदारी है।

तपेदिक (टी.बी.) के संदर्भ में जानकारी

- यह बैक्टीरिया (माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस) के कारण होती है, जो फेफड़ों को सबसे अधिक प्रभावित करती है।
- यह इलाज योग्य और रोकथाम योग्य है।
- वर्ष 1882 में जर्मन सूक्ष्म जीवविज्ञानी डॉ. रॉबर्ट कोच द्वारा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की खोज किए जाने को चिन्हित करने हेतु 24 मार्च को विश्व टी.बी. दिवस मनाया जाता है, इस जीवाणु के कारण टी.बी. होती है।

सरकारी पहल

- वर्ष 1985 में भारत सरकार द्वारा सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम (यू.आई.पी.) लांच किया गया था, जिसमें टी.बी. सहित 12 बीमारियों के लिए टीकाकरण शामिल है।

ह्यूमन इम्यूनोडिफ़िशिएंसी वायरस, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफ़िसिएन्सी सिंड्रोम (एच.आई.वी.-एड्स) के संदर्भ में जानकारी

- यह एक प्रकार का वायरस है, जिसे रेट्रोवायरस कहा जाता है और इसका इलाज करने के लिए उपयोग की जाने वाली दवाओं के संयोजन को एंटीरेट्रोवायरल थेरेपी (ए.आर.टी.) कहा जाता है।
- विश्व एड्स दिवस, 1 दिसंबर को मनाया जाता है।

मलेरिया के संदर्भ में जानकारी

- यह प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है।
- यह परजीवी, संक्रमित मादा एनाफ्लीज मच्छरों के काटने से मनुष्यों में फैलता है, जिसे "मलेरिया वेक्टर" कहा जाता है।
- विश्व मलेरिया दिवस, 25 अप्रैल को मनाया जाता है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर III- स्वास्थ्य मुद्दे

स्रोत- द हिंदू

डाक विभाग ने सभी छोटी बचत योजनाओं को शाखा डाकघर स्तर तक विसतारित किया है।

खबरों में क्यों है?

- डाक विभाग ने सभी छोटी बचत योजनाओं को शाखा डाकघर स्तर तक विस्तारित किया है।

- नए आदेश ने शाखा डाकघरों को सार्वजनिक भविष्य निधि, मासिक आय योजना, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र, किसान विकास पत्र और वरिष्ठ नागरिक बचत योजनाओं की सुविधाएं प्रदान करने की अनुमति प्रदान की है।
- अब लोग अपने गांव के डाकघर के माध्यम से इन लोकप्रिय योजनाओं में अपनी बचत को जमा कर सकेंगे।
- इस निर्णय का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के दरवाजे तक सभी डाकघर बचत योजनाओं को लाकर ग्रामीण भारत को सशक्त बनाना है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर III- अर्थशास्त्र

स्रोत- पी.आई.बी.

आर.बी.आई. ने श्रीलंका के साथ 400 मिलियन डॉलर के मुद्रा विनिमय पर हस्ताक्षर किए हैं।

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) ने विदेशी भंडार को बढ़ावा देने और देश की वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए श्रीलंका के साथ 400 मिलियन डॉलर की मुद्रा विनिमय सुविधा का विस्तार करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
- इस विनिमय समझौते पर सार्क मुद्रा विनिमय ढांचा 2019-22 के अंतर्गत हस्ताक्षर किए गए हैं।

मुद्रा विनिमय के संदर्भ में जानकारी

- स्वैप शब्द का अर्थ विनिमय होता है, इसके अंतर्गत एक देश एक विदेशी केंद्रीय बैंक को डॉलर प्रदान करता है जो उसी समय पर लेन-देन के समय पूर्व में बाजार विनिमय दर के आधार पर अपनी मुद्रा में समतुल्य निधि प्रदान करता है।
- पार्टियां भविष्य में एक निर्दिष्ट तिथि पर अपनी दो मुद्राओं की इन मात्राओं को पुन: विनिमय करने के लिए सहमत होती हैं जो कि अगले दिन या दो वर्ष बाद उसी लेन-देन दर का उपयोग कर सकती हैं जो दर पहले लेनदेन में निर्धारित थी।
- ये विनिमय परिचालन कोई विनिमय दर या अन्य बाजार जोखिम नहीं उठाते हैं क्यों कि लेनदेन की शर्तें पहले से निर्धारित होती हैं।
- इसलिए, यह उस देश को लाभ प्रदान करता है जिसे भुगतान या अल्पकालिक तरलता के बैलेंस के उचित स्तर को बनाए रखने के लिए किसी भी समय भंडार का उपयोग करने के लिए डॉलर मिल रहा है।

सार्क मुद्रा विनिमय ढांचा 2019-22 के संदर्भ में जानकारी

- सार्क मुद्रा विनिमय ढांचा वर्ष 2012 में परिचालन में आया था।
- वर्ष 2019 में, आर.बी.आई. ने 2019-2022 से ढांचे को संशोधित किया था।
- 2019-22 के लिए ढांचे के अंतर्गत, आर.बी.आई. 2 बिलियन अमेरीकी डालर के समग्र कोष के भीतर विनिमय की व्यवस्था प्रदान करेगा।
- इसकी निकासी अमेरिकी डॉलर, यूरो या भारतीय रूपए में की जा सकती है।
- यह ढांचा भारतीय रूपए में विनिमय निकासी के लिए कुछ रियायतें भी प्रदान करता है।

दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ के संदर्भ में जानकारी

- यह दक्षिण एशिया में राज्यों का एक क्षेत्रीय अंतरसरकारी संगठन है।
- इसकी स्थापना 1985 में की गई थी।

सदस्य

- अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका हैं।

नोट:

- भारत के पास पहले से ही जापान के साथ 75 बिलियन डॉलर की द्विपक्षीय मुद्रा विनिमय सीमा है, जिसके पास चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा डॉलर भंडार है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर III- अर्थशास्त्र

स्रोत- द हिंदू

नागरिक उड्डयन पर 'एफ.डी.आई. नीति' में संशोधन को अधिसूचित किया गया है।

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, सरकार ने नागरिक उड्डयन पर विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ.डी.आई.) मानदंडों में बदलावों को अधिसूचित किया है, जिसे विदेशी विनिमय प्रबंधन (गैर-ऋण साधन) (तीसरा संशोधन) नियम, 2020 भी कहा जाता है।

संशोधन की मुख्य विशेषताएं

- यह अनिवासी भारतीय नागरिकों को एयर इंडिया की 100 प्रतिशत हिस्सेदारी के स्वामित्व की अनुमति प्रदान करेगा।
- इस संशोधन से भारत के विदेशी नागरिकों को हवाई परिवहन में, लेकिन एयर इंडिया में नहीं, 100% एफ.डी.आई. की अनुमति देने वाले अपवाद को हटा दिया गया है।
- नागरिकों की इस श्रेणी को अनिवासी भारतीयों के साथ प्रतिस्थापित किया गया है, अब स्वचालित मार्ग से एयर इंडिया सहित हवाई परिवहन में 100% एफ.डी.आई. की अनुमति प्रदान की गई है।
- एयर इंडिया लिमिटेड का पर्याप्त स्वामित्व और प्रभावी नियंत्रण, निरंतर रूप से भारतीय नागरिकों के पास ही निहित रहेगा, जैसा कि विमान नियम, 1937 में निर्धारित किया गया है।

संबंधित जानकारी

- वर्तमान एफ.डी.आई. नीति के अनुसार, अनुसूचित हवाई परिवहन सेवा/ घरेलू अनुसूचित यात्री एयरलाइन (49 प्रतिशत तक स्वचालित और सरकारी मार्ग में 49 प्रतिशत से अधिक) में 100 प्रतिशत एफ.डी.आई. की अनुमति प्रदान की गई है।
- अनिवासी भारतीयों के लिए अनुसूचित हवाई परिवहन सेवा/ घरेलू अनुसूचित यात्री एयरलाइन में स्वचालित मार्ग के अंतर्गत 100 प्रतिशत एफ.डी.आई. की अनुमति प्रदान की गई है।
- सरकार ने हेलीकॉप्टर सेवाओं/ जलविमान सेवाओं में स्वचालित मार्ग के अंतर्गत 100 प्रतिशत एफ.डी.आई. की अनुमति प्रदान की है, जिसके लिए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डी.जी.सी.ए.) की मंजूरी आवश्यक है।
- विदेशी एयरलाइनों को कुछ निश्चित शर्तों के अधीन, अपनी भुगतान की गई पूंजी की 49% तक की सीमा तक, अनुसूचित और गैर-अनुसूचित हवाई परिवहन सेवाओं के संचालन, भारतीय कंपनियों की मुद्रा में निवेश करने की अनुमति प्रदान की गई है।
- शर्तों में यह शामिल है कि सरकारी अनुमोदन मार्ग के अंतर्गत अंतर्प्रवाह बना रहना चाहिए और एफ.डी.आई. और एफ.आई.आई./ एफ.पी.आई. निवेश 49% की सीमा के अंतर्गत रहेंगे।

संबंधित जानकारी

- हाल ही में, भारत ने कोविड-19 महामारी के बीच अपने एफ.डी.आई. नियमों को संशोधित किया है।
- संशोधित मानदंडों के अंतर्गत, चीन के विशेष संदर्भ में भारत के भूमि पड़ोसियों के निवेशकों के लिए स्वचालित मार्ग बंद कर दिया गया है।
- यह नया विनियमन इस आशंका पर आधारित है कि चीन लॉकडाउन की पृष्ठभूमि में राष्ट्रीय महत्व की कंपनियों के निम्नतम मूल्यांकन का लाभ उठा सकता है।
- उदाहरण के लिए, हाल ही में, पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना ने एच.डी.एफ.सी. बैंक के शेयर बहुत कम कीमत पर खरीदे हैं।

संशोधित एफ.डी.आई. नियम

- भारत के साथ सीमा साझा करने वाले किसी भी देश की कंपनियों को भारत में निवेश के लिए सरकार से संपर्क करना होगा और अब वे स्वचालित मार्ग से होकर नहीं जा सकती हैं।

टॉपिक- जी.एस. पेपर III- अर्थशास्त्र

स्रोत- द हिंदू

ए.आई.एम.-आई.क्रेस्ट

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, नीति आयोग के अटल नवाचार मिशन (ए.आई.एम.) ने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और वाधवानी फाउंडेशन के साथ साझेदारी में ए.आई.एम.-आई.क्रेस्ट लॉन्च किया है।

ए.आई.एम.-आई.क्रेस्ट के संदर्भ में जानकारी

- इसे ऊष्मायन (इन्क्यूबेशन) पारिस्थितिकी तंत्र को सक्षम करने और देश भर में ए.आई.एम. के अटल और स्थापित इनक्यूबेटरों के लिए विकास वेतन-भोगी के रूप में कार्य करने हेतु डिज़ाइन किया गया है।
- यह भारत में नवाचार को व्यापक रूप से आगे बढ़ाने के लिए इस प्रकार की पहली पहल है।
- इस पहल के अंतर्गत, ए.आई.एम. के इनक्यूबेटरों को सम्पन्न करने के लिए तैयार किया गया है और ऊष्मायन उद्यम अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक समर्थन प्रदान किया गया है, जो उनकी अपने प्रदर्शन को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाने में मदद करेगा।
- यह प्रौद्योगिकी संचालित प्रक्रियाओं और प्लेटफार्मों के माध्यम से उद्यमियों को प्रशिक्षण प्रदान करके पूरित किया जाएगा।

लक्ष्य

- इस कार्यक्रम का उद्देश्य इनक्यूबेटर क्षमता निर्माण से आगे जाना है।
- यह कार्यक्रम अपनी डिजाइन में भी अद्वितीय है

A. यह ऊष्मायन के क्षेत्र में परस्पर संवादात्मक अभ्यासों का एक संयोजन है।
B. स्थायी और सफल स्टार्टअप का समर्थन करने में इनक्यूबेटरों को सक्षम बनाता है।

संबंधित जानकारी

अटल नवाचार मिशन के संदर्भ में जानकारी

- अटल इनोवेशन मिशन (ए.आई.एम.) पूरे देश में नवाचार और उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग द्वारा स्थापित एक प्रमुख पहल है।
- इसे एक छत्रीय नवाचार संगठन के रूप में भी परिकल्पित किया गया है, जो केंद्र, राज्य और क्षेत्रीय नवाचार योजनाओं के बीच नवाचार नीतियों के संरेखण में सहायक भूमिका निभाएगा।
- यह विभिन्न स्तरों- उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, विज्ञान, इंजीनियरिंग और उच्चतर शैक्षणिक संस्थान और एस.एम.ई./ एम.एस.एम.ई. उद्योग, कॉर्पोरेट और एन.जी.ओ. स्तर पर नवाचार और उद्यमशीलता के एक पारिस्थितिकी तंत्र की स्थापना और संवर्धन को प्रोत्साहित करने में मदद करता है ।

विषय- जी.एस. पेपर III- अर्थव्यवस्था

स्रोत- द हिंदू

पर्यावरण मुद्दे

सकतेंग वन्यजीव अभयारण्य

खबरों में क्यों है?

- भारत के साथ चल रहे सीमा विवाद के बीच चीन ने अब दावा किया है कि भूटान में स्थित सकतेंग वन्यजीव अभ्यारण्य एक "विवादित" क्षेत्र है।

सकतेंग वन्यजीव अभयारण्य के संदर्भ में जानकारी

- सकतेंग वन्यजीव अभयारण्य अधिकांशत: त्राशिगांग जिले में स्थित है और सिर्फ भूटान के समद्रुप जोंगखर जिले में सीमा पार करता है।
- यह भारतीय राज्य अरूणाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है।
- यह देश के संरक्षित क्षेत्रों में से एक है। इसे भूटान की प्रयोगात्मक सूची में यूनेस्को के समावेश के लिए एक अस्थायी स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर III- पर्यावरण

स्रोत- ज़ी न्यूज़

ग्लोब्बांडरसोनी

खबरों में क्यों है?

- 135 वर्षों से विलुप्त माना जाने वाला ग्लोब्बांडरसोनी नामक एक पौधा हाल ही में सिक्किम हिमालय के निकट तीस्ता नदी घाटी के पास पाया गया है।

ग्लोब्बांडरसोनी के संदर्भ में जानकारी

- तीस्ता नदी घाटी के निकट ग्लोब्बांडरसोनी को सामान्यत: 'डांसिंग लेडीज' या 'हंस फूल' के रूप में जाना जाता है।
- इसे एक दुर्लभ और गंभीर रूप से लुप्तप्राय पौधों की प्रजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- ये पौधे संकीर्ण रूप से स्थानिक हैं अर्थात यह प्रजाति मुख्य रूप से तीस्ता नदी घाटी क्षेत्र तक ही सीमित है, जिसमें सिक्किम हिमालय और दार्जिलिंग पहाड़ी श्रृंखलाएँ शामिल हैं।

विशेषताएँ

- ग्लोब्बांडरसोनी की विशेषताएं सफेद फूल, गैर-उपांग परागकोष (पुंकेसर का हिस्सा जिसमें पराग होता है) और एक "पीले होंठ" है।
- यह पौधा सामान्यत: सदाबहार वनों के बाहरी क्षेत्रों में चट्टानी ढलानों पर लीथोफाइट (नंगी चट्टान या पत्थर पर उगने वाला पौधा) के रूप में घनी कॉलोनी में उगता है।
- यह विशेष रूप से इन पहाड़ी जंगलों की ओर जाने वाले सड़क के किनारे छोटे झरनों के पास प्रचलित है, जो समुद्र तल से 400-600 मी. ऊपर स्थित हैं।

टॉपिक- जी.एस. पेपर III- पर्यावरण

स्रोत- द हिंदू

स्ट्राइप्ड हेयरस्ट्रीक और एलुसिव प्रिंस: तितलियों की प्रजातियां

खबरों में क्यों है?

- लेपिडोप्टेरिस्ट्स ने अरूणाचल प्रदेश में तितलियों की दो प्रजातियों स्ट्राइप्ड हेयरस्ट्रीक और एलुसिव प्रिंस की खोज की है।
- नामदाफा राष्ट्रीय उद्यान (अरूणाचल प्रदेश) के बाहरी इलाकों में एलुसिव प्रिंस (रोहाना टोनकिनियाना) पाई गई थी।
- इसका वियतनामी कनेक्शन है और पूर्वी हिमालय में पाई जाने वाली अधिक प्रचलित ब्लैक प्रिंस मानी जाती है।

स्ट्राइप्ड हेयरस्ट्रीक के संदर्भ में जानकारी

- स्ट्राइप्ड हेयरस्ट्रीक (यामामोटोज़ेफिरस क्वांग्टुजिनेसिस) विजयनगर में म्यांमार की सीमा में स्थित है।

- यह पहली बार चीन के हैनान प्रांत में जापानी कीटवैज्ञानिक द्वारा रिकॉर्ड किया गया था।

संबंधित जानकारी

नामदाफा राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में जानकारी

- यह म्यांमार के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले में स्थित है।
- नामदाफा को मूल रूप से 1972 में एक वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया था, फिर 1983 में एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में और उसी वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर योजना के अंतर्गत टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया था।
- यह नोआ दिहिंग नदी द्वारा पूर्व से पश्चिम की ओर फैला हुआ है, जो भारत-म्यांमार सीमा पर स्थित चौकन दर्रे से निकलती है।
- यह भारत का चौथा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है।
- यह पार्क नामदाफा फ्लाइंग गिलहरी (बिस्वमोयोप्टेरस बिस्वासी) के लिए जाना जाता है, जो इस क्षेत्र के लिए स्थानिक हैं और इसे आई.यू.सी.एन. रेड लिस्ट के अनुसार गंभीर रूप से लुप्तप्राय के रूप में माना जाता है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर III- पर्यावरण

स्रोत- द हिंदू

केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण

खबरों में क्यों है?

- पर्यावरण मंत्रालय ने योजना एवं वास्तुकला स्कूल, दिल्ली के एक विशेषज्ञ और एक आणविक जीवविज्ञानी को शामिल करने के लिए केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण (सी.जेड.ए.) का पुनर्गठन करने का निर्णय लिया है।

केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के संदर्भ में जानकारी

- सी.जेड.ए., एक संवैधानिक निकाय है, जिसकी अध्यक्षता पर्यावरण मंत्री करते हैं और यह देश भर के चिड़ियाघरों को विनियमित करने का काम करता हैं।
- प्राधिकरण, दिशानिर्देशों का पालन करता है और नियमों को निर्धारित करता है जिसके अंतर्गत जानवरों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चिड़ियाघरों में स्थानांतरित किया जाता है।

संरचना

- इसमें अध्यक्ष के अतिरिक्त 10 सदस्य और एक सदस्य-सचिव शामिल होता है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर III- पर्यावरण

स्रोत- पी.आई.बी.

शिवालिक वन को बाघ अभयारण्य में परिवर्तित करने की बोली

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, सहारनपुर मंडल के आयुक्त ने सहारनपुर मंडल में शिवालिक वन को बाघ अभ्यारण्य घोषित करने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार को एक प्रस्ताव भेजा है। यदि यह प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है तो यह बिजनौर में अमनगढ़, पीलीभीत और लखीमपुर-खीरी में दुधवा के बाद उत्तर प्रदेश में चौथा बाघ अभ्यारण्य होगा।

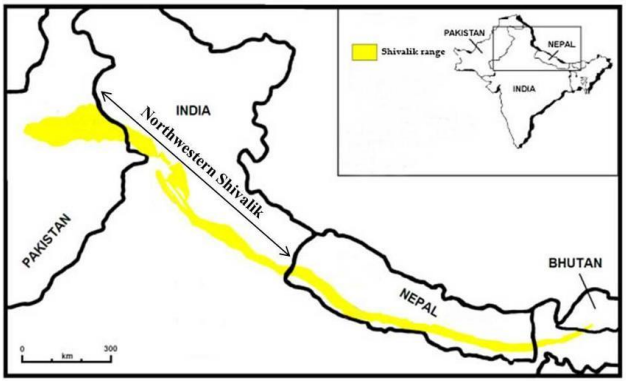

संबंधित जानकारी

प्रोजेक्ट टाइगर के संदर्भ में जानकारी

- इसे वर्ष 1973 में हमारे राष्ट्रीय पशु, बाघ के संरक्षण के लिए लॉन्च किया गया था।
- बाघ अभ्यारण्य का निर्माण एक कोर/ बफर रणनीति पर किया जाता है।
- मुख्य क्षेत्रों को राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य का कानूनी दर्जा प्राप्त है। इसके विपरीत, बफर या परिधीय क्षेत्र, वन और गैर-वन भूमि का मिश्रण होते हैं, जिन्हें एक बहु-उपयोग क्षेत्र के रूप में प्रबंधित किया जाता है।

राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के संदर्भ में जानकारी

- यह मंत्रालय का एक संवैधानिक निकाय है, जो पर्यवेक्षण/ समन्वय भूमिका के साथ वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में दिए गए कार्यों को करता है।
- एन.टी.सी.ए. को वर्ष 2005 में टाइगर टास्क फोर्स की सिफारिशों के बाद लॉन्च किया गया था।
- इसे वर्ष 2006 में वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था।

अध्यक्ष

- पर्यावरण, वानिकी एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एन.टी.सी.ए.) के अध्यक्ष हैं।

एन.टी.सी.ए. का उद्देश्य

- प्रोजेक्ट टाइगर को संवैधानिक अधिकार प्रदान करना जिससे कि उसके निर्देशों का अनुपालन कानूनी हो जाए।
- हमारे संघीय ढांचे के भीतर राज्यों के साथ समझौता ज्ञापन के लिए एक आधार प्रदान करके बाघ अभ्यारण्य के प्रबंधन में केंद्र-राज्य की जवाबदेही को बढ़ावा देना
- संसद द्वारा निरीक्षण हेतु उपलब्ध कराना
- बाघ अभ्यारण्य के आसपास के क्षेत्रों में स्थानीय लोगों के आजीविका हितों को संबोधित करना

नोट:

- हाल ही में, उत्तराखंड सरकार कॉर्बेट से राजा जी राष्ट्रीय उद्यान के मोतीचूर रेंज में बाघों को स्थानांतरित करने का प्रस्ताव कर रही है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर III- पर्यावरण

स्रोत- द हिंदू

युगांडा REDD+ परिणाम प्रस्तुत करने वाला पहला अफ्रीकी देश बन गया है।

खबरों में क्यों है?

- युगांडा, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन (यू.एन.एफ.सी.सी.सी.) में वनोन्मूलन और वन क्षरण से उत्सर्जन न्यूनीकरण (REDD+) हेतु परिणाम प्रस्तुत करने वाला पहला अफ्रीकी देश बन गया है।

REDD + के संदर्भ में जानकारी

- यह वनोन्मूलन और वन क्षरण से उत्सर्जन न्यूनीकरण के लिए यू.एन.एफ.सी.सी.सी. हेतु पार्टियों द्वारा विकसित जलवायु परिवर्तन शमन समाधान है।
- यह विकासशील देशों को वन कार्बन उत्सर्जन को कम करने और हटाने के लिए कार्रवाईयों हेतु परिणाम आधारित भुगतान की पेशकश करके अपने वनों को संरक्षित बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करने में मदद करता है।
- REDD का पूरा नाम "वनोन्मूलन और वन क्षरण से उत्सर्जन न्यूनीकरण" है और "+" विकासशील देशों में संरक्षण, वनों के सतत प्रबंधन और वन कार्बन भंडारण में वृद्धि की भूमिका को दर्शाता है।

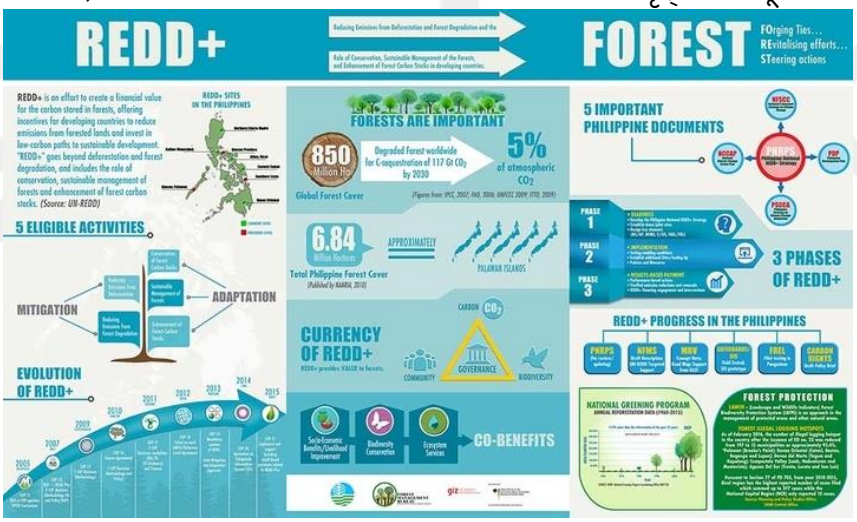

संबंधित जानकारी

भारत की REDD+ रणनीति:

- भारत ने अपनी राष्ट्रीय REDD+ रणनीति तैयार की है, जो मौजूदा राष्ट्रीय परिस्थितियों पर बनाई गई है, जिसे जलवायु परिवर्तन पर भारत की राष्ट्रीय कार्य योजना, ग्रीन इंडिया मिशन और यू.एन.एफ.सी.सी.सी. के लिए भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एन.डी.सी.) के साथ अपडेट किया गया है।
- यह रणनीति रिपोर्ट, भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद (आई.सी.एफ.आर.ई.), देहरादून द्वारा तैयार की गई है।

फॉरेस्ट-प्लस 2.0

- हाल ही में, अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी (यू.एस.ए.आई.डी.) और भारत के पर्यावरण, वानिकी एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एम.ओई.एफ एंड सी.सी.) ने आधिकारिक तौर पर फॉरेस्ट-प्लस 2.0 लॉन्च किया है।
- यह एक पंचवर्षीय कार्यक्रम है, जो वन परिदृश्य प्रबंधन में पारिस्थितिक तंत्र प्रबंधन को आधार प्रदान करने और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं को काम में लाने के लिए उपकरणों और तकनीकों को विकसित करने पर केंद्रित है।
- फॉरेस्ट प्लस द्वारा वर्ष 2017 में अपने पांच वर्ष पूरे करने के बाद दिसंबर, 2018 में इसे शुरू किया गया था।
- फॉरेस्ट-प्लस, वनोन्मूलन और वन क्षरण से उत्सर्जन न्यूनीकरण में भारत की भागीदारी में मदद करने हेतु क्षमता निर्माण पर केंद्रित है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर III- पर्यावरण

स्रोत- फाइनेंशियल एक्सप्रेस

मियावाकी विधि

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने नई दिल्ली में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) के कार्यालय में वनीकरण की जापानी "मियावाकी" पद्धति के रूप में ज्ञात एक अद्वितीय शहरी वन का उद्घाटन किया है।

मियावाकी विधि के संदर्भ में जानकारी

- मियावाकी एक तकनीक है, जो जापानी वनस्पतिशास्त्री अकीरा मियावाकी द्वारा खोजी गई है, जो थोड़े समय में सघन, स्थानीय जंगलों के निर्माण में मदद करता है।
- इन्होंने पिछले आंगन (बैकयार्ड) को छोटे-वनों में बदलकर शहरी वनीकरण की अवधारणा में क्रांति ला दी है।
- इस विधि में समान क्षेत्र में यथासंभव नदीकी के साथ पेड़ (केवल स्थानीय प्रजातियां) लगाना शामिल है, जो न केवल स्थान बचाते हैं, बल्कि लगाए गए पौधे भी विकसित होने में एक दूसरे का समर्थन करते हैं और सूरज की रोशनी को जमीन तक पहुंचनें से रोकते हैं, जिससे खरपतवार के विकास को रोका जा सकता है।
- वन निर्माण की मियावाकी विधि नियोजित है, जो तापमान को 14 डिग्री तक कम करने और नमी को 40% तक बढ़ाने में मदद कर सकती है।

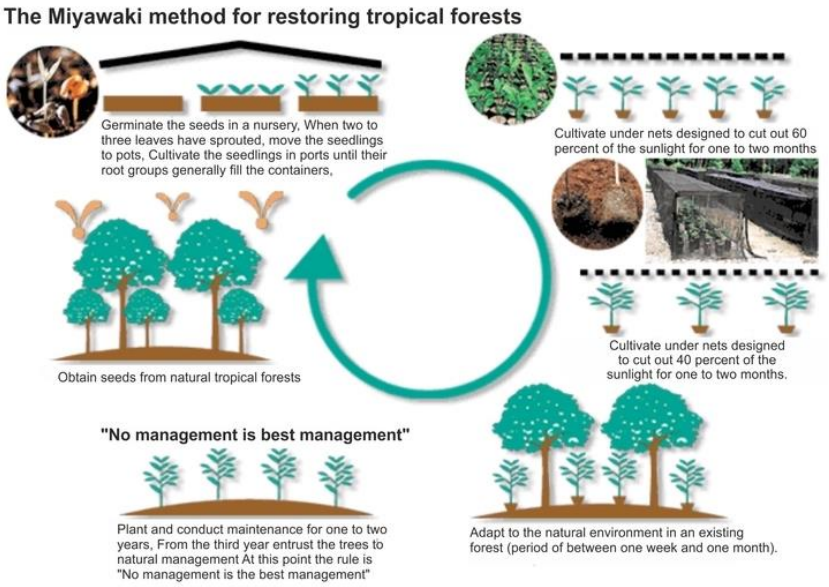

नोट:

- हाल ही में, विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर सरकार ने अगले पांच वर्षों में देश भर में 200 शहरी वन विकसित करने के लिए नगर वन योजना के कार्यान्वयन की घोषणा की है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर III- पर्यावरण

स्रोत- ए.आई.आर.

कोआला वर्ष 2050 तक ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में विलुप्त हो सकता है।

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, ऑस्ट्रेलिया में एक संसदीय जांच में खुलासा हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स (एन.एस.डब्ल्यू.) में कोआला वर्ष 2050 तक विलुप्त हो सकता है, यदि सरकार तुरंत उनके और उनके आवास की सुरक्षा के लिए हस्तक्षेप नहीं करती है।

कोआला के संदर्भ में जानकारी

- कोआला या फासकोलार्कटोस सिनेरियस ऑस्ट्रेलिया का एक वनस्पतिक शाकाहारी धानी प्राणी मूल निवासी है।

वितरण

- कोआला मुख्य भूमि के पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्रों के तटीय क्षेत्रों, निवासीय क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया और दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है।

संरक्षण स्तर

- इसे आई.यू.सी.एन. की रेड लिस्ट के में लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।

जनसंख्या में गिरावट के पीछे का कारण

- कृषि, शहरी विकास, खनन और वानिकी के लिए भूमि की सफाई, न्यू साउथ वेल्स में जानवरों के आवास के विखंडन और नुकसान का सबसे महत्वपूर्ण कारक था।
- इस साल के शुरू में लंबे समय तक सूखे के कारण झाड़ियों में लगने वाली आग का मौसम भी जानवरों के लिए विनाशकारी था, जिससे राज्य भर में उनके आवास के लगभग एक चौथाई हिस्से नष्ट हो गए थे और कुछ हिस्सों में 81% तक आवास नष्ट हो गए थे।

नोट:

धानी प्राणी

- ये एक स्तनधारी समूह हैं, जो समय से पहले जन्म लेते हैं और नवजात शिशु के विकास को जारी रखते हैं, जब कि मां के निचले पेट में निपल्स से जुड़े होते हैं।
- कंगारू, आस्ट्रेलियन, कोआला, वोमब्रेट, तस्मानियन डैविल, अन्य सभी धानी प्राणी के विभिन्न उदाहरण हैं।

टॉपिक- जी.एस. पेपर III- पर्यावरण

स्रोत- द हिंदू

गोल्डन बर्डविंग

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, गोल्डन बर्डविंग नामक एक हिमालयी तितली अब भारत की सबसे बड़ी तितली है, इससे पहले दक्षिणी बर्डविंग 88 वर्षों तक सबसे बड़ी तितली रही थी।
- लेखकों के अनुसार, लेपिडोप्टेरा के अध्ययन में उपयोग की जाने वाली एकमात्र माप पंखो का फैलाव है, यह शब्द की विभिन्न व्याख्याओं के साथ एक साधारण अवधारणा है।
- लेपिडोप्टेरा कीटों का एक अनुक्रम है, जिसमें तितलियों और पतंगे शामिल हैं।

गोल्डन बर्डविंग के संदर्भ में जानकारी

- इस मादा गोल्डन बर्डविंग को उत्तराखंड के दीदीहाट में देखा गया था और सबसे बड़े नर को शिलांग के वानखर तितली संग्रहालय में देखा गया था।
- 194 मि.मी. पंखो के फैलाव के साथ इस प्रजाति की मादा, दक्षिणी बर्डविंग (190 मि.मी.) की तुलना में थोड़ी बड़ी है।

- लेकिन नर गोल्डन बर्डविंग (ट्राईडेस ऐकेस) 106 मि.मी. के पंखो के फैलाव के साथ बहुत छोटा है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर III- पर्यावरण

स्रोत- द हिंदू

पेरिस समझौते के अंतर्गत जलवायु कार्रवाई पर मंत्रालयी

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, जलवायु कार्रवाई पर आभासी मंत्रालयी के चौथे संस्करण में कई देश शामिल हुए हैं, उन्होंने इस पर अपने विचारों को साझा किया है कि देश किस प्रकार पेरिस समझौते के साथ आर्थिक सुधार योजनाओं को संरेखित कर रहे हैं।
- यूरोपीय संघ ने इस बैठक की सह-अध्यक्षता की थी, चीन और कनाडा ने संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन (यू.एन.एफ.सी.सी.सी.) के अंतर्गत पेरिस समझौते के पूर्ण कार्यान्वयन पर उन्नत चर्चा की है।

पेरिस समझौते की दिशा में अपने योगदान हेतु भारत के प्रयासों की मुख्य विशेषताएं

- भारत ने वर्ष 2005 से 2014 के बीच अपने सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता में 21% की कमी दर्ज की है, इस प्रकार वह अपने 2020 से पहले के स्वैच्छिक लक्ष्य को प्राप्त कर रहा है।
- इसके अतिरिक्त, भारत की अक्षय ऊर्जा स्थापित क्षमता पिछले पांच वर्षों में 226% बढ़ गई है और 87 गीगावाट से अधिक है।
- भारत सरकार ने अक्षय ऊर्जा क्षमता को 450 गीगावॉट तक बढ़ाने के आकांक्षी लक्ष्य की भी घोषणा की है।
- विद्युत उत्पादन की स्थापित क्षमता में गैर-जीवाश्म स्रोतों की हिस्सेदारी मार्च, 2015 में 30.5% से बढ़कर मई, 2020 में 37.7% हो गई है।
- भारत ने 1 अप्रैल, 2020 को भारत स्टेज-IV (बी.एस.-IV) से भारत स्टेज-VI (बी.एस.-VI) उत्सर्जन मानदंडों पर छलांग लागई है, जिसे पहले वर्ष 2024 तक अपनाया जाना था।
- स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत, जलवायु-स्मार्ट सिटी मूल्यांकन फ्रेमवर्क 2019 शुरू किया गया है, जो शमन और अनुकूलन उपायों दोनों को अपनाने के माध्यम से जलवायु परिवर्तन से निपटने की दिशा में शहरों और शहरी भारत के लिए एक स्पष्ट रोडमैप प्रदान करने का इरादा रखता है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर III- पर्यावरण

स्रोत- पी.आई.बी.

पिग्मी हॉग्स (छोटा सुअर)

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, एक अध्ययन में यह पाया गया है कि पिग्मी हॉग्स, जो एक बार हिमालय की संपूर्ण दक्षिणी तलहटी में फैल गए थे लेकिन अब प्रजाति का क्षेत्र, दुनिया में सिर्फ एक स्थान अर्थात असम के मानस राष्ट्रीय उद्यान तक पर सिमट गया था।

पिग्मी हॉग्स के संदर्भ में जानकारी

- यह सूअर परिवार का सबसे छोटा, सबसे दुर्लभ और सबसे विशिष्ट सदस्य है।
- इसे पहले भारतीय उपमहाद्वीप में दक्षिणी हिमालय की तलहटी के किनारे प्रारंभिक अनुक्रमिक लम्बे घास के मैदानों की एक संकरी पट्टी में रहने के रूप में जाना जाता था।

संरक्षण स्तर

- इसे आई.यू.सी.एन. की रेड लिस्ट के अंतर्गत 'गंभीर रूप से लुप्तप्राय' के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।
- इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की 'अनुसूची I' के अंतर्गत संरक्षित किया गया है।

नोट:

- यह बहुत कम स्तनधारियों में से एक है, जो अपना घर या घोंसला, एक 'छत' के साथ पूरा करके बनाते हैं।
- यह एक 'सूचक प्रजाति' है क्यों कि इसकी उपस्थिति इसके प्राथमिक निवास स्थान के स्वास्थ्य, ऊँचाई, गीले घास के मैदानों को दर्शाती है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर III- पर्यावरण

स्रोत- द हिंदू

भारत की वर्ष 2018 की बाघ जनगणना ने एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है।

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, भारत की वर्ष 2018 की बाघ जनगणना ने सबसे महत्वपूर्ण कैमरा ट्रैप वन्यजीव सर्वेक्षण के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में प्रवेश किया है।

अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2018 के संदर्भ में जानकारी

- अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2018 के चौथे चक्र में 2,967 बाघों की गणना की गई थी, जो वैश्विक बाघों की आबादी का लगभग 75% था।
- यह डेटा अब तक संसाधन और संकलित डेटा दोनों के संदर्भ में सबसे व्यापक है। कैमरा ट्रैप (मोशन सेंसर लगे बाहरी फोटोग्राफिक उपकरण जो किसी जानवर के गुजरने पर रिकॉर्डिंग शुरू करते हैं) को विभिन्न साइटों पर 26,838 स्थानों पर लगाया गया था और 1,21,337 वर्ग कि.मी. के प्रभावी क्षेत्र का सर्वेक्षण किया गया था।
- प्राप्त की गई तस्वीरों से, स्ट्राइप प्रारूप पहचान सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके 2461 व्यक्तिगत बाघों (शावकों को छोड़कर) को पहचाना गया है।

बाघ जनगणना रिपोर्ट 2018

- इस सर्वेक्षण का नेतृत्व राज्य वन विभागों के सहयोग से राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा किया गया था। भारतीय विश्व वन्यजीव कोष कार्यान्वयन भागीदार था।

मुख्य निष्कर्ष

- सबसे ज्यादा बाघों (526) के साथ मध्य प्रदेश शीर्ष पर रहा है, उसके बाद कर्नाटक (524) और उत्तराखंड (442) रहे हैं। इसके विपरीत, छत्तीसगढ़ और मिजोरम सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं, जिनमें बाघों की आबादी में गिरावट देखी गई है।
- "गंभीर रूप से लुप्तप्राय" उत्तर-पूर्व की पहाड़ियों और ओडिशा में बड़े पैमाने पर संरक्षण प्रयासों की आवश्यकता है।
- सर्वेक्षण का एक सकारात्मक परिणाम यह था कि यह निष्कर्ष निकला था कि भारत की बाघों की आबादी में लगभग एक तिहाई की वृद्धि हुई है, वर्ष 2014 में 2,226 से वर्ष 2018 में 2,927 तक की वृद्धि दर्ज की गई है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर III- पर्यावरण

स्रोत- द हिंदू

ओफियोकॉर्डीसेप्स सिनेंसिस: विश्व का सबसे महंगा कवक

खबरों में क्यों है?

- ओफियोकॉर्डीसेप्स सिनेंसिस, एक कवक है जिसे हिमालयन वियाग्रा या हिमालयन स्वर्ण के रूप में भी जाना जाता है, इसे अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (आई.यू.सी.एन.) की संकटग्रस्त प्रजातियों की रेड लिस्ट में शामिल किया गया है।

ओफियोकॉर्डीसेप्स सिनेंसिस के संदर्भ में जानकारी

- यह लार्वा (कैटरपिलर) का एक कवक परजीवी है, जो भूत कीट से संबंधित है।
- ये हिमालय और तिब्बती पठार के लिए स्थानिक हैं और चीन, भूटान, नेपाल और भारत में पाए जाते हैं।
- यह कवक स्थानीय रूप से किरा जरी (भारत में), यर्ट्सागुनबु (तिब्बत में) और यार्सागुम्बा (नेपाल में) के रूप में जाना जाता है।
- भारत में, यह मुख्य रूप से उत्तराखंड में पिथौरागढ़ और चमोली जैसे जिलों की उच्च पहुंच में पाया जाता है।

औषधीय गुण

- इसका उपयोग पारंपरिक तिब्बती और चीनी चिकित्सा में टॉनिक के रूप में किया जाता है, यह फेफड़ो, लीवर और गुर्दे की समस्याओं के लिए एक चिकित्सीय दवा के रूप में प्रयोग की जाती है।
- हाल के दिनों में, यह व्यापक रूप से कामोत्तेजक (यौन इच्छा को उत्तेजित करने वाला) और 'हिमालयन वियाग्रा' नामक एक शक्तिशाली टॉनिक के रूप में इसका व्यापार किया जाता है।

संरक्षण स्तर

- इसे आई.यू.सी.एन. की रेड लिस्ट के अनुसार 'लुप्तप्राय श्रेणी' के अंतर्गत सूचीबद्ध किया गया है।

नोट:

- इसे हिमालयन स्वर्ण कहा जाता है क्यों कि यह कवक स्थानीय स्तर पर लगभग 10 लाख रूपये प्रति किलोग्राम की दर से बिकता है और चीन जैसे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों (जहां यह अत्यधिक बेशकीमती है) में 20 लाख रूपये प्रति किलोग्राम से अधिक की दर पर बेचा जाता है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर III- पर्यावरण

स्रोत- इकोनॉमिक्स टाइम्स

भारतीय रेलवे, वर्ष 2030 तक "ग्रीन रेलवे" बनने के मिशन मोड पर है।

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, रेल मंत्रालय ने भारतीय रेलवे को वर्ष 2030 तक ग्रीन रेलवे (परिणामी शून्य कार्बन उत्सर्जन) में बदलने के लिए जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कई बड़ी पहल की है। ये प्रमुख पहलें हैं:

रेलवे विद्युतीकरण

- भारतीय रेलवे ने 40,000 से अधिक मार्ग कि.मी. (आर.के.एम.) (चौड़े-गेज मार्गों का 63%) का विद्युतीकरण पूरा कर लिया है, जिसमें 2014-20 के दौरान 18,605 किलोमीटर का विद्युतीकरण कार्य किया गया है।
- भारतीय रेलवे ने वर्ष 2020-21 के लिए 7000 आर.के.एम. के विद्युतीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया है।
- चौड़े गेज नेटवर्क पर सभी मार्गों को दिसंबर, 2023 तक विद्युतीकृत करने की योजना बनाई गई है।

डिब्बों में जैव शौचालयों की फिटिंग

- भारतीय रेलवे में 2,44,000 जैव-शौचालयों वाले कुल 69,000 कोच लगाए गए हैं।

प्रतिष्ठानों/ स्टेशनों के लिए हरित प्रमाणन

- भारतीय रेलवे ने सी.आई.आई. से 7 उत्पादन इकाईयों (पी.यू.), 39 वर्कशॉप्स, 6 डीजल शेड और 1 स्टोर डिपो के लिए हरित प्रमाणपत्र भी हासिल कर लिया है।
- 14 रेलवे स्टेशनों और 21 अन्य भवनों/ परिसरों को भी हरित प्रमाणित किया गया है।

रूफटॉप सौर पैनल

- भारतीय रेलवे, रूफटॉप सौर पैनल (डेवलपर मॉडल) के माध्यम से 500 मेगा वाट (एम.डब्ल्यू.) ऊर्जा की क्षमता का दोहन करने के लिए काम कर रहा है।
- अब तक, 900 स्टेशनों सहित विभिन्न भवनों की छतों पर 100 मेगावाट (एम.डब्ल्यू.) के सौर संयंत्र लगाए गए हैं।

टॉपिक- जी.एस. पेपर III- पर्यावरण

स्रोत- पी.आई.बी.

काजी 106एफ

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, देश के एकमात्र गोल्डन टाइगर, काजी 106एफ की एक तस्वीर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हुई है।

काजी 106एफ के संदर्भ में जानकारी

- इसे असम के विश्व धरोहर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाने वाले 'टैबी टाइगर' या 'स्ट्रॉबेरी टाइगर' के रूप में भी जाना जाता है।
- काजी 106 एफ, हल्की काली धारियों के साथ हल्की पीली त्वचा वाली बाघिन है।

इस अद्वितीय रंग के पीछे का कारण

- बाघों की त्वचा नारंगी-पीले रंग की होती है, जिसमें काली धारियाँ होती हैं और एक सफेद पेट वाला क्षेत्र होता है।
- पीले रंग की पृष्ठभूमि को 'अगौती जीन' और उनके आनुवांशिक तत्वों के सेट द्वारा नियंत्रित किया जाता है।
- काले रंग की धारियों को 'टैबी जीन' और उनके आनुवांशिक तत्वों द्वारा नियंत्रित किया जाता है।
- अगौती जीन, वर्णक कोशिकाओं के साथ अभिव्यक्ति के लिए पीले से लाल या भूरे से काले रंग का उत्पादन करते हैं।
- यह संवाद जानवरों के बालों में अलग-अलग हल्के और गहरे रंग के बैंड बनाने के लिए ज़िम्मेदार है जैसे कि अगौती, जो बाघिन- काज़ी 106 एफ के साथ होता है।

काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में

- यह पूर्वोत्तर भारत में असम के कर्बी आंगलोंग जिले में गोलाघाट और नागांव में स्थित है।
- यह ब्रह्मपुत्र नदी के बाढ़प्रवण क्षेत्र में फैला हुआ है, इसके जंगल, आर्द्रभूमि और घास के मैदान बाघों, हाथियों और भारतीय एक सींग वाले गैंडों की दुनिया की सबसे बड़ी आबादी का निवास स्थान हैं।
- वर्ष 1985 में, पार्क को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया था।

टाइगर रिजर्व

- असम राज्य में चार बाघ अभयारण्य हैं।
- ये हैं
  a. काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान
  b. मानस राष्ट्रीय उद्यान
  c. ओरंग राष्ट्रीय उद्यान
  d. नामेरी राष्ट्रीय उद्यान

टॉपिक- जी.एस. पेपर III- पर्यावरण

स्रोत- द हिंदू

वूली व्हाइटफ्लाई: एक आक्रामक प्रजाति

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, दो प्रकार के गुबरैले भौंरे उन तीन स्वदेशी कीटों में से एक हैं, जो भारतीय फल किसानों के कैरेबियाई मूल के दुश्मन- वूली व्हाइटफ्लाई के खिलाफ जैविक हथियार है।

वूली व्हाइटफ्लाइ के संदर्भ में जानकारी

- यह भारत में किसानों, विशेष रूप से फल उत्पादकों को परेशान करने वाले 118 विदेशी कीटों में सबसे नया है, इसे सबसे पहले 1896 में जमैका में वर्णित किया गया था और 1909 में अमेरिका के फ्लोरिडा में देखा गया था।
- यह व्हाइटफ़्लाई (एलेयूरोथ्रिक्सस फ्लोक्कोसस) आक्रामक और ध्वनियुक्त है, जिसका अर्थ एक प्राणी है जो विभिन्न प्रकार के भोजन खाता है।
- बेंगलुरू में आई.सी.ए.आर. के राष्ट्रीय कृषि कीट संसाधन ब्यूरो ने 2019 में कैरिबियाई द्वीप से पीड़ित पौधे के माध्यम से कीट के प्रसार की सूचना दी थी।

आक्रामक प्रजाति के संदर्भ में जानकारी

- एक आक्रामक प्रजाति कोई भी जीवित जीव हो सकता है, यह एक उभयचर, पौधा, कीट, मछली, कवक, जीवाणु या यहां तक कि एक जीव का बीज या अंडा हो सकते हैं- जो कि एक पारिस्थितिकी तंत्र का मूल नहीं है और नुकसान पहुँचाते हैं।
- वे पर्यावरण, अर्थव्यवस्था या मानव स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं।
- वे उस वातावरण को बदल देते हैं जिसमें वे आक्रमण करते हैं और उनके द्वारा परिदृश्य को उपनिवेशित करने के बाद उन्हें नियंत्रित करना मुश्किल और महंगा होता है।
- उनके पास प्ररूपी ढलनशीलता (पर्यावरणीय तनाव के अनुकूल होने की क्षमता) होती है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर III- पर्यावरण

स्रोत- द हिंदू

कुर्मा (KURMA) ऐप

खबरों में क्यों है?

- केंद्रीय पर्यावरण एवं सूचना और प्रसारण मंत्री ने भारतीय कछुओं को ट्रैक करने और रिपोर्ट करने के लिए अद्वितीय उपकरण के रूप में कुर्मा (KURMA) मोबाइल एप्लिकेशन का अभिवादन किया है।

कुर्मा (KURMA) ऐप के संदर्भ में जानकारी

- यह एप्लिकेशन कुर्मा इस वर्ष 23 मई को विश्व कछुआ दिवस पर लॉन्च किया गया था।
- इस मोबाइल एप्लिकेशन को कछुआ उत्तरजीविता संधि-इंडिया और वन्यजीव संरक्षण सोसाइटी-इंडिया के सहयोग से भारतीय कछुआ संरक्षण कार्रवाई नेटवर्क (आई.टी.सी.ए.एन.) द्वारा विकसित किया गया है।
- यह उपयोगकर्ताओं को एक प्रजाति की पहचान करने के लिए डेटाबेस प्रदान करता है और पूरे देश में कछुओं के लिए निकटतम बचाव केंद्र का स्थान भी प्रदान करता है।
- यह एक नागरिक विज्ञान पहल भी है जिसका उद्देश्य कछुओं (टर्टल) और कछुओं का संरक्षण करना है।

संबंधित जानकारी

भारतीय कछुआ संरक्षण कार्रवाई नेटवर्क के संदर्भ में जानकारी

- इसे कछुए (टर्टल) और कछुओं के संरक्षण के उद्देश्य से नागरिक-विज्ञान पहल शुरू करने के लिए बनाया गया था।
- यह कछुओं पर महत्वपूर्ण जानकारी का आदान-प्रदान करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है, यह प्रवर्तन एजेंसियों, वन विभागों आदि की सहायता करता है।
- यह वर्ष 2020 का कछुओं के वर्ष के रूप में अवलोकन करने में भी मदद करेगा।

कछुआ उत्तरजीविता संधि के संदर्भ में जानकारी

- कछुआ उत्तरजीविता संधि (टी.एस.ए.) का गठन वर्ष 2001 में मीठे पानी के कछुओं (टर्टल) और कछुओं के स्थायी बंदी प्रबंधन के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (आई.यू.सी.एन.) साझेदारी के रूप में किया गया था।
- इसने प्रारंभ में आई.यू.सी.एन. कछुआ एवं मीठे पानी के कछुआ विशेषज्ञ समूह की एक टास्क फोर्स को नामित किया था।
- टी.एस.ए., एशियाई कछुआ आबादी की प्रबल और सतत फसल की चीनी बाजारों को आपूर्ति करने के लिए एक प्रतिक्रिया के रूप में उभरकर आया है, इसे एशियाई कछुआ संकट के रूप में जाना जाता है।
- इसे अब कछुए के संरक्षण के लिए एक वैश्विक फोर्स के रूप में मान्यता प्रदान की गई है, जो गंभीर रूप से लुप्तप्राय कछुओं (टर्टल) और कछुओं की ओर से तेज और निर्णायक कार्रवाई करने में सक्षम है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर III- पर्यावरण

स्रोत- द हिंदू

बाथिनोमस रक्सासा

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, सिंगापुर के शोधकर्ताओं की एक टीम ने "बथिनोमस रक्सासा" नामक एक नई प्रजाति की खोज की पुष्टि की है, जो "महादानव" बाथिनोमस है और जिसे तब से पूर्वी हिंद महासागर (इंडोनेशिया के पास) में "समुद्र के तिलचट्टा" के रूप में वर्णित किया जाता है।

बाथिनोमस रक्सासा के संदर्भ में जानकारी

- बाथिनोमस रक्सासा, बाथिनोमस वंश में एक विशाल आइसोपॉड है।
- ये विशाल आइसोपोड्स केकड़ों, झींगा मछलियों और झींगुरों (जो कि दशपाद से संबंधित हैं) से दूरस्थ रूप से संबंधित हैं।

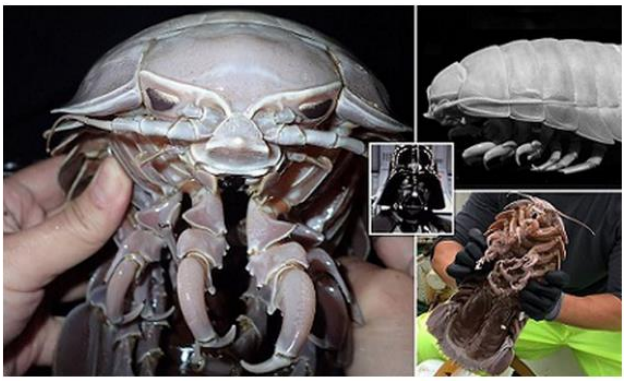

वितरण

- ये प्रशांत, अटलांटिक और भारतीय महासागरों की ठंडी गहराई में पाए जाते हैं।

विशेषताएँ

- समुद्र के तिलचट्टे के 14 पैर होते हैं लेकिन ये भोजन की तलाश में महासागरों की सतह पर रेंगने के लिए इनका उपयोग करता है।
- यह डार्थ वाडर के समान कॉकरोच के सिर और जटिल आंखों के आकार के कारण दिखाई देता है।
- बाथिनोमस रक्सासा की लंबाई लगभग 50 सेंटीमीटर (1.6 फीट) है, जो आइसोपोड्स की श्रेणी में बड़ा है, जो सामान्य रूप से 33 से.मी. (सिर्फ एक फुट से अधिक) नहीं बढ़ते हैं।
- 50 से.मी. तक लंबे आइसोपोड्स को सुपरजाइंट्स (महादानव) कहा जाता है।
- आइसोपॉड प्रजाति का एकमात्र सदस्य है जो आकार में रक्सासा से अधिक होता है वह, बाथिनोमस गिगेंटियस है, जो सामान्यत: पश्चिमी अटलांटिक महासागर के गहरे पानी में पाया जाता है।

खोज का महत्व

- अब तक, वैज्ञानिक समुदाय को पांच सुपरजाइंट प्रजातियों का पता था, जिनमें से दो पश्चिमी अटलांटिक में पाई जाती हैं।
- यह इंडोनेशिया से वंश का पहला रिकॉर्ड है।
- "बाथिनोमस रक्सासा" भारत-पश्चिम प्रशांत से छठी 'सुपरगाइंट' प्रजाति है और यह वंश के सबसे बड़े ज्ञात सदस्यों में से एक है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर III- पर्यावरण

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

रेस (RAISE) कार्यक्रम

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने रेट्रोफिट ऑफ एयर कंडीशिनिंग टू इंप्रूव इंडोर एयर क्वालिटी फॉर सेफ्टी एंड एफिशिएंसी (RAISE) राष्ट्रीय कार्यक्रम लॉन्च किया है।

- यह एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ई.ई.एस.एल.) और यू.एस. एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स (यू.एस.ए.आई.डी.) की एक संयुक्त पहल है।

रेस (RAISE) कार्यक्रम के संदर्भ में जानकारी

- यह यू.एस. एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स (यू.एस.ए.आई.डी.) मैत्री कार्यक्रम के साथ साझेदारी में स्वस्थ और ऊर्जा दक्ष भवनों के लिए विकसित की गई रेस के लिए बड़ी पहल का एक हिस्सा है।
- स्कोप कॉम्प्लेक्स में ई.ई.एस.एल. के कॉर्पोरेट कार्यालय को इस पहल के लिए एक परीक्षण के रूप में माना गया है।
- यह अपने कार्यालय के एयर कंडीशनिंग सिस्टम में इनडोर वायु गुणवत्ता (आई.एक्यू.), थर्मल आराम और ऊर्जा दक्षता (ई.ई.) में सुधार करने पर ध्यान केंद्रित करता है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर III- पर्यावरण

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

वृक्षारोपण अभियान

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, केंद्रीय गृह मंत्री ने कोयला मंत्रालय के पेड़ लगाने के अभियान "वृक्षारोपण अभियान" की शुरूआत की है।

"वृक्षारोपण अभियान" के संदर्भ में जानकारी

- यह कोयला मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया एक अभियान है।
- यह कोयला मंत्रालय की गोइंग ग्रीन पहल का एक हिस्सा है।
- इस पहल के अंतर्गत, कालोनियों, कार्यालयों और खानों में और कोयला और लिग्नाइट पी.एस.यू. के अन्य उपयुक्त क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया जाएगा।

- समाज द्वारा वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए आस-पास के क्षेत्रों में अभियान के अंतर्गत बीज वितरित किए जाएंगे।
- यह सभी कोयला और लिग्नाइट सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को शामिल करता है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर III- पर्यावरण

स्रोत- पी.आई.बी.

वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन

खबरों में क्यों है?

- संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन (एफ.ए.ओ.) द्वारा जारी नवीनतम वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन (एफ.आर.ए.) के अनुसार, पिछले दशक में वन क्षेत्रों में वृद्धि प्राप्त करने वाले शीर्ष 10 देशों में तीसरे स्थान पर भारत है।

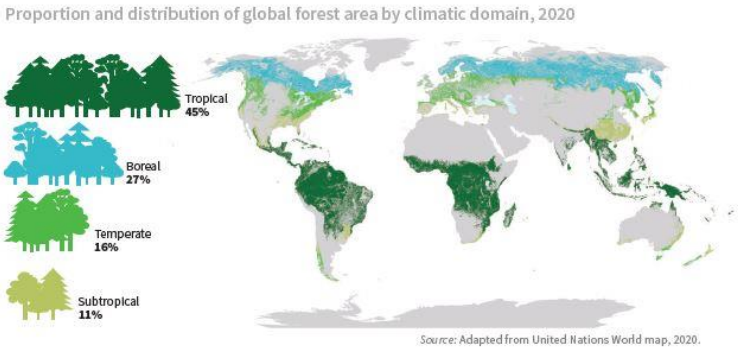

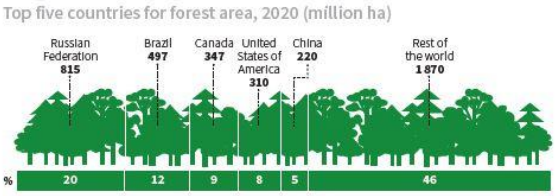

वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन के संदर्भ में जानकारी

- खाद्य एवं कृषि संगठन ने 1990 के बाद से प्रत्येक पांच वर्ष में यह व्यापक मूल्यांकन किया है।
- यह रिपोर्ट सभी सदस्य देशों के वनों की स्थिति, उनकी स्थितियों और प्रबंधन का आकलन करती है।

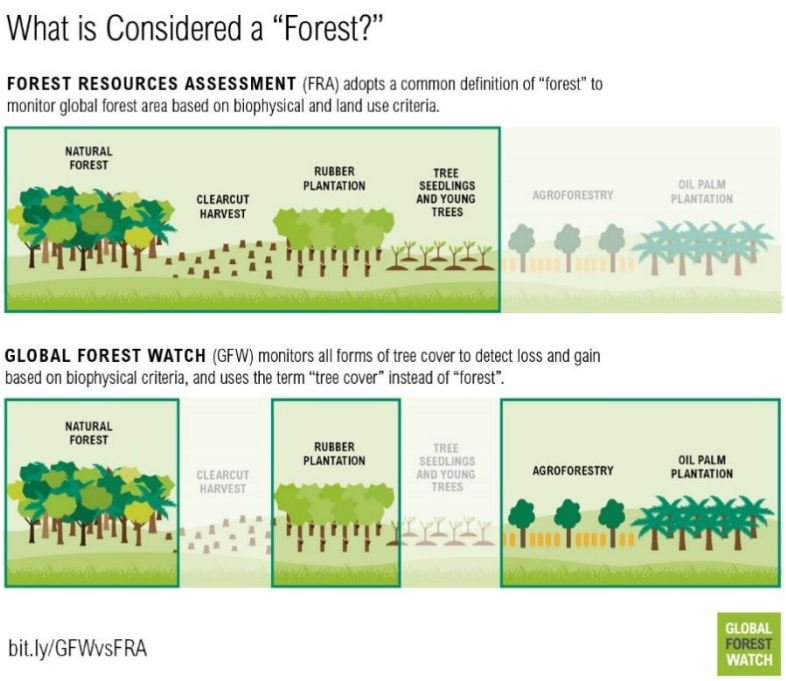

वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन 2020 की खोज

- 2010-2020 के दौरान वन क्षेत्र में अधिकतम औसत वार्षिक कुल लाभ दर्ज करने वाले शीर्ष 10 देशों में चीन, ऑस्ट्रेलिया, भारत, चिली, वियतनाम, तुर्की, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, इटली और रोमानिया हैं।
- भारत में कुल वैश्विक वन क्षेत्र का दो प्रतिशत भाग है।

- एशियाई महाद्वीप ने 2010-2020 में वन क्षेत्र में सबसे अधिक कुल लाभ दर्ज किया है।
- इसने पिछले एक दशक में वनों में 1.17 मिलियन हेक्टेयर (हेक्टेयर) प्रति वर्ष की कुल वृद्धि दर्ज की है।
- हालांकि, दक्षिण एशिया उप-क्षेत्र ने 1990-2020 के दौरान कुल वन हानि दर्ज की है।
- एफ.आर.ए. 2020 के अनुसार, इस अवधि के दौरान भारत के वनों में कुल लाभ के बिना यह गिरावट बहुत अधिक थी।
- मूल्यांकन के एक दशक के दौरान, भारत ने वनों में 0.38 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्ज की है या औसतन प्रत्येक वर्ष 266,000 हेक्टेयर वन वृद्धि दर्ज की है।
- एफ.आर.ए. 2020 ने एशियाई महाद्वीप में सामुदायिक प्रबंधित वन क्षेत्रों में उल्लेखनीय वृद्धि के लिए सरकार के संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम को श्रेय दिया है।

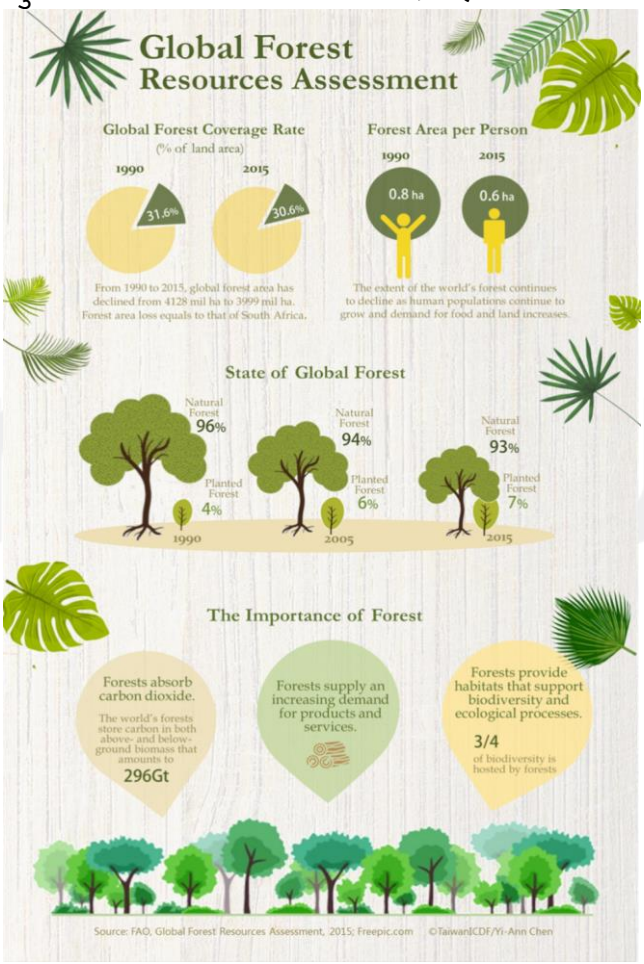

टॉपिक- जी.एस. पेपर III- पर्यावरण

स्रोत- डाउन टू अर्थ

ब्लू पॉपी

खबरों में क्यों है?

- एक हालिया अध्ययन से संकेत मिलता है कि ब्लू पॉपी या हिमालयी फूलों की रानी धीरे-धीरे कम ऊंचाई और चट्टानी मोरैनों पर खिल रहे हैं।

ब्लू पॉपी के संदर्भ में जानकारी

- यह कुमाऊँ से कश्मीर तक 3,000 से 5,000 मीटर की ऊँचाई पर पाया जाता है।
- इस पौधे का वैज्ञानिक नाम मेकोनोपिस एकुलेट्टे है।
- इसे हिमालय के फूलों की रानी माना जाता है।
- ये पौधे आवास के नुकसान और जनसंख्या में कमी के लिए लुप्तप्राय पाए गए हैं।

टॉपिक- जी.एस. पेपर III- पर्यावरण

स्रोत- द हिंदू

संरक्षण आश्वासन| बाघ मानक (सी.ए.| टी.एस.) ढांचा

खबरों में क्यों?

- भारत के राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने देश के सभी 50 बाघ रिजर्वों में संरक्षण आश्वासन| बाघ मानक (सी.ए.| टी.एस.) को अपनाने की घोषणा की है।

संरक्षण आश्वासन| बाघ मानक (सी.ए.| टी.एस.) ढांचे के संदर्भ में जानकारी

- इसे वर्ष 2013 में लॉन्च किया गया था, इस उपकरण को बाघ संरक्षण में संलग्न क्षेत्र प्रबंधकों, बाघ विशेषज्ञों और सरकारी एजेंसियों के सहयोग से विकसित किया गया था।
- सी.ए.| टी.एस. बाघ रेंज सरकारों, अंतर-सरकारी एजेंसियों, संस्थानों, गैर-सरकारी संगठनों और संरक्षण संगठनों की साझेदारी है।
- बाघ, इस पहल के लिए चुनी गई पहली प्रजाति है।

भारत के लिए इसका क्या अर्थ है?

- इस घोषणा का अर्थ है कि भारत, उन 13 बाघ रेंज वाले देशों में से पहला देश है जो सी.ए.। टी.एस. को राष्ट्रीय स्तर पर अपनाते हैं। जो संरक्षण स्थलों के प्रबंधन के लिए बेंचमार्क निर्धारित करने वाले न्यूनतम मानकों का एक समूह है।
- इससे भारत की कुल पंजीकृत साइटों की संख्या 94 हो गई (जिसमें टाइगर रिज़र्व के बाहर की साइटें शामिल हैं) है।
- सी.ए.| टी.एस., एक संरक्षण उपकरण है, जो लक्षित प्रजातियों को प्रबंधित करने के लिए सर्वोत्तम अभ्यास और मानकों को निर्धारित करता है और बेंचमार्क प्रगति के मूल्यांकन को प्रोत्साहित करता है।

संबंधित जानकारी

राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के संदर्भ में जानकारी

- यह पर्यावरण, वानिकी एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत एक सांविधिक निकाय है।
- इसे वर्ष 2005 में टाइगर टास्क फोर्स की सिफारिशों के बाद स्थापित किया गया था।
- इसे वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के सक्षम प्रावधानों के अंतर्गत इसे सौंपी गई शक्तियों और कार्यों के अनुसार बाघ संरक्षण को मजबूत करने के लिए गठित किया गया था, जैसा कि वर्ष 2006 में संशोधित किया गया था।

प्रोजेक्ट टाइगर के संदर्भ में जानकारी

- प्रोजेक्ट टाइगर अप्रैल, 1973 में शुरू किया गया एक बाघ संरक्षण कार्यक्रम है।
- यह पर्यावरण, वानिकी एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की केन्द्रीय प्रायोजित योजना है, जो बाघ राज्यों को नामित बाघ अभ्यारण्यों में बाघ संरक्षण के लिए केंद्रीय सहायता प्रदान करती है।
- वर्ष 2014 में पिछली जनगणना के बाद से बाघों की आबादी में 33% की वृद्धि हुई है, वर्ष 2014 में बाघों का कुल अनुमान 2,226 था।
- मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या सबसे ज्यादा 526 है, इसके बाद कर्नाटक (524) और उत्तराखंड (442) का स्थान है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर III- पर्यावरण

स्रोत- डब्ल्यू.डब्ल्यू.एफ.

मिजोरम में ग्रीन-एग परियोजना

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, केंद्र सरकार ने कृषि से उत्सर्जन को कम करने और स्थायी कृषि प्रथाओं को सुनिश्चित करने के लिए मिजोरम में ग्रीन-एग परियोजना शुरू की है।
- मिजोरम उन पांच राज्यों में से एक है जहां इस परियोजना को लागू किया जाएगा, अन्य राज्यों में राजस्थान, मध्य प्रदेश, ओडिशा और उत्तराखंड शामिल हैं।

Gradeup Green Card
Unlimited Access to All Mock Tests of State PCS Exams
CHECK HERE

परियोजना के संदर्भ में जानकारी

- यह परियोजना मिश्रित भूमि उपयोग प्रणाली के साथ पांच भू-दृश्यों में कम से कम 1.8 मिलियन हेक्टेयर (हेक्टेयर) भूमि में कई वैश्विक पर्यावरणीय लाभ प्राप्त करने के लिए डिज़ाइन की गई है।
- इसका लक्ष्य स्थायी भूमि एवं जल प्रबंधन के अंतर्गत कम से कम 104070 हेक्टेयर खेतों को लाना है।
- यह परियोजना स्थायी भूमि उपयोग और कृषि प्रथाओं के माध्यम से 49 मिलियन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर (CO_2eq) भाग को निर्जन या कम करने को सुनिश्चित करेगी।

अनुदान

- ग्रीन-एग परियोजना को वैश्विक पर्यावरण सुविधा द्वारा वित्त पोषित किया गया है, जब कि कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग (डी.ए.सी. एंड एफ.डब्ल्यू.) राष्ट्रीय निष्पादन एजेंसी है।
- इसके कार्यान्वयन में शामिल अन्य प्रमुख खिलाड़ी खाद्य एवं कृषि संगठन (एफ.ए.ओ.) और केंद्रीय पर्यावरण, वानिकी एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय हैं।
- परीक्षण परियोजना के 31 मार्च, 2026 को मिजोरम सहित सभी राज्यों में समाप्त होने की उम्मीद है, जहां परियोजना दो जिलों- लुंगलेई और मामित में 145670 हेक्टेयर भूमि को कवर करती है।
- इसका उद्देश्य 35 गाँवों को कवर करना है और इसमें दो संरक्षित क्षेत्र- दम्पा टाइगर रिज़र्व और थोरंगत्लांग वन्यजीव अभयारण्य शामिल हैं।

विज्ञानं एवं तकनीकि

qkdSim: सतत अनुकरण टूलकिट

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, सुरक्षित क्वांटम संचार प्लेटफार्मों में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, रमन अनुसंधान संस्थान (आर.आर.आई.) के शोधकर्ताओं ने qkdSim' नामक एंड-टू-एंड QKD सतत अनुकरण हेतु अद्वितीय सतत अनुकरण टूलकिट बनाई है।
- यह इस प्रकार का पहला व्यावहारिक उपकरण है, जो QKD की व्याख्या करने के लिए प्रयोगों को डिजाइन करने, स्थापित करने, अनुकूल बनाने और मूल्यांकन करने हेतु अपरिहार्य होगा और सतत अनुकरण उपकरण की प्रयोज्यता को व्यापक बनाने के लिए भविष्य के विकास पैदा करेगा।

समय की मांग है

- सुरक्षित प्लेटफार्मों के माध्यम से ऑनलाइन संचार सुनिश्चित करने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा हाल ही में परामर्श जारी किया गया है, जिसमें आभासी दुनिया में सुरक्षा सुनिश्चित करने के उपायों की बढ़ती आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है क्यों कि कोविद-19 ने दिन-प्रतिदिन की अधिकांश गतिविधियों को डिजिटल दायरे तक सीमित कर दिया है।
- किसी भी सूचना हस्तांतरण प्रोटोकॉल का सुरक्षित हिस्सा, संदेशों को एन्क्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने के लिए उपयोग की जाने वाली कुंजी के वितरण में है।
- इस प्रकार की मानक कुंजी वितरण योजनाएं, सामान्यत: समस्याओं के गणितीय समाधान पर आधारित होती हैं, जो एल्गोरिथ्मिक सफलताओं और ऊपर के और भविष्य में आने वाले क्वांटम कंप्यूटरों पर नए कोड संचालित करने की संभावना के प्रति संवेदनशील होती हैं।
- कुंजी हस्तांतरण प्रक्रिया की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए समाधान, क्वांटम भौतिकी के नियमों का उपयोग करने में निहित है, जिसमें कोई भी जासूसी गतिविधि मुखबिर संकेतों को छोड़ देगी और इसलिए इसका आसानी से पता लगाया जा सकेगा।
- यह क्वांटम कुंजी वितरण या क्यू.के.डी. का उपयोग करके प्राप्त किया जाता है।

पृष्ठभूमि

- यह टूलकिट, आर.आर.आई. द्वारा विकसित की गई है, जो भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डी.एस.टी.) का एक स्वायत्त संस्थान है, यह मॉड्यूलर सिद्धांतों पर आधारित है जो इसे विभिन्न मजबूत प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके प्रोटोकॉल के विभिन्न वर्गों में विकसित होने की अनुमति प्रदान करता है।
- कनाडा के सहयोग से भारतीय वैज्ञानिकों के नेतृत्व में किया गया शोध है, जो उपग्रह प्रौद्योगिकी (QuEST) परियोजना का उपयोग करते हुए क्वांटम प्रयोगों का एक हिस्सा है।

- QuEST, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) द्वारा समर्थित भारत का पहला उपग्रह-आधारित सुरक्षित क्वांटम संचार प्रयास है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर III- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

स्रोत- पी.आई.बी.

फोबोस

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, इसरो के मार्स ऑर्बिटर मिशन (एम.ओ.एम.) पर तैनात मार्स कलर कैमरा (एम.सी.सी.) ने फोबोस की छवि को कैप्चर किया है।

फोबोस के संदर्भ में जानकारी

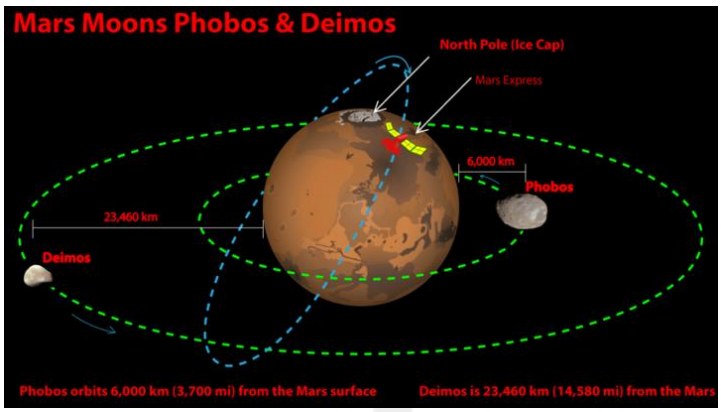

- यह मंगल का सबसे निकटतम और सबसे बड़ा चंद्रमा है।
- फोबोस, मंगल के दो प्राकृतिक उपग्रहों में से सबसे आंतरिक और सबसे बड़ा है, दूसरा डीमोस है।
- दोनों चंद्रमाओं की खोज वर्ष 1877 में अमेरिकी खगोलशास्त्री आसफ हॉल ने की थी।
- फोबोस 11 कि.मी. (7 मील) की औसत त्रिज्या के साथ एक छोटी, अनियमित आकार की वस्तु है और यह बाहरी चंद्रमा, डीमोस से सात गुना विशालकाय है।
- फोबोस, मंगल ग्रह की सतह से 6,000 कि.मी. (3,700 मील) की परिक्रमा करता है, जो किसी भी अन्य ज्ञात ग्रह संबंधी चन्द्रमा की तुलना में अपने प्राथमिक पिंड के निकट है।
- यह इतना निकट है कि यह मंगल के घूर्णन की तुलना में मंगल की बहुत तेज गति से परिक्रमा करता है और केवल 7 घंटे और 39 मिनट में एक चक्कर पूरा करता है।
- फोबोस, सौर मंडल में सबसे कम परावर्तक पिंडो में से एक है।

इसरो के मार्स ऑर्बिटर मिशन के संदर्भ में जानकारी

- मंगल ऑर्बिटर मिशन (एम.ओ.एम.), जिसे 24 सितंबर, 2014 से मंगल की परिक्रमा वाली अंतरिक्ष जांच भी कहा जाता है।
- इसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) द्वारा 5 नवंबर, 2013 को लॉन्च किया गया था।
- यह भारत का पहला इंटरप्लेनेटरी मिशन है और इसने इसे रोस्कोस्मोस, नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के बाद मंगल ग्रह पर पहुंचने वाली चौथी अंतरिक्ष एजेंसी बना दिया है।
- इसने भारत को मंगल की कक्षा में पहुंचने वाला पहला एशियाई राष्ट्र बना दिया है और अपने पहले प्रयास में ऐसा करने वाला दुनिया का पहला राष्ट्र भी बना दिया है।

- मार्स ऑर्बिटर में पांच वैज्ञानिक उपकरण- लाइमन अल्फा प्रकाशमापी (एल.ए.पी.), मंगल हेतु मीथेन सेंसर (एम.एस.एम.), मंगल बिर्मडलीय उदासीन संयोजन विश्लेषक (एम.ई.एन.सी.ए.), मार्स कलर कैमरा (एम.सी.सी.) और थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर हैं।

टॉपिक- जी.एस. पेपर III- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

स्रोत- द हिंदू

शीतकालीन डीजल

खबरों में क्यों है?

- भारत की सशस्त्र सेना शीघ्र ही लद्दाख जैसे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ऑपरेशन के लिए शीतकालीन डीजल का उपयोग कर सकती है, जहां सर्दियों का तापमान बहुत निचले स्तर तक गिर जाता हैं।

'शीतकालीन डीजल 'क्या है?

- शीतकालीन डीजल, एक विशेष ईंधन है, जिसे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा पिछले वर्ष विशेष रूप से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों और लद्दाख जैसे कम तापमान वाले क्षेत्रों के लिए पेश किया गया था, जहाँ साधारण डीजल खराब हो सकता है।

शीतकालीन डीजल की विशेषताएं

- इतने कम तापमान पर नियमित डीजल के प्रवाह की विशेषताओं में परिवर्तन होता है और इसका उपयोग करना वाहनों के लिए हानिकारक हो सकता है।
- यह निरंतर कम श्यानता बनाए रखता है और इसे -30 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है।
- इसमें निम्न पॉर प्वॉइंट होता है।
- इसमें उच्च श्रेणी की सिटेन रेटिंग होती है- एक संकेतक है जो डीजल की दहन गति और प्रज्वलन के लिए आवश्यक संपीड़न का सूचक है और इसमें सल्फर सामग्री कम होती है।

वर्तमान में इस क्षेत्र में सशस्त्र बल क्या उपयोग कर रहे हैं?

- सशस्त्र बलों ने वर्तमान में इन क्षेत्रों में संचालन के लिए उच्च सल्फर पॉर प्वाइंट (डी.एच.पी.पी.-डब्ल्यू.) वाले डीजल का उपयोग किया है, जिसमें -30 डिग्री सेल्सियस का पॉर प्वाइंट भी है।
- आई.ओ.सी.एल. और अन्य तेल विपणन कंपनियां, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने यह डीजल प्रदान किया है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर III- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

कॉम्पैक्ट एक्स.एल.

खबरों में क्यों है?

- पुणे स्थित आणविक नैदानिक कंपनी, माईलैब सॉल्यूशन ने हाल ही में कोविड-19 के लिए आर.टी.-पी.सी.आर. टेस्ट जैसे आणविक नैदानिक परीक्षणों की मैन्युअल प्रक्रियाओं को स्वचालित करने के लिए 'कॉम्पैक्ट-एक्स.एल.' नामक भारत की पहली मशीन लॉन्च की है।

कॉम्पैक्ट एक्स.एल. के संदर्भ में जानकारी

- यह एक कॉम्पैक्ट बेंच-टॉप मशीन है जो नमूना प्रक्रियाओं से आर.टी.-पी.सी.आर. रेडी ट्यूबों को तैयार करने के लिए प्रयोगशाला प्रक्रियाओं को स्वचालित करेगी। यह एक कार्ट्रिज-आधारित मशीन है और एक ही समय में कई नमूनों का परीक्षण कर सकती है। इसका उपयोग कोविड-19 आर.टी.-पी.सी.आर. टेस्टों सहित आर.एन.ए./ डी.एन.ए.-आधारित परीक्षणों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए किया जा सकता है।

- यह मशीन प्लाज्मा, ऊतक, थूक और स्वाब जैसे विभिन्न नमूना प्रकारों का इनपुट ले सकती है।
- यह 100 प्रतिशत स्वदेशी रूप से विकसित मशीन है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 3- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

स्रोत- ए.आई.आर.

सितारों में लिथियम: सितारों के संदर्भ में 40 वर्ष पुरानी पहेली हल हो गई है।

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, सितारों में लिथियम के उत्पादन के बारे में 40 वर्षीय पहेली को भारतीय शोधकर्ताओं द्वारा हल किया गया है। जब सितारे अपने लाल विशालकाय चरण से आगे बढ़ते हैं, जिसे लाल पिंड चरण के रूप में जाना जाता है तो वे लिथियम का उत्पादन करते हैं, जिसे हीलियम फ्लैश के रूप में जाना जाता है और ये वह है जो उन्हें लिथियम से समृद्ध करता है।

सितारों में लिथियम के संदर्भ में तथ्य

- सितारे, विकास के ज्ञात तंत्र के अनुसार, वास्तविकता में लिथियम को नष्ट कर देते हैं क्यों कि वे लाल विशालकाय पिंडो के रूप में विकसित होते हैं।
- ग्रहों को अपने सितारों की तुलना में अधिक लिथियम रखने के लिए जाना जाता था जैसा कि पृथ्वी-सूर्य की जोड़ी के साथ है।
- हालांकि, विरोधाभास के रूप में कुछ सितारे पाए गए हैं, जो लिथियम से समृद्ध हैं।

लिथियम के संदर्भ में जानकारी

- यह एक हल्का तत्व है, जो सामान्यत: संचार उपकरण प्रौद्योगिकी में उपयोग किया जाता है।
- यह पहली बार बिग बैंग में उत्पन्न हुआ था, लगभग 13.7 बिलियन वर्ष पहले जब ब्रह्मांड अन्य तत्वों के साथ अस्तित्व में आया था।
- ब्रह्मांड में लिथियम की वर्तमान प्रचुरता, वास्तविक (बिग बैंग) मान का केवल चार गुना है क्यों कि लिथियम वास्तविकता में सितारों में नष्ट हो जाता है।
- उदाहरण के लिए, सूर्य में पृथ्वी की तुलना में लिथियम की मात्रा 100 गुणज कम है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर III- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

स्रोत- द हिंदू

स्वर्ण सब 1

खबरों में क्यों है?

- असम के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में किसान, जल प्रतिरोधी स्वर्ण सब 1, चावल की किस्म की कटाई कर रहे हैं।
- यह किसानों की फसलों की पसंद के बीच प्रमुखता प्राप्त कर रही है।

स्वर्ण सब 1 के संदर्भ में जानकारी

- यह वर्ष 2009 से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और मनीला स्थित अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित की गई है।
- चावल की अन्य जल प्रतिरोधी किस्में रनित सब 1 और बहादुर सब 1 हैं।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संदर्भ में जानकारी

- यह भारत में कृषि शिक्षा और अनुसंधान के समन्वय हेतु जिम्मेदार एक स्वायत्त निकाय है।
- यह कृषि मंत्रालय के कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग को रिपोर्ट करता है।
- केंद्रीय कृषि मंत्री, इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं।

टॉपिक- जी.एस. पेपर III- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

स्रोत- द हिंदू

टी.एन.एफ.- एपोप्टोसिस-उत्प्रेरण लिगैंड संबंध (TRAIL)

खबरों में क्यों है?

- भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान-मद्रास के शोधकर्ताओं ने दर्शाया है कि सामान्य घरेलू मसाले हल्दी-करक्यूमिन से सक्रिय यौगिक कैंसर कोशिका की मृत्यु को बढ़ा सकते हैं।

टी.एन.एफ.- एपोप्टोसिस-उत्प्रेरण लिगैंड संबंध (TRAIL) के संदर्भ में जानकारी

- यह कोशिका मृत्यु (एपोप्टोसिस) को प्रोग्राम करने की क्षमता वाला एक एजेंट है और इसने दुनिया भर में कई प्रीक्लिनिकल अध्ययनों को शुरू किया है।
- आई.आई.टी.-मद्रास अनुसंधान टीम ने कर्क्यूमिन को चुना है क्यों कि यह कैंसरकारी कोशिकाओं को रोकने और विभिन्न कैंसर कोशिकाओं में एपोप्टोसिस को रोकने के लिए जाना जाता है।
- निष्कर्षों से स्पष्ट है कि करक्यूमिन की एक छोटी सी मात्रा भी संभावित रूप से TRAIL के लिए ल्यूकेमिक कोशिकाओं की संवेदनशीलता को बढ़ा सकती है।

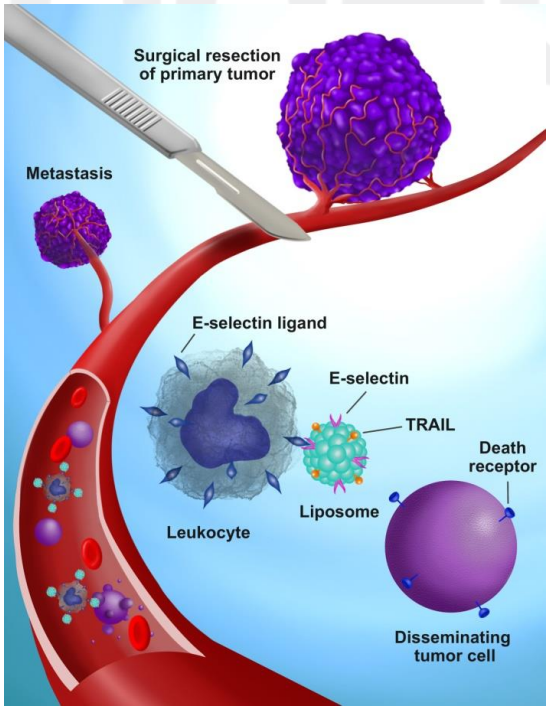

टॉपिक- जी.एस. पेपर III -विज्ञान एवं तकनीकि

स्रोत- द हिंदू

धूमकेतु सी / 2020 एफ 3 निओवाइस

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, खोजे गए धूमकेतु को सी / 2020 एफ 3 भी कहा जाता है, जिसे नासा के खोजे गए दूरदर्शी के ऊपर निओस्कोप के रूप में जाना जाता है, जिसने खोजा था कि 22 जुलाई को पृथ्वी के लिए इसका निकटतम दृष्टिकोण था।

संबंधित जानकारी

धूमकेतु क्या हैं?

- धूमकेतु या "गंदे स्नोबॉल" ज्यादातर धूल, चट्टानों और बर्फ से बने होते हैं, इसके अवशेष उस समय से थे जब सौर प्रणाली 4.6 अरब वर्ष पहले बनी थी।
- उन्हें सौर मंडल के गठन के अवशेष के रूप में माना जाता है।
- सुदूर अतीत में, लोगों ने धूमकेतु को "लंबे बालों वाले" सितारों के रूप में सोचा था, जो कि आसमान में अप्रत्याशित रूप से दिखाई देंगे।

निओस्कोप दूरदर्शी के संदर्भ में जानकारी

- व्यापक-क्षेत्र अवरक्त सर्वेक्षण अन्वेषक, एक नासा का अवरक्त-तरंग दैर्ध्य खगोलीय अंतरिक्ष दूरदर्शी है, जिसे दिसंबर, 2009 में लॉन्च किया गया था और फरवरी, 2011 में शीतनिद्रा चरण में रखा गया था।
- वर्ष 2013 में, अंतरिक्ष यान को पुन: सक्रिय किया गया था और इसका नाम बदलकर निओवाइस रखा गया था।
- इसे एक नया मिशन सौंपा गया था, जिसमें पृथ्वी के निकट की आबादी (एन.ई.ओ.) की पहचान करने और उसे चिह्नित करने के नासा के प्रयासों में मदद करता है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर III- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

ब्लैक रॉक एंड्रॉइड मैलवेयर

खबरों में क्यों है?

- सुरक्षा फर्म "थ्रेट फैब्रिक" ने एक नए मैलवेयर के बारे में चेतावनी दी है, जिसे ब्लैकरॉक कहा जाता है, जो अमेजन, फेसबुक, जीमेल और टिंडर जैसे एक भिन्न ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों से पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड की जानकारी चोरी कर सकता है।

ब्लैक रॉक एंड्रॉइड मैलवेयर के संदर्भ में जानकारी

- यह जेरेस मैलवेयर के लीक हुए सोर्स कोड पर आधारित है, जो स्वयं लोकीबोट नामक मैलवेयर से उत्पन्न हुआ है।

- यह अन्य ट्रोजन मैलवेयर से भिन्न है क्यों कि ब्लैकरॉक पिछले मैलवेयर की तुलना में अधिक ऐप को लक्षित कर सकता है।
- ब्लैकरॉक फोन के एक्सेसिबिलिटी फीचर का उपयोग करता है और फिर अन्य अनुमतियों तक पहुंच प्रदान करने के लिए एंड्रॉइड डी.पी.सी. (डिवाइस पॉलिसी कंट्रोलर) का उपयोग करता है।
- जब उपयोगकर्ता लॉगिन अथवा क्रेडिट कार्ड विवरण दर्ज करता है तो मैलवेयर, सर्वर को सूचना भेजता है।

संबंधित जानकारी

मैलवेयर सॉफ़्टवेयरों की श्रेणियां:

रैंसमवेयर

- रैंसमवेयर, एक प्रकार का दुर्भावनापूर्ण सॉफ़्टवेयर है जो पीड़ितों के डेटा को प्रकाशित करने की धमकी देता है या फिर जब तक फिरौती का भुगतान नहीं किया जाता है, तब तक निरंतरकालिक रूप से एक्सेस को ब्लॉक कर देता है।

वायरस

- एक कंप्यूटर वायरस, एक प्रकार का मैलवेयर है, जो इसमें स्वयं की एक कॉपी डालकर संचरण करता है और दूसरे प्रोग्राम का हिस्सा बनता है।
- यह एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फैलता है, जिससे इसके संचरण के दौरान संक्रमण हो जाता है।
- वायरस, डेटा या सॉफ्टवेयर को नुकसान पहुंचाने वाले हल्के कष्टप्रद प्रभाव पैदा करने से लेकर संवाओं से वंचित करने (डी.ओ.एस.) की स्थिति पैदा करने तक की गंभीरता में हो सकते हैं।

वॉर्म

- कंप्यूटर वॉर्म, वायरस के समान होता हैं, जिसमें वे स्वयं की कार्यात्मक प्रतियों को दोहराते हैं और समान प्रकार के नुकसान का कारण बन सकते हैं।
- वायरस के विपरीत, जिसमें एक संक्रमित होस्ट फ़ाइल के प्रसार की आवश्यकता होती है, वॉर्म स्टैंडअलोन सॉफ़्टवेयर होते हैं और इन्हें संचरण के लिए होस्ट प्रोग्राम या मानव सहायता की आवश्यकता नहीं होती है।

ट्रोजन

- एक ट्रोजन, एक अन्य प्रकार का मैलवेयर है, जिसका नाम लकड़ी के घोड़े के नाम पर रखा गया है, जो यूनानियों ने ट्रॉय की घुसपैठ के लिए इस्तेमाल किया था।
- यह एक हानिकारक सॉफ्टवेयर है, जो वैध प्रतीत होता है।
- उपयोगकर्ता सामान्यत: लोडिंग पर क्लिक करते हैं और इसका अपने सिस्टम पर निष्पादन करते हैं।
- इसके सक्रिय होने के बाद, यह होस्ट पर कितने भी हमले कर सकता है, जो उपयोगकर्ता को परेशान करने से लेकर (विंडोज़ या डेस्कटॉप को बदलने के लिए) होस्ट को नुकसान पहुंचाने (फ़ाइलों को हटाना, डेटा चोरी करना, अन्य मैलवेयर जैसे वायरस को सक्रिय करना और फैलाना) तक हैं।

बॉट

- "बॉट" शब्द "रोबोट" से लिया गया है और यह एक स्वचालित प्रक्रिया है, जो अन्य नेटवर्क सेवाओं के साथ सहभागिता करती है।
- बॉट, प्राय: कार्यों को स्वचालित करते हैं और वो जानकारी या सेवाएं प्रदान करते हैं जो अन्यथा एक इंसान द्वारा संचालित की जाएगी।
- बॉट्स का एक विशिष्ट उपयोग वेब क्रॉलर के रूप में जानकारी इकट्ठा करना है या इंस्टैंट मैसेजिंग (आई.एम.), इंटरनेट रिले चैट (आई.आर.सी.) या अन्य वेब इंटरफेस के साथ स्वचालित रूप से बातचीत करना है।
- इनका उपयोग वेबसाइटों के साथ गतिशील रूप से कनेक्ट करने के लिए भी किया जा सकता है।
- बॉट्स का उपयोग अच्छे या दुर्भावनापूर्ण इरादे के लिए किया जा सकता है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर III- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

एमिरेट्स मंगल मिशन

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, संयुक्त अरब अमीरात ने जापान के तनेगाशिमा अंतरिक्ष केंद्र से अपना पहला मिशन 'एमिरेट्स मंगल मिशन' लॉन्च किया है।

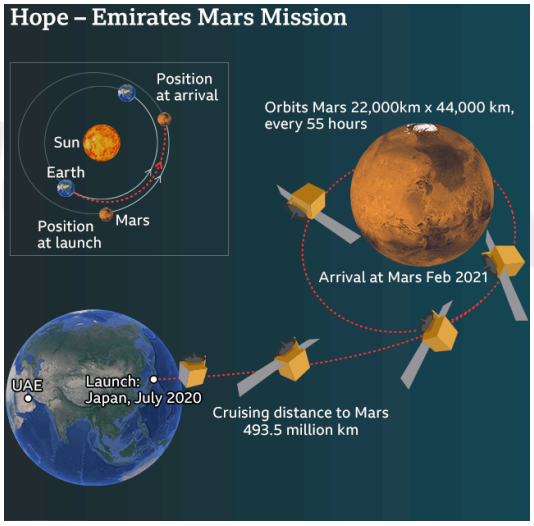

एमिरेट्स मंगल मिशन के संदर्भ में जानकारी

- होप अंतरिक्ष यान या एमिरेट्स मंगल मिशन, अरब विश्व के लिए पहला इंटरप्लेनेटरी मिशन है।

मिशन के उद्देश्य हैं:

- हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के व्यवहार और पलायन को ट्रैक करके अंतरिक्ष के लिए मंगल के वातावरण के नुकसान तंत्र का अध्ययन करना
- वर्तमान मंगल ग्रह के मौसम और मंगल ग्रह की प्राचीन जलवायु के बीच संबंध की खोज करना
- पूरे दिन और वर्ष में मंगल ग्रह का वातावरण कैसे बदलता है, इसकी एक वैश्विक तस्वीर बनाना

टॉपिक- जी.एस. पेपर III- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

इन्फ्लैमेजिंग

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, कुछ सबसे गंभीर कोविड-19 के मामलों में यह घटित हुआ है, यह ज्यादातर वृद्ध लोगों के संदर्भ में पाया गया है, शोधकर्ता इस बात की जांच कर रहे हैं कि इन्फ्लैमेजिंग की भूमिका है या नहीं है।

इन्फ्लैमेजिंग क्या है?

- यह किसी व्यक्ति की प्रतिरोधक क्षमता के अवरोध को संदर्भित करता है, जैसे ही व्यक्ति की आयु के अनुसार शरीर की सूजन उच्च स्तर तक पहुंच जाती है।
- इसमें हमारी शारीरिक रक्षा प्रणाली, बैक्टीरिया और वायरल संक्रमणों के प्रति अधिक धीमी गति से प्रतिक्रिया देती है, जिससे बुजुर्ग इसकी चपेट में अधिक आते हैं।
- इसकी विशेषता पुरानी निम्न-श्रेणी की सूजन है, जो बिना संक्रमण के होती है।
- जब कि सूजन, प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया के लिए आवश्यक है और इन्फ्लैमेजिंग आवश्यक नहीं है।
- अधिक सूजन की स्थिति, कई आयु से संबंधित बीमारियों को गंभीर कर सकती है और पहले से ही कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली से प्रतिक्रिया को बाधित करती है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर III- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

स्रोत- द हिंदू

काकरापार परमाणु ऊर्जा परियोजना (के.ए.पी.पी.-3)

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, गुजरात में काकरापार परमाणु ऊर्जा परियोजना (के.ए.पी.पी.-3) की तीसरी इकाई ने अपनी, 'पहली महत्वपूर्णता' हासिल की है, जो भारत के घरेलू नागरिक परमाणु कार्यक्रम में एक ऐतिहासिक घटना है।
- प्रथम महत्वपूर्णता, एक शब्द है जो एक नियंत्रित लेकिन सतत परमाणु विखंडन प्रतिक्रिया की दीक्षा को दर्शाता है।

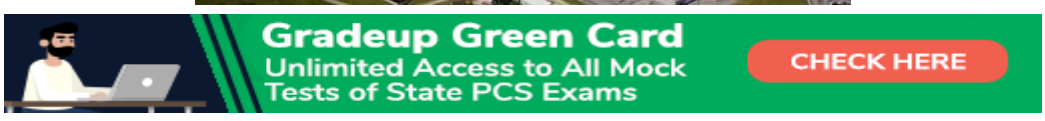

काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र के संदर्भ में जानकारी

- यह देश की पहली 700 एम.डब्ल्यू.ई. (मेगावाट बिजली) इकाई है, जो गुजरात में स्थित है।
- यह प्रेसुराइज्ड भारी जल रिएक्टर (पी.एच.डब्ल्यू.आर.) का सबसे बड़ा स्वदेशी रूप से विकसित संस्करण है।
- यह अपने पी.एच.डब्ल्यू.आर. डिजाइन के अनुकूलन के संदर्भ में महत्वपूर्ण है।
- यह 540 एम.डब्ल्यू.ई. रिएक्टरों के डिजाइन में महत्वपूर्ण बदलाव किए बिना अतिरिक्त थर्मल मार्जिन के मुद्दे को संबोधित करता है और पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं में सुधार करता है।

नोट:

- 'थर्मल मार्जिन' उस सीमा को संदर्भित करता है जिस पर रिएक्टर का परिचालन तापमान, उसके अधिकतम परिचालन तापमान से कम हो।

टॉपिक- जी.एस. पेपर III- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

बूबोनिक प्लेग

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, उत्तरी चीन के एक शहर में बुबोनिक प्लेग या ब्लैक डेथ के एक संदिग्ध मामले के बाद एक चेतावनी जारी की गई थी।

बूबोनिक प्लेग के संदर्भ में जानकारी

- यह एक दुर्लभ लेकिन गंभीर जूनोटिक बीमारी है।
- यह जीवाणु यर्सिनिया पेस्टिस के कारण होने वाले तीन प्लेगों में से एक है।
- अन्य दो सेप्टिसेमिक प्लेग और न्यूमोनिक प्लेग है।
- यह जीवाणु संक्रमण के कारण होता है और कृन्तकों से पिस्सू द्वारा प्रेषित होता है।
- यह मुख्य रूप से एक संक्रमित पिस्सू के काटने से होता है और एक मृत प्लेग संक्रमित जानवर से शरीर के तरल पदार्थ के संपर्क में आने से भी होता है।

नोट:

- बूबोनिक प्लेग के मानव के मानव में संचरण की कोई रिपोर्ट नहीं आई है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 3- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

स्रोत- टी.ओ.आई.

वीनस (शुक्र) कोरोना

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, शोधकर्ताओं ने नासा के मैगलन जांच जैसे अंतरिक्ष यान द्वारा कैप्चर की गई शुक्र की सतह की बिम्ब सृष्टि में युवा कोरोना पाया है, जिसने 1990 से 1994 तक शुक्र की परिक्रमा की थी।

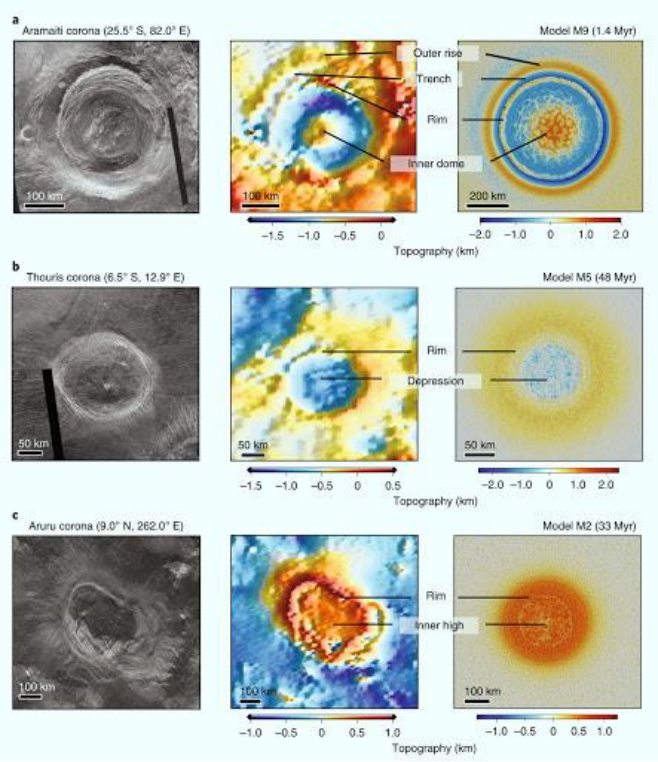

कोरोना के संदर्भ में जानकारी

- कोरोना, शुक्र के गोल आकार की ज्वालामुखी संरचनाएं हैं।
- वे क्रस्ट के माध्यम से आवरण से उठने वाले पिघले हुए चट्टान के पंखों से बनते हैं।
- यह प्रक्रिया, पृथ्वी के ज्वालामुखी के कार्य करने के समान है।
- दिलचस्प बात यह है कि पृथ्वी के अधिकांश ज्वालामुखी टेक्टोनिक प्लेटों की सीमाओं के किनारे होते हैं, लेकिन आधुनिक शुक्र में टेक्टॉनिक प्लेटों का होना प्रतीत नहीं होता है।

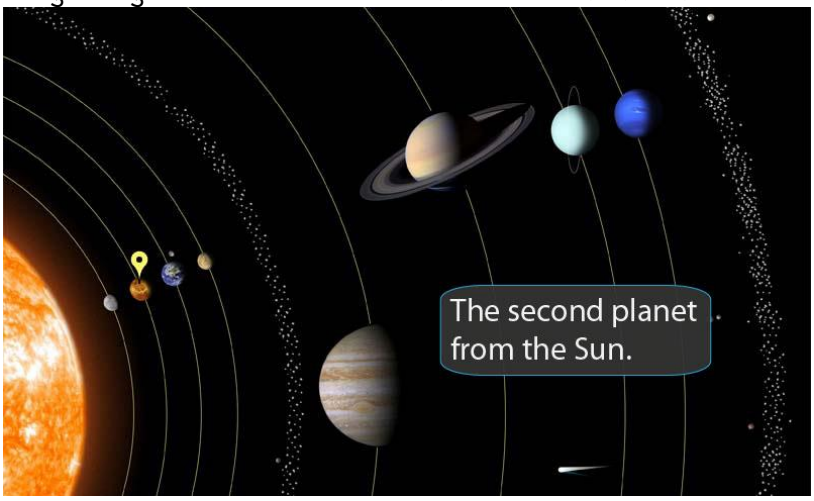

- उन्होंने शुक्र पर तीन दर्जन विशेषताओं की पहचान की है, जो कि वे बता सकते हैं जो कि ज्वालामुखी द्वारा निर्मित हो सकते हैं।
- शुक्र पहले एक निष्क्रिय ग्रह होने के रूप में निर्धारित किया गया था लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि आंतरिक हिस्से में अभी भी मंथन हो रहा है और इसमें कई सक्रिय ज्वालामुखी पनप सकते हैं।

संबंधित जानकारी

शुक्र के संदर्भ में जानकारी

- शुक्र, सूर्य से दूसरा ग्रह है और सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है।
- कभी-कभी समान द्रव्यमान और आकार के कारण इसे पृथ्वी की बहन ग्रह के रूप में जाना जाता है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर III- विज्ञान एवं तकनीकि

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

तियानवेन-1 (टी.डब्ल्यू.-1)

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, चीन ने लाल ग्रह पर एक अंतरिक्ष यान को सफलतापूर्वक उतारने में संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ शामिल होने के साहसिक प्रयास में अपना तियानवेन-1 (टी.डब्ल्यू.-1) मंगल मिशन लांच किया है।

तियानवेन-1 (टी.डब्ल्यू.-1) के संदर्भ में जानकारी

- यह चीनी राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन (सी.एन.एस.ए.) द्वारा एक रोबोटिक अंतरिक्ष यान भेजने के लिए मंगल ग्रह का एक इंटरप्लैनेटरी मिशन है, जिसमें एक ऑर्बिटर, एक लैंडर और एक रोवर शामिल है।

उद्देश्य

- यह भूमिगत जल के साक्ष्य के साथ ही संभव प्राचीन जीवन के प्रमाण की खोज करने में मदद करता है, यदि यह मौजूद है।
- यह ग्रह के वातावरण का भी मूल्यांकन करेगा।

संबंधित जानकारी

चंद्रयान 2 मिशन

- इसरो ने जुलाई में चंद्रमा के लिए चंद्रयान-2 मिशन लॉन्च किया था, लेकिन इसका लैंडर चंद्रमा की सतह तक पहुंचने में विफल रहा था।
- यह पूर्णतया स्वदेशी मिशन था, यह भारत का दूसरा चंद्रमा अन्वेषण मिशन था, जिसमें निम्नलिखित बुनियादी घटक शामिल थे:

ये हैं:

a. **ऑर्बिटर**

यह चंद्रमा की सतह और पृथ्वी और चंद्रयान 2 के लैंडर के बीच प्रसारण का अवलोकन करेगा।

b. **लैंडर (जिसे विक्रम कहा जाता है)**

इसने चंद्रमा की सतह पर भारत की पहली सॉफ्ट लैंडिंग को निष्पादित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

c. **रोवर (जिसे प्रज्ञान कहा जाता है)**

यह एक 6-पहिए वाला, कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा संचालित वाहन है, जो चंद्रमा सतह पर चलेगा और ऑन-साइट रासायनिक विश्लेषण करेगा।

लांचर

- इसे भूसमकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यान जी.एस.एल.वी. एम.के. III-एम. 1 द्वारा लॉन्च किया गया था।
- यह भारत का अब तक का सबसे शक्तिशाली लांचर है और इसे देश के भीतर से पूरी तरह से डिज़ाइन और निर्मित किया गया है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर III- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

स्रोत- द हिंदू

वी.पी.एम.1002: पुन: संयोजक बी.सी.जी. टीका

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एस.आई.आई.पी.एल.) ने एक पुनः संयोजक बी.सी.जी. टीका उम्मीदवार, वी.पी.एम.1002 का नैदानिक परीक्षण किया है, जिसे जैवप्रौद्योगिकी विभाग के राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन के अंतर्गत समर्थित किया गया है।

परीक्षण का उद्देश्य

- इस परीक्षण का उद्देश्य उन्नत आयु या सह-रूग्णता उच्च जोखिम वाले व्यक्तियों में और उच्च जोखिम वाले स्वास्थ्य देखभाल कर्मचारियों (एच.सी.डब्ल्यू.) में संक्रमण की घटनाओं और कोविड-19 के गंभीर रोग परिणामों को कम करने में वी.पी.एम.1002 की क्षमता का मूल्यांकन करना है।

संबंधित जानकारी

बी.सी.जी. टीके के संदर्भ में जानकारी

- तपेदिक (टी.बी.) को रोकने के लिए राष्ट्रीय बाल टीकाकरण कार्यक्रम के एक भाग के रूप में सभी नवजात शिशुओं को नियमित रूप से प्रशासित किया जाता है, जो बैक्टीरिया से होने वाला एक संक्रमण है, जो मुख्य रूप से फेफड़ों को प्रभावित करता है।
- इसमें लाभप्रद विषम प्रभाव और सिद्ध एंटीवायरल और प्रतिरक्षा अधिश्रमिक विशेषताएं होती हैं, जो प्रशिक्षित जन्मजात प्रतिरक्षा तंत्र और विषम अनुकूली प्रतिरक्षा के प्रेरण के माध्यम से संक्रामक रोगों से रक्षा करती हैं।

जैव प्रौद्योगिकी विभाग के संदर्भ में जानकारी

- जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डी.बी.टी.), विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन है।
- इसका उद्देश्य भारत में जैव प्रौद्योगिकी के विकास को बढ़ावा देना और गति प्रदान करना है, जिसमें कृषि, स्वास्थ्य सेवा, पशु विज्ञान, पर्यावरण और उद्योग के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी के विकास और अनुप्रयोग शामिल हैं।

जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद (बी.आई.आर.ए.सी.) के संदर्भ में जानकारी

- यह भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डी.बी.टी.) द्वारा धारा 8, अनुसूची B के अंतर्गत स्थापित एक गैर-लाभकारी सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है।
- यह रणनीतिक अनुसंधान और नवाचार करने के लिए उभरते हुए बायोटेक उद्यम को मजबूत करने और सशक्त बनाने के लिए एक इंटरफेस एजेंसी के रूप में काम करता है, जो राष्ट्रीय स्तर पर प्रासंगिक उत्पाद विकास आवश्यकताओं को संबोधित करता है।

राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन के संदर्भ में जानकारी

- यह बायोफार्मास्यूटिकल के प्रारंभिक विकास के लिए खोज अनुसंधान में तेजी लाने हेतु जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डी.बी.टी.) का एक उद्योग-अकादमिक सहयोगी मिशन है।
- इसे वर्ष 2017 में कुल 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कुल लागत पर मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है और विश्व बैंक द्वारा 50 प्रतिशत सह-वित्त पोषण को जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान सहायता परिषद (बी.आई.आर.ए.सी.) में कार्यान्वित किया जा रहा है।
- इस मिशन का उद्देश्य नए, सस्ते और प्रभावी बायोफर्मास्युटिकल उत्पादों और समाधानों के डिजाइन और विकास के लिए भारत को एक केंद्र बनाना है।
- यह कार्यक्रम भारत के नवाचार अनुसंधान और उत्पाद विकास क्षमताओं को बढ़ाने में, विशेष रूप से सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंताओं से निपटने के लिए टीकों, जीवविज्ञानक और चिकित्सा उपकरणों के विकास पर ध्यान केंद्रित करने में सहायता करेगा।
- टीके, चिकित्सा उपकरण और निदानिकी और जैवचिकित्सा इसके सबसे महत्वपूर्ण डोमेन में से कुछ एक हैं, इसके अतिरिक्त, देश में नैदानिक परीक्षण क्षमताओं को मजबूत करने और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण क्षमताओं का निर्माण करना है।

सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एस;आई.आई.पी.एल.) के संदर्भ में जानकारी

- सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ़ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, वैश्विक स्तर पर उत्पादित और बेची जाने वाली खुराक की संख्या के संदर्भ में विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीन निर्माता है, जिसमें पोलियो टीके के साथ-साथ डिप्थीरिया, टेटनस, पर्टुसिस, हिब, बी.सी.जी., **r-हेपेटाइटिस B**, खसरा, मम्प्स और रूबेला टीके शामिल हैं।

- सीरम संस्थान द्वारा निर्मित टीके विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिनेवा द्वारा मान्यता प्राप्त हैं और विश्व के लगभग 170 देशों में उनके राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रमों में उपयोग किए जा रहे हैं, जिससे पूरे विश्व में लाखों लोगों की जान बचाई जा रही है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर III- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

स्रोत- पी.आई.बी.

नॉलेज रिसोर्स सेंटर नेटवर्क (के.आर.सी.नेट)

खबरों में क्यों है?

- पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (एम.ओ.ई.एस.) ने 27 जुलाई, 2020 को अपने स्थापना दिवस के अवसर पर एक विश्व स्तरीय 'नॉलेज रिसोर्स सेंटर नेटवर्क' (के.आर.सी.नेट) का शुभारंभ किया है।

नॉलेज रिसोर्स सेंटर नेटवर्क (के.आर.सी.नेट) के संदर्भ में जानकारी

- इसे भारत सरकार की डिजिटल इंडिया पहल के अंतर्गत लॉन्च किया गया है।
- एम.ओ.ई.एस. प्रणाली के पारंपरिक पुस्तकालयों को एक शीर्ष नॉलेज रिसोर्स सेंटर (के.आर.सी.) में अपग्रेड किया जाएगा।
- के.आर.सी. को एक दूसरे से जोड़ा जाएगा और के.आर.सी.नेट पोर्टल में एकीकृत किया जाएगा जो मंत्रालय की बौद्धिक दुनिया में एकल बिंदु प्रविष्टि होगी।

के.आर.सी. नेट के प्रमुख उद्देश्य:

i. एम.ओ.ई.एस. ज्ञान संसाधनों, इसके रखरखाव, आसान पुनर्प्राप्ति और प्रसार के दस्तावेजीकरण के लिए आई.एस.ओ. प्रमाणन प्राप्त करके कुल गुणवत्ता प्रबंधन (टी.क्यू.एम.) प्रणाली स्थापित करना है।
ii. एम.ओ.ई.एस. मुख्यालय और इसके संस्थानों में उपलब्ध बौद्धिक संसाधनों, उत्पादों और परियोजना आउटपुट को इकट्ठा करना, जांचना, उनका विश्लेषण, सूचकांक, संग्रह और प्रसार करना है।
iii. एम.ओ.ई.एस. सेवाओं सहित एम.ओ.ई.एस मुख्यालय और एम.ओ.ई.एस. संस्थानों में उपलब्ध प्रिंट और डिजिटल संसाधनों का एक अप-टू-डेट मेटा-डेटा विकसित करना और बनाए रखना।
iv. के.आर.सी.नेट पोर्टल के माध्यम से सदस्यता प्राप्त ज्ञान सामग्री तक 24X7 पहुंच प्रदान करना।
v. नीति निर्माण, रिपोर्ट तैयार करने और सूचना प्रसार के लिए सूचना विश्लेषणात्मक उपकरणों और तकनीकों जैसे कि बिब्लियोमेट्रिक्स, साइंटोमेट्रिक्स, बिग-डेटा विश्लेषिकी, सोशल मीडिया विश्लेषिकी आदि का अनुप्रयोग करना।
vi. इलेक्ट्रॉनिक पत्रिकाओं, डेटाबेस, डिजिटल उत्पादों, डेटा विश्लेषिकी आदि के उपयोग को लोकप्रिय बनाने के लिए समय-समय पर प्रशिक्षण कार्यशालाओं का आयोजन करना।

टॉपिक- जी.एस. पेपर III- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

स्रोत- पी.आई.बी.

एस्ट्रोजेन परियोजना

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में अमेरिकी एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी (ए.ए.एस.) और उसके ऐतिहासिक एस्ट्रोनॉमी प्रभाग द्वारा 25 जुलाई, 2020 को शिक्षाविदों के लिए एक खगोल विज्ञान वंशावली या एस्ट्रोजेन परियोजना शुरू की गई थी।

परियोजना के संदर्भ में जानकारी

- यह शिक्षाविदों- जिन्होंने खगोल विज्ञान से संबंधित थीसिस या शोध-निबंध के लिए पर्यवेक्षित शोध पर डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की हो, यह उनके लिए एक वंशावली परियोजना है।
- खगोल विज्ञान वंशावली या एस्ट्रोजेन परियोजना, इन शिक्षाविदों को उनके 'पूर्वजों' का पता लगाने की अनुमति प्रदान करती है।
- अकादमिक वंशावली में, हालांकि, एक व्यक्ति के 'माता-पिता' उसके थीसिस सलाहकार होते हैं।
- ए.ए.एस. के अनुसार, यह परियोजना लगभग 25 देशों के लिए लगभग पूरी हो चुकी है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर III - विज्ञान एवं तकनीकि

स्रोत- डाउन टू अर्थ

नासा का मंगल 2020 परसरवेरैंस रोवर

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, नासा ने अपने मंगल 2020 परसरवेरैंस रोवर को लांच किया है, जो कि चौथी पीढ़ी का रोव है।

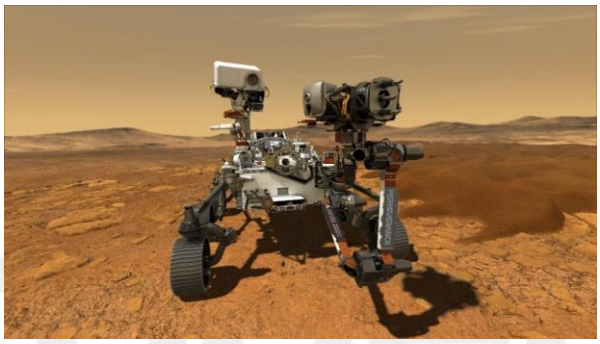

रोवर की विशेषता

- यह परसरवेरैंस रोवर एक अद्वितीय उपकरण, मॉक्सी या मार्स ऑक्सीजन इसरू एक्सपेरीमेंट को धारण करेगा।
- यह पहली बार कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके मंगल पर आणविक ऑक्सीजन का निर्माण करेगा।

मॉक्सी का लाभ

- यदि मंगल पर कुछ महत्वपूर्ण पैमानों पर ऑक्सीजन को सफलतापूर्वक निकाला जा सकता है तो इसके दो प्रत्यक्ष लाभ हो सकते हैं:
  a. इस ऑक्सीजन का उपयोग मंगल ग्रह पर जाने वाले मानव आगंतुकों के लिए किया जा सकता है और दूसरा, वापसी की यात्रा के लिए रॉकेट ईंधन के निर्माण के लिए ऑक्सीजन का उपयोग किया जा सकता है।
  b. नासा आसानी से मॉक्सी के लिए प्रतिदिन ऑक्सीजन उत्पादन दर को सौ गुना तक कर सकता है: यह मंगल ग्रह पर भविष्य के मानव मिशनों के लिए बहुत उपयोगी होगा यदि यह प्रौद्योगिकी प्रदर्शन सफल हो जाता है।
- परसरवेरैंस में इनजेन्यूटी होगी, यह मंगल ग्रह पर उड़ान भरने वाला पहला हेलीकॉप्टर होगा।
- ऐसा पहली बार होगा जब नासा किसी अन्य ग्रह या उपग्रह पर एक हेलीकॉप्टर उड़ाएगा।
- इनजेन्यूटी, एक प्रौद्योगिकी प्रदर्शन है जो मंगल के पतले वातावरण में हेलीकॉप्टर को उड़ाने के लिए एक चुनौती है।

- परसरवेरैंस, पृथ्वी पर परिष्कृत प्रयोगशालाओं में विश्लेषण के लिए मंगल से चट्टान के नमूने वापस लाने के लिए पहला नियोजित कदम है।
- पृथ्वी पर मंगल ग्रह की चट्टानों का विश्लेषण संभवतः यह विश्वसनीय संकेत प्रदान करेगा कि क्या मंगल पर अतीत या वर्तमान में जीव संभव था या है।

नासा की पिछली पीढ़ी के मंगल रोवर

- नासा द्वारा मंगल ग्रह पर चलने की अविश्वसनीय यात्रा लगभग 23 वर्ष पहले, वर्ष 1997 में शुरू हुई थी: जब मंगल की मिट्टी पर सोजॉर्नर रोवर के साथ मार्स पाथफाइंडर मिशन निकाला गया था।
- फिर वर्ष 2003 में नासा ने ट्विन रोवर्स, स्पिरिट और अपॉर्चुनिटी को मंगल ग्रह पर भेजे थे।
- इसके बाद वर्ष 2012 में क्यूरियोसिटी भेजा गया था।

टॉपिक- जी.एस. पेपर III- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगात्क रिएक्टर

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, चौदह वर्षों के बाद आधिकारिक अनुमोदन प्राप्त करने पर वैज्ञानिकों ने विश्व के सबसे बड़े परमाणु संलयन प्रयोग को एकत्र करना शुरू कर दिया है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगात्मक रिएक्टर के रूप में जाना जाता है।

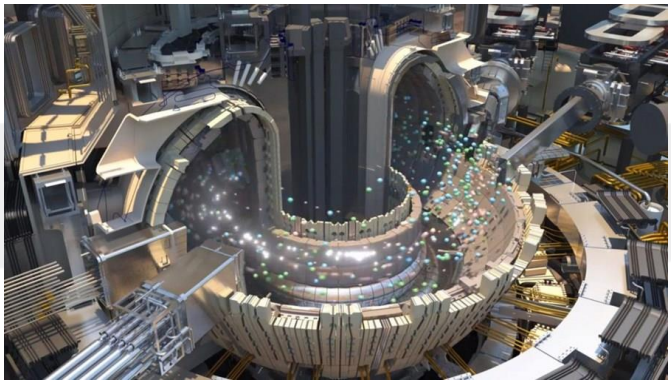

अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगात्मक रिएक्टर (आई.टी.ई.आर.) के संदर्भ में जानकारी

- आई.टी.ई.आर. परियोजना को वर्ष 2006 में संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया और यूरोपीय संघ के 27 सदस्यों सहित 35 देशों द्वारा शुरू किया गया था।
- आई.टी.ई.आर., विश्व की सबसे बड़ी प्रायोगात्मक संलयन सुविधा है, इसका अर्थ है कि यह लगभग 500 मेगावाट की तापीय ऊर्जा का उत्पादन करती है, जो लगभग 200 मेगावाट की विद्युत ऊर्जा के बराबर होती है, यदि इसे निरंतर संचालित किया जाए तो यह लगभग 200,000 घरों को आपूर्ति करने हेतु पर्याप्त है।

मुख्य विशेषताएं

- यह बड़े पैमाने पर ऊष्मीय ऊर्जा का उत्पादन करेगी, जिसके लिए हाइड्रोजन संलयन का उपयोग करती है, जिसे अतिचालक चुंबको द्वारा नियंत्रित किया जाता है।
- चुंबकीय संलयन उपकरण को संलयन की संभाव्यता को सिद्ध करने के लिए डिजाइन किया गया है क्यों कि ऊर्जा का बड़े पैमाने पर और कार्बन-मुक्त स्रोत उसी सिद्धांत पर आधारित है जो सूर्य और तारों को ऊर्जा प्रदान करता है।

- यह परमाणु संलयन सुविधा यूरोपीय संघ, रूस, अमेरिका, जापान, चीन, भारत और दक्षिण कोरिया के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग है।
- यह पहला औद्योगिक स्तर का संलयन रिएक्टर है और यह लाखों वर्षों के लिए स्वच्छ, सस्ती और प्रचुर मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन करने का तरीका प्रकाशित करेगा।
- यह वर्ष 2025 तक एक कोर के भीतर विद्युत रूप से आवेशित गैस "प्लाज्मा" का पिघला हुआ द्रव्यमान उत्पन्न करना शुरू कर देगा।

टॉपिक- जी.एस. पेपर III- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

स्रोत- साइंस अलर्ट

भूगोल सम्बन्धी मुद्दे

निमू

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, भारत के प्रधानमंत्री ने भारतीय सैनिकों के साथ बातचीत करने के लिए लद्दाख में एक फारवर्ड पोस्ट निमू का दौरा किया है।

निमू के संदर्भ में जानकारी

- यह सिंधु नदी के तट पर स्थित है।
- यह लद्दाख के सबसे कठिन क्षेत्रों में से एक है और यह ज़ांस्कर पर्वत श्रृंखला से घिरा हुआ है।
- मैग्नेट पहाड़ी, एक गुरुत्वाकर्षण-रहित सड़क है, जो निमू से 7.5 कि.मी. दक्षिण पूर्व में है।

नोट:

- निमू, भारतीय सेना का आरक्षित ब्रिगेड मुख्यालय है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर I- भूगोल

स्रोत- ए.आई.आर.

देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, असम सरकार ने देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अपग्रेड करने का निर्णय लिया है। देहिंग पटकाई हाथी रिजर्व में कोल इंडिया लिमिटेड (सी.आई.एल.) द्वारा कोयला खनन परियोजना को राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (एन.बी.डब्ल्यू.एल.) की सशर्त मंजूरी मिलने के कुछ महीने बाद यह घोषणा की गई है।

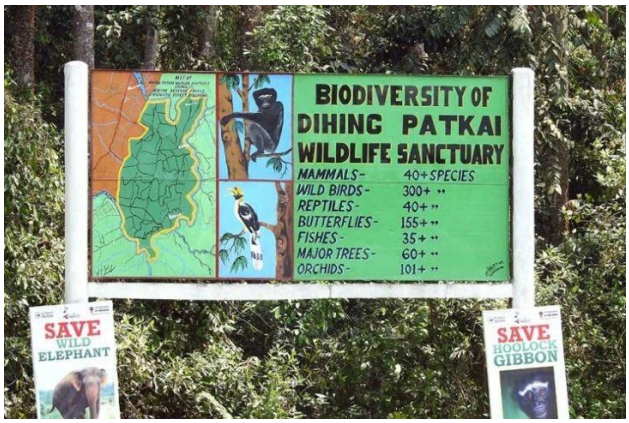

Gradeup Green Card
Unlimited Access to All Mock Tests of State PCS Exams
CHECK HERE

देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य के संदर्भ में जानकारी

- देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य, बड़े देहिंग पटकाई हाथी अभ्यारण्य के भीतर स्थित है, जिसमें ऊपरी असम के जिले (डिब्रूगढ़, तिनसुकिया और शिवसागर) शामिल हैं।

जातीय समूह

- देहिंग पटकाई वन क्षेत्र में एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है।
- इस क्षेत्र में एक दर्जन से अधिक विभिन्न जातीय समूह रहते हैं, जिनमें स्वदेशी आसामी समुदाय शामिल हैं, जिनमें विशेष रूप से ताई फाके, खामयांग, खांपटी, सिंगफो, नोक्टे, चुटिया, अहोम, काईबार्ता, मोरन और मोटोक, बर्मी और गैर-स्वदेशी नेपाली लोग शामिल हैं।

राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य के बीच अंतर

- वन्यजीव अभयारण्य, संरक्षित क्षेत्र होते हैं, जो चराई जैसी कुछ गतिविधियों की अनुमति देते हैं, जब कि राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के अंतर्गत पूर्ण संरक्षण का दर्जा रखते हैं।
- वन्यजीव अभयारण्य का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वन्यजीवों और उनके आवासों की एक व्यवहार्य आबादी बनी रहे।
- इसके विपरीत, राष्ट्रीय उद्यान का उद्देश्य एक क्षेत्र की प्राकृतिक और ऐतिहासिक वस्तुओं और वन्यजीवों की रक्षा करना है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर I- भूगोल

स्रोत- लाइवमिंट

नागोर्नो-काराबख

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, क्षेत्रीय विवादों के कारण मध्य एशिया में अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच बढ़े तनाव ने दक्षिण काकेशस में नागोर्नो-करबाख क्षेत्र को प्रभावित किया है।

इस संघर्ष के संदर्भ में जानकारी

- नागोर्नो-करबाख क्षेत्र में संघर्ष 1980 के दशक के उत्तरार्ध में सोवियत संघ के टूटने के बाद शुरू हुआ था और यह लगभग 1994 तक चला था, जिसमें आर्मेनिया और अज़रबैजान दोनों इस रणनीतिक क्षेत्र का दावा करते थे।
- उस समय, नागोर्नो-करबाख के विदेशी अंत: क्षेत्र ने अज़रबैजान द्वारा बहिष्कार किए गए जनमत संग्रह का आयोजन किया था, जहां लोगों ने दोनों देशों में से किसी एक देश में शामिल होने पर स्वतंत्रता का चयन किया था।

- नागोर्नो-करबाख में जातीय अर्मेनियाई और जातीय अजरबैजानियों के बीच संघर्ष आर्मेनिया और अजरबैजान के साथ एक विशेष रूप से न्यूनतम स्तर तक पहुंच गया है, जिसमें एक दूसरे पर जातीय सफाया करने का आरोप लगाया गया है।

नागोर्नो-करबाख के संदर्भ में जानकारी

- नागोर्नो-करबाख, दक्षिण काकेशस में एक स्थलसीमा क्षेत्र है, जो करबाख की पहाड़ी श्रृंखला के भीतर निचले करबाख और ज़ंगेज़ुर के बीच स्थित है। यह लघु काकेशस पर्वत की दक्षिण-पूर्वी सीमा को कवर करता है।
- नागोर्नो-करबाख, एक विवादित क्षेत्र है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय रूप से अजरबैजान के हिस्से के रूप में मान्यता प्राप्त है लेकिन अधिकांशत: अर्तसाख गणराज्य (पूर्व में नागोर्नो-करबाख गणराज्य) द्वारा शासित किया जाता है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर I- भूगोल

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

वल्लरपदम टर्मिनल

खबरों में क्यों है?

- राज्य शिपिंग मंत्री ने कोचीन बंदरगाह के वल्लरपदम टर्मिनल की विकास गतिविधियों की समीक्षा की है।

वल्लरपदम टर्मिनल के संदर्भ में जानकारी

- इसकी भारत के पहले ट्रांस-शिपमेंट बंदरगाह के रूप में परिकल्पना की गई है, जिसे दुबई पोर्ट्स (डी.पी.) वर्ल्ड द्वारा प्रबंधित किया जाता है।

- ट्रांस-शिपमेंट केंद्र, बंदरगाह पर टर्मिनल है, जो कंटेनरों को संभालता है, उन्हें अस्थायी रूप से संग्रहीत करता है और उन्हें आगे के गंतव्य के लिए अन्य जहाजों में स्थानांतरित करता है।
- कोच्चि अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांस-शिपमेंट टर्मिनल (आई.सी.टी.टी.), जिसे स्थानीय रूप से वल्लरपदम टर्मिनल के रूप में जाना जाता है, यह रणनीतिक रूप से भारतीय तट पर स्थित है।
- यह ट्रांस-शिपमेंट केंद्र के रूप में इसे विकसित होने के लिए सभी आवश्यक मानदंडों को सफलतापूर्वक पूरा करता है, जिसमें शामिल हैं:
  a. अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों से निकटता के संबंध में यह सबसे अच्छी स्थिति का भारतीय बंदरगाह है।
  b. यह सभी भारतीय फीडर बंदरगाहों से कम से कम औसत नॉटिकल दूरी पर स्थित है।
  c. यह कनेक्टिविटी पर जोर देता है, जिसमें भारत के पश्चिम और पूर्वी तट पर मुंद्रा से कोलकाता तक सभी बंदरगाहों के लिए बहु साप्ताहिक फीडर कनेक्शन हैं।
  d. इसकी भारत के प्रमुख आंतरिक इलाकों के बाजारों से निकटता है।
  e. इसमें बड़े जहाजों को प्रबंधित करने के लिए बुनियादी ढांचा है और आवश्यकता के अनुसार इसे बढ़ाने की क्षमता है।
- कोचीन बंदरगाह के वल्लरपदम टर्मिनल को दक्षिण भारत के लिए सबसे पसंदीदा गेटवे के रूप में और दक्षिण एशिया के अग्रणी ट्रांसशिपमेंट केंद्र के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर I- भूगोल

स्रोत- पी.आई.बी.

चीन ने भूटान के पूर्वी क्षेत्रों पर पुन: दावा किया है।

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, चीन ने कहा है कि उसने भूटान को अपने सीमा विवाद के लिए एक "पैकेज समाधान" की पेशकश की है, जिसमें डोकलाम सहित विवादित पश्चिमी क्षेत्रों के बदले में भूटान को अपने उत्तर में विवादित क्षेत्रों को देने के लिए एक क्षेत्र विनिमय के अपने 1996 के प्रस्ताव के संदर्भ को पुनर्जीवित किया है।

पृष्ठभूमि

- लिखित आंकड़ों के अनुसार, इसमें पूर्वी भूटान या त्रशिगांग द्ज़ोंगखग (जिला) का उल्लेख नहीं किया गया है, जहां साक्तेंग स्थित है, जो 1984 और 2016 के बीच दोनों देशों के बीच आयोजित सीमा की बातचीत के अनुसार अरूणाचल प्रदेश की सीमा है।

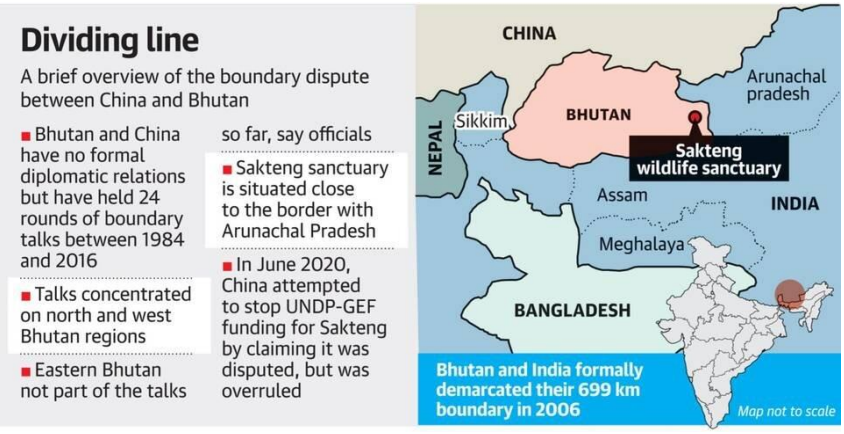

भूटान और चीन के बीच विवादित क्षेत्र के तीन अलग-अलग क्षेत्र हैं:

A. साक्तेंग वन्यजीव अभयारण्य पर पूर्वी क्षेत्र का विवाद

- यह अरूणाचल प्रदेश के साथ सीमा के निकट पूर्वी भूटान के त्रशिगांग जिले में स्थित है।
- हाल ही में, चीन ने वैश्विक पर्यावरण सुविधा (जी.ई.एफ.) की एक ऑनलाइन बैठक में सांक्तेंग वन्यजीव अभयारण्य पर क्षेत्रीय दावा किया है।

B. डोकलाम पठार पर पश्चिमी क्षेत्र का विवाद

- डोकलाम पठार, सिक्किम और भूटान के बीच चुम्बी घाटी में 89 वर्ग कि.मी. का क्षेत्र है, जिसका चीन द्वारा दावा किया जाता है।
- इसे चीन द्वारा डोंगलांग क्षेत्र कहा जाता है, भूटान इसे डोकलाम पठार कहता है और भारत इसे डोका ला के रूप में संदर्भित करता है।

C. पसमलंग और जकरलुंग घाटियों पर मध्य क्षेत्र का विवाद

- यह मध्य भूटान में 495 वर्ग कि.मी. क्षेत्र है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर I- विश्व भूगोल

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

कृष्णापटनम बंदरगाह

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने अडानी बंदरगाह एवं विशेष आर्थिक क्षेत्र लिमिटेड द्वारा कृष्णापटनम बंदरगाह कंपनी लिमिटेड के अधिग्रहण को मंजूरी प्रदान की है।
- प्रस्तावित संयोजन अडानी बंदरगाह एवं विशेष आर्थिक क्षेत्र लिमिटेड द्वारा कृष्णापटनम बंदरगाह कंपनी लिमिटेड के प्रबंधन नियंत्रण के साथ पूंजी शेयरधारिता के अधिग्रहण की परिकल्पना करता है।

कृष्णापटनम बंदरगाह के बंदरगाह के संदर्भ में जानकारी

- यह आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में स्थित भारत के पूर्वी तट पर एक निजी रूप से निर्मित और स्वामित्व वाला सभी मौसम, गहरे पानी का बंदरगाह है।
- के.पी.सी.एल., आंध्र प्रदेश के कृष्णापटनम में गहरे पानी के बंदरगाह के एक डेवलपर और संचालक के रूप में संलग्न है।
- अदानी बंदरगाह, एक ग्राहक-सन्मुख एकीकृत बंदरगाह अवसंरचना सेवा प्रदाता है जो वर्तमान में गुजरात, गोवा, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और ओडिशा के छह समुद्री राज्यों में दस घरेलू बंदरगाहों में मौजूद है।

संबंधित जानकारी

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के संदर्भ में जानकारी

- भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, भारत सरकार का एक वैधानिक निकाय है, जो पूरे भारत में प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 को लागू करने हेतु जिम्मेदार है।
- इसकी स्थापना 14 अक्टूबर, 2003 को हुई थी।
- यह मई, 2009 में अपने पहले अध्यक्ष धनेंद्र कुमार की अध्यक्षता में पूरी तरह से कार्यात्मक हो गया था।

टॉपिक- जी.एस. पेपर I- भूगोल (महत्वपूर्ण बंदरगाह)

स्रोत- ए.आई.आर.

भारतीय क्षेत्र पर जलवायु परिवर्तन पर रिपोर्ट जारी की गई है।

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा जारी पहले 'भारतीय क्षेत्र पर जलवायु परिवर्तन के मूल्यांकन' ने भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों, गरज, हीट वेव, बाढ़, और सूखे की चेतावनी जारी की है यदि शमन उपायों को जल्द ही अपनाया नहीं जाता है।
- उनका मूल्यांकन 21वीं सदी के अंत तक आने वाले दशकों के लिए हैं।

मूल्यांकन की मुख्य विशेषताएं

तापमान

- 1901-2018 के दौरान भारत में सतही हवा के तापमान में प्रति वर्ष 0.6°C की वृद्धि हुई है।
- दक्षिण भारत की तुलना में उत्तर भारत के क्षेत्रों में अधिक गर्मी पड़ी है, जहां गर्मी मुख्यतः सर्दियों के दौरान रही है।
- 1951-2015 के बीच दैनिक अधिकतम और रात्रि के न्यूनतम वार्षिक औसत की तुलना में क्रमश: प्रत्येक दशक में 7.4 गर्म दिन और 3 गर्म रातें थीं।

- 1976-2005 के सापेक्ष गर्म दिनों की आवृत्ति में 55% और गर्म रातों की आवृत्ति में 70% की वृद्धि का अनुमान है।
- उष्णकटिबंधीय हिंद महासागर पर समुद्र की सतह का तापमान 1951-2015 के दौरान औसतन 1°C वार्षिक से बढ़ रहा है।

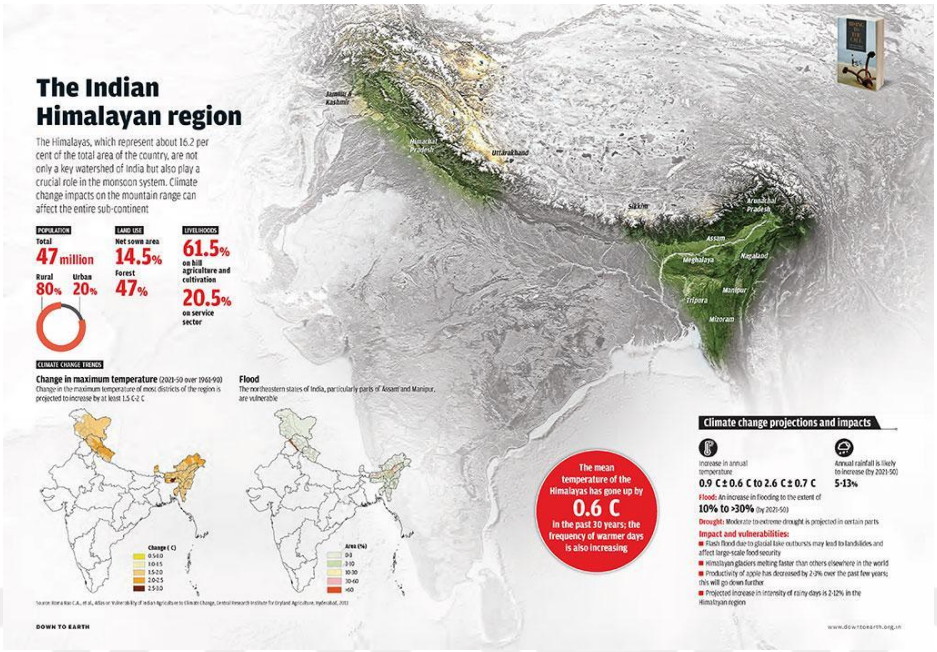

मानसून

- 1951-2015 के दौरान, भारत में वार्षिक वर्षा में गिरावट दर्ज की गई है।
- यह कमी मध्य भारत, केरल और सुदूर पूर्वोत्तर क्षेत्रों में 1-5 मि.मी. के बीच रही है।
- इसके विपरीत, जम्मू और कश्मीर और उत्तर पश्चिम भारत में वर्षा में वृद्धि हुई है।
- आगामी दशकों में मानसून से संबंधित वर्षा के माध्य, चरम और अंतर-वार्षिक परिवर्तनशीलता में काफी वृद्धि देखी जा सकती है।

सूखा और बाढ़

- 1950 के दशक से, भारी वर्षा की घटनाओं और शुष्क दिनों की आवृत्ति और तीव्रता दोनो में वृद्धि दर्ज की गई है।
- ये रूझान क्रमशः दक्षिण-पश्चिम मानसून (जून-सितंबर) और उत्तर-पूर्व मानसून (अक्टूबर-दिसंबर) के दौरान मध्य भारत और दक्षिण प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में प्रमुख हैं।
- 1901 से, भारत में मानसून के दौरान 22 सूखे पड़े हैं और सूखे के क्षेत्र में भी वृद्धि हुई है और 1951-2016 के दौरान सूखा, आवृत्ति और गंभीरता के क्षेत्र में वृद्धि हुई है।
- बाढ़ का जोखिम पूर्वी तट, पश्चिम बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश, गुजरात, कोंकण और मुंबई, चेन्नई और कोलकाता जैसे शहरों में अधिक है।
- तेजी से हिमनदों और बर्फ के पिघलने के कारण हिमालय के बाढ़ के मैदानों में अधिक बाढ़ आने का अनुमान है।
- ब्रह्मपुत्र, गंगा और सिंधु पर बड़ी बाढ़ की घटनाएं घटित होने का अनुमान है।

समुद्र स्तर

- एक चरम जलवायु परिदृश्य में, आंध्र प्रदेश और गंगा-ब्रह्मपुत्र-मेघना डेल्टा घाटियों पर आप्लावन मंडराने का खतरा बढ़ जाता है।
- वर्ष 2030 तक, उत्तरी हिंद महासागर और इसके द्वीपों के लगभग 340 मिलियन तटीय निवासियों को तटीय खतरों से अवगत कराया जाएगा।

ऊष्णकटिबंधी चक्रवात

- अरब सागर में उठने वाले तूफान अधिक शक्तिशाली हो रहे हैं और इस प्रवृत्ति के जारी रहने का अनुमान है।
- पिछले 20 वर्षों में अरब सागर में उठने वाले बेहद गंभीर चक्रवाती तूफानों की संख्या में वृद्धि हुई है।

हिमालय का बर्फ आवरण

- सदी के अंत तक, हिंदुकुश हिमालय का तापमान 2.6-4.6°C तक बढ़ने का अनुमान है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर I- भूगोल

स्रोत- पी.आई.बी.

ट्यूटिंग-टिडिंग सिवनी क्षेत्र (टी.टी.एस.जेड.)

खबरों में क्यों है?

- ट्युटिंग-टिडिंग सिवनी क्षेत्र (अरूणाचल प्रदेश) में हाल के अध्ययन से पता चला है कि यह क्षेत्र दो अलग-अलग गहराई पर मध्यम भूकंप उत्पन्न कर रहा है।

ट्युटिंग-टिडिंग सिवनी क्षेत्र (टी.टी.एस.जेड.) के संदर्भ में जानकारी

- यह पूर्वी हिमालय का एक प्रमुख हिस्सा है, जहाँ हिमालय तीक्ष्ण रूप से दक्षिण की ओर झुकता है और भारत-बर्मा सीमा से जुड़ता है।

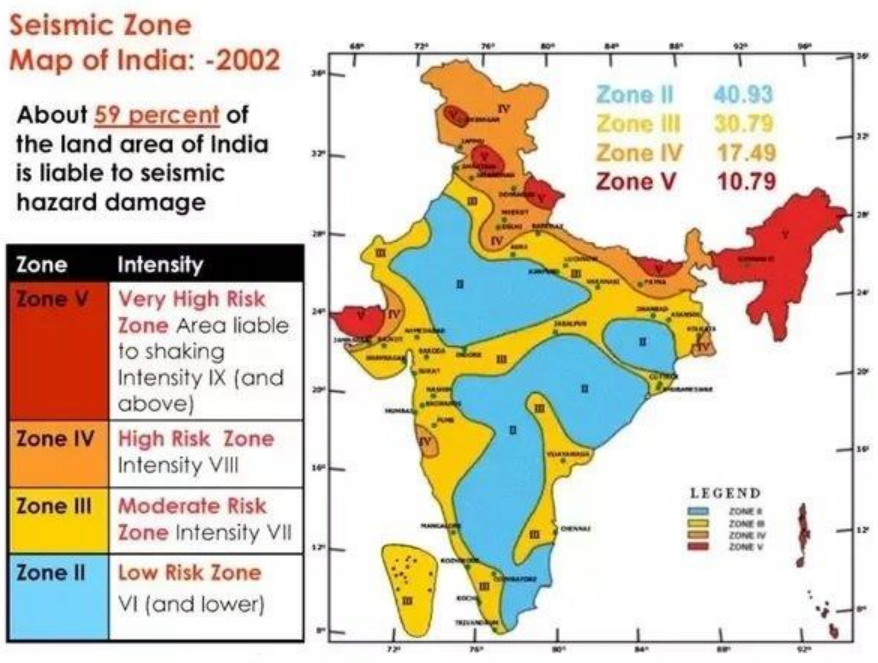

- अरुणाचल हिमालय के इस हिस्से ने हाल के दिनों में सड़कों और जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण की बढ़ती आवश्यकता के कारण काफी अधिक महत्ता प्राप्त की है, जिससे इस क्षेत्र में भूकंपीयता के प्रारूप को समझने की आवश्यकता महत्वपूर्ण है।
- इस अध्ययन का उद्देश्य भारत के इस पूर्वी भाग में भूकंपीयता और चट्टानों की प्रत्यास्थ विशेषताओं का पता लगाना है।

अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष

- कम परिमाण वाले भूकंप 1-15 कि.मी. की गहराई पर केंद्रित होते हैं और 4.0 से थोड़ी अधिक तीव्रता के भूकंप 25-35 कि.मी. की गहराई से उत्पन्न होते हैं।
- मध्यवर्ती गहराई भूकंपीयता विहीन है और द्रव/ आंशिक रूप से पिघलने के क्षेत्र के साथ मेल खाती है।
- हिमालय का उत्खनन और वृद्धि एक सतत प्रक्रिया है, जिसका कारण यह है कि ऊपरी सतह पर अपेक्षाकृत स्थिर चट्टानों के नीचे एक फाल्ट सतह पर चट्टानें गति करती हैं, एक प्रक्रिया है जिसे इसके यूरेशियाई प्लेट के नीचे भारतीय प्लेट की थ्रस्टिंग कहा जाता है।
- यह प्रक्रिया जलनिकासी प्रारूपों और भू-आकृतियों को संशोधित करती रहती है और हिमालय पर्वत बेल्ट और आसपास के क्षेत्रों में गहन भूकंपीय खतरे का एक आधारभूत कारण है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर I- भूगोल

स्रोत- द हिंदू

मौसस ऐप

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (एम.ओ.ई.एस.) ने मौसम पूर्वानुमान के लिए भारत का अपना ऐप, मौसम ऐप लॉन्च किया है।

मौसम ऐप की प्रमुख विशेषताएं

- यह ऐप एक स्थान के वर्तमान मौसम के संदर्भ में जानकारी प्रदान करेगा, जिसे एक दिन में आठ बार अपडेट किया जाएगा।
- यह आगामी सात दिनों के लिए शहर-वार पूर्वानुमान भी साझा करता है।
- यह राडार आधारित इमेजों और अनुमानित मौसमी घटनाओं की ट्रैकिंग के लिए सूचना के साथ तत्काल भविष्य में घटित होने वाली गंभीर मौसमी घटनाओं की नाऊकास्ट चेतावनी भी जारी करता है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर I- भूगोल

स्रोत- पी.आई.बी.

सुरक्षा सम्बन्धी मुद्दे

रक्षा अधिग्रहण परिषद

खबरों में क्यों?

- चीन के साथ सीमा पर तनाव के बीच, रक्षा अधिग्रहण परिषद ने 38,900 करोड़ के सौदों को मंजूरी प्रदान की है।
- इनमें भारतीय वायु सेना (आई.ए.एफ.) के लिए 21 मिग-29 लड़ाकू विमान की खरीद, 59 मिग-29 के अपग्रेड और 12 एस.यू.-30 एम.के.आई. विमानों का अधिग्रहण शामिल है।

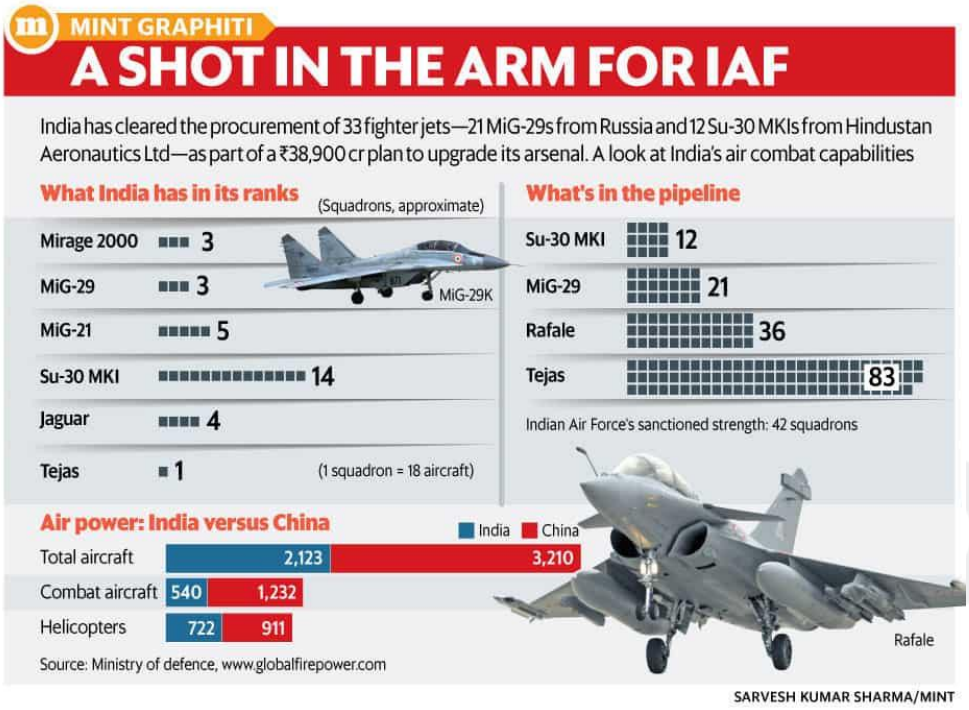

रक्षा अधिग्रहण परिषद के संदर्भ में जानकारी

- यह भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अग्रेषित पूंजी अधिग्रहण प्रस्तावों के लिए रक्षा मंत्रालय का सर्वोच्च निर्णायक निकाय है।
- रक्षा मंत्री, इस परिषद के अध्यक्ष हैं।
- कारगिल युद्ध (1999) के बाद, वर्ष 2001 में 'राष्ट्रीय सुरक्षा प्रणाली में सुधार' पर मंत्री समूह की सिफारिशों के बाद इसका गठन किया गया था।
- यह बलों के लिए दीर्घकालिक एकीकृत परिप्रेक्ष्य योजना को मंजूरी प्रदान करता है, अधिग्रहण प्रस्तावों को शुरू करने के लिए आवश्यकता (ए.ओ.एन.) की स्वीकृति को सहमति प्रदान करता है और अपने सभी महत्वपूर्ण चरणों के माध्यम से अनुदान, सभी महत्वपूर्ण सौदों के लिए इसकी स्वीकृति है।
- यह अधिग्रहण में किसी भी परिवर्तन को मंजूरी देने की शक्ति भी रखता है। यह प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सुरक्षा (सी.सी.एस.) पर मंत्रिमंडलीय समिति की मंजूरी के लिए सभी बड़ी पूंजी रक्षा खरीद की सिफारिश करता है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर III- रक्षा

स्रोत- द हिंदू

सी.ए.ए.टी.एस.ए. पर अमेरिका का स्थान अपरिवर्तित रहा है।

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, संयुक्त राज्य अमेरिका ने प्रतिबंध अधिनियम के माध्यम से अमेरिका के विरोधियों का सामना करने (सी.ए.ए.टी.एस.ए.) के अंतर्गत रूस से लड़ाकू विमान खरीदने के लिए भारत के खिलाफ प्रतिबंध लगाने पर अपनी स्थिति नहीं बदली है।

सी.ए.ए.टी.एस.ए. के संदर्भ में जानकारी

- यह ईरान, उत्तर कोरिया और रूस पर प्रतिबंध लगाने के लिए वर्ष 2017 में लागू एक अमेरिकी संघीय कानून है।
- यह अधिनियम अमेरिकी राष्ट्रपति को उन देशों के खिलाफ प्रतिबंध लगाने का अधिकार देता है, जो रूसी रक्षा एवं खुफिया क्षेत्रों के साथ महत्वपूर्ण लेनदेन में संलग्न हैं।

भारत और सी.ए.ए.टी.एस.ए.

- अक्टूबर, 2018 में, भारत ने सी.ए.ए.टी.एस.ए. अधिनियम की अनदेखी करते हुए दुनिया की सबसे शक्तिशाली मिसाइल रक्षा प्रणाली, ट्राइंफ सतह से हवा में मार करने वाली चार एस-400 मिसाइल सुरक्षा प्रणाली की खरीद के लिए रूस के साथ 5.43 बिलियन अमेरिकी डॉलर का समझौता किया था।
- अमेरिका ने रूस से एस-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली खरीदने के भारत के फैसले पर प्रतिबंध लगाकर भारत को धमकी दी थी।
- प्रभाव: भारत, अधिक-मूल्य की सैन्य रक्षा वस्तुओं की खरीद के लिए अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना कर सकता है, विशेष रूप से, अधिनियम के अंतर्गत रूस से एस-400 ट्रायम्फ मिसाइल रक्षा प्रणाली की खरीद शामिल है।

एस-400 के संदर्भ में जानकारी

- यह एक उन्नत वायु रक्षा प्रणाली है, जो एक साथ कई आने वाली वस्तुओं को ट्रैक कर सकती है- सभी प्रकार के विमानों, मिसाइलों और यू.ए.वी. को कुछ सौ किलोमीटर के दायरे में ट्रैक करती है और उन्हें बेअसर करने के लिए उपयुक्त मिसाइल लॉन्च करती है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर III- रक्षा

स्रोत- द हिंदू

मालाबार युद्धाभ्यास

खबरों में क्यों है?

- भारत सरकार शीघ्र ही रक्षा मंत्रालय की बैठक में इस पर निर्णय लेगी कि ऑस्ट्रेलिया को जापान और अमेरिका के साथ मालाबार युद्धाभ्यास में शामिल किया जाए या न किया जाए।

मालाबार युद्धाभ्यास के संदर्भ में जानकारी

- यह भारत, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेनाओं के बीच एक वार्षिक त्रिपक्षीय नौसेना युद्धाभ्यास है, जिसे भारतीय और प्रशांत महासागरों में एकांतर क्रम से आयोजित किया जाता है।
- यह वर्ष 1992 में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक द्विपक्षीय नौसैनिक युद्धाभ्यास के रूप में शुरू हुआ था और वर्ष 2015 में जापान के समावेश के साथ एक त्रिपक्षीय प्रारूप में विस्तारित किया गया था।
- भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अन्य युद्धाभ्यास हैं:
  a. पिच ब्लैक
  b. ऑसींडेक्स

नोट:

- हाल ही में, भारतीय प्रधानमंत्री और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री के बीच 'आभासी शिखर सम्मेलन' में, दोनों देशों ने लंबे समय से लंबित पड़े हुए पारस्परिक रसद समर्थन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
- यह इनकी साझेदारी को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ा सकता है।
- हिंद-प्रशांत में समुद्री सहयोग के लिए एक साझा दृष्टिकोण पर एक संयुक्त घोषणा भी की गई थी।

टॉपिक- जी.एस. पेपर III- रक्षा

स्रोत- द हिंदू

नौसेना को वर्ष 2032 तक नया वाहक-आधारित विमान मिलेगा

खबरों में क्यों है?

- नौसेना को वर्ष 2032 तक रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डी.आर.डी.ओ.) द्वारा विकसित किए जा रहे नए ट्विन-इंजन विमान वाहक-आधारित लड़ाकू विमान मिलने की उम्मीद है।
- यह सेवारत रूसी मिग-29K वाहक विमानों के लिए एक प्रतिस्थापन होगा।

वर्तमान परिदृश्य

- नौसेना वर्तमान में रूसी मूल के वाहक आई.एन.एस. विक्रमादित्य का संचालन कर रही है और वर्ष 2022 तक पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत (आई.ए.सी.-I) विक्रांत का परिचालन करने की उम्मीद करती है। दूसरा वाहक आने के साथ नौसेना पहले से ही 57 वाहक-आधारित ट्विन इंजन लड़ाकू विमान के लिए एक वैश्विक निविदा का मूल्यांकन कर रही है।

संबंधित जानकारी

हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के संदर्भ में जानकारी

- हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एच.ए.एल.), एक भारतीय राज्य के स्वामित्व वाली एयरोस्पेस और रक्षा कंपनी है।
- इसका मुख्यालय बैंगलोर (बेंगलुरू) में स्थित है।
- यह भारतीय रक्षा मंत्रालय के प्रबंधन के अंतर्गत शासित है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर III- रक्षा

स्रोत- द हिंदू

स्पाइक मिसाइल

खबरों में क्यों है?

- सेना, इज़रायल से आपातकालीन खरीद के हिस्से के रूप में स्पाइक-एल.आर. (लंबी दूरी की) एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल (ए.टी.जी.एम.) के लिए दोबारा ऑर्डर देने के लिए तैयार है।
- आपातकालीन खरीद, चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा (एल.ए.सी.) पर जारी तनाव के परिणामस्वरूप की जा रही है।

स्पाइक मिसाइल के संदर्भ में जानकारी

- यह चौथी पीढ़ी की मिसाइल है, जो 4 किलोमीटर तक की दूरी पर किसी भी लक्ष्य को सटीकता से संलग्न कर सकती है।
- इसे फायर-एंड-फॉरगेट मोड पर संचालित किया जा सकता है और फाइबर-ऑप्टिक डेटा लिंक का उपयोग करके फायर, अवलोकन और अपडेट मोड में संचालित किया जा सकता है।
- यह नॉन-लाइन-ऑफ-साइट (एन.एल.ओ.एस.) मोड में काम कर सकती है, जो गनर को एक कवर स्थिति से संचालित करने की अनुमति देती है।
- मिसाइल में एक इनबिल्ट साधक होता है, जो फायर करने वाले को दो मोड: दिन (सी.सी.डी.) और रात (आई.आई.आर.) में से किसी एक का उपयोग करने की सुविधा प्रदान करता है।
- दोहरी साधकता, मिसाइल की विश्वसनीयता में जोड़ी गई है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर III- रक्षा
स्रोत- द हिंदू

पैसेज युद्धाभ्यास (PASSEX)

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, भारतीय नौसेना के जहाजों ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के निकट अमेरिकी नौसेना के यू.एस.एस. निमित्ज़ कैरियर स्ट्राइक समूह के साथ एक पैसेज युद्धाभ्यास (PASSEX) का आयोजन किया है क्यों कि यह हिंद महासागर को पार करता है।

- लद्दाख में सीमा पर चीन के साथ गतिरोध के कारण हिंद महासागर क्षेत्र (आई.ओ.आर.) में नौसेना द्वारा उच्च सतर्कता के बीच यह युद्धाभ्यास किया गया है।
- हाल के दिनों में भारतीय नौसेना ने जापानी नौसेना और फ्रांसीसी नौसेना के साथ समान PASSEX का आयोजन किया था।

टॉपिक- जी.एस. पेपर III- रक्षा
स्रोत- द हिंदू

ट्रम्प प्रशासन ने ड्रोन निर्यात करने के लिए मानकों में ढील दी है।

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, ट्रम्प प्रशासन ने मित्र देशों को ड्रोन निर्यात करने के लिए मानकों में ढील दी है।
- नई नीति के अंतर्गत, 800 कि.मी. प्रति घंटा से कम की गति से उड़ान भरने वाले ड्रोन अब मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण शासन प्रणाली (एम.टी.सी.आर.) के अधीन नहीं हैं।

लाभ: इस कदम से अमेरिका के उद्योग के लिए अपने ड्रोन बाजार के विस्तार को खोलकर अपने भागीदारों की क्षमताओं में सुधार करके और आर्थिक सुरक्षा को बढ़ाकर अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा में वृद्धि होगी।

संबंधित जानकारी

मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण शासन प्रणाली के संदर्भ में जानकारी

- यह उन राज्यों के बीच एक अनौपचारिक राजनीतिक समझ है, जो मिसाइलों और मिसाइल प्रौद्योगिकी के प्रसार को सीमित करना चाहते हैं।
- जी-7 औद्योगिक देशों (कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका) द्वारा 1987 में इस शासन प्रणाली का गठन किया गया था।
- वर्तमान में 35 देश हैं, जो एम.टी.सी.आर. के सदस्य (साझेदार) हैं।
- भारत वर्ष 2016 में इसका सदस्य बना था।
- एम.टी.सी.आर., एक संधि नहीं है और भागीदारों (सदस्यों) पर कानूनी रूप से बाध्यकारी दायित्वों को लागू नहीं करता है।
- एम.टी.सी.आर. का कोई औपचारिक सचिवालय नहीं है और शासन प्रणाली के संपर्क बिंदु (पी.ओ.सी.) के रूप में कार्य करता है, जो सभी शासन दस्तावेजों को प्राप्त और वितरित करता है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर III- रक्षा

स्रोत- द हिंदू

योजनायें और रिपोर्ट

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, प्रधानमंत्री ने नवंबर, 2020 के अंत तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के विस्तार की घोषणा की है।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के संदर्भ में जानकारी

- प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को कोविड-19 महामारी के दौरान पहले राहत पैकेज के हिस्से के रूप में घोषित किया गया था।
- इस योजना की घोषणा तीन महीने के लिए की गई थी और यह योजना 30 जून को समाप्त हो रही थी।
- इस योजना का उद्देश्य कोरोनोवायरस संकट के दौरान गरीबों और जरूरतमंदों के लिए पर्याप्त भोजन सुनिश्चित कराना है।

योजना की प्रमुख विशेषताएं

- इस योजना ने देश में 80 करोड़ राशन कार्डधारकों को शामिल किया है।
- अंत्योदय अन्न योजना (ए.ए.वाई.) और प्राथमिकता परिवार (पी.एच.एच.) राशन कार्डधारकों के लिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टी.पी.डी.एस.) के अंतर्गत सभी लाभार्थियों को खाद्यान्न वितरित किया जाना है।
- पात्र व्यक्तियों को अप्रैल से जून, 2020 के बीच तीन महीने के लिए 5 किलोग्राम खाद्यान्न और 1 किलोग्राम ग्राम चना प्रति माह प्रदान किया है, जिसे अब पांच अतिरिक्त महीनों के लिए बढ़ा दिया गया है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर II- गवर्नेंस

स्रोत- पी.आई.बी.

सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम (पी.एम.एफ.एम.ई.) योजना

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री ने "आत्मनिर्भर भारत अभियान" के एक भाग के रूप में सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण का पी.एम. औपचारिकीकरण (पी.एम.एफ.एम.ई.) योजना शुरू की है।

पी.एम.एफ.एम.ई. योजना के संदर्भ में जानकारी

यह एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है, जिसे 2020-21 से 2024-25 तक पांच वर्षों की अवधि में लागू किया जाना है।

निधि साझाकरण

- इस योजना के अंतर्गत खर्च को केंद्र और राज्य सरकारों के बीच 60:40 अनुपात में, 90:10 अनुपात में उत्तर पूर्वी और हिमालयी राज्यों में, 60:40 अनुपात में विधायिका केंद्रशासित प्रदेशों में और 100% केंद्र द्वारा अन्य केंद्रशासित प्रदेशों में साझा किया जाएगा।

उद्देश्य

- मौजूदा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के उन्नयन हेतु वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान करना है।

प्रभाव

- यह योजना कुल 35,000 करोड़ रूपये का निवेश करेगी और 9 लाख कुशल और अर्ध-कुशल रोजगार पैदा करेगी और सूचना, प्रशिक्षण, बेहतर प्रदर्शन और औपचारिकता तक पहुंच के माध्यम से 8 लाख इकाइयों को लाभान्वित करेगी।

कार्यान्वयन रणनीति:

- यह योजना इनपुट की खरीद, बुनियादी सेवाओं का लाभ उठाने और उत्पादों के विपणन के संदर्भ में पैमाने का लाभ प्राप्त करने के लिए एक जिला, एक उत्पाद (ODODP) दृष्टिकोण को अपनाती है।
- इस योजना में अपशिष्ट से संपत्ति उत्पाद, लघु वन उत्पादों और आकांक्षी जिलों पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर III- महत्वपूर्ण योजना

स्रोत- पी.आई.बी.

ऑपरेशन ग्रीन्स

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री ने टी.ओ.पी. (टमाटर-प्याज-आलू) फसलों से लेकर सभी खराब होने वाले फलों और सब्जियों (टॉप से लेकर टोटल) तक ऑपरेशन ग्रीन्स के विस्तार की घोषणा की है।
- इस हस्तक्षेप का उद्देश्य फल और सब्जियों के उत्पादकों को लॉकडाउन के कारण संकट बिक्री से बचाना और फसल के बाद के नुकसान को कम करना है।

योग्य फसलें:

- फल- आम, केला, अमरूद, कीवी, लीची, पपीता, खट्टे, अनानास, अनार, कटहल हैं, सब्जियां:- फ्रेंच बीन्स, लौकी, बैंगन, शिमला मिर्च, गाजर, फूलगोभी, मिर्च (हरी), लंबी भिंडी, प्याज, आलू और टमाटर हैं।
- कृषि मंत्रालय या राज्य सरकार की सिफारिश के आधार पर भविष्य में किसी अन्य फल/ सब्जी को भी जोड़ा जा सकता है।

योजना की अवधि:-

- यह अधिसूचना की तारीख अर्थात 11/06/2020 से छह महीने के लिए है।

योग्य संस्थाएँ

- खाद्य प्रसंस्करण, एफ.पी.ओ./ एफ.पी.सी., सहकारी समितियां, व्यक्तिगत किसान, लाइसेंस प्राप्त कमीशन एजेंट, निर्यातक, राज्य विपणन/ सहकारी संघ, खुदरा विक्रेता आदि फलों और सब्जियों के प्रसंस्करण/ विपणन में लगे हुए हैं।

सहायता का प्रारूप

- मंत्रालय लागत मानकों के अधीन निम्नलिखित दो घटकों की लागत का 50% @ सब्सिडी प्रदान करेगा।
- अधिशेष उत्पादन समूह से खपत केंद्र तक पात्र फसलों का परिवहन और/ या
- पात्र फसलों के लिए उचित भंडारण सुविधाओं को किराए पर लेना (अधिकतम 3 महीने के लिए)

टॉपिक- जी.एस. पेपर III- महत्वपूर्ण योजना

स्रोत- पी.आई.बी.

विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट 2020

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (यू.एन.एफ.पी.ए.) ने विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट 2020 जारी की है।
- इस रिपोर्ट का शीर्षक: 'मेरी इच्छा के विरुद्ध: महिलाओं और लड़कियों को नुकसान पहुंचाने वाली प्रथाओं को चुनौती देना और समानता को कमजोर करना' है।
- यह रिपोर्ट बाल विवाह, पुत्र की प्राथमिकता, लिंग-पक्षपातपूर्ण सेक्स चयन (जी.बी.एस.एस.) और महिला जननांग विकृति की समस्या पर केंद्रित है।

रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं

- लिंग आधारित सेक्स चयन और पुत्र के लिए वरीयता के कारण पिछले 50 वर्षों में दुनिया की 142.6 मिलियन लापता महिलाओं में से 45.8 मिलियन महिलाएं भारत की है।
- यह रिपोर्ट महिलाओं के खिलाफ 19 हानिकारक प्रथाओं की पहचान करती है, जिनमें से तीन सबसे व्यापक और दृढ़ हैं: ये महिला जननांग विकृति (एफ.जी.एम.), बाल विवाह और पुत्र की प्राथमिकता है।
- विश्व स्तर पर, पांच लड़कियों में से एक लड़की का विवाह 18 वर्ष की आयु तक होता है।
- वर्ष 2020 में, अनुमानित 4.1 मिलियन लड़कियों को महिला जननांग विकृति के अधीन किया जाएगा।

संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के संदर्भ में जानकारी

- यह संयुक्त राष्ट्र यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य एजेंसी है।
- इसका उद्देश्य एक ऐसी दुनिया का वितरण करना है, जहाँ प्रत्येक गर्भावस्था इच्छित हो, प्रत्येक बच्चे का जन्म सुरक्षित हो, प्रत्येक युवा व्यक्ति की क्षमता पूरी हो।
- इसका मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर III- महत्वपूर्ण रिपोर्ट

स्रोत- द हिंदू

सतत विकास रिपोर्ट 2020

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, सतत विकास रिपोर्ट 2020 ने संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों के लिए एस.डी.जी. सूचकांक और डैशबोर्ड प्रस्तुत किया है।

सतत विकास रिपोर्ट 2020 के संदर्भ में जानकारी

- सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क (एस.डी.एस.एन.) और बर्टेल्समन स्टिफ्टंग के स्वतंत्र विशेषज्ञों की टीमों द्वारा सतत विकास रिपोर्ट 2020 तैयार की गई थी।
- एस.डी.जी. सूचकांक, छह व्यापक परिवर्तनों के संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राज्यों के बीच 17 एस.डी.जी. लक्ष्यों के कार्यान्वयन को तैयार करता है:
  a. शिक्षा और कौशल
  b. स्वास्थ्य और कल्याण
  c. स्वच्छ ऊर्जा और उद्योग
  d. सतत भूमि उपयोग
  e. स्थायी शहर
  f. डिजिटल प्रौद्योगिकियां

रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं

- स्वीडन को वर्ष 2020 के लिए 84.7 के समग्र स्कोर के साथ नवीनतम एस.डी.जी. सूचकांक में शीर्ष पर रखा गया है।
- भारत 61.92 के समग्र स्कोर के साथ 117वें स्थान पर है। चीन 48वें स्थान पर, ब्राज़ील 53वें और रूस 57वें स्थान पर है।
- दक्षिण एशिया में, मालदीव 91वें, श्रीलंका 94वें, नेपाल 96वें, बांग्लादेश 109वें और पाकिस्तान को 134वें स्थान पर रखा गया है।

एस.डी.जी. 2030 के संदर्भ में जानकारी

- एजेंडा 2030 और सतत विकास लक्ष्य (एस.डी.जी.) को 2015 में संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य राज्यों द्वारा अपनाया गया था।

सतत विकास लक्ष्य (एस.डी.जी.)

- सतत विकास रिपोर्ट (पूर्व में एस.डी.जी. सूचकांक और डैशबोर्ड कहा जाता था) यह आकलन करने के लिए दुनिया भर में पहला अध्ययन है कि सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के संबंध में प्रत्येक देश कहां खड़ा है। अपने पूर्ववर्ती मिलेनियम विकास लक्ष्यों के विपरीत, एस.डी.जी. ने न केवल उभरते और विकासशील देशों के लिए बल्कि औद्योगिक देशों के लिए भी मानक निर्धारित किए हैं।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 2- गवर्नेंस

स्रोत- एस.डी.जी.

वर्ष 2030 तक शून्य भुखमरी प्राप्त करने का लक्ष्य संशयात्मक है: संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, संयुक्त राष्ट्र द्वारा "विश्व में खाद्य सुरक्षा एवं पोषण की स्थिति" शीर्षक नामक एक रिपोर्ट जारी की गई है।
- रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि 'शुन्य भुखमरी' के सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करना बहुत मुश्किल होगा, जिसे उसने 2030 तक अनिवार्य कर दिया था।

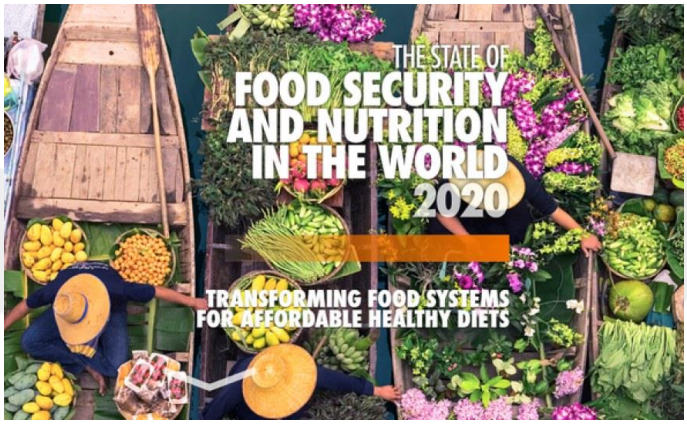

विश्व में खाद्य सुरक्षा एवं पोषण की स्थिति रिपोर्ट के संदर्भ में जानकारी

- यह रिपोर्ट संयुक्त रूप से खाद्य एवं कृषि संगठन (एफ.ए.ओ.), अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष (आई.एफ.ए.डी.), संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनिसेफ), संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्यू.एफ.पी.) और विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू.एच.ओ.) द्वारा निर्मित है।
- इस रिपोर्ट का उद्देश्य भुखमरी और कुपोषण को समाप्त करने की दिशा में प्रगति पर सबसे अधिक प्राधिकारी वैश्विक अध्ययन जारी करना है।

रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं

- रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2019 में लगभग 690 मिलियन लोग भुखमरी का शिकार हो गए थे- जो वर्ष 2018 से 10 मिलियन अधिक हैं और पांच वर्षों में लगभग 60 मिलियन हैं।

जरूरत से कम भोजन मिलना

- जरूरत से कम भोजन प्राप्त करने वालों का वैश्विक प्रसार या भूखे लोगों का समग्र प्रतिशत थोड़ा परिवर्तित होकर 8.9 प्रतिशत हो गया था, लेकिन वर्ष 2014 के बाद से पूर्ण संख्या बढ़ रही है।
- भारत में जरूरत से कम भोजन प्राप्त करने वाले लोगों की संख्या 2004-06 में 21.7% से घटकर 2017-19 में 14% हो गई है।

- अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और कैरिबिया के बाद एशिया में सबसे बड़ी संख्या में जरूरत से कम भोजन प्राप्त करने वाले लोग निवास करते है।

वृद्धि का रूकना

- रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2019 में, पांच वर्ष से कम आयु (191 मिलियन) के एक चौथाई से एक तिहाई बच्चे अविकसित या कमजोर हो गए थे- बहुत छोटे या बहुत पतले थे।
- भारत में पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों में अविकास का प्रचलन 2012 में 47.8% से घटकर 2019 में 34.7% हो गया है।

मोटापा

- वर्ष 2012 में मोटे वयस्कों (18 वर्ष और उससे अधिक) की संख्या 3.1% से बढ़कर 2016 में 3.9% हो गई है।

महिलाओं में एनीमिया

- एनीमिया से प्रभावित प्रजनन आयु (15-49) की महिलाओं की संख्या वर्ष 2012 में 165.6 मिलियन से बढ़कर वर्ष 2016 में 175.6 मिलियन हो गई थी।

नोट

- एस.डी.जी. 2 भुखमरी समाप्त करने, खाद्य सुरक्षा प्राप्त करने और पोषण में सुधार करने और सतत कृषि को बढ़ावा देने से संबंधित है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर III- महत्वपूर्ण रिपोर्ट

स्रोत- डाउन टू अर्थ

भारत ने मातृ मृत्यु अनुपात में भारी गिरावट दर्ज की है।

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, रजिस्ट्रार जनरल के मानक पंजीकरण प्रणाली के कार्यालय ने भारत में मातृ मृत्यु दर 2016-18 पर विशेष बुलेटिन जारी किया है।

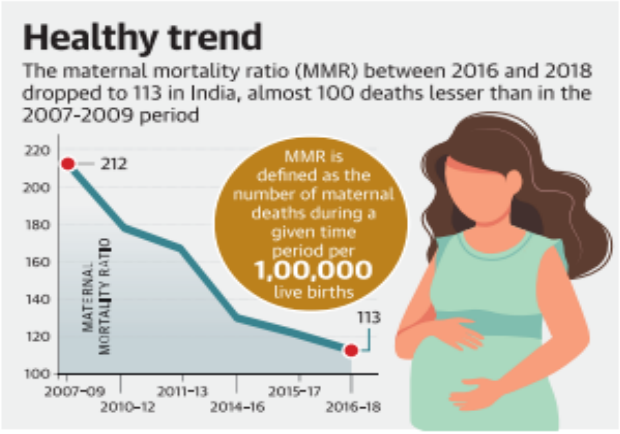

बुलेटिन के मुख्य निष्कर्ष

- भारत में मातृ मृत्यु अनुपात (एम.एम.आर.) वर्ष 2015-17 में 122 और वर्ष 2014-2016 में 130 से घटकर वर्ष 2016-18 में 113 हो गया है।
- बुलेटिन के अनुसार विभिन्न राज्यों के एम.एम.आर. में असम (215), बिहार (149), मध्य प्रदेश (173), छत्तीसगढ़ (159), ओडिशा (150), राजस्थान (164), उत्तर प्रदेश (197) और उत्तराखंड (99) शामिल है।

- दक्षिणी राज्यों- आंध्र प्रदेश (65), तेलंगाना (63), कर्नाटक (92), केरल (43) और तमिलनाडु (60) ने निम्न एम.एम.आर. दर्ज किया है।

संबंधित शब्द

मातृ मृत्यु दर

- किसी क्षेत्र में मातृ मृत्यु दर, क्षेत्र में महिलाओं के प्रजनन स्वास्थ्य का एक मापक है।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, गर्भावस्था या उसके प्रबंधन से संबंधित किसी भी कारण से, गर्भवती होने के दौरान या गर्भावस्था की समाप्ति के 42 दिनों के भीतर एक महिला की मृत्यु, मातृ मृत्यु है।

मातृ मृत्यु अनुपात

- यह मातृ मृत्यु दर के प्रमुख संकेतकों में से एक है।
- इसे प्रति 1,00,000 जीवित जन्मों में मातृ मृत्यु की संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है।
- संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्यों (एस.डी.जी.) के लक्ष्य 3.1 का उद्देश्य वैश्विक मातृ मृत्यु अनुपात को घटाकर प्रति 1,00,000 में 70 तक करना है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर II- सामाजिक मुद्दे

स्रोत- द हिंदू

विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक-2019 रिपोर्ट

खबरों में क्यों है?

- विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक-2019 रिपोर्ट के अनुसार, भारत कुल (निवासी और विदेश में निवास करने वाले) बौद्धिक संपदा (आई.पी.) फाइलिंग गतिविधि की रैंकिंग में शीर्ष दसवें राष्ट्र के रूप में उभरा है।

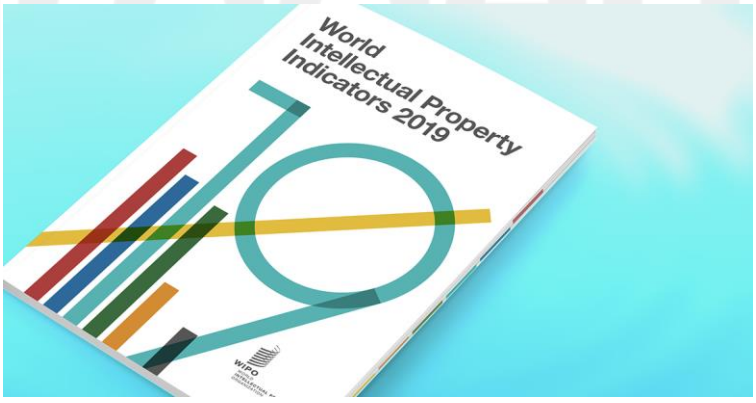

रिपोर्ट के निष्कर्ष

- सरकार "मेक इन इंडिया", "स्किल इंडिया" और अब "आत्म-निर्भर भारत" जैसी योजनाओं पर जोर दे रही है, जिससे आई.पी. फाइलिंग और अनुदान गतिविधियों के बढ़ने की संभावना है।
- उद्योग 4.0 नए आविष्कारों और सफलताओं का गवाह बन रहा है क्यों कि यह विशेष रूप से कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग में नवाचार को उत्तेजित करने के लिए सही वातावरण प्रदान करने में चुनौतियों का सामना करता है।
- आई.पी.-समावेशी उद्योगों की पहचान, देश की अर्थव्यवस्था के एक महत्वपूर्ण और अभिन्न अंग के रूप में की गई है और यह अधिक नौकरियों और इसके सकल घरेलू उत्पाद के बड़े हिस्से का कारण है।

संबंधित जानकारी

- देश में मजबूत आई.पी. शासन को बढ़ावा देने के लिए, देश के औद्योगिक और आर्थिक विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए मई, 2016 में राष्ट्रीय आई.पी.आर. नीति शुरू की गई थी।
- इसकी स्पष्ट कॉल "क्रिएटिव इंडिया, इनोवेटिव इंडिया" है।
- यह सभी इंटर-लिंकेज को ध्यान में रखते हुए सभी आई.पी.आर. को शामिल करता है और उन्हें एक प्लेटफॉर्म पर लाता है, और इस प्रकार इसका उद्देश्य बौद्धिक संपदा (आई.पी.), संबंधित कानूनों और एजेंसियों के सभी रूपों के बीच सहयोग स्थापित करना और उनका लाभ उठाना है।
- यह कार्यान्वयन, निगरानी और समीक्षा के लिए एक संस्थागत तंत्र स्थापित करता है।
- इसका उद्देश्य वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को भारतीय परिदृश्य में शामिल करना और उन्हें अनुकूल बनाना है।

नोडल एजेंसी

- भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय का औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (डी.आई.पी.पी.) को भारत में आई.पी.आर. के कार्यान्वयन और भविष्य के विकास के समन्वय, मार्गदर्शन और निगरानी के लिए नोडल विभाग के रूप में नियुक्त किया गया है। भारत का आई.पी.आर. शासन, बौद्धिक संपदा अधिकारों (ट्रिप्स) के व्यापार-संबंधित पहलुओं पर डब्ल्यू.टी.ओ. के समझौते के अनुपालन में है।

भारत और आई.पी.आर.

- भारत, विश्व व्यापार संगठन का सदस्य है और बौद्धिक संपदा अधिकारों (ट्रिप्स) के व्यापार-संबंधित पहलुओं पर डब्ल्यू.टी.ओ. के समझौते के लिए प्रतिबद्ध है।
- भारत, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का भी सदस्य है, जो पूरे विश्व में बौद्धिक संपदा अधिकारों के संरक्षण हेतु जिम्मेदार है।
- भारत, आई.पी.आर. से संबंधित निम्नलिखित महत्वपूर्ण डब्ल्यू.आई.पी.ओ.- प्रशासित अंतर्राष्ट्रीय संधियों और सम्मेलनों का भी सदस्य है:
  a. औद्योगिक संपत्ति के संरक्षण हेतु पेरिस सम्मेलन
  b. पेटेंट प्रक्रिया हेतु सूक्ष्मजीवों की जमा की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता पर बुडापेस्ट संधि
  c. विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का स्थापना सम्मेलन
  d. साहित्य और कलात्मक कार्यों के संरक्षण हेतु बर्न सम्मेलन
  e. प्रिंट अपंगता और नेत्रहीन व्यक्तियों द्वारा प्रकाशित कृतियों तक पहुंच को सुगम बनाने हेतु मारकेश संधि

टॉपिक- जी.एस. पेपर III- अर्थशास्त्र

स्रोत- डी.डी. न्यूज़

वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक (एम.पी.आई.) 2020

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, वर्ष 2020 के वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक (एम.पी.आई.) को ऑक्सफोर्ड गरीबी एवं मानव विकास पहल और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी किया गया था।

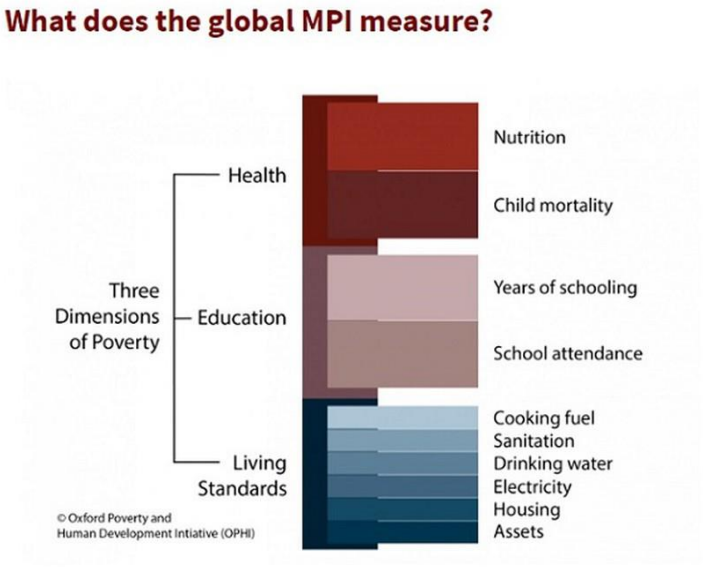

रिपोर्ट के निष्कर्ष

- लगभग 1.3 बिलियन लोग अभी भी बहुआयामी गरीबी में रह रहे हैं।
- बच्चे बहुआयामी गरीबी की उच्च दर दर्शाते हैं। बहुआयामी रूप से गरीब लोगों में से आधे (644 मिलियन), 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं। 6 में से 1 वयस्क की तुलना में 3 में से 1 बच्चा गरीब है।
- चार देश- अर्मेनिया (2010 से 2015/ 2016), भारत (2005/ 2006 से 2015/ 2016), निकारागुआ (2001 से 2011/ 2012) और उत्तर मैसेडोनिया (2005/2014) ने अपने वैश्विक एम.पी.आई.टी. मान को आधा कर दिया है और इन्होंने ऐसा 5.5-10.5 वर्षों में किया है।
- लगभग 84% बहुआयामी गरीब सब-सहारा अफ्रीका (558 मिलियन) और दक्षिण एशिया (530 मिलियन) में निवास करते हैं।
- निरपेक्ष रूप से एम.पी.आई. मान में सबसे तेज कमी दर्शाने वाले देश सिएरा लियोन, मॉरिटानिया और लाइबेरिया थे, इसके बाद तिमोर-लेस्ते, गिनी और रवांडा थे।

वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक के संदर्भ में जानकारी

- यह तीव्र बहुआयामी गरीबी का एक मापक है और स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर में तीव्र गिरावट को मापता है, जिनका एक व्यक्ति का एक साथ सामना कर सकता है।
- वैश्विक एम.पी.आई. तीन आयामों (स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर) और दस संकेतकों से मिलकर बना है।
- यदि किसी व्यक्ति को कम से कम एक तिहाई भारित संकेतको से वंचित किया जाता है, तो उसकी पहचान बहुआयामी गरीब के रूप में की जाती है।
- वैश्विक एम.पी.आई., पहली बार यू.एन.डी.पी. के मानव विकास रिपोर्ट कार्यालय (एच.डी.आर.ओ.) के साथ साझेदारी में लॉन्च होने के बाद से वर्ष 2020 में दसवीं वर्षगांठ को चिन्हित करता है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर III- गरीबी एवं सूचकांक

स्रोत- द हिंदू

"परिवार सामाजिक उपभोग: शिक्षा" पर एन.एस.ओ. रिपोर्ट

खबरों में क्यों है?

- राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एन.एस.ओ.) ने "परिवार सामाजिक उपभोग: शिक्षा" पर एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें इन्होंने जुलाई, 2017 से जून, 2018 के बीच 8,000 गांवों और 6,000 शहरी ब्लॉकों में फैले हुए 1.13 लाख परिवारों का सर्वेक्षण किया है।
- इस अध्ययन में शिक्षा के विभिन्न स्तरों के 1.52 लाख छात्र शामिल थे।

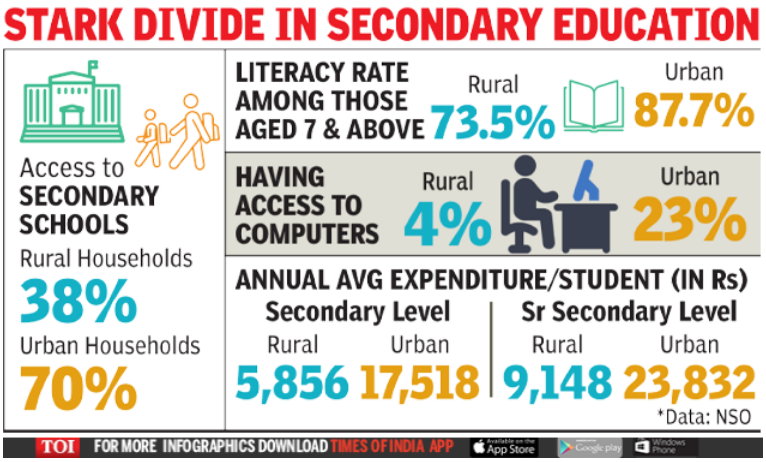

रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं

- **पहुँच पर**
- रिपोर्ट के अनुसार, शहरी क्षेत्रों में 87.2% परिवारों की तुलना में लगभग 92.7% ग्रामीण परिवारों में 1 कि.मी. के क्षेत्र भीतर प्राथमिक स्कूल है।
- यह स्थिति तब विषम हो जाती है जब समान मानदंडों पर शहरी क्षेत्रों में 70 प्रतिशत परिवारों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में केवल 38% परिवारों की माध्यमिक विद्यालयों तक पहुँच है।
- **साक्षरता दर**
- 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की अखिल भारतीय साक्षरता दर 77.7% है।
- हालांकि, समान आयु वर्ग के लिए, ग्रामीण साक्षरता 73.5% है और शहरी क्षेत्रों में यह दर 87.7% है।
- इंटरनेट का उपयोग
- ग्रामीण और शहरी परिवारों के बीच डिजिटल विभाजन काफी अधिक है, ग्रामीण आबादी के सिर्फ 4% को कंप्यूटर तक पहुँच प्राप्त है।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि ग्रामीण समूहों में 15% सर्वेक्षण आबादी के पास इंटरनेट की पहुँच है, जब कि शहरी क्षेत्रों में सर्वेक्षण में शामिल 42% छात्रों की इंटरनेट तक पहुंच है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में 15-29 वर्ष की आयु वर्ग के केवल 24% व्यक्ति, अपने शहरी समकक्षों के 56% की तुलना में कंप्यूटर संचालित करने में सक्षम हैं।
- ग्रामीण परिवारों में माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर प्रति छात्र वार्षिक औसत खर्च क्रमशः 5,856 रूपये और 9,148 रूपये है।
- समान वर्गों के लिए एक शहरी परिवार क्रमशः 17,518 रूपये और 23,832 रूपये खर्च करता है।
- स्कूल स्तर पर, जब कि अधिकांश शहरी परिवारों ने निजी स्कूलों के लिए प्राथमिकता दर्शाई थी, यह ग्रामीण परिवारों के लिए विपरीत था।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि 76.1% ग्रामीण बच्चे, सरकार द्वारा संचालित प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय में शिक्षा ले रहे हैं, जब कि केवल 38% शहरी बच्चे, सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं।
- हालांकि, स्नातक और उच्च अध्ययन के लिए, सरकारी संस्थानों में 41.7% शहरी समकक्षों की तुलना में 49.7% ग्रामीण छात्र सरकारी संस्थानों में कक्षाओं में भाग ले रहे हैं।

टॉपिक- जी.एस. पेपर II- महत्वपूर्ण रिपोर्ट

स्रोत- टी.ओ.आई.

गोधन न्याय योजना

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, हरेली महोत्सव के अवसर पर छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना शुरू की गई है, जो इस प्रकार की पहली योजना है।

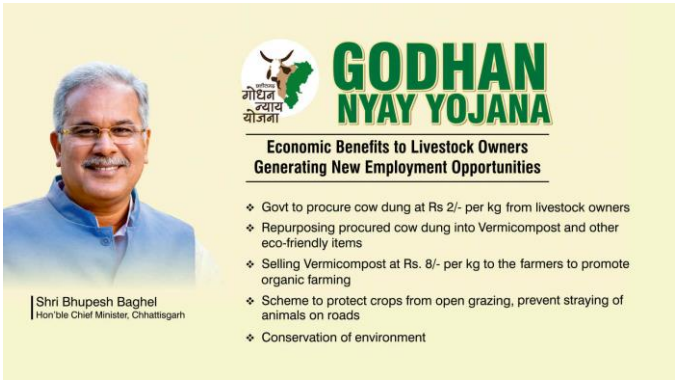

योजना के संदर्भ में अधिक जानकारी

- इस योजना के अंतर्गत, सरकार पशुधन मालिकों से 2 रूपये प्रति किलोग्राम की दर से गोबर खरीदेगी और जैविक उर्वरक तैयार करने के लिए इसका उपयोग करेगी।
- इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करना है।
- खरीदे गए गाय के गोबर का उपयोग कृमि नाशक खाद के उत्पादन के लिए किया जाएगा, जो किसानों की उर्वरक आवश्यकता को पूरा करने के लिए सहकारी समितियों के माध्यम से बेची जाएगी।
- यह योजना जैविक उर्वरकों के उपयोग को प्रोत्साहित करेगी, रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करेगी।
- इसे सुराजी गाँव योजना के माध्यम से कार्यान्वित किया जाएगा, जिसके अंतर्गत पाँच हज़ार से अधिक गौशालाओं का निर्माण किया गया है।
- इन गौशालाओं के माध्यम से गोधन न्याय योजना लागू की जाएगी।

हरेली महोत्सव के संदर्भ में जानकारी

- यह छत्तीसगढ़ में ग्रामीण कृषक समुदायों द्वारा मनाया जाने वाला एक कृषि त्योहार है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर II- गवर्नेंस

स्रोत- द हिंदू

बच्चों के बीच टीकाकरण पर एन.एस.ओ. की रिपोर्ट

खबरों में क्यों है?

- यह बच्चों के बीच टीकाकरण पर जुलाई, 2017 से जून, 2018 के दौरान राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एन.एस.ओ.) द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार है।

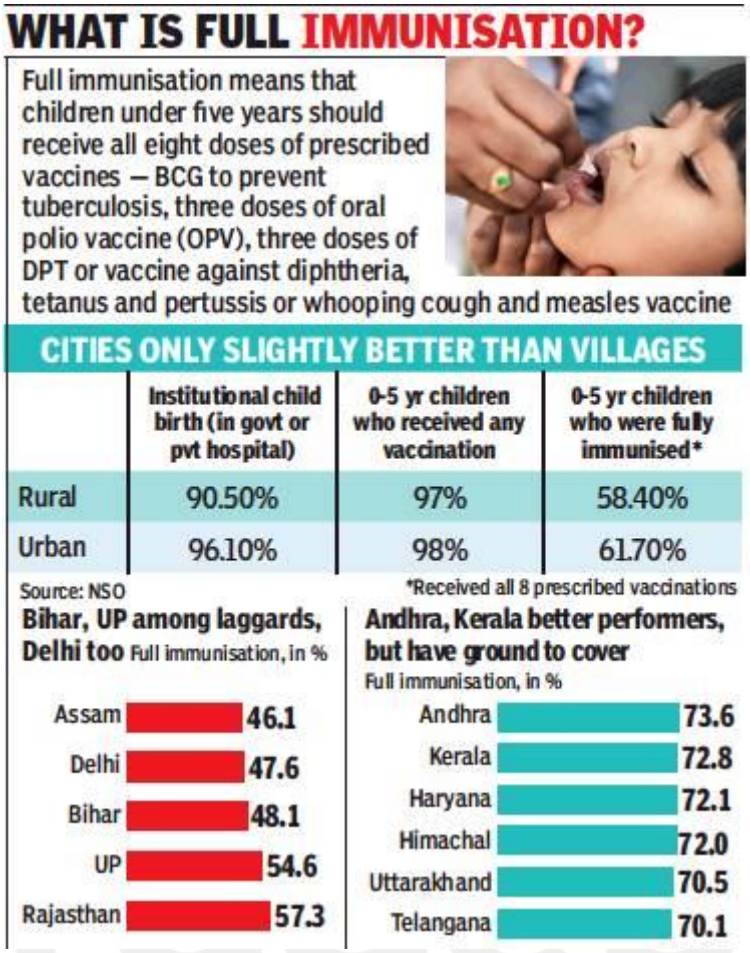

रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं

- रिपोर्ट के अनुसार, पांच वर्ष से कम आयु के लगभग 60% बच्चों को पूरी तरह से प्रतिरक्षित किया गया था, जिसमें पूरे देश के लगभग 59% लड़के और 60% लड़कियां शामिल हैं।
- उन्हें सभी आठ निर्धारित टीकों- बी.सी.जी., ओ.पी.वी.-1, 2, 3, डी.पी.टी.-1, 2, 3 और खसरे से पूरी तरह से प्रतिरक्षित किया गया था।
- ग्रामीण भारत में, पांच वर्ष से कम आयु के लगभग 58% बच्चे (57% लड़के और 60% लड़कियाँ) और शहरी भारत में लगभग 62% (62% लड़के और 61% लड़कियाँ) बच्चे पूर्ण रूप से प्रतिरक्षित थे।
- सर्वेक्षण में दर्शाया गया है कि अधिकांश बच्चों ने सरकारी अस्पतालों या क्लीनिकों से टीकाकरण प्राप्त किया है।
- ग्रामीण भारत में लगभग 95% बच्चे और शहरी भारत में 86% बच्चों ने प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों या यहाँ तक कि आंगनवाड़ी केंद्रों सहित सरकारी अस्पतालों से कुछ टीकाकरण प्राप्त किया था।
- निजी क्षेत्र ने ग्रामीण भारत में लगभग 5% बच्चों का टीकाकरण किया है, हालाँ कि शहरी भारत के 14% बच्चों के साथ यह प्रतिशत थोड़ा अधिक था, जिन्होंने कोई भी टीकाकरण प्राप्त किया था।

संबंधित जानकारी

गहन मिशन इन्द्रधनुष (आई.एम.आई.) के संदर्भ में जानकारी

- भारत सरकार द्वारा वर्ष 2017 में गहन मिशन इन्द्रधनुष (आई.एम.आई.) शुरू किया गया था।

- गहन मिशन इन्द्रधनुष का उद्देश्य दो वर्ष से कम आयु के प्रत्येक बच्चे तक पहुँचना और उन सभी गर्भवती महिलाओं तक पहुँचना है जिन्हें नियमित टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है।
- यह विशेष अभियान दिसंबर, 2018 तक 90% से अधिक पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करने के लिए चुनिंदा जिलों और शहरों में टीकाकरण कवरेज में सुधार करने पर ध्यान केंद्रित करेगा।
- गहन मिशन इन्द्रधनुष की नियमित अंतराल पर जिला, राज्य और केंद्रीय स्तर पर बारीकी से निगरानी की जाएगी।
- इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय स्तर पर कैबिनेट सचिव द्वारा इसकी समीक्षा की जाएगी और एक विशेष पहल 'सक्रिय गवर्नेंस और समयबद्ध कार्यान्वन (PRAGATI)' के अंतर्गत उच्चतम स्तर पर निगरानी की जाएगी।

टॉपिक- जी.एस. पेपर III- स्वास्थ्य मुद्दा

स्रोत- टी.ओ.आई.

विश्व जनसंख्या अनुमान

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, 'द लांसेट' में प्रकाशित एक नए विश्लेषण में अनुमान लगाया गया है कि विश्व की जनसंख्या पहले के अनुमान से काफी पहले अपने चरम पर पहुँच जाएगी।
- शोधकर्ताओं ने 195 देशों में जनसंख्या के रूझानों का विश्लेषण किया है।
- इसने ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज स्टडी 2017 के आंकड़ों का उपयोग भविष्य की आबादी को विभिन्न परिदृश्यों जैसे प्रजनन, प्रवास और मृत्यु दर के एक फलन के रूप में बनाने के लिए किया है।

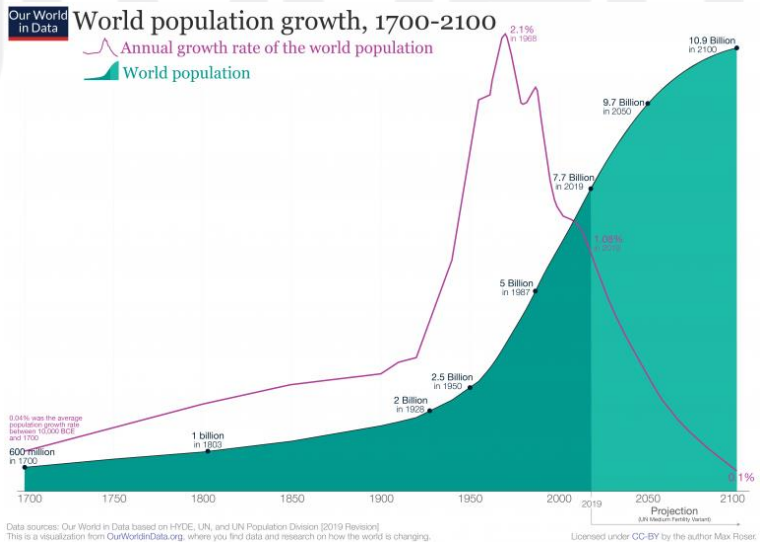

रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं

- शोध का अनुमान है कि विश्व की जनसंख्या वर्ष 2064 में 9.73 बिलियन हो जाएगी, जो कि पिछले वर्ष की संयुक्त राष्ट्र विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2100 तक 11 बिलियन के चरम पर होने के अनुमान की तुलना में 36 वर्ष पहले है।
- वर्ष 2100 के लिए, नई रिपोर्ट में वर्ष 2064 के चरम से घटकर 8.79 बिलियन होने का अनुमान लगाया है।

- भारत के लिए, रिपोर्ट में वर्ष 2017 में 1.38 बिलियन से बढ़कर वर्ष 2048 में 1.6 बिलियन की जनसंख्या होने का अनुमान है।
- वर्ष 2100 तक, जनसंख्या 32% घटकर 1.09 बिलियन होने का अनुमान है।
- वैश्विक टी.एफ.आर. के वर्ष 2017 में 2.37 से घटकर वर्ष 2100 में 1.66 होने का अनुमान है।
- 183 देशों में टी.एफ.आर. के 2.1 से नीचे जाने का अनुमान है।
- जापान, थाईलैंड, इटली और स्पेन सहित 23 देशों में इसके 50% से अधिक सिकुड़ने का अनुमान है।

रिपोर्ट और भारत

- भारत का टी.एफ.आर. पहले से ही वर्ष 2019 में 2.1 से कम था।
- टी.एफ.आर. में वर्ष 2040 तक लगभग निरंतर रूप से गिरावट होने का अनुमान है, जिसके वर्ष 2100 में 1.29 तक पहुंचने का अनुमान है।
- भारत में काम करने वाले वयस्कों (20-64 वर्ष) की संख्या वर्ष 2017 में 748 मिलियन से घटकर वर्ष 2100 में 578 मिलियन होने का अनुमान है।
- हालांकि, यह वर्ष 2100 तक दुनिया की सबसे बड़ी कामकाजी उम्र की आबादी होगी।
- 2020 के मध्य में, भारत के चीन की कर्मचारियों आबादी (वर्ष 2017 में 950 मिलियन और वर्ष 2100 में 357 मिलियन) को पार करने की उम्मीद है।
- वर्ष 2017 से 2100 तक, भारत के सबसे बड़ी जी.डी.पी. वाले देशों की सूची में सातवें से तीसरे स्थान तक ऊपर उठने का अनुमान है।
- भारत में वर्ष 2100 में दूसरा सबसे बड़ा परिणामी आव्रजन होने का अनुमान है, वर्ष 2100 में भारत से बाहर जाकर बसने वाले लोगो की तुलना में अनुमानित आधे मिलियन से अधिक लोगो के भारत में आकर बसने का अनुमान है।
- वर्ष 2017 या 2100 में सबसे अधिक आबादी वाले 10 देशों में, भारत में सबसे कम जीवन प्रत्याशाओं में से एक होने का अनुमान (वर्ष 2017 में 69.1 से ऊपर वर्ष 2100 में 79.3 वर्ष) है।

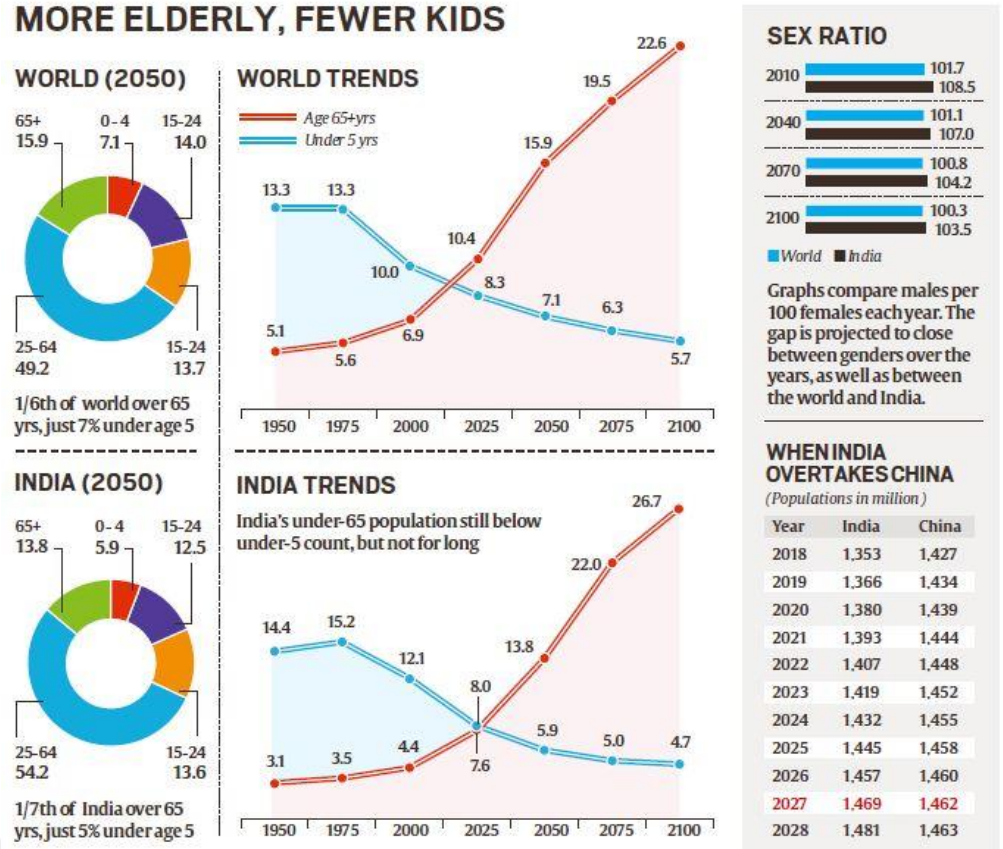

संबंधित जानकारी

कुल प्रजनन दर के संदर्भ में जानकारी

- कुल प्रजनन दर (टी.एफ.आर.) को जनसंख्या की प्रजनन दर, पूर्ण/ संभावित मृत्यु दर, काल कुल प्रजनन दर (पी.टी.एफ.आर.) या कुल अवधि प्रजनन दर (टी.पी.एफ.आर.) भी कहा जाता है, जो एक महिला के जीवन काल में उससे जन्में बच्चों की औसत संख्या है यदि:
  a. वह अपने पूरे जीवनकाल में यथार्थ वर्तमान आयु-विशिष्ट प्रजनन दर (ए.एस.एफ.आर.) का अनुभव करती है
  b. वह अपने जन्म से प्रजनन जीवन के अंत तक जीवित रहती है

टॉपिक- जी.एस. पेपर III -महत्वपूर्ण रिपोर्ट

स्रोत- टी.ओ.आई.

कुम्हार सशक्तिकरण योजना

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, केंद्रीय गृह मंत्री ने (वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से) खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (के.वी.आई.सी.) की कुम्हार सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत 100 प्रशिक्षित कारीगरों को 100 इलेक्ट्रिक कुम्हार के चाकों का वितरण किया है।

कुम्हार सशक्तिकरण योजना के संदर्भ में जानकारी

- कुम्हार सशक्तिकरण कार्यक्रम, देश के दूरस्थ स्थानों में कुम्हार समुदाय के विकास हेतु खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (के.वी.आई.सी.) की एक पहल है।

लक्षित लाभार्थियों

- यह कार्यक्रम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, जम्मू और कश्मीर, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, असम, गुजरात, तमिलनाडु, ओडिशा, तेलंगाना और बिहार के कुम्हारों तक पहुँचता है।

प्रदान किए गए लाभ

यह कार्यक्रम कुम्हारों को निम्नलिखित सहायता प्रदान करता है।

a. उन्नत मिट्टी के बर्तनों के उत्पादों हेतु प्रशिक्षण
b. नवीनतम, नई तकनीक मिट्टी के बर्तन उपकरण जैसे इलेक्ट्रिक चाक
c. के.वी.आई.सी. प्रदर्शनियों के माध्यम से बाजार लिंकेज और दृश्यता

परिणाम

इलेक्ट्रिक चाकों की आपूर्ति के कारण कुम्हारों ने निम्नलिखित लाभ प्राप्त किए हैं:

- काम के कम घंटों के साथ अधिक उत्पादन
- कम शोर और बेहतर स्वास्थ्य लाभ
- तेज गति के लिए बेहतर संक्रमण के साथ कम बिजली की खपत

खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के संदर्भ में जानकारी

- खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (के.वी.आई.सी.) संसद के अधिनियम, 'खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम 1956' के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा अप्रैल, 1957 (एक आर.टी.आई. के अनुसार) में गठित एक वैधानिक निकाय है।
- यह भारत के भीतर खादी एवं ग्रामोद्योग के संबंध में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत एक सर्वोच्च संगठन है।
- आयोग, ग्रामीण क्षेत्रों में जहां कहीं भी आवश्यक हो ग्रामीण विकास में संलग्न अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर ग्रामीण क्षेत्रों में खादी और ग्रामोद्योगों की स्थापना और विकास की योजना, प्रचार, सुविधा, आयोजन और सहायता करना चाहता है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर II- सामाजिक मुद्दा

स्रोत- पी.आई.बी.

थोक दवा पार्क और चिकित्सा उपकरण पार्क की स्थापना हेतु योजनाएं

खबरों में क्यों है?

- केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय ने देश में थोक दवाओं और चिकित्सा उपकरण पार्कों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए फार्मास्यूटिकल्स विभाग की चार योजनाएं शुरू की हैं।
- इन योजनाओं को फार्मा क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के दृष्टिकोण और स्पष्टता की तर्ज पर शुरू किया गया है।

- केंद्र सरकार ने चार योजनाओं को मंजूरी प्रदान की है, जिसमें थोक दवाओं और चिकित्सा उपकरण पार्कों प्रत्येक के लिए दो-दो योजनाओं को मंजूरी प्रदान की है।

चार योजनाओं की मुख्य विशेषताएं हैं:

थोक दवा पार्कों को बढ़ावा देने हेतु योजना

- यह योजना देश में तीन थोक दवा पार्कों के निर्माण की परिकल्पना करती है।

वित्तपोषण प्रारूप

- अनुदान-सहायता, उत्तर-पूर्व और पहाड़ी राज्यों के मामले में परियोजना लागत की 90% और अन्य राज्यों के मामले में 70% होगी।
- एक थोक दवा पार्क के लिए अधिकतम अनुदान सहायता 1000 करोड़ रूपये तक सीमित है।

राज्यों को एक चुनौतीपूर्ण विधि के माध्यम से चुना जाएगा:

- पार्क स्थापित करने में रूचि रखने वाले राज्यों को पार्क में स्थित थोक दवा इकाइयों के लिए **24*7** बिजली और पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करनी होगी और पार्क में थोक दवा इकाइयों के लिए प्रतिस्पर्धी भूमि पट्टा दरों की पेशकश करनी होगी।
- राज्य की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग, थोक दवा उद्योग के लिए लागू राज्य की प्रोत्साहन नीतियां, राज्य में तकनीकी श्रमशक्ति की उपलब्धता आदि भी राज्यों का चयन करते समय कारक के रूप में होंगे।
- इच्छुक राज्यों को मूल्यांकन मानदंडों के आधार पर स्कोर और रैंक प्रदान की जाएगी, जो उपर्युक्त मापदंडों को पूरा करते हैं।
- शीर्ष तीन स्थान पाने वाले राज्यों का चयन किया जाएगा और प्रत्येक राज्य को चार किश्तों में अनुदान सहायता जारी की जाएगी।
- चयनित राज्यों को अनुदान की पहली किश्त जारी करने की तारीख से दो वर्ष के भीतर स्वीकृत विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (राज्यों द्वारा प्रस्तुत) के अनुसार पार्क का निर्माण पूरा करना होगा।

चिकित्सा उपकरणों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन लिंक्ड इंसेंटिव (पी.एल.आई.) योजना

- यह योजना (3420 करोड़ रूपए के वित्तीय परिव्यय के साथ) 5 वर्ष की अवधि के लिए अधिकतम 28 चयनित आवेदकों को बिक्री पर वित्तीय प्रोत्साहन राशि देकर चार लक्षित खंडो में चिकित्सा उपकरणों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने का इरादा रखती है।
- घरेलू रूप से निर्मित चिकित्सा उपकरणों की बिक्री के 5% की दर से वित्तीय प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।

चार लक्षित खंड हैं:

a. कैंसर देखभाल/ रेडियोथेरेपी चिकित्सा उपकरण

b. रेडियोलॉजी और इमेजिंग चिकित्सा उपकरण (आयनीकृत और गैर-आयनीकृत विकिरण उत्पाद दोनों शामिल हैं) और न्यूक्लियर इमेजिंग उपकरण
c. निश्चेतक और कार्डियो-रेस्पिरेटरी चिकित्सा उपकरण, जिसमें कार्डियो-स्पिरेटरी श्रेणी के कैथेटर्स और गुर्दर देखभाल चिकित्सा उपकरण शामिल हैं
d. प्रत्यारोपण योग्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों सहित सभी प्रत्यारोपण

लाभार्थी

- भारत में पंजीकृत कोई भी कंपनी और जिसके पास 18 करोड़ की न्यूनतम कुल संपत्ति (समूह कंपनियों सहित) हो, वह योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन राशि के लिए आवेदन करने हेतु पात्र है।

महत्व

- यह उम्मीद की जाती है कि ये योजनाएं भारत को न केवल आत्मनिर्भर बनाएंगी बल्कि चयनित थोक दवाओं और चिकित्सा उपकरणों की वैश्विक मांग को पूरा करने में भी सक्षम करेंगी।
- यह उद्योग के प्रोत्साहन के बाद से निवेशकों के लिए एक सुनहरा अवसर प्रदान करेगी और इसके साथ ही विश्व स्तरीय बुनियादी ढाँचा उत्पादन की लागत को काफी नीचे लाने में समर्थन प्रदान करने में मदद करेगी।
- ये योजनाएं, इन क्षेत्रों में उदार एफ.डी.आई. नीति और लगभग 17% (अधिभार और उपकर सहित) की प्रभावी कॉर्पोरेट कर की दर के साथ अन्य अर्थव्यवस्थाओं के प्रतिकूल चयनित उत्पादों में भारत को एक प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त प्रदान करेंगी।

टॉपिक- जी.एस. पेपर III- स्वास्थ्य मुद्दा

स्रोत- पी.आई.बी.

भारत के वर्ष 2030 तक एड्स उन्मूलन के लक्ष्य को न पाने की संभावना है: आई.सी.एम.आर. अध्ययन

खबरों में क्यों है?

- भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आई.सी.एम.आर.) ने चेतावनी दी है कि भारत वर्ष 2030 तक एड्स को समाप्त करने के राष्ट्रीय लक्ष्य को पाने से चूक सकता है।
- यह चेतावनी आई.सी.एम.आर.- राष्ट्रीय चिकित्सा आंकड़ा संस्थान, रणनीतिक जानकारी प्रभाग-निगरानी एवं महामारी विज्ञान और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन द्वारा किए गए एक अध्ययन में सामने आई है।

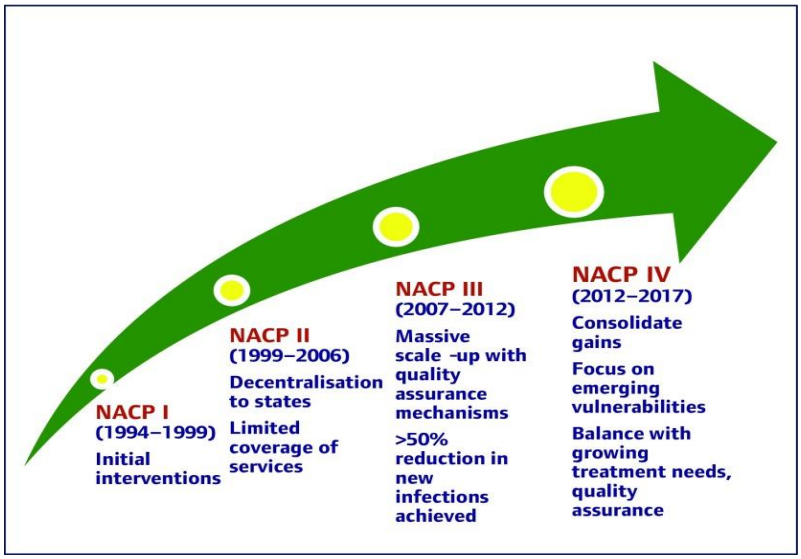

Gradeup Green Card
Unlimited Access to All Mock Tests of State PCS Exams
CHECK HERE

अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष

- वर्ष 2020 तक 75 प्रतिशत गिरावट के राष्ट्रीय लक्ष्य की तुलना में वर्ष 2010 से 2017 तक वार्षिक नए एच.आई.वी. संक्रमण में केवल 27 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है।
- वर्ष 2017 में एच.आई.वी. के राष्ट्रीय वयस्क प्रसार के 0.22% होने का अनुमान था।
- मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड में 1% से अधिक का प्रसार था।
- वर्ष 2017 में अनुमानित 2.1 मिलियन लोग एड्स वायरस, एच.आई.वी. के साथ जी रहे थे।
- वर्ष 2017 में एच.आई.वी. के साथ जी रहे लोगो की सबसे अधिक आबादी वाले राज्य महाराष्ट्र (0.33 मिलियन), आंध्र प्रदेश (0.27 मिलियन) और कर्नाटक (0.24 मिलियन) थे।
- तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और बिहार में ऐसे 0.2 से 0.1 मिलियन रोगी थे।
- एड्स से संबंधित वार्षिक मौतों का अनुमान राष्ट्रीय स्तर पर 69,000 था।
- एच.आई.वी. के माता-से-बच्चे में संचरण (पी.एम.टी.सी.टी.) की रोकथाम, वर्ष 2020 तक हासिल किया जाने वाला एक अन्य महत्वपूर्ण लक्ष्य है।
- बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना में अपेक्षाकृत अधिक पी.एम.टी.सी.टी. की आवश्यकता थी।
- हालांकि, उपचार कवरेज अभी भी राष्ट्रीय औसत से काफी कम था।
- यह अध्ययन भौगोलिक क्षेत्रों और जनसंख्या समूहों द्वारा एच.आई.वी. की रोकथाम, निदान और उपचार के प्रयासों को सुदृढ़ करने की सिफारिश करता है।

पृष्ठभूमि

- भारत, विश्व का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश है, यहां एच.आई.वी. से ग्रसित अनुमानित 2.1 मिलियन लोग (पी.एल.एच.आई.वी.) रहते हैं, जो दक्षिण अफ्रीका और नाइजीरिया के बाद वैश्विक रूप से तीसरी सबसे बड़ी आबादी है।

सरकारी पहल

- राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017, "वर्ष 2020 तक एच.आई.वी./ एड्स के लिए 90:90:90 के वैश्विक लक्ष्य को प्राप्त करने" का वादा करती है अर्थात एच.आई.वी. के साथ जीने वाले सभी लोगों में से 90 प्रतिशत लोग अपनी एच.आई.वी. स्थिति जानेंगे, एच.आई.वी. संक्रमण का निदान कराने वाले सभी लोगो के 90 प्रतिशत हिस्से को सस्टेंड एंटीरेट्रोवाइरल थेरेपी (ए.आर.टी.) प्राप्त होगी और ए.आर.टी. प्राप्त करने वालों में से 90 प्रतिशत में वायरल में कमी आएगी।
- भारत सहित 190 से अधिक देशों की सरकारों ने संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों को अपनाकर वर्ष 2030 तक एड्स को समाप्त करने का संकल्प लिया है।
- यह लक्ष्य हासिल करना मुश्किल होगा क्यों कि वर्ष 2020 तक 75 प्रतिशत गिरावट के राष्ट्रीय लक्ष्य की तुलना में वर्ष 2010 से 2017 तक वार्षिक नए एच.आई.वी. संक्रमण में केवल 27 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है।

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम

- इसे राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (एन.ए.सी.ओ) द्वारा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत लागू किया जाता है।

उद्देश्य

- इस कार्यक्रम का उद्देश्य एच.आई.वी. रोग के बोझ और महामारी विज्ञान के रूझान को समझना है।
- यह कार्यक्रम अब एक प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य रोकथाम एवं उपचार कार्यक्रम के रूप में विकसित हुआ है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर III- स्वास्थ्य मुद्दा

स्रोत- लाइवमिंट और एन.सी.बी.आई.

इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माताओं के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजना

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, सैमसंग, पेगाट्रॉन, फ्लेक्स और फॉक्सकॉन जैसी वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स दिग्गज कंपनियां इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी की उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजना से लाभान्वित होने के लिए समझौता वार्ता के अंतिम चरण में हैं।

उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजना के संदर्भ में जानकारी

- यह योजना राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति का एक हिस्सा है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों को 4-6 प्रतिशत की प्रोत्साहन राशि प्रदान करेगी।
- प्रोत्साहन राशि मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जैसे ट्रांजिस्टर, डायोड, थाइरिस्टर्स, रजिस्टर्स, संधारित्र और नैनो-इलेक्ट्रॉनिक घटकों जैसी सूक्ष्म विद्युतयांत्रिक प्रणाली के निर्माण पर प्रदान की जाती है।
- योजना के अनुसार, मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनियां जो 15,000 रूपये या उससे अधिक की कीमत पर बिक्री करती हैं, उन्हें भारत में बने ऐसे सभी मोबाइल फोन की वृद्धिशील बिक्री पर 6 प्रतिशत तक की प्रोत्साहन राशि मिलेगी।
- समान श्रेणी में, जो कंपनियां भारतीय नागरिकों के स्वामित्व में हैं और ऐसे मोबाइल फोन बनाती हैं, उनके लिए अगले चार वर्षों के लिए 200 करोड़ रूपए तक की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।

योजना का कार्यकाल क्या है?

- पी.एल.आई. योजना, प्रोत्साहन राशि की गणना करने के लिए आधार वर्ष के रूप में वित्त वर्ष (एफ.वाई.) 2019-20 के साथ पांच वर्षों के लिए सक्रिय रहेगी।
- इसका अर्थ है कि प्रत्येक कंपनी को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि की गणना करते समय वित्त वर्ष 2020 के बाद पंजीकृत सभी निवेश और वृद्धिशील बिक्री पर विचार किया जाएगा।

महत्व

- यह योजना एक ओर क्षेत्र में बड़े विदेशी निवेश को आकर्षित करेगी, वहीं घरेलू मोबाइल फोन विनिर्माताओं को अपनी इकाइयों और भारत में उपस्थिति का विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित करेगी।

ए.आई.एम. ने अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एक समग्र ढाँचा अपनाया है।

a. **अटल थिंकरिंग लैब्स-** स्कूलों में रचनात्मक, अभिनव मानसिकता को बढ़ावा देने हेतु
b. **अटल इनक्यूबेटर्स-** विश्वविद्यालयों और उद्योग में उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु
c. **अटल न्यू इंडिया चैलेंज और अटल ग्रांड चैलेंज-** सामाजिक/ आर्थिक प्रभाव के साथ विशिष्ट उत्पाद नवाचारों को बढ़ावा देने हेतु
d. **मेंटर ऑफ चेंज-** ए.टी.एल. और ए.आई.सी. इनक्यूबेटर्स/ स्टार्टअप्स में छात्रों के परामर्श हेतु

टॉपिक- जी.एस. पेपर III- अर्थशास्त्र

स्रोत- द हिंदू

पोषण सुरक्षा पर उच्च खाद्य कीमतों का प्रभाव

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, न्यूयॉर्क में टाटा-कॉर्नेल कृषि एवं पोषण संस्थान द्वारा 'महामारी की कीमतें: कोविड-19 मूल्य वृद्धि और भारत में पोषण सुरक्षा के लिए उनके निहितार्थ' शीर्षक नामक एक अध्ययन किया गया था।

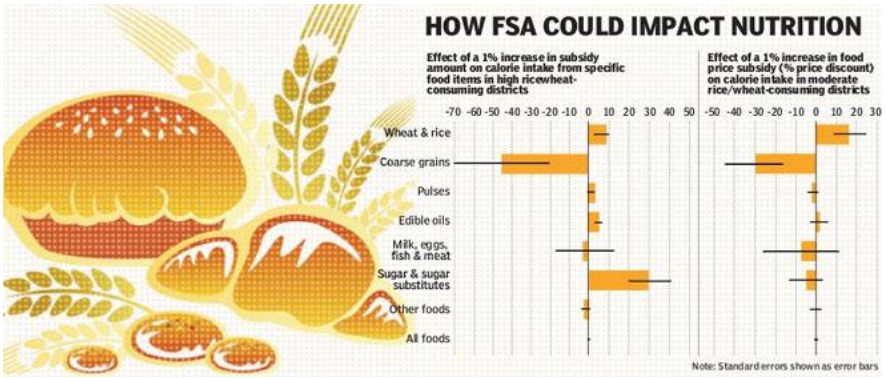

रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं

- यह 1 मार्च से 31 मई तक 11 टियर-1 और टियर-2 शहरों में अनाज (गेहूं और चावल) और गैर-अनाज (प्याज, टमाटर, आलू, पांच दालें और अंडे) की कीमतों का पिछले वर्ष की समान अवधि से तुलना करके विश्लेषण करता है।
- यह केंद्र सरकार के वाणिज्य मामलों के विभाग से साप्ताहिक स्तर के खुदरा डेटा और राष्ट्रीय अंडा समन्वय समिति से थोक मूल्यों का उपयोग करता है।
- अनाज की तुलना में, गैर-अनाज की कीमतों में वृद्धि अधिक थी।
- लॉकडाउन हटाए जाने के बाद अनाज, अंडे, आलू, प्याज और टमाटर की कीमतें शीघ्र ही स्थिर हो गईं हैं, जब कि प्रोटीन युक्त दालों की कीमतें अधिक बनी हुई है।
- आलू की कीमतें कई शहरों में 30-90% तक अधिक थी लेकिन मई के पहले सप्ताह तक स्थिर हो गईं थी।
- कुछ राज्यों में लॉकडाउन के तुरंत बाद प्याज की कीमतें 200-250% अधिक थी, जो अप्रैल के अंत तक स्थिर हो गईं थी।

पोषण सुरक्षा में उच्च खाद्य कीमतों का प्रभाव

- रिपोर्ट बताती है कि अधिक पौष्टिक भोजन की अपेक्षाकृत उच्च कीमतें गरीब और सीमांत लोगों के लिए इस प्रकार के पोषक तत्वों से भरपूर भोजन का उपयोग करना मुश्किल बना देती हैं।
- इसके परिणामस्वरूप, आहार में ऐसे खाद्य पदार्थों का अनुपात और कम हो जाता है और इसके स्थान पर कम पौष्टिक और कैलोरी युक्त सघन खाद्य पदार्थ आ जाते हैं।
- इससे पूरे भारत में महिलाओं और बच्चों की पोषण की स्थिति खराब होने की संभावना है और देश के गरीब क्षेत्रों में ऐसा अधिक हो सकता है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर III- अर्थशास्त्र (महत्वपूर्ण रिपोर्ट)

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

gradeup

UPSC CSE सामयिकी जुलाई २०२०

Prep Smart. Score Better. Go gradeup

www.gradeup.co